एकादश माला, खंड 4, अंक 11

बुधवार, 24 जुलाई, 1996
2 श्रावण, 1918 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

55
16.1.97

( खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं )

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

बुधवार, 24 जुलाई, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

| कालम | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़िए |
|---|---|---|---|
| विषय सूची | नीचे से 4 | श्री एस॰बंगारप्पा | श्री एस0 बंगारप्पा |
| 12 | 20 | (.....देवगौड़ा) | (........ देवेगौड़ा) |
| 28 | 4 | प्रधा मंत्री | प्रधान मंत्री |
| 51 | 6 | (क), (ख) से (घ) | (क) से (घ) |
| 68 | 8 | समक्ष | समक्ष |
| 114 | 16 | (......बालासुब्रह्मण्यन) | (.......सुब्रह्मण्यन) |
| 195 | 4 | श्री रामश्रय | श्री रामाश्रय |
| 195 | 17 | पटूल पुल | पटून पुल |
| 196 | नीचे से 14 | "रवाल्टा और" को नीचे से पंक्ति 13 में जौनपुरी से पहले पढ़िए। | |
| 197 | 12 | निरनुमोहन | निरनुमोदन |
| 200 | अंतिम | तक 2:00 बजे | 2:00 बजे तक |
| 247 | नीचे से 12 | श्री सत्य सिंह देव | श्री सत्य देव सिंह |
| 256 | 11 | स्वीकत | स्वीकृत |
| 257 | 20 | प्रस्तुत गई वाली | प्रस्तुत की गई |
| 271 | 16 | वैगल | वैगन |
| 275 | 19 | श्री बासुदेव आचार्य | श्री बसुदेव आचार्य |
| 291 | नीचे से 17 | श्री बसुदवे आचार्य | श्री बसुदेव आचार्य |

## सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक


(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

# विषय-सूची

एकादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 11, बुधवार, 24 जुलाई, 1996/2 श्रावण, 1918 (शक)

| विषय | | कालम |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या | 201 से 203 | 1—27 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | | |
| तारांकित प्रश्न संख्या | 204 से 220 | 28—48 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | 1589 से 1662 और 1664 से 1719 | 48—175 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | | 189—191 |
| **समिति के लिए निर्वाचन** | | |
| दिल्ली विकास प्राधिकरण | | 192 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | | 193—197 |
| (एक) उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र को एक आदिवासी क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता | | |
| श्री बंची सिंह रावत "बचदा" | | 193 |
| (दो) दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रसारित किये जाने के लिए मार्गनिर्देश बनाये जाने की आवश्यकता | | |
| श्री आनन्द रत्न मौर्य | | 193—194 |
| (तीन) छोटा उदयपुर में बिजली की भारी कमी को पूरा करने के लिए गुजरात को और अधिक बिजली की आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता | | |
| श्री एन.जे. राठवा | | 194 |
| (चार) उड़ीसा में मयूरभंज जिले के कापटीपाड़ा ब्लाक के अंतर्गत नूडाडिहा में लोगों को टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये जाने की आवश्यकता | | |
| कुमारी सुशीला तिरिया | | 194 |
| (पांच) बिहार के जहानाबाद जिले में बेहतर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता | | |
| श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह | | 195 |
| (छः) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में गलौली बारा नाव घाट पर एक पंटून पुल के निर्माण की आवश्यकता | | |
| श्री विशम्भर प्रसाद निषाद | | 195 |
| (सात) भारत को उपग्रह के माध्यम से प्रसारण की अपलिंकिंग सुविधा प्रदान किये जाने के के प्रस्ताव की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता | | |
| श्री एस. बंगरप्पा | | 195—196 |
| (आठ) रवाल्टा और जौनपुरी के आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता | | |
| श्री मानवेन्द्र शाह | | 196—197 |

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

| विषय | कालम |
|---|---|
| भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प; | |
| भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक; | |
| भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प | |
| और | |
| भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक स्थगित करने के लिए प्रस्ताव—**स्वीकृत हुआ** | 197—198 |
| कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प—**वापस लिया गया** | |
| और | |
| कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक—**पारित हुआ** | 198—200, 202—236 और 237—257 |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | |
| जस्टिस गुमान मल लोढा | 198—202, 215—255 |
| श्रीमती कान्ति सिंह | 202—204 |
| श्री गिरधारी लाल भार्गव | 204—205 |
| श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही | 205—211 |
| श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह | 211—212 |
| श्री बसुदेव आचार्य | 212—218 |
| श्री आर.एल.पी. वर्मा | 218—221 |
| श्री दत्ता मेघे | 221—223 |
| श्री रमेन्द्र कुमार | 223—226 |
| श्री हाराधन राय | 227—231 |
| श्री बसन्त सिंह खालसा | 231—233 |
| प्रो. रासा सिंह रावत | 233—236 |
| श्री चित्त बसु | 237—240 |
| श्री वी. गणेशन | 240—242 |
| श्री जार्ज फर्नान्डीज | 242—247 |
| श्रीमती कान्ति सिंह | 248—249 |
| खण्ड 2 से 10 और 1 | |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | 256—257 |
| सभा का कार्य | 236—237 |
| रेल बजट, 1996-97 सामान्य चर्चा | |
| और | |
| लेखानुदानों की मांगें (रेल), 1996-97 | 257—334 |
| श्री राम नाईक | 258—267 |
| श्री पी. उपेन्द्र | 268—278 |

| विषय | कालम |
|---|---|
| श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह | 278—281 |
| श्री बसुदेव आचार्य | 281—292 |
| श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे | 292—294 |
| श्री भक्त चरण दास | 294—298 |
| श्री सत्यदेव सिंह | 298—309 |
| श्री संतोष मोहन देव | 309—317 |
| श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी | 317—319 |
| श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव | 319—326 |
| श्री तिरूची शिवा | 326—330 |
| श्री अनन्त कुमार | 330—334 |

# लोक सभा

**बुधवार**, 24 जुलाई, 1996/2, श्रावण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

**(उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**[अनुवाद]**

### इन्दिरा आवास योजना

***201. श्री के.एस.आर. मूर्ति** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के लिए इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) देश में आवास समस्या के हल के लिए कितनी अनुमानित धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) आवास समस्या के कब तक हल कर लिए जाने की सम्भावना है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू)** : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान, इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों हेतु 1424.60 करोड़ रुपये (20% राज्य अंश सहित) की राशि निर्धारित की गई है।

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास समस्या को हल करने के लिए 24,303.00 करोड़ रुपये की आवश्यकता होने की सम्भवना है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास समस्या को सन् 2000 ईस्वी तक हल कर लिए जाने की सम्भावना है।

**श्री के.एस.आर. मूर्ति** : महोदय इस प्रश्न का मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि यदि इस वर्ष के लिए 1,424 करोड रुपये निर्धारित किए गए हैं और यदि सरकार चाहती है कि 2000 ई. तक आवास परियोजना पूरी हो जाए तो वे किस प्रकार शेष राशि निर्धारित करने जा रहे हैं जो कि लगभग 24,000 करोड़ रुपये है और जिसकी समूचे देश के लिए जरूरत होगी?

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष बजट आवंटन 1,000 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इस प्रयोजन के लिए इसे बढ़ाकर 1,100 करोड़ रुपये कर दिया गया। 4 और 5 जुलाई, 1996 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में न्यूनतम आधार कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय किया कि देश में 2000 ई. तक समूची आवास परियोजना को पूरा करेंगे।

इसके अलावा 2000 ई. तक समूची आवास परियोजना को पूरा करने के लिए 24,303 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। तदनुसार, इस वर्ष 6,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। हमने योजना आयोग के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है और इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। हम 2000 इं. तक समूचे देश में घरविहीन लोगों के लिए समूची आवास परियोजना को पूरा करना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित धन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। यह प्रस्ताव योजना आयोग के समक्ष है और इसके बाद इस पर निर्णय लेंगे।

**श्री के.एस.आर. मूर्ति** : वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें 2000 ई. तक पूरा किया जाने वाला अपना लक्ष्य बदलना होगा। वे इस देश में मकानों का निर्माण करने का कार्य 2000 ई. के अंदर पूरा नहीं कर सकते हैं। अपेक्षित धन उपलब्ध नहीं है। जब तक इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये निर्धरित नहीं किए जाते हैं, परियोजना का कार्य पूरा नहीं हो सकता है। उनका न्यूनतम कार्यक्रम भी बदला जाना चाहिए।

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : उपाध्यक्ष महोदय, इस निर्णय के आधार पर नवीं योजना भी तैयार की जा रही है। हम इस निर्णय के आधार पर धन न केवल आवास क्षेत्र के लिए आवंटित कर रहे हैं अपितु 7 अन्य स्कीमों का भी निर्धारण किया गया है। हम नवीं योजना में इसके लिए और अधिक राशि आवंटित करने की योजना बना रहे हैं।

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : मंत्री महोदय, क्या आप आश्वासन दे रहे हैं? ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मूर्ति, आपने पहले ही दो अनुपूरक प्रश्न पूछ लिए हैं।

**(व्यवधान)**

**श्री के.एस.आर. मूर्ति** : मेरा दूसरा अनुपूकर प्रश्न है, किसी की राज्य में इंदिरा आवास योजना को ईमानदारी के साथ क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में सत्तासीन सरकार अपनी रुचि के लाभार्थियों का चयन कर रही है न कि लाभार्थियों की वास्तविक पात्रता के अनुसार चयन किया जा रहा है। विधायक इन लाभार्थियों का चयन कर रहे हैं। किसी एक विशेष पार्टी से सम्बन्ध रखने वाले विधेयक इन लाभार्थियों का चयन कर रहे हैं। यह भारत सरकार का कार्यक्रम है जहां 80 प्रतिशत धन केन्द्र से आता है और ऐसे अनेक राज्य हैं जो इस कार्यक्रम के लिए 20 प्रतिशत धन का भी अंशदान नहीं कर रहे हैं।

इसलिए मेरा सुझाव है कि संसद सदस्यों को एक-एक विधान सभा क्षेत्रों से 500 लाभार्थियों की संख्या में लाभार्थियों का चयन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक सुझाव है, दूसरा सुझाव है प्रस्तावित 1 करोड़ रुपये में से जो हर संसद सदस्य को मिलता है, सदस्यों को दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु कुछ धन निर्धारित करने दिया जाना चाहिए क्योंकि अभी ऐसा प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

इंदिरा आवास योजना के द्वारा आग और बाढ़ से प्रभावित जिन लोगों को सहायता मिलनी चाहिए उन्हें घटना के दो या तीन साल बाद

भी सहायता नहीं दी जा रही है। हमें संकल्प करना चाहिए कि कम से कम ऐसे प्रभावित लोगों को घटना के एक सप्ताह के अंदर सहायता देनी चाहिए ताकि इंदिरा आवास योजना उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बन सके अथवा इससे उन लोगों को सहायता मिले जो आग और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : नहीं, अब तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जहां तक लाभार्थियों की पहचान करने का सम्बन्ध है, ग्राम सभा को बुलाया जाता है...**(व्यवधान)**

**श्री पी. उपेन्द्र** : कहीं भी ग्राम सभा को नहीं बुलाया जाता है।

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : मुझे उत्तर देने दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

**(व्यवधान)**

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत हैं ...**(व्यवधान)** कृपया पहले सुनिए, तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

**(व्यवधान)**

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : उणध्यक्ष महोदय, इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करने के लिए विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं। सारा धन एकत्रित किया जाता है। चयनकर्ता लाभार्थियों का चयन करेगा और उन्हें ग्राम सभा के समक्ष लाएगा। इसी तरह की अनेक मार्गदर्शी सिद्धान्त है। मैं आपको वे मार्गदर्शी सिद्धान्त बताऊंगा ...**(व्यवधान)** आप पहले सुनिए और फिर प्रश्न पूछिए। लाभार्थियों का चयन करने की प्राथमिकता क्रम इस प्रकार है ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया उन्हें सुनिए।

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : लक्ष्य ग्रुप में प्राथमिकता क्रम निम्न है :

1. मुक्त बंधुआ श्रमिक।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार जो अत्याचार के शिकार हुए हैं।
3. निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार जिनके मुखिया विधवाएं और अविवाहित महिलाएं हैं।
4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार जो बाढ़, आग, भूकम्प और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित हुए हैं।
5. निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के अन्य परिवार।
6. निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार।

यह मार्ग निर्देशक हैं और इन मार्गनिर्देशकों के आधार पर ...**(व्यवधान)**

**श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : इन मार्गनिर्देशकों का कोई पालन नहीं कर रहा है ...**(व्यवधान)**

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : अभी तक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए।

**(व्यवधान)**

**जस्टिस गुमानमल लोढा** : इस स्कीम में संसद सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए।

**[हिन्दी]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : ऐसे किसी की बात नहीं सुनी जाएगी।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा निवेदन है कि इत्तफाक से बैलट में पहले क्वश्चन बहुत महत्वपूर्ण आ रहे हैं। यह चांस की बात है। इसके अलावा दूसरे क्वश्चन भी महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन हम 3-4 क्वश्चन डिसकस कर पाते हैं। सप्लिमैंट्री पूछने की बजाय शोर-शराबे में समय ज्यादा चला जाता है।

**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया इस पर चर्चा कराएं। ...**(व्यवधान)**

**श्री संतोष मोहन देव** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो कह रहे हैं वह नीति हो सकती है परन्तु वास्तव में आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसको देखने से ...**(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : पश्चिम बंगाल से नहीं।

**श्री संतोष मोहन देव** : मैं पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं जानता, परन्तु श्री दासमुंशी यहां हैं, वह इस बारे में बोलेंगे।

**श्री पी.आर. दासमुंशी** (हावड़ा) : ऐसा सब जगह होता है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : ऐसा सब जगह नहीं होता है।

**श्री संतोष मोहन देव** : विगत में जो हुआ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बजट पर भाषण में ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया उन्हें अपना प्रश्न पूछने दीजिए।

**(व्यवधान)**

**श्री संतोष मोहन देव :** ठीक है, पश्चिम बंगाल बहुत अच्छा है।

**श्री पी.आर. दासमुंशी :** नहीं, पश्चिम बंगाल बहुत बुरा है।

[हिन्दी]

वैस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा हो रहा है।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया गुस्सा मत करिए।

**श्री बसुदेव आचार्य :** पश्चिम बंगाल में सभी लाभार्थी ग्राम पंचायतों द्वारा चुने जाते हैं ...(व्यवधान)

**श्री संतोष मोहन देव :** बजट भाषण में यह बताया गया है कि अधिक संख्या में केन्द्र संचालित योजनाएं राज्यों को दी जाएंगी। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा दोष है जिस पर उस बात के लिए विचार किया जायेगा। संसद सदस्यों का यह अनुभव रहा है, चाहे वे कांग्रेसी सदस्य हों या गैर कांग्रेसी कि वे ऐसी स्कीमों के केवल मात्र दर्शक हैं। दिल्ली से धन भेजा जाता है और इसका क्रिज्ञान्वयन दूसरा करता है। आजकल लोग प्रत्येक स्कीम के क्रियान्वयन के संबंध में हमारे पास आते हैं, इसलिए मैं आपसे बिना बहस किए यह अनुरोध करता हूं और यह समूची सभा आपसे अनुरोध करती है कि सरकार मार्गनिर्देशक जारी करे कि इन स्कीमों में संसद सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। इसका उल्लेख मार्ग निर्देशकों में होना चाहिए यही हमारा अनुरोध है और कुछ नहीं है।

**श्री किंजारप्पू येरननायडू :** उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि इस धन को जिला कलेक्टरों के नियंत्रणाधीन डी आर डी ओज को आवंटित किया जा रहा है, विधायक और संसद सदस्य डी.आर.डी. ओ. के शासी निकायों के सदस्य हैं ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**डा. मुरली मनोहर जोशी :** उपाध्यक्ष जी, सारा सदन जानता है कि इन्दिरा आवास योजना डी.आर.डी.ए. के अन्तर्गत नहीं आती है। अगर मंत्री महोदय का ज्ञान ऐसा है तो वह फिर कृपा करके अपना होमवर्क अच्छी तरह से करके आए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री कांशीराम राणा :** उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि देश में आवास समस्या का हल करने के लिए 24,303 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके बावजूद वर्ष 1996-97 के लिए केवल 1,424.60 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन परिस्थितियों में मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार सरकार 2000 ई. तक आवास समस्या को हल कर सकती है। सरकार चार वर्ष के अंदर आवास समस्या किस प्रकार हल कर सकती है जबकि आपने केवल 1,436 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि

[हिन्दी]

इंदिरा आवास योजना के अंदर जो आवास बनते हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक बारह-साढ़े बारह हजार में बनते हैं। लेकिन आज की मंहगाई को देखते हुये इस कास्ट में कोई अच्छा आवास नहीं बन सकता। अगर बनता भी है तो कोई जाता नहीं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी कास्ट बढ़ाने के लिये विचार कर रही है? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

**श्री किंजारप्पू येरननायडू :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अंतिम प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सभी मुख्य मंत्रियों ने यूनिट लागत 14,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये और 15,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 करने का अनुरोध किया है। उसके आधार पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हमने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय किया। कल हमने यूनिट लागत 15,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 करने के लिए आदेश भी जारी किए हैं हमने इस आदेश को सभी राज्य सरकारों में परिचालित किए हैं। ...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं आपको अनुमति दूंगा, लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं मिनिस्टर साहब से एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। आनरेबल एम.पी. का कहना है कि इसमें एम.पी. का रोल होगा या नहीं ? अगर होगा तो क्या होगा ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्हें पहले उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री रेड्डी कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप उनके उत्तर को क्यों नहीं सुनते हैं?

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** महानुभावों, कृपया बैठ जाएं। उन्हें उत्तर देने दें। क्या आप उनके उत्तर को नहीं सुनना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

**डा. वाई.एस.राजशेखर रेड्डी :** इससे पहले कि माननीय सदस्य उत्तर दें, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं खड़ा हूं, कृपया बैठ जाइए, मंत्री महोदय कृपया उत्तर दें।

**श्री किंजारप्पू येरननायडू :** उपाध्यक्ष महोदय, यह आवास योजना एक विशिष्ट ग्रुप, जो निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं। के लिए मकान बनाने के लिए है। उसके आधार पर हमने मार्गनिर्देश दिए हैं। इसके लिए सतर्कता समितियां हैं, निगरानी समितियां हैं और डी.आर. डी.ए. ...(व्यवधान) संसद सदस्यों के लिए कोटा और अन्य बातों के सम्बन्ध में यह कहना है कि यह नीति संबंधी निर्णय है। हम इसकी जांच करेंगे और निर्णय लेंगे ...(व्यवधान)

**श्री पी.आर. दासमुंशी :** यह नीतिगत निर्णय कैसे हो सकता है? (व्यवधान) कुछ राज्यों को छोड़कर इस आशय के उपबंध हैं कि संसद सदस्य जिला परिषदों और पंचायत समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। महोदय, उनका इस मामले में विशिष्ट अधिकार और जिम्मेदारी है कि कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। इस सभा के माननीय सदस्यों की यह एकमात्र इच्छा है कि इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के बारे में जानकारी देने और उनका चयन करने में संसद सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। आप इसकी घोषणा क्यों नहीं करते हैं? ...(व्यवधान)

**श्री राम कृपाल यादव :** मैं आपसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछले दिनों मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में सर्वसम्मति से हिल एरिया के लिए 22 हजार रुपया उन्होंने स्वीकार किया था और हिल एरिया के अलावा और दूसरे एरिया के लिए 20 हजार रुपया उन्होंने स्वीकार किया था। जो राशि सर्वसम्मति से तय हुई है वह सरकार कब उन राज्यों को दे रही है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री किंजारप्पू येरननायडू :** उपाध्यक्ष महोदय, मूल बात यह है कि जो भी राशि विनिर्दिष्ट है, वह दी जाएगी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यूनिट लागत कितनी होगी और कितनी बढ़ाई जाएगी आदि। इस प्रयोजन के लिए हमने योजना आयोग को फाईल भेजी है। वह निर्णय मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया था। उसके आधार पर हमारा मंत्रालय संबंधित राज्यों को आर्डर देगा ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं अभी सबको अलाउ करूंगा।

**श्री थावरचन्द गेहलोत :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ...।

**उपाध्यक्ष महोदय :** जानकारी देना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं?

**श्री थावरचन्द गेहलोत :** इसके बाद पूछूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप सवाल पूछिए।

**श्री थावरचन्द गेहलोत :** सवाल ही पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि सांसदों की राय ली जाती है और कलेक्टर उसका निर्णय करता है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत ही इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति कर देती है, किसी से कोई राय नहीं ली जाती है और जो डी.आर.डी.ए. की गवर्निंग बाडी होती है, उसमें इस पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाता है। क्या माननीय मंत्री जी संबंधित राज्यों को इस प्रकार के निर्देश देंगे कि वह कानून में ऐसी व्यवस्था करें कि इंदिरा आवास और आई.आर.डी.पी. की जो भी योजनाएं हैं, उनको स्वीकृत करते समय सांसदों की राय लें?

[अनुवाद]

**श्री किंजारप्पू येरननायडू :** मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

**श्री येल्लैया नंदी :** उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि इंदिरा आवास योजना के भारत सरकार से स्टेट्स में जाने के बाद भी उसको तकसीम करने के क्या तरीके हो सकते हैं। उन्होंने तीन गाइडलाइन्स बताई। एक जो मकान जलता है उसको देना चाहिए। दूसरा बाण्डेड लेबर और तीसरा बरसात में जो मकानात गिर जाते हैं, वह उनको देने की आपके पास गाइडलान्स हैं। लेकिन यहां से जाने के बाद वहां तकसीम करने का अधिकार कलेक्टर को है। आंध्र प्रदेश के क्लेक्टर्स ये काम कर रहे हैं कि वे इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। वहां एम.एल.ए. और मिनिस्टर को तकसीम करने के लिए सिस्टम हो रहा है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपका प्रश्न क्या है?

**श्री येल्लैया नंदी :** इंदिरा आवास योजना में इसको बदलना चाहिए। विधायक और मंत्री को तकसीम करने का अधिकार नहीं है। इसका उल्लंघन हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि योजना को तकसीम करने का आपका क्या सिस्टम है? आपको उसमें सांसदों का इनवोल्वमेंट भी करना चाहिए।

[अनुवाद]

**श्री किंजारप्पू येरननायडू :** उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही सूचित कर दिया है कि 1995-96 में आंध्र प्रदेश सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि इस कार्यक्रम का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

**अनेक माननीय सदस्य :** वे इसका उल्लंघन कर रहे हैं।

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : यदि किसी विशेष क्षेत्र में कोई उल्लंघन हो रहा है तो आप मुझे अभ्यावेदन दें और मैं इसकी जांच करूंगा ...(**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इस ओर ध्यान दे रहा हूं। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या आप मुझे अनुमति देंगे ? उन्होंने मेरा नाम लिया है।

महोदय, प्रश्न पूछने का मेरा दावा इस तथ्य के कारण है कि 1978 से जब काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरम्भ हुआ तब से मैं पश्चिम बंगाल में इससे संबद्ध रहा। अब तक स्थिति यह है कि 1978 से पंचायतों के लिए कोई नियमित चुनाव नहीं हुआ था। पूर्व शासन को धन्यवाद है कि अब 5 वर्ष बाद पंचायत के लिए चुनाव हो रहे हैं और अधिकार हस्तांतरण की व्यवस्था अस्तित्व में आई है।

तथ्य यह है कि लाभार्थियों का चयन पंचायती व्यवस्था के सबसे निम्न स्तर अर्थात ग्राम पंचायत व्यवस्था पर होता है। तब उन्हें पंचायत समितियों के पास भेजा जाता है और अन्त में पंचायत समितियां उन्हें डी आर डी ए के पास भेजती हैं। यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस मायने में इससे बेहतर प्रक्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती कि संसद सदस्य को इतनी जानकारी नहीं होती है जितनी ग्राम पंचायतों को होती है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया संक्षेप में बोलिए।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि यह एक बड़ा सुखद अनुभव है और संभवतः सबसे अच्छा अनुभव है तो क्या मंत्री महोदय मार्गनिर्देशक में इस बात पर जोर देंगे कि इस अनुभव को देश के शेष भागों में अमल में लाया जाना चाहिए।

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं पंचायती व्यवस्था के सम्बन्ध में संविधान में 72वें और 73वें संशोधन के आधार पर हमने बेसिक यूनिट के आधार पर ग्राम पंचायतों को काफी अधिकार दिए हैं। हम जानते हैं कि किसी विशेष गांव में क्या हो रहा है, कौन निर्धन लोग हैं जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं आदि। हम इस आधार पर लाभार्थियों का चयन करने के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं ...(**व्यवधान**)

**[हिन्दी]**

**श्री दत्ता मेघे** : उपाध्यक्ष महोदय, आप उधर देखते हैं इधर नहीं देखते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सब तरफ देखता हूं।

**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री जगमोहन** : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपना प्रश्न पूछने दें।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपना प्रश्न पूछिए श्री जगमोहन।

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : महोदय, क्या हमारा निर्वाचन जनता नहीं करती है ? क्या विधायकों ने ही लाभार्थियों का चयन करना है ? जब हम गांवों में जाते हैं तो जनता हमसे पूछती है कि क्या हमने यह मामला सभा में उठाया कि नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा के हर वर्ग को बोलने का अवसर देना है जो सबसे पीछे की पंक्तियों में बैठे हैं, जो आगे की पक्तियों में बैठे हैं, जो बाएं तरफ बैठे हैं, जो दाएं तरफ बैठे हैं और मध्य की पक्तियों में भी बैठे हैं। आप सबसे पहले अपने स्थान में बैठें।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस तरीके से आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं। कृपया बैठ जाइए, श्री जगमोहन।

**श्री जगमोहन** : मैं एक पूर्णतया अलग पहलू पर प्रश्न पूछ रहा हूं और वह भवन निर्माण और सामग्री प्रौद्योगिकी परिषद के बारे में है। उस परिषद का मुख्य उद्देश्य निर्माण की नई तकनीकियों को अमल में लाना है जिससे मकान अधिक सुरक्षित, अधिक टिकाऊ बनते हैं और उसमें लागत भी कम आती है। मैं जानना चाहता हूं कि परिषद ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्य किया है कि बेहतर और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल हो ताकि उसी लागत में और अधिक संख्या में मकान बन सकें। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके लिए भवन निर्माण और सामग्री प्रौद्योगिकी परिषद के लिए बहुत अधिक धन दिया जाता है। मूल बात यह है कि यदि आप लागत कम कर सकते हैं तो आप उसी परिव्यय से अधिक संख्या में मकान बना सकेंगे।

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : उपाध्यक्ष महोदय, हम राष्ट्रीय भवन निर्माण परिषद बनाने पर विचार कर रहे हैं। इसकी जांच की जा रही है। हम यह परिषद बनाने पर इसलिए विचार कर रहे हैं जिससे स्थानीय सामग्रियों और अन्य चीजों का इस्तेमाल करके अच्छे गुणवत्ता वाले मकान बनाए जा सकें, इस पर विचार किया जा रहा है ...(**व्यवधान**)

**श्री जगमोहन** : मैं जानना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्ष क्या काम हुआ है ...(**व्यवधान**)

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : महोदय, यह विचाराधीन है ... (**व्यवधान**)

**श्री पी.सी. थामस** : महोदय, यह एक बहुत ही प्रशंसनीय परियोजना है, हम सभी बहुत ही प्रसन्न हैं कि इस परियोजना को और अधिक धन दिया जा रहा है। इंदिरा आवास योजना के लिए पहले इसमें स्वयंसेवी संगठन शामिल थे। अब भी उन्हें इसमें शामिल किया गया है। स्वयंसेवी संगठनों को 'कापार्ट' को आवेदनपत्र देना होता था। यह प्रक्रिया थी। चूंकि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता था

इसलिए पिछली सरकार ने एक अन्य समिति का गठन किया जिसका नाम बेकर समिति था। बेकर समिति को आवेदनपत्र लेने की अनुमति दी गई थी। केरल और अन्य राज्यों के अनेक संसद सदस्यों ने अनेक संगठनों से उस समिति को आवेदनपत्र देने के लिए कहा है। अनेकों ने बड़ी संख्या में अपने आवेदनपत्र दिए हैं। वहां हजारों आवेदनपत्र थे ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

**श्री पी.सी. थामस** : इसलिए कुछ आवेदन पत्र 'कापार्ट' को दिए गए और कुछ बेकर समिति को। मैं जानना चाहता हूं कि यह देखने के लिए सरकार क्या कर रही है कि सभी आवेदनपत्र ऐसे एक स्थान पर लिए जाएं जहां से क्रियान्वयन का कार्य जल्दी किया जा सके।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि इस परियोजना को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि सरकार लाई है। इससे अनेक लोगों को लाभ मिलेगा और इस परियोजना से लाखों लोगों को रहने के लिए मकान मिलेगा। कृपया मेरे अनुरोध पर विचार किया जाए।

मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार सभी आवेदनपत्रों को अनुमति देने के लिए प्रयास करेगी और इसमें संसद सदस्यों को भी शामिल करेगी क्योंकि यह एक केन्द्रीय योजना है जिसमें सभी संसद सदस्य अंतर्ग्रस्त हैं। मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर मंत्री महोदय से चाहता हूं ...**(व्यवधान)**

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : महोदय, सभी आवेदनपत्रों को 'कापार्ट' को भेज दिया गया है। जो माननीय सदस्य ने कहा है वह सही है, मैं इसके शीघ्र क्रियान्वयन पर विचार कर रहा हूं ...**(व्यवधान)** सभी आवेदनपत्रों को मंजूरी और दूसरी बातों के लिए 'कापार्ट' को भेज दिया गया है। पिछले वर्ष 'कापार्ट' ने 30,000 मकान बनाने की स्वीकृति दी थी ...**(व्यवधान)**

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : उपाध्यक्ष महोदय, 300 से अधिक संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें लाभार्थियों के चयन के लिए संसद सदस्यों को शामिल करने की बात कही गई है। अभी केवल विधायक जिलों में लाभार्थियों का चयन कर रहे हैं। विशेषकर आंध्र प्रदेश में संसद सदस्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जब हम लोगों के पास जाते हैं तो वे हमसे पूछते हैं कि जब विधायक मकान दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? जैसा कि कुछ संसद सदस्य कह रहे थे कि इस कार्य में ग्राम सभा कुछ नहीं कर रही है। विशेषकर आंध्र प्रदेश में हमारी पूरी तरह से उपेक्षा की गई है और केवल विधायक ही इंदिरा आवास योजना सहित इन परियोजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन कर रहे हैं। केवल विधायकों के कहने पर लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है।

महोदय, मैं आपको बताऊंगा कि एक विशेष हरिजन कालोनी में 'क' को चुना जाता है, 'ख' को चुना जाता है, 'ग' और 'घ' को छोड़ दिया जाता है, 'ङ' और 'च' का चयन किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जहां पिछले 10 या 12 वर्षों से कांग्रेसियों का निर्वाचन नहीं हुआ है, एक भी कांग्रेसी को मकान नहीं मिला है, यह ठीक बात नहीं है ...**(व्यवधान)**

**श्री पी. उपेन्द्र** : महोदय, मंत्री जी सभा को गुमराह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर दें ...**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता** : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि प्रधानमंत्री जी कोई जवाब दें, मैं भी उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। ...**(व्यवधान)** उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रधानमंत्री जी से सवाल यह है कि इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत क्या महिलाओं को आरक्षण देने की कोई योजना है। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री जी का उत्तर चाहती हूं ...**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया प्रधानमंत्री को सुनिए।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप कृपया बैठ जाएंगे ? क्या आप प्रधानमंत्री जी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं? कृपया अपनी जगहों पर बैठ जाइए।

**(व्यवधान)**

**प्रधानमंत्री (श्री एच.डी. देवगौड़ा)** : उपाध्यक्ष महोदय, कल मुझे अधिकांश संसद सदस्यों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो लाभार्थियो के चयन के बारे में है तथा उसमें कहा गया है कि इस चयन प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाए। इसकी जांच की जाएगी। मैं केवल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान का 73वां संशोधन करने के बाद पंचायतों यानि ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं।

कर्नाटक में भी विधायकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वास्तव में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस दौरान सभा में बड़ा हंगामा हुआ कि विधायकों को इसकी हर प्रक्रिया में शामिल किया जाए और यह ग्राम सभाओं द्वारा लाभार्थियों के चयन का प्रश्न नहीं है। परन्तु अधिनियम में उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा।

हम सभी विपक्षी नेताओं को बुलाएंगे और मैं इस सम्बन्ध में निर्णय लूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो हमें वर्तमान अधिनियम में संशोधन करने के लिए कुछ संशोधन लाना होगा, मैं सभी विपक्षी नेताओं से बात करूंगा और उनके परामर्श प्रर इस संबंध में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न ने 35 मिनट से अधिक समय ले लिया।

[हिन्दी]

### स्वः रोजगार योजना

*202. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवा लोगों द्वारा लघु उद्योग स्थापित करने की एक योजना शुरू की है जिसमें व्यय की आधी धनराशि सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में तथा शेष आधी धनराशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के लिए अलग-अलग क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा इसकी वास्तविक उपलब्धि कितनी रही;

(ङ) क्या इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कमी पाई गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

[अनुवाद]

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) :** (क) से (घ). जी, नहीं। फिर भी, आई.आर.डी.पी. के पुनर्गठन के लिए एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसरण में लाभार्थियों की एक नई श्रेणी, यथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले शिक्षित (आठवीं तक पढ़े) बेरोजगार लेकिन प्रशिक्षित ग्रामीण युवा को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि अथवा 7500 रुपए जो भी कम हो, की सब्सिडी दी जाएगी। शुरू की गयी यह योजना लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए नहीं है, वरन व्यवहार्य आर्थिक उद्यमों के लिए है जिसमें आई.एस.बी. सेक्टर के उद्यम भी शामिल हैं। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लक्ष्य संबंधी दृष्टिकोण को समूचे आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य निष्पादन गुणवत्ता वाला है।

(ङ) एवं (च) जी, नहीं। क्योंकि यह योजना इस वर्ष से ही शुरू की गई है।

[हिन्दी]

**प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :** उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जितनी सीरियसनैस होनी चाहिए थी उतनी सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दी। स्माल स्कैल इंडस्ट्रीज में बेरोजगारों को कोई प्रायरटी नहीं दी जाती। इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्माल स्कैल इंडस्ट्रीज में यह नहीं हो सकता? बेरोजगारी आज देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंता है। हर माता-पिता अपने बच्चों के एम्पलायमेंट के लिए चिंतित है। इसके कारण लैण्ड पर जो बोझ पड़ रहा है, लैण्ड डिस्ट्रीब्युशन से लोगों को जमीन कम आ रही है। जो जमीन से गुजारा करते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की बहुत दिक्कत है। आपने 50 परसेंट सब्सिडी देकर अट्रैक्शन तो पैदा किया है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 7500 रुपये ही रखी है। इन्फलैशन के इस दौर में क्या 7500 रुपये की सब्सिडी देना अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ एक मजाक नहीं है?

दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने माना है कि कोई टार्गेट फिक्स नहीं किया। जिस स्कीम का कोई टार्गेट ही फिक्स नहीं किया गया तो वह स्कीम ही क्या हुई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई टार्गेट फिक्स करेंगे जिससे अनएम्पलॉयड यूथ को रोजगार मिल सके? इसके लिए क्या आप कोई प्रायरटी फिक्स करेंगे और इसकी यूटिलिटी के लिए कोई मैनेजमेंट होगा?

[अनुवाद]

**श्री किंजारप्पू येरननायडू :** उपाध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में हाल में आई.आर.डी.पी. कार्यक्रम में एक संशोधन किया गया है। हमने इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है, जो पहली सिफारिश क्रियान्वित की गई है वह यह है कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रशिक्षित शिक्षित ग्रामीण युवाओं के लिए सब्सिडी की राशि बढ़ा दी गई है। यह एक विशेष नवीन कार्यक्रम है जो हम विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी सिफारिशें दिए जाने के बाद से इस वर्ष से आगे क्रियान्वित कर रहे हैं, इस योजना के अन्तर्गत, 7500 रुपये की अधिकतम सब्सिडी शिक्षित युवाओं को (मैट्रिकुलेशन तक) दी जाती है।

दूसरी सिफारिश भी एक विशेष योजना से संबंधित है जो हम विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों यथा ग्रुप क्रियाकलापों के लिए वित्तीय अधिकतम सीमा के आधार पर इस वर्ष से क्रियान्वित कर रहे हैं।

यदि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले 5 या अधिक लोग एक साथ ग्रुप बनाते हैं और कोई स्कीम प्रस्तुत करते हैं। जैसे ट्रैक्टर खरीदना या कुछ और योजना तो उनकी सहायता की जा सकती है। यह एक नई योजना है। हम ग्रामीण निर्धनों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए इन दो स्कीमों को क्रियान्वित कर रहे हैं। यह दो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं विशेषकर शिक्षित बेरोजगारों और लोगों के अन्य ग्रुपों के लिए बहुत अधिक लाभदायक हैं।

[हिन्दी]

**प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :** मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, मैं जानना तो यह चाहता था कि जो सब्सिडी के रु. 7,500/- दिए जाते हैं। क्या इतने में एंटरप्रिन्योरशिप हो सकती है? दूसरी बात मैं यह जानना

चाहता हूं कि ट्रेड की ग्रोथ के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, उनके लिए क्या कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया है? क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है कि जिनको यह सब्सिडी दी जाती है उनको अपना काम करने के लिए शहरों में न तो कोई दुकानें दी जाती हैं और न ही कोई अन्य सुविधा मिलती है। इसलिए मंत्री महोदय जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसको खड़ा करने के लिए कुछ कर रहे हैं और उसके लिए आपने कोई टारगैट फिक्स क्यों नहीं किया? क्या आप टारगेट फिक्स करने के लिए तैयार हैं, यदि हां, तो क्या टारगेट फिक्स कर रहे हैं?

[अनुवाद]

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : महोदय, 7,500 रुपये केवल सब्सिडी राशि है परन्तु निवेश की राशि बहुत अधिक हो सकती है और यदि दोनों को मिलाया जाए तो यह व्यवहार्य हो सकता है।

जहां तक आई.आर.डी.पी. की श्रेणियों का संबंध है, हम छोटे तथा सीमांत किसानों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को क्रमशः 4,000 रुपये, 5,000 रुपये और 6,000 की सब्सिडी दे रहे हैं। यह एक नई नवीन स्कीम है जो विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है और हम विशेषकर 7,500 रुपये दे रहे हैं।

जहां तक वर्तमान स्कीमों का सम्बन्ध है। हम छोटे और सीमान्त किसानों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को केवल 4,000 रुपये, 5,000 रुपये या 6,000 रुपये दे रहे हैं। इसके अलावा, यह एक विशेष योजना है, इस योजना के अंतर्गत हम सब्सिडी के रूप में 7,500 रुपये दे रहे हैं।

जहां तक दूसरी योजना का सम्बन्ध है, हम एक लाख पच्चीस हजार की राशि उन चार या पांच व्यक्तियों को दे रहे हैं जो निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं और जो ग्रुप के रूप में इकट्ठे आते हैं अथवा जो परियोजना की कुल लागत की 50 प्रतिशत होगी।

[हिन्दी]

**प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** : उपाध्यक्ष महोदय, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया है, मंत्री महोदय ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस बारे में भी कुछ बताएं?

[अनुवाद]

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : महोदय, विशेषज्ञा समिति की सिफारिशों के आधार पर हमने मैदानी क्षेत्रों में संरचना 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत; पूर्वोत्तर राज्यों में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। यह इस वर्ष से आगे के लिए भी क्रियान्वित किये जा रहे है।

**जस्टिस गुमान मल लोढा** : महोदय, ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम पिछले पांच बर्षों के दौरान समाप्त कर दिया गया है। 1993-94 में 25.38 लाख परिवारों को सहायता दी गई। इसको कम करके 1994-95 में 21 लाख कर दिया गया और 1995-96 में इसे कम करके 20 लाख रुपये कर दिया गया।

इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 10,258 लाख श्रमदिवसों का सृजन किया गया परन्तु 1994-95 में उन्हें कम करके 9,000 लाख श्रम दिवस किया गया और फिर 1995-96 में उन्हें 8,000 लाख श्रम दिवस किया गया।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हर साल इस प्रकार कमी करने से ये सारी स्कीमें पूरी तरह से लोप नहीं हो जाएंगी। क्या आप इनमें पुनः वृद्धि करके पुराने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे?

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : महोदय, इस स्कीम के शुरू होने से 31 मार्च, 1996 तक 49.0 लाख 86 हजार परिवारों को आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत लाभ पहुंचा है फिर भी, माननीय सदस्य ने जो कहा है वह ठीक है। 1993-94 में 25.39 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा। 1994-95 में 22.14 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा।

**जस्टिस गुमान मल लोढा** : इनकी संख्या प्रतिवर्ष कम होती जा रही है और ये वास्तव में बंद हो गए हैं।

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : हां, कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत राशि केन्द्र और 50 प्रतिशत राशि राज्य वहन करते हैं। कुछ लेखा परीक्षा रिपोर्टों में कुछ उपयोग प्रमाणपत्र केन्द्र को नहीं पहुंचे हैं। इसलिए हम धन रिलीज नहीं कर रहे हैं। उसके आधार पर वह राशि अगले वर्ष में ओपनिंग बैलेंस में आएगी। हम परियोजनाओं की तुलना में इस ओपनिंग बैलेंस सहित अधिक लक्ष्य दे रहे हैं जिन्हें उन्हें प्राप्त करना है। यही अन्तर है।

**श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : महोदय, ग्रामीण बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार की योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। यदि इसे ठीक ढंग से क्रियान्वित किया जाता है तो इससे बहुत लाभ मिल सकते हैं। परन्तु कठिनाइयां व्यवहार में आती हैं। जब नवजवान बैंकों में जाते हैं तो उनसे ऋण के लिए जमानत मांगी जाती है, ऐसा न तो अधिनियम में है और न आपके स्कीम में बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे लोगों को ऋण नहीं दे रहे हैं और जमानत मांग रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इस मामले को देखेंगे जिससे इन निर्धन लोगों को बिना जमानत के ऋण मिल सकें ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर सकें?

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है वह ठीक है, अनेक बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमें शिकायतें भी मिली हैं। हम इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

**श्री बसन्त सिंह खालसा** : उपाध्यक्ष महोदय, सेल्फ इम्लायमेंट को रूरल एरिया के लोगों के लिए ले जाने की स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन इसका ज्यादा असर देश के सभी नौजवानों को मिलना चाहिए। खासकर पंजाब में जब मिलिटेंसी का समय था, जो कि उन्होंने खुद ही क्रिएट की थी। उस समय सरकार गाहे-बगाहे यह कहती रही कि गांवों में सेल्फ इम्पालयमेंट दी जायेगी तो उन लोगों ने गांव में

अपनी थोड़ी-थोड़ी जमीन बेचकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा ली। अभी भाटिया जी ने बैंकों के सिस्टम के बारे में कहा है। यह तो है ही लेकिन पंजाब में इलैक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी समस्या है। शहरों में तो यह 24 ऑवर्स मिलती है लेकिन गांवों में नहीं मिलती है। हमारे पंजाब में दो थर्मल प्लांट हैं जिसके लिए कायेले की बहुत बड़ी प्राब्लम है। इस समस्या को प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा हल किया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह इशु इम्पोर्टेंट है लेकिन इससे तो कम रिलेटिड है। मैं यह नहीं कहता कि यह रिलेटिड नहीं है।

**(व्यवधान)**

**श्री बसन्त सिंह खालसा** : उपाध्यक्ष महोदय, सेल्फ इम्पलायमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सवाल आया है, जो कि गांवों में लगनी है। वहां इलैक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कहूंगा कि उन नौजवानों को, जो गांवों में इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनको क्या आप 24 आवर्स के लिए इलैक्ट्रिसिटी देने के लिए यकीनदहानी करेंगे ?

**[अनुवाद]**

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : महोदय, हम मंत्रालय से संबंधित नहीं हैं, यह बिजली, लघु उद्योग और उद्योग विभागों से संबंधित है। इसके लिए अलग से प्रश्न किया जाए।

**[हिन्दी]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : इन्होंने कोई जवाब न देकर जवाब दे दिया है।

**[अनुवाद]**

**डा. असीम बाला** : महोदय, पशुपालन, मुर्गी पालन और डेयरी उद्योग एक बहुत ही बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने वाली परियोजना है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या पशुपालन को स्वरोजगार परियोजना में शामिल किया जा रहा है और यदि हां तो कितनी परियोजनाएं चल रही हैं और कितनी प्रतीक्षा सूची में हैं। मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय इसका तुरंत उत्तर दें।

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : महोदय, ग्रामीण स्वरोजगार जैसी यह योजनाएं और युवाओं तथा लोगों के ग्रुप के लिए स्वरोजगार जैसी नवीन परियोजनाएं इस वर्ष से आगे के लिए लागू की गई हैं। हम इस वर्ष से आगे के लिए परियोजनाएं दे रहे हैं। इसलिए कोई लंबित मामला नहीं है। यह नई स्कीमें हैं और हम इस वर्ष से आगे के लिए उन्हें क्रियान्वित कर रहे हैं।

**डा. असीम बाला** : महोदय, मैंने पूछा है कि क्या मुर्गी पालन और डेयरी जैसे पशुधन को इसमें शामिल किया गया है या नहीं।

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : यह पशुओं के बारे में है। पशुपालन विभाग इसका उत्तर देगा।

**श्री आई.डी. स्वामी** : महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री भाटिया ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। परन्तु समूची समस्या का मूल यह है कि स्वरोजगार, उद्यमी योजना, डी.आर.डी.ए., आई.आर.डी.ए. या कोई भी स्कीम हो, समिति इन सभी मामलों को राष्ट्रीयकृत बैंकों को भेजती है और उन सिफारिश करने वाली समितियों में लीड बैंकों के भी प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन उसके बाद जब मामले राष्ट्रीयकृत बैंकों को जाते हैं तब बैंक अपने स्वनिर्णय का इस्तेमाल करते हैं। वे न केवल जमानत की मांग करते हैं अपितु बिना घूस लिए या भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाए ऋण नहीं देते हैं।

क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वे इस बार पर विचार कर रहे हैं कि जब सिफारिश करने वाली समिति में लीड बैंक का प्रतिनिधि पहले से ही है तो बैंकों के पास स्वनिर्णय का अधिकार क्यों होना चाहिए खासकर जबकि इसके लिए क्षेत्र और लक्ष्य निर्धारित हैं? उनके पास स्वनिर्णय का अधिकार नहीं होना चाहिए और ये समितियां जो भी मामलों की सिफारिश करती हैं, जब उनकी एजेंसियां निर्धारित कर दी जाती हैं चाहे वह स्वरोजगार अथवा उद्यमी योजना हो तो ऐसे मामलों पर ऋण देने के लिए विचार किया जाना चाहिए।

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : उपाध्यक्ष महोदय, हम समय-समय पर जिला योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बैंकों के मुख्य प्रबंधकों को निर्देश दे रहे हैं। जिला स्तर पर जो भी योजनाएं हम ले रहे हैं, उन्हें वे लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। हम समय-समय पर उन्हें निर्देश दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

**श्री आई.डी. स्वामी** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक भिन्न प्रश्न है।

**[हिन्दी]**

**श्री रमेश चेन्नित्तला** : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अन्तर्गत हमारे ग्रामीण इलाकों में नौजवानों को और जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको रोजगार मिल रहे हैं। वे नोजवान जो भी चीज बनाते हैं, उन्हें उसकी मार्किटिंग में बहुत कठिनाई होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनकी मार्किटिंग के लिए कोई सुविधा देने के बारे में सोच रही है? इस योजना पर जो कनकरैंट इवैलूएशन का मैथड फाईनेंस मिनिस्ट्री ने ऐडॉप्ट किया था, क्या वह ठीक से चल रहा है? उसका क्या लैकुना है? उसके बारे में जांच करने के लिए पहले एन.जी.ओ. की तरफ से जो कनकरैंट इवैलूएशन बनाई गई थी, क्या वह अभी चालू है? यदि नहीं है तो क्या उसे चालू करने के बारे में सरकार विचार करेगी?

**[अनुवाद]**

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : उपाध्यक्ष महोदय,. हम माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार करेंगे।

**[हिन्दी]**

**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बैंक वालों को जो सूचना देनी थी, दे दी लेकिन मेरे क्षेत्र में मेरे हाथों से चैक

का वितरण किया गया था। जब लोगों को चैक मिल गया, उसके बाद वे मुझे मिले तो उन्होंने बताया कि लोन तो मिला है लेकिन बैंक के मैनेजर ने हमसे डिपॉजिट ली है। उन्होंने कहा कि डिपॉजिट देंगे तो लोन मिलेगा। यह शिकायत गुजरात के हर बैंक में है। ...(व्यवधान) मैं मंत्री से जी जानना चाहता हूं कि क्या आप बैंक के मैनेजर को यह सूचना देंगे कि जिसको लोन दिया जाएगा उससे डिपॉजिट नहीं मांगा जाएगा और साथ ही पूरा लोन देंगे। जो छोट-मोटं राइट रखे हैं, उन्हें वे बन्द कर देंगे।

[अनुवाद]

**श्री किंजारप्पू येरननायडू** : महोदय, मैं संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाऊंगा और उन्हें आवश्यक निर्देश दूंगा। इस प्रकार की शिकायतें अनेक राज्यों से आ रही हैं कि बैंकों की कुछ समस्याएं हैं।

[हिन्दी]

### उपग्रह प्रक्षेपण

*203. **डा. साहेबराम सुकराम बागूल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा अब तक कितने उपग्रह छोड़े गए हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक उपग्रह की लागत और उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में और उपग्रह छोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) से (घ). इस संबंध में लोकसभा के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

### विवरण

(क) भारत द्वारा अब तक पच्चीस उपग्रह छोड़े गए हैं।

(ख) इन उपग्रहों की कीमत और उपलब्धियों का ब्यौरा अनुबन्ध-। में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) इन्सैट श्रृंखला के अनुवर्ती उपग्रह, इन्सैट-2 डी. और इन्सैट-2 ई. जिन्हें क्रमशः 1996 और 1997 के अंत तक छोड़ने की योजना है, विकास और संविरचन के अग्रिम चरण में है।

आई.आर.एस. श्रृंखला के अनुवर्ती उपग्रहों, आई.आर.एस.-1 डी. और आई.आर.एस.-पी.4, जिन्हें 1997/1998 के दौरान छोड़ने की योजना है, का निर्माण किया जा रहा है।

दो प्रायोगिक संचार उपग्रहों, अर्थात् जीसैट-1 और जीसैट-2 का प्रमोचन, भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रोकट (जी.एस.एल.वी.) की प्रथम दो विकासात्मक उड़ानों द्वारा क्रमशः 1997/98 और 1998/99 के दौरान किए जाने की योजना है।

### अनुबन्ध-I

### भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रहों की लागत और उपलब्धियों का ब्यौरा

| क्र.सं. | उपग्रह | लागत (करोड़ रुपये में) | प्रमोचन की तारीख | उपलब्धियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आर्यभट्ट | 5.09 | 19.04.1975 | सफल। प्रथम भारतीय उपग्रह। इसने उपग्रह प्रणाली के निर्माण और प्रचालन में प्रौद्योगिकीय अनुभव प्रदान किया। इसे रूसी प्रमोचक राकेट इन्टर-कॉस्मोस द्वारा प्रमोचित किया गया। निःशुल्क प्रमोचन। |
| 2. | भास्कर-I | 7.95 | 07.06.1979 | सफल। प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह। यह अपने साथ टी.वी. और माइक्रोवेव कैमरे ले गया था। इसे रूसी प्रमोचक राकेट 'इन्टरकॉस्मोस' द्वारा प्रमोचित किया गया। निःशुल्क प्रमोचन। |
| 3. | भास्कर-II | | 20.11.1981 | सफल। द्वितीय प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह, जोकि भास्कर-I के समान था। इसने सांगोपांग रूप में एक सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली के निर्माण एवं प्रचालन में अनुभव प्रदान किया। यह रूसी प्रमोचक राकेट इन्टरकॉस्मोस द्वारा छोड़ा गया। निःशुल्क प्रमोचन। |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | एरियाने पैसंजर नीतभार परीक्षण (एप्पल) | 17.97 | 19.06.1981 | सफल। प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह। इसने त्रि-अक्षीय स्थिरीकृत संचार उपग्रह के निर्माण और प्रचालन में अनुभव प्रदान किया। यह यूरोपियन एरियाने प्रमोचक राकेट की सहायता से प्रमोचित किया गया। निःशुल्क प्रमोचन। |
| 5. | रोहिणी प्रौद्योगिकी नीतभार (आर.टी.पी.) | | 10.08.1979 | असफल। इसका उद्देश्य प्रथम भारतीय प्रमोचक राकेट, एस.एल.वी.3, के प्रमोचन के दौरान राकेट के उड़ान के कार्य-निष्पादन का मापन करना था। प्रमोचक राकेट की असफलता के कारण इसे कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन। |
| 6. | रोहिणी (आर.एस-1) | 2.62 (रोहिणी श्रृंखला की कुल लागत) | 18.07.1980 | सफल। इसे एस.एल.वी. 3 की द्वितीय प्रायोगिक उड़ान के दौरान राकेट के कार्यनिष्पादन के मापन के लिए प्रयुक्त किया गया। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन। |
| 7. | रोहिणी (आर.एस.डी.-1) | | 31.05.1981 | सफल। इसे भू-चिन्हक संवेदक नीतभार का उपयोग करते हुए कुछ सुदूर प्रौद्योगिकीय अध्ययनों के आयोजन के लिए प्रयुक्त किया गया। एस.एल.वी.3 की प्रथम विकासात्मक उड़ान से प्रमोचित। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन। |
| 8. | रोहिणी (आर.एस.डी.-II) | | 17.04.1983 | सफल। आर.एस.डी.1 के समरूप उपग्रह। एस.एल.वी.3 की द्वितीय विकासात्मक उड़ान से प्रमोचित। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन। |
| 9. | विस्तृत रोहिणी उपग्रह (श्रोस-1) | | 24.03.1987 | असफल। प्रमोचक राकेट के कार्य निष्पादन के मानीटरन और गामा किरण खगौलिकी के लिए अपने साथ नीतभार ले गया था। इसे संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए.एस.एल.वी.) की प्रथम विकासात्मक उड़ान के विफल हो जाने के कारण कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन। |
| 10. | विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस-2) | 13.26 (श्रोस श्रृंखला की कुल लागत) | 13.07.1988 | असफल। यह अपने साथ गामा किरण खगोलिकी नीतभार के अतिरिक्त जर्मन अन्तरिक्ष एजेंसी का एक सुदूर संवेदन नीतभार ले गया था। ए.एस.एल.वी. की द्वितीय विकासात्मक उड़ान के विफल हो जाने के कारण इसे कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन। |
| 11. | विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस-सी) | | 20.05. 1992 | सफल। ए.एस.एल.वी. की तृतीय विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित। अपने साथ गामा किरण खगोलिकी तथा वायविकी नीतभार ले गया था। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन। |
| 12. | विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (श्रोस-सी 2) | | 04.05.1994 | सफल। ए.एस.एल.वी. की चतुर्थ विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित। श्रोस-सी के समरूप। आज भी सेवारत। स्वदेशी विकासात्मक प्रमोचन। |
| 13. | भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1ए) | | 10.04.1982 | अमरीका से प्राप्त प्रथम प्रचलनात्मक बहुउद्देशीय संचार और मौसमविज्ञानीय उपग्रह। केवल छः महीने तक काम किया। अमेरिकी डेल्टा प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित। |
| 14. | भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1बी) | 468.57 (इन्सैट-1 श्रृंखला की कुल लागत) | 30.08.1983 | सफल। इन्सैट-1 ए. के समरूप। सात वर्षों की निर्धारित कालावधि से अधिक समय तक कार्यशील रहा। अमेरिकी अन्तरिक्ष शटल द्वारा प्रमोचित। |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1 सी) | | 21.07.1988 | इन्सैट-1 ए. के समान। केवल डेढ़ वर्षों तक कार्यशील रहा। यूरोपियन एरियाने प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित। |
| 16. | भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1डी) | | 12.06.1990 | सफल । इन्सैट-ए. के समरूप । अमेरिका डेल्टा प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित। आज भी सेवारत। |
| | | | | 468.57 करोड़ रुपये की लागत में इन्सैट-1 श्रृंखला के उपग्रहों की प्रमोचन सेवाएं और बीमा की राशि सम्मिलित है। |
| 17. | भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-2ए) | 527.94 (इन्सैट-2ए और इन्सैट-2 बी की कुल लागत) | 10.07.1992 | सफल। भारत द्वारा निर्मित इन्सैट-2 श्रृंखला की द्वितीय पीढ़ी का प्रथम उपग्रह। इन्सैट-1 श्रृंखला की तुलना में वार्धिक सेवा क्षमताएं। यूरोपियन एरियाने प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित। आज भी सेवारत। |
| 18. | भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-2बी) | | 23.07.1993 | सफल। इन्सैट-2 श्रृंखला का दूसरा उपग्रह। इन्सैट-2ए के समरूप। यूरोपियन एरियाने प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित। आज भी सेवारत |
| | | | | 527.94 करोड़ रुपये की लागत में प्रमोचन सेवाओं और बीमा की राशि भी सम्मिलित है। |
| 19. | भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह | 1265.80 (इन्सैट-2सी, इन्सैट-2डी और इन्सैट-2ई की कुल लागत) | 07.12.1995 | सफल। इसमें भारत की सीमा क्षेत्र के बाहर मोबाइल उपग्रह सेवा, व्यावसायिक संचार और दूरदर्शन आवरण की अतिरिक्त क्षमताएं उपलब्ध हैं। यूरोपियन प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित। आज भी सेवारत। 1265.80 करोड़ रुपये की लागत में प्रमोचन सेवाएं और बीमा की राशि भी शामिल हैं। इन्सैट-2डी और इन्सैट-2ई को अभी प्रमोचित किया जाना बाकी है। |
| 20. | भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-1ए) | | 17.03.1988 | सफल। प्रथम प्रचालननात्मक सुदूर संवेदन उपग्रह रूसी प्रमोचक राकेट, वोस्तोक द्वारा प्रमोचित किया गया। |
| 21. | भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-1बी) | 105.29 | 29.08.1991 | सफल। आई.आर.एस.-1ए के समरूप। रूसी प्रमोचक राकेट, वोस्तोक द्वारा प्रमोचित। आज भी सेवारत। |
| 22. | भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-1ई) | | 20.09.1993 | असफल। अपने साथ सुदूर संवेदन नीतभारों को ले गया था। पी.एस.एल.वी. की प्रथम विकासात्मक उड़ान की विफलता के कारण कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। |
| | | | | 105.29 करोड़ रुपये की लागत में आई.आर.एस.-1ए और आई.आर.एस.-1बी के लिए प्रमोचन सेवाओं को विदेश से प्राप्त करने का खर्चा भी शामिल है। आई.आर.एस.-1ई को पी.एस.एल.वी. द्वारा स्वदेशी रूप में प्रमोचित किया गया। |
| 23. | भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-पी2) | 17.90 | 15.10.1994 | सफल। अपने साथ सुदूर संवेदन नीतभार ले गया है। पी.एस.एल.वी. की द्वितीय विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित किया गया। आज भी सेवारत। |
| 24. | भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-1 सी) | 235.85 | 28.12.1995 | सफल। अपने साथ आधुनिक सुदूर संवेदन कैमरे ले गया है। रूसी मोलनिया प्रमोचक राकेट द्वारा प्रमोचित किया गया। आज भी सेवारत। दर्शाए गए 185.85 करोड रुपये की लागत में, आई.आर.एस.-1 डी, जिसका प्रमोचन अभी किया जाना बाकी है, का खर्चा भी शामिल है। |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | इसमें आई.आर.एस.-1सी के लिए प्रमोचन सेवा को विदेश से प्राप्त करने का 50 करोड़ रुपये का खर्चा भी सम्मिलित है। |
| 25. | भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.-पी3) | 28.75 | 21.03.1996 | सफल। अपने साथ सुदूर संवेदन नीतभार और एक एक्स-किरण खगोलिकी नीतभार ले गया है। पी.एस.एल.वी. की तृतीय विकासात्मक उड़ान द्वारा प्रमोचित किया गया। आज भी सेवारत। |

[हिन्दी]

**डा. साहेबराव सुकराम बागूल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक जितने भी उपग्रह छोड़े गए, क्या वे सभी भारत में ही बनाए गए हैं? यदि नहीं तो कितने उपग्रह भारत में बनाए गए हैं और क्या उनकी तकनीकी और डिजाइन आदि में भारत का हाथ रहा है? जो उपग्रह विदेशों की सहायता से तैयार हुए हैं, उनके नाम क्या हैं?

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : शुरू-शुरू में जो उपग्रह बनाए गए थे उनमें से 25 में से 4 उपग्रह भारत के बाहर से बने थे और अब 21 उपग्रह हमने हिन्दुस्तान में बनाए हैं।

**डा. साहेबराव सुकराम बागूल** : उनमें से कितने उपग्रहों में विदेशी सहायता मिली ?

**श्री योगेन्द्र के अलघ** : उपग्रहों में कुछ हद तक हम कम्पोनेंट्स बाहर से लेते हैं और क्योंकि हिन्दुस्तान में भी उन उपग्रहों के बारे में कुछ कम्पोनेंट्स डाले जाते हैं। अगर सदस्य चाहे तो उनको मैं चार उपग्रह, जो काफी साल पहले हमने बनाये थे, उनके बारे में आंकड़े उपस्थित कर सकता हूं। ...(व्यवधान)

**श्री विजय अन्नाजी मुंडे** : यह प्रश्न ऐसा नहीं है। जो भी भारत में बनाये हुए उपग्रह हैं, उनमें किसी विदेशी तकनीक का अवलम्ब लिया है या नहीं ?

**श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : और कितनी धनराशि विदेशों की लगाई गई, जो खुद बनाए गए, उनमें कितनी विदेशी धनराशि है, माननीय सदस्य ने यह पूछा है।

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : जब सैटेलाइट और लांच व्हिकल्स जैसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं तो उनमें कुछ न कुछ कम्पोनेंट्स तो बाहर से लिए ही जाते हैं।...(व्यवधान)

**श्री विजय अन्नाजी मुंडे** : जो उपग्रह देश में बनाए गए हैं, उनमें विदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है या नहीं ? किया है तो कितनों में किया है ?

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : जो पुराने चार उपग्रह थे ...(व्यवधान)

**डा. मुरली मनोहर जोशी** : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर सदन को जानकारी दें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मंत्री महोदय ने होमवर्क नहीं किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : एक-एक आदमी बोलिए।

**डा. मुरली मनोहर जोशी** : वह बता नहीं पा रहे हैं। अगर वह बता सके होते तो मुझे कोई चिन्ता नहीं होती। मैं कुछ थोड़ा विज्ञान और इस विज्ञान से सम्बन्धित हूं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बारे में सदन को बताएं। यह क्या जवाद दे रहे हैं। इनसे सवाल कुछ पूछा जा रहा है और जवाब कुछ दे रहे हैं।

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : ऐसा नहीं है।

**डा. मुरली मनोहर जोशी** : यह और क्या है। कितने प्रतिशत कम्पोनेंट्स आप इसमें बाहर से लेते हैं, यह जवाब आपको मिल सकता है, आप जवाब देना नहीं चाहते।

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : जो पुराने चार उपग्रह हैं ...(व्यवधान)

**डा. मुरली मनोहर जोशी** : पुराने नहीं, जो 21 आपने बाद में छोड़े हैं। पुराने चार की तो सारी डिटेल्स अखबारों में छप चुकी है। कितने प्रतिशत आपके कम्पोनेंट्स विदेश से आये, कितने प्रतिशत भारत से आये, क्या इन उपग्रहों को बनाने में आपने विदेशी धन की सहायता ली है? यह प्रश्न है, आप सीधा-सीधा इसका जवाब दीजिए।

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूं। जो पुराने चार उपग्रह थे, जो फोर्ड एयरोस्पेस से बनाए गए थे ...(व्यवधान) आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, आप उसको सुन लीजिए।

उसके अन्दर हमने 300 करोड़ रुपये खर्चे थे। अगर सदस्य महोदय, ऑनरेबल मैम्बर देखें तो हमने जो अनेक्स्चर 'एक' में दिया है, उसमें अभी तक हमने जिन सैटेलाइट्स को लांच किया है, उनके बारे में इन्फोर्मेशन दी गई है।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : पहले चार वाले में आपने कहा कि 300 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : कॉलम तीन में।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : यानि पहले चार में आप कह रहे हैं कि 300 करोड़ रुपये। इनमें से एक में पांच करोड़ नौ लाख रुपये हैं, एक में सात करोड़ 95 लाख रुपये हैं, एक में 17 करोड़ ...(व्यवधान)

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : पहले चार में तो मैं ...**(व्यवधान)**

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : पहले वाले का ही मैं कह रहा हूं, 1975, 1979, 1981, 1981,

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : ऑनरेबल मैम्बर यह नोट करेंगे कि 21 सैटेलाइट्स की बात हो रही है ...**(व्यवधान)**

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : आपने कहा कि 300 करोड़ रुपये पहले चार में हुए, प्रश्न तो सारे के बारे में है ...**(व्यवधान)**

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : ऑनरेबल मैम्बर को मैं यह ... **(व्यवधान)**

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : सारे उपग्रहों में तो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुआ है, 300 करोड़ रुपये कहां हैं। एक-एक पर 300 करोड़ रुपये हुआ है, क्या जवाब आ रहा है? प्रधानमंत्री क्यों जवाब नहीं देते हैं, उनका विभाग है ?

**[अनुवाद]**

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : माननीय सदस्य 25 उपग्रहों के बारे में सूचना चाहते हैं ...**(व्यवधान)**

**श्री जी.जी. स्वैल** : क्या आपको रूस से क्रायोजेनिक इंजन और प्रौद्योगिकी प्राप्त हुई है जिससे आप ज्योरिनक्रोनस आर्बिट में उपग्रह छोड़ सकें? ...**(व्यवधान)** मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय नहीं है, आपको सुसंगत बात कहनी चाहिए।

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : माननीय सदस्य 25 उपग्रहों पर जानकारी चाहते हैं। 25 उपग्रहों में से हमें, आयात से 4 उपग्रह मिले हैं। उनकी विरचना, विदेश में की गई है। ...**(व्यवधान)**

**श्री जी.जी. स्वैल** : क्या आप मेरा प्रश्न समझे हैं?

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : उनके पास यह प्रौद्योगिकी नहीं है।

**मध्याह्न 12.00 बजे**

**श्री जी.जी. स्वैल** : क्या आपको वचन के अनुसार रूस से क्रायोजेनिक इंजन मिला है ताकि उपग्रह को ज्यो-सिनक्रोनस आर्बिट में भेजा जा सके? मेरे विचार में आप मेरा प्रश्न समझ नहीं सके हैं।

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : क्या मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं ...**(व्यवधान)**

**श्री जी.जी. स्वैल** : आप जानते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन किसलिए होता है? हर कोई इसकी बात करता है और कोई इसको जानना नहीं चाहता है ...**(व्यवधान)**

**श्री योगेन्द्र के. अलघ** : यदि माननीय सदस्य बैठ जाएं तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

**[अनुवाद]**

### कैन्सर के उपचार हेतु नई औषधियां

***204. श्री विनय कटियार** : क्या **प्रधा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ कैमिकल टैक्नोलोजी, हैदराबाद और रैनबैक्सी रिसर्च बेलोरेटरीज ने कैन्सर के उपचार हेतु नई औषधियां विकसित करने संबंधी परियोजना पर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) जी, हां।

(ख) कैन्सर के उपचार के लिए नई औषधि विकसित करने हेतु एक संयुक्त परियोजना चलाने के लिए मई, 1996 में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये। इस करार में सहयोग के तरीकों, वित्तीय व्यवस्थाओं, परियोजना की अवधि, परियोजना की निगरानी जैसे उपबन्ध शामिल हैं।

इस परियोजना पर 89.70 लाख रुपये का अनुमानित खर्च आयेगा।

### विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

***205. श्री संदीपान थोरात :**

**श्री सनत मेहता :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फास्ट ट्रैक परियोजनाओं सहित बहुत सी विद्युत परियोजनाएं सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने की प्रक्रिया में निर्धारित समय से काफी पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार तथा राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति तथा समय से उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) विद्युत क्षेत्र में प्रस्तावित/अनुमानित तथा वास्तविक विदेशी पूंजी निवेश कितना-कितना है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी)** : (क) से (ग). सांविधिक तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (कें.वि.प्रा.) द्वारा 'फास्ट ट्रैक' विशाखापट्टम थर्मल पावर स्टेशन समेत 29 विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की गई है। ऐसी परियाजनाओं की सूची विवरण में दी गई है। तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए कं.वि.प्रा. ने परियोजना विकासकर्ताओं से अन्य स्वीकृतियों/निवेशों के ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में निवेश संबंधी अनुमोदन सामान्यतः तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति मिलने के बाद प्रदान किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में जहां भी अंतिम विद्युत क्रय करार व केन्द्रीय सरकार की प्रतिगारंटियां पूर्व सुनिश्चित की जा चुकी हैं, बाद में प्रदान की जाती हैं। कं.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति समेत विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान किए जाने हेतु पद्धतियों को सरल व कारगर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

(घ) लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों समेत विदेशी निवेशकों से 50 अभिरुचियों के प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं और ये विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

**वे स्कीमें, जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई हैं तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के जांचाधीन हैं।**

| राज्य/स्कीम | क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **हिमाचल प्रदेश** | |
| 1. कारछम वांगटू एचईपी | 1000 |
| 2. मलाना एचईपी | 86 |
| **जम्मू और कश्मीर** | |
| 3. न्यू गंडेरबल एचईपी | 45 |
| 4. पारखाचिक पानीखार चरण-1 और 2 एचईपी | 60 |
| 5. उड़ी एचईपी चरण-2 | 240 |
| **उत्तर प्रदेश** | |
| 6. विष्णुप्रयाग एचईपी | 400 |
| 7. श्रीनगर एचईपी | 330 |
| 8. रोजा टीपीपी (फेस-1) | 500 |
| **हरियाणा** | |
| 9. यमुनानगर टीपीएस | 7000 |
| **गुजरात** | |
| 10. जामनगर टीपीपी फेस-1 | 500 |
| 11. सूरत लिग्नाइट टीपीपी | 250 |
| 12. घोंगा लिग्नाइट टीपीएस | 240 |
| 13. पिपावव जीटीपीपी | 615 |
| 14. तटीय टीपीएस | 1000 |
| **मध्य प्रदेश** | |
| 15. कोरबा (पश्चिम) टीपीपी विस्तार | 420 |
| 16. कोरबा (पूर्व) टीपीएस | 1050 |
| **महाराष्ट्र** | |
| 17. पातालगंगा सीसीपीपी | 410 |
| 18. चिकलदारा एचईपी | 400 |
| 19. उरान जीटीपीपी विस्तार | 400 |
| **आंध्र प्रदेश** | |
| 20. विजाग टीपीएस | 1040 |
| 21. रामागुंडम विस्तार | 520 |
| 22. सिम्हाद्री टीपीएस | 1000 |
| 23. हैदराबाद मैट्रो सीसीजीटी चरण-1 | 650 |
| **कर्नाटक** | |
| 24. येलहांका डीजीपीपी विस्तार | 46.8 |
| **बिहार** | |
| 25. मैथोन आर/बी टीपीएस | 1000 |
| 26. मेजिया टीपीएस-2 | 420 |
| **उड़ीसा** | |
| 27. सिदोल एचईपी | 320 |
| 28. डुबुंरी टीपीपी | 500 |
| 29. तलचेर एसटीपीएस-2 | 2000 |

## कांडला-भटिंडा पाइपलाइन परियोजना

***206. श्री शान्तिलाल पुरषोतमदास पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) कांडला-भटिंडा पाइपलाइन परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है;**

(ख) इस पर्ा योजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ग) इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) कांडला भटिंडा पाइपलाइन दिसम्बर, 1995 से जून, 1996 के बीच चरणों में चालू की गई थी और कांडला से भटिंडा तक की संपूर्ण पाइपलाइन काम कर रही है।

(ख) परियोजना के निष्पादन में धीमी प्रगति का कारण, विस्तृत डिजाइन और इंजीनियरी में धीमी प्रगति, सामग्री प्राप्ति में विलम्ब, उनके परिवहन में विलंब तथा प्रमुख लाइन व स्टेशन निर्माण में धीमी प्रगति, बारहमासी नहर पारण ( क्षैतिज दिशापरक ड्रिलिंग) के निष्पादन में विलम्ब तथा दूर संचार, दूर पर्यवेक्षी (पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा आंकड़ा अर्जन पद्धति - एस सी ए डी ए), यंत्रीकरण कार्यों आदि में विलम्ब।

(ग) इस परियोजना पर 30 जून, 1996 तक 1872.13 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

(घ) शेष कार्य के सितम्बर, 1996 तक पूरा होने की संभावना है।

**[हिन्दी]**

### दिल्ली में पेय जल

***207. श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में उठाये गये उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है और दिल्ली के गांवों में कब तक पेय जल उपलब्ध करा दिया जाएगा;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सरकार को इस संबंध में उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान 19.70 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई थी। वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान दिल्ली सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई थी क्योंकि सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

(ङ) इस संबंध में 10.02 लाख रुपए के व्यय की सूचना प्राप्त हुई है।

**[अनुवाद]**

### आवासीय फ्लैटों का निर्माण

***208. श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष पूल में प्रतीक्षारत कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आवास संबंधी कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए महानगरों में काफी संख्या में आवासीय फ्लैटों का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों को आवास आवंटन की प्रक्रिया तेज किये जाने की आवश्यकता महसूस की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू)** (क) और (ख). सामान्य पूल से वास-आवंटन के पात्र केन्द्र सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण, सामान्य पूल रिहायशी वास निर्माण की केन्द्रीय स्कीम के तहत किया जाता है। सामान्य पूल वास निर्माण बाबत प्रत्येक प्रस्ताव पर सर्वप्रथम शहरी विकास विभाग में प्राथमिकता समिति द्वारा विचार किया जाता है ऐसा करते समय यह समिति सन्तुष्टि स्तर, भूमि की उपलब्धता, चालू परियोजनाओं के लिए अपेक्षित धन की वचनबद्धता तथा नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखती है। इन विचारों के आधार पर, उन राजधानी नगरों (मेट्रो सिटी) में सामान्य पूल वास का निर्माण कार्य हाथ में लिया जा रहा है, जहां मांग अधिक पर सन्तुष्टि स्तर कम है।

(ग) और (घ). योजनागत नियतन के आधार पर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ, सरकारी वास के शीघ्र आवंटन हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

(1) व्यवस्था को सुसंगत बनाना, ताकि आवंटन अनिवार्यतः प्रतीक्षा सूची के अनुसार किये जायें।

(2) सरकारी वास हेतु पात्र न रहने वाले कर्मचारियों से मकान खाली कराने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू करना।

(3) सरकारी वास को उप-किरायेदारी पर देने में लिप्त कर्मचारियों सहित अनधिकृत दखलकारों के खिलाफ आवंटन रद्द करने/बेदखली की सामयिक कार्रवाई करना।

## कच्चे तेल का उत्पादन

***209. श्री सौम्य रंजन :**

**श्री संतोष मोहन देव :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन लक्ष्यों में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) देश द्वारा आयात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जा रहे विदेशी मुद्रा संरक्षण के प्रयासों को देखते हुए तेल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) से (ग). ओ एन जी सी ने 1996-97 के दौरान 31.092 एम एम टी कच्चे तेल के उत्पादन का अनुमान लगाया है, जबकि पिछले वर्ष 33.316 एम एम टी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ओ एन जी सी ने निम्नलिखित कारणों से कम अनुमान लगाया है :

- पिछले पूर्वानुमानों के विपरीत अप्रत्याशित रिजर्वायर परिस्थिति के कारण विशेष रूप से बंबई हाई और नीलम क्षेत्र सहित बी आर बी सी के मुख्य क्षेत्रों से अनुमानित उत्पादन में कमी।
- सतत प्रतिकूल प्रचालन परिस्थितियों के कारण ई आर बी सी में अवरुद्ध गतिविधियां।

(घ) कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) नए क्षेत्रों का विकास और वर्तमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास।

(2) वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर) योजनाओं का कार्यान्वयन और कुछ ई ओ आर योजनाओं को प्रायोगिक स्तर से पूर्ण स्तर क्षेत्र अनुप्रयोग तक बढ़ाया जाना।

(3) वर्धित पहुंच वेधन, क्षैतिज और नालिका छिद्र वेधन जैसी कतिपय विशिष्ट प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन।

(4) जहां आवश्यक समझा जाए, वहां अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना।

(5) तेल अन्वेषण और विकास कार्यक्रमों में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहन देना।

(6) वर्कओवर प्रचालनों/दाब अनुरक्षण पद्धतियों/उत्प्रेरण/कृत्रिम उठान प्रचालनों के माध्यम से रिजर्वायर की कुशलता को बनाए रखना।

(7) 1994 में आरम्भ किए गए 'वर्धित अन्वेषण कार्यक्रम' (एपेक्स) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों को बढ़ाना।

## पारेषण एवं वितरण में विद्युत की क्षति

***210. डॉ. कृपासिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में पारेषण और वितरण में विद्युत की बढ़ती हुई क्षति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पारेषण और वितरण में विद्युत की क्षति के विभिन्न कारक क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पारेषण एवं वितरण में विद्युत की औसतन कितनी-कितनी क्षति हुई; और

(घ) उक्त क्षति को कम करने और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी)** : (क) जी, हां। सरकार को देश में पारेषण एवं वितरण से होने वाली विद्युत की अत्यधिक क्षति की जानकारी है, तथापि 8वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियों में 2 प्रतिशत की कमी प्राप्त की गई है।

(ख) प्रणाली में पारेषण एवं वितरण हानियां विभिन्न तकनीकी एवं वाणिज्यिक कारणों की वजह से होती हैं, तकनीकी हानियां विद्युत के वितरण, अंतरण और रूपांतरण के लिए प्रयुक्त होने वाले कंडक्टर एवं उपस्कर में होने वाले ऊर्जा अपव्यय तथा अपर्याप्त पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के कारण होती है। वाणिज्यिक हानियां विद्युत की चोरी, मीटरिंग संबंधी गलतियों और मापी न गई आपूर्ति आदि के कारण होती हैं।

(ग) पारेषण एवं वितरण हानियां, 1991-92 से 1993-94 के वर्षों के लिए आपूर्ति हेतु उपलब्ध ऊर्जा के प्रतिशत रूप में नीचे दी गई है :-

| | |
|---|---|
| 1991-92 | 22.83 प्रतिशत |
| 1992-93 | 21.80 प्रतिशत |
| 1993-94 | 24.41 प्रतिशत |
| 1994-95 | 20.85 प्रतिशत (अंनतिम) |

(घ) विद्युत वितरण राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। हानियों में कमी के लिए आवश्यक कदम उठाना रा.बि. बोर्डों/विद्युत विभागों की जिम्मेवारी है। तथापि, सरकार ने विभिन्न अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय करने, प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति के

लिए कैपसिटरों की अधिष्ठापना करने, अत्यधिक हानियों के लिए जिम्मेवार प्रणाली घटकों का ठीक-ठीक पता लगाने हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा कराने, चोरी नियंत्रण और पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी के लिए अन्य उपयुक्त उपाय करने आदि के माध्यम से यूटिलिटियों को अपनी पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार करने का परामर्श दिया है।

**आई.आर.एस.-1सी उपग्रह**

*211. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.आर.एस.-1सी उपग्रह का इष्टतम उपयोग किया गया है और वह सुचारू ढंग से कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तीन संवेदकों से क्या सूचना/आंकड़े प्राप्त हुए;

(ग) क्या ये आंकड़े/सूचनाएं सभी प्रयोक्ता एजेंसियों को दे दिए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) जी, हां।

(ख) आई.आर.एस.-1सी उपग्रह अपने 3 कैमरों से निम्नांकित आंकड़े प्रदान कर रहा है :

* रैखिक प्रतिबिम्बन स्वतः क्रमवीक्षक (लिस-3) लगभग 23.5 मीटर के आकाशीय विभेदन सहित दृश्यक और निकट अवरक्त स्पेक्ट्रमी बैण्डों में तथा लगभग 70 मीटर के विभेदन सहित शार्ट वेव अवरक्त (स्विर) बैण्ड में आंकड़े प्रदान करता है। संवेदक प्रत्येक 24 दिनों में सम्पूर्ण देश को आवृत करते हुए 141 कि.मी. के प्रमार्ज सहित आंकड़े प्रदान करता है।

  लिस-3 कैमरे से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग फसल के एकड़वार क्षेत्रफल और पैदावार के आकलन, भूमि और जल संसाधन प्रबंध, वन क्षेत्र का मानीटरन, भूमि उपयोग आयोजना इत्यादि से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

* पेनक्रोमेटिक (पॉन) कैमरा 5.8 मीटर के विभेदन तथा 70 कि.मी. के प्रमार्ज सहित आंकड़े प्रदान करता है। पॉन कैमरा में प्रत्येक 5 दिनों की पुनरागमन क्षमता सहित त्रिविम दृश्यन क्षमता भी है।

* पॉन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग लगभग 1:12,500 के पैमाने पर शहरी आयोजना, भूमि तथा जल संसाधन आयोजना, मानचित्रकला इत्यादि के लिए सूचना प्राप्त करने और माइक्रो स्तर की योजना के लिए अपेक्षित अंकीय उन्नतांश सूचना तैयार करने के लिए किया जाता है।

  वाइड फील्ड संवेदक (वाइफ्स) कैमरा 188 मीटर के आकाशीय विभेदन तथा लगभग 810 कि.मी. के विस्तृत प्रमार्ज सहित दृश्यक और लगभग अवरक्त क्षेत्र में आंकड़े प्रदान करता है। वाइफ्स आंकड़े प्रत्येक पांच दिनों में सम्पूर्ण देश को आवृत्त करते हैं। वाइफ्स से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग, फसल की स्थिति और वृद्धि प्रोफाइल के मानीटरन, सूखा आकलन, बाढ़ मानचित्रण इत्यादि से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, हैदराबाद द्वारा आई. आर.एस.-1सी से प्राप्त आंकड़े/सूचना केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों तथा राज्य सुदूर संवेदन केन्द्रों, शैक्षिक संस्थानों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विविध सुदूर संवेदन आंकड़ा प्रयोक्ताओं को सप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा, अन्तरिक्ष विभाग की एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन और संयुक्त राज्य अमेरिका की इयोसैट कम्पनी के बीच हुए एक करार के तहत उत्तरी अमेरिका और यूरोप में प्रयोक्ताओं के लिए आई.आर.एस.-1सी के आंकड़ों के अभिग्रहण और वितरण के लिए क्रमशः अमेरिका और जर्मनी में स्थित भू-केन्द्रों को सज्जित किया गया है।

(घ) अन्तरिक्ष विभाग की राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन.एन.आर.एम.एस.) के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्रयोक्ता विभागों के समन्वय से देश में अनेक सुदूर संवेदन उपयोग परियोजनाओं के लिए विविध प्रयोक्ताओं द्वारा आंकड़ों/सूचना का प्रयोग किया जा रहा है। प्रमुख उपयोग परियोजनाओं की उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

माइक्रो स्तर पर परती भूमि की किस्म और मात्रा का मानचित्रण, भूमि-उपयोग/भू-आवरण का मानचित्रण,
मृदा मानचित्रण,
भूमि जल के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जलभू-आकृति-विज्ञानीय मानचित्रों को तैयार करना,
जिला स्तर पर कृषि सूखे का मानीटरन,
वन क्षेत्र की किस्म और मात्रा का मानचित्रण,
प्रमुख फसलों के लिए कटाई से पूर्व फसल का एकड़वार क्षेत्रफल और पैदावार का आकलन,
प्रमुख बाढ़ों के लिए लगभग वास्तविक काल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मानचित्रण और क्षति का आकलन,
खनिज के पूर्वानुमान के लिए भूविज्ञानीय मानचित्रण,
तटीय क्षेत्र के मानचित्रों को तैयार करना,
उन्नत सिंचाई प्रबन्ध के लिए कमाण्ड क्षेत्रों का मानीटरन,

शहरी आयोजना,

पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन,

भूमि और जल संसाधनों के लिए स्थानिक विशिष्ट विकासात्मक योजनाओं को तैयार करने के लिए दीर्घकालीन विकास हेतु समेकित मिशन।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

## रसोई गैस कनेक्शन

*212. **श्री पंकज चौधरी :**

**श्री सत्यदेव सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 तक रसोई गैस कनेक्शन जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; .

(ख) क्या पूरे देश में प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को नए रसोई गैस कनेक्शन जारी करने के लिए हाल ही में शुरू की गई प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रसोई गैस कनेक्शन जारी करने की वर्तमान नीति क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) :** (क) 1996-97 के दौरान एल पी जी कनेक्शन जारी करने से संबंधित लक्ष्य को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, सरकार ने 1996-97 की प्रथम तिमाही के दौरान 6 लाख नए एल पी जी ग्राहकों के तदर्थ नामांकन को अनुमोदित कर दिया था और 1996-97 के दौरान यह कुल 20 लाख नए एल पी जी ग्राहकों का नामांकन करने का प्रस्ताव करती है।

(ख) से (ग). 1996-97 के दौरान आने वाले शीर्ष मौसम में वर्द्धित मांग तथा प्रत्याशित अपेक्षाकृत न्यून उत्पाद सामग्रियों के कारण 1 जुलाई, 1996 से उस समय तक के लिए किसी भी नए एल पी जी नामांकन को अस्थायी रूप ये नियंत्रित रखने का निर्णय लिया गया है जब तक कि कांडला तथा मंगलौर में नई एल पी जी आयात सुविधायें आरम्भ एवं सुदृढ़ नहीं हो जाती हैं। तथापि, ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र स्थित बाजार, तत्काल योजना तथा संसद सदस्य/सरकारी वरीयताओं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वरीयताओं तथा नए सिरे से आरम्भ होने वाली डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को जारी किए जाने वाली जैसी वरीयता श्रेणियों के संबंध में नए एल पी जी नामांकन जारी रहेंगे। अक्तूबर, 1996 में मंगलौर तथा कांडला में नई आयात सुविधायें आरम्भ हो जाने के पश्चात एल पी जी के वर्द्धित आयातों के जरिए ग्राहकों का आगे नामांकन होगा।

(घ) नए एल पी जी कनेक्शन, एल पी जी की उपलब्धता, कुल नए ग्राहक नामांकन, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पाए उपलब्ध वकाया तथा तत्संबंधी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए समग्र देश में एक चरणवद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

## सेवा-निवृत्ति उपदान

*213. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत सेवा-निवृत्ति/मृत्यु उपदान की अधिकतम सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 2.50 लाख कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तिथि से लागू किया गया है और उसका आधार क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि, नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर., बाला सुब्रहमण्यन) :** (क) जी, हां।

(ख) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति-उपदान/मृत्यु-उपदान की अधिकतम धनराशि की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने के आदेश जारी किए गए थे। ये आदेश अप्रैल 01, 1995 से प्रभावी हैं।

(ग) से (ङ). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति-प्रसुविधाओं का भुगतान, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उपदान के भुगतान से संबंधित मुद्दों पर, उनके मामले में लागू संगत नियमों के मद्देनजर, उद्योग मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा।

## निर्यातोन्मुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एकक

*214. **श्री दिलीप संघाणी :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपभोक्ता खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) वर्षवार ऐसे कितने आवेदन मंजूर किए गए हैं;

(ग) कितने आवेदनों को अभी स्वीकृति दी जानी शेष है; और

(घ) इन आवेदनों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दिलीप कुमार राय)** : (क) और (ख). गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपभोक्ता उद्योग यूनिटों की स्थापना के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

| वर्ष | आवेदन | | |
|---|---|---|---|
| | प्राप्त | मंजूर | अस्वीकृत |
| 1993-94 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 1994-95 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 1995-96 | 02 | 02 | शून्य |

(ग) और (घ). उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## एटोमिक एनर्जी रेग्यूलेटरी बोर्ड

***215. श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' :**
**श्री राजीव प्रताप रूडी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के संबंध में एटोमिक एनर्जी रेग्यूलेटरी बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा उक्त सिफारिशों को स्वीकार और क्रियान्वित कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) ने देश में स्थित नाभिकीय संस्थापनाओं में आवश्यक सुरक्षा को अपग्रेड करने से संबंधित सिफारिशें विशेषतः निम्नलिखित के प्रसंग में की थी :

- आपातकालीन क्रोड शीतलन प्रणालियों में सुधार करना अथवा संशोधन करना;
- दाबित भारी पानी रिएक्टरों में जरकॉलाय दाबसह ट्यूबों की अखंडता का और अधिक मूल्यांकन तथा निरीक्षण करना;
- कर्मचारियों पर पड़ने वाले विकिरण के सामूहिक प्रभाव की मात्रा को और भी घटाने के लिए सुधार करना;
- विकिरण सक्रिय अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में से रिसाव की संभव्यता को कम करने के लिए सुधार करना;
- कुछ सुविधाओं के बारे में भूकम्पों के प्रति संरचनात्मक प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना; तथा
- आग से रोकथाम और बाढ़ से बचाव करने वाली प्रणालियों आदि में सुधार करना।

(ख) परमाणु ऊर्जा आयोग ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की सिफारिशों और संबंधित नाभिकीय संस्थापनाओं की प्रतिक्रियाओं पर विचार किया था।

(ग) परमाणु ऊर्जा आयोग ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को और नाभिकीय संस्थापनाओं को आपसी परामर्श के द्वारा विस्तृत कार्य-योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया था। इस तरह से पहले तैयार की जा चुकी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हाथ में ले लिया गया है, जिनमें से उल्लेखनीय हैं : तारापुर परमाणु बिजलीघर-2 के क्रोड श्राऊड का निरीक्षण (इसे पूरा कर लिया गया है और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप पाया गया है), राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 में शीतलक चैनलों को एक साथ बदलना तथा आपातकालीन क्रोड शीतलन प्रणाली को अपग्रेड करना।

## प्राकृतिक गैस

***216. डा. अरुण कुमार शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में अभी कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) राज्य के विभिन्न तेल क्षेत्रों में प्रतिदिन कुल कितनी मात्रा में गैस जलाया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार जलाई जा रही गैस का उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) और (ख). फिलहाल असम में 5.31 एम एम एस सी एम डी प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है जिसमें से 0.69 एम एम एस सी एम डी गैस को जलाया जा रहा है।

(ग) और (घ). संपीड़न और परिवहन के लिए आवश्यक सुविधाओं की स्थापना करके गैस वहन को तकनीकी रूप से न्यूनतम स्तर तक कम करने का प्रस्ताव है।

## जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का अन्यत्र उपयोग

***217. श्री मोहन रावले :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही जवाहर रोजगार योजना और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूरी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) उक्त धनराशि का राज्यवार और कार्यक्रमवार कितना-कितना कम उपयोग किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) :** (क) और (ख). जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.आई), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों के संबंध में वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों द्वारा निधियों के इस्तेमाल की अधिकतम सीमा विवरण । से 3 में दी गई हैं।

(ग) केन्द्र ने राज्यों द्वारा निधियों के पूर्ण इस्तेमाल के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें आवधिक रिपोर्टों की मार्फत प्रगति की बारीकी से निगरानी करना, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें करना, क्षेत्र अधिकारी योजना की मार्फत केन्द्र सरकार के वरष्ठि अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा करना, निधियों के इस्तेमाल के लिए तिमाही लक्ष्य निर्धारित करना, राज्यों द्वारा निधियों की समय पर मांग आदि शामिल हैं।

### विवरण-I

### वर्ष 1995-96 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति

(रुपये लाख में)

| क्रमांक. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उपलब्ध संसाधन (अनुपयोग बकाया+ रिलीज | उपयोग किए गए संसाधन | 1.4.1996 तक अनुपयोग बकाया |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 40676.28 | 34556.90 | 6885.41 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 454.14 | 357.12 | 97.02 |
| 3. | असम | 12393.42 | 9583.33 | 2810.09 |
| 4. | बिहार | 97852.33 | 62281.95 | 35570.38 |
| 5. | गोवा | 523.59 | 363.47 | 160.12 |
| 6. | गुजरात | 17042.69 | 12824.42 | 4218.96 |
| 7. | हरियाणा | 4353.90 | 3304.78 | 1049.12 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1708.18 | 1001.19 | 706.99 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 3949.37 | 2534.38 | 1414.99 |
| 10. | कर्नाटक | 29830.54 | 24908.76 | 4921.78 |
| 11. | केरल | 9731.61 | 8888.24 | 843.37 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 56643.69 | 42377.25 | 14206.44 |
| 13. | महाराष्ट्र | 53287.73 | 39801.56 | 13485.74 |
| 14. | मणिपुर | 768.65 | 506.22 | 262.43 |
| 15. | मेघालय | 1003.48 | 200.28 | 803.20 |
| 16. | मिजोरम | 246.17 | 284.56 | 0.00 |
| 17. | नागालैंड | 969.76 | 264.07 | 705.69 |
| 18. | उड़ीसा | 38523.25 | 28671.48 | 9852.77 |
| 19. | पंजाब | 2848.91 | 408.38 | 2440.53 |
| 20. | राजस्थान | 23915.78 | 18204.39 | 5711.39 |
| 21. | सिक्किम | 645.55 | 618.83 | 26.72 |
| 22. | तमिलनाडु | 37798.98 | 39415.70 | 332.76 |
| 23. | त्रिपुरा | 903.19 | 788.23 | 114.76 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 102162.11 | 83562.16 | 18599.95 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 40196.57 | 30442.80 | 9793.77 |
| 26. | अण्डमान नि. द्वीपसमूह | 151.14 | 161.26 | 0.00 |
| 27. | दादर व नगर हवेली | 95.85 | 33.16 | 62.67 |
| 28. | दमन व द्वीव | 101.72 | 55.02 | 46.70 |
| 29. | लक्षद्वीप | 102.67 | 40.86 | 61.81 |
| 30. | पांडिचेरी | 309.07 | 199.85 | 109.22 |
| | कुल | 579189.86 | 446690.62 | 135263.26 |

गहन जवाहर रोजगार योजना शामिल है।

## विवरण-II

### वर्ष 1995-96 (अनंतिम) के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन।

(रुपये लाख में) (9.7.96 तक)

| क्रमांक | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उपलब्ध कुल निधियां | वर्ष | खर्च न की गई बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | आंध्र प्रदेश | 19321.80 | 12249.54 | 7072.26 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 2824.77 | 1956.55 | 868.22 |
| | असम | 13324.10 | 9822.98 | 3501.12 |
| 4. | बिहार | 27914.60 | 12901.12 | 15013.48 |
| 5. | गुजरात | 11837.57 | 5751.65 | 6085.92 |
| 6. | हरियाणा | 5504.62 | 3814.72 | 1689.90 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 1113.76 | 455.55 | 658.21 |
| 8 | जम्मू व कश्मीर | 10683.95 | 6715.49 | 3968.46 |
| 9. | कर्नाटक | 16722.36 | 12144.91 | 4577.45 |
| 10. | केरल | 2664.92 | 2241.90 | 423.02 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 33501.25 | 22951.66 | 10549.59 |
| 12. | महाराष्ट्र | 18611.64 | 10295.49 | 8316.15 |
| 13. | मणिपुर | 1743.09 | 1337.11 | 405.98 |
| 14. | मेघालय | 1246.62 | 499.80 | 746.82 |
| 15. | मिजोरम | 1572.66 | 2023.87 | 451.21 |
| 16. | नागालैंड | 2949.98 | 1470.39 | 1479.59 |
| 17. | उड़ीसा | 16578.71 | 13133.80 | 3444.91 |
| 18. | राजस्थान | 22684.19 | 14770.06 | 7914.13 |
| 19. | सिक्किम | 494.19 | 778.31 | 284.12 |
| 20. | तमिलनाडु | 12029.93 | 7581.23 | 4448.70 |
| 21. | त्रिपुरा | 1950.00 | 1321.03 | 628.97 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 27139.35 | 17731.98 | 10407.37 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 14399.53 | 9929.64 | 4469.89 |
| 24. | अंडमान निकोबार | 45.48 | 10.28 | 35.20 |
| 25. | दादर व नगर हवेली | 50.33 | 20.17 | 30.16 |
| 26. | दमन व दीव | 21.54 | 13.05 | 8.49 |
| 27. | लक्षद्वीप | 214.06 | 44.33 | 169.73 |
| अखिल भारत | | 267145.00 | .170966.61 | 96178.39 |

## विवरण-III

### वर्ष 1995-96 (अनंतिम) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति

(रुपए लाख में)

| क्रमांक | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उपलब्ध कुल निधियां | उपयोग | * 1.4.1996 तक खर्च न की बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 10694.66 | 8624.01 | 2070.65 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 908.81 | 582.56 | 326.25 |
| 3. | असम | 4727.41 | 3409.02 | 1318.39 |
| 4. | बिहार | 17813.99 | 10784.51 | 7029.48 |
| 5. | गोआ | 122.44 | 97.14 | 25.30 |
| 6. | गुजरात | 3162.36 | 3077.68 | 84.68 |
| 7. | हरियाणा | 2008.89 | 1663.74 | 345.15 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 217.47 | 443.17 | -225.70 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 1060.66 | 728.07 | 332.59 |
| 10. | कर्नाटक | 8339.76 | 5574.60 | 2765.16 |
| 11. | केरल | 2964.35 | 2268.90 | 6950.45 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 15002.40 | 11305.57 | 3696.33 |
| 13. | महाराष्ट्र | 11768.81 | 9837.30 | 1931.51 |
| 14. | मणिपुर | 433.30 | 312.64 | 120.66 |
| 15. | मेघालय | 485.27 | 301.54 | 183.73 |
| 16. | मिजोरम | 299.22 | 291.00 | 8.22 |
| 17. | नागालैंड | 369.16 | 13.60 | 355.56 |
| 18. | उड़ीसा | 9059.83 | 7266.29 | 1793.54 |
| 19. | पंजाब | 790.37 | 731.71 | 58.66 |
| 20. | राजस्थान | 5888.78 | 4730.24 | 1158.51 |
| 21. | सिक्किम | 175.53 | 146.25 | 29.23 |
| 22. | तमिलनाडु | 7483.08 | 6909.76 | 537.32 |
| 23. | त्रिपुरा | 1004.03 | 766.73 | 237.30 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 26930.44 | 19266.88 | 7663.46 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 13403.56 | 6693.99 | 6707.57 |
| 26. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 14.46 | 36.29 | 21.83 |
| 27. | दादरा व नगर हवेली | 8.51 | 15.17 | 6.66 |
| 28. | दमन व दीव | 20.61 | 6.56 | 14.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 29. | लक्षद्वीप | 5.13 | 4.38 | 0.75 |
| 30. | पांडिचेरी | 63.23 | 49.20 | 14.03 |
| | कुल | 145226.52 | 105938.60 | 39280.92 |

* मंत्रालय में तैयार किए गए आंकड़े

**[हिन्दी]**

### राख के उपयोग की नीति

***218. श्री सोहनबीर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईंट आदि के निर्माण हेतु ताप विद्युत केन्द्रों की राख के उपयोग संबंधी कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब तक लागू की जाएगी; और

(घ) इस पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा.यू.वेंकटेस्वरलू)** : (क) ताप बिजली घरों से उत्पन्न राख का उपयोग करके ईंटों के निर्माण की कोई अलग योजना नहीं है। तथापि, सरकार ईंटों सहित अन्य भवन निर्माण सामग्री के निर्माण में उड़नराख के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रही है। जिसका दोहरा उद्देश्य ईंट निर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में उड़न राख के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर ईंटों का निर्माण कर वर्तमान में प्रयुक्त उपजाऊ मिट्टी (ऊपरी जमीन परत) को बचाना है। कोयला राख सहित औद्योगिक तथा कृषिजन्य कचरे पर आधारित भवन-सामग्री के उत्पादन एवं उपयोग पर राष्ट्रीय आवास नीति में भी बल दिया गया है।

(ख) निर्माण सेक्टर में, राख के इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा किये गये ठोस उपाय इस प्रकार हैं :-

(1) मिट्टी व राख युक्त ईंटों और चूना राख ईंटें बनाने की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के शोध व विकास में मदद देना। केन्द्रीय भवन शोध संस्थान (सी.बी.आर.आई.), रुड़की और इंस्टीच्यूट (सी.एफ.आर.आई.) धनबाद ने ये प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो ने उड़न राखयुक्त दोनों प्रकार की ईंटों के बारे में भारतीय मानक तैयार किये हैं।

(3) उड़न राख ईंटों के व्यापक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 25 प्रतिशत अथवा अधिक उड़न राख के उपयोग से निर्मित ईंटों व अन्य भवन निर्माण सामग्री पर उत्पाद शुल्क में छूट दी है।

(4) ईंटे बनाने में उड़न राख के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने ऐसी ईंटों के उत्पादन में प्रयुक्त विदेश आयातित मशीनरी पर भी सीमा शुल्क में छूट दी है।

(5) सभी ताप बिजली घरों से ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) ने कहा है कि उड़न राख से ईंटे तथा अन्य भवन सामग्री बनाने वाले उत्पादकों को उड़न राख मुफ्त दें।

(6) भवन सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बी.एम. टी.पी.सी.) ने ईंट उत्पादक उद्योग लगाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रोफाइल तैयार करके उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया है।

(7) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपनी अनुसूची में उड़न राख ईंटों के मानकों को शामिल कर लिया है, ताकि भवन निर्माण कार्यों में उनका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके।

(8) आवास तथा नगर विकास निगम (हडको) तथा राष्ट्रीय आवास बैंक उड़न राख आधारित ईंट संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए मियादी कर्ज और इक्विटी भागीदारी की सुविधा दे रहा है।

(ग) निर्माण कार्यों में उड़न राख का इस्तेमाल एक सतत प्रक्रिया है और यह भविष्य में जारी रहेगी। अतः किसी योजना विशेष के समयबद्ध कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आवास तथा भवन निर्माण कार्यों में ईंटों तथा अन्य निर्माण सामग्री की बढ़ती जरूरत को देखते हुए उम्मीद है कि नागरिक सेक्टर और सरकारी सेक्टर की कई ईकाइयां बढ़-चढ़कर पूंजी लगायेंगी, जिसका आकलन अथवा अनुमान लगाना कठिन है।

**[अनुवाद]**

### पारिस्थितिकी अनुकूल पैकेजिंग

***219. श्री शरत पटनायक** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल पैकेजिंग को बढ़ावा देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब से प्रभावी होने की संभावना है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय)** : (क) से (ग). जी हां। पारिस्थितिकी अनुकूल उत्पादों को अन्य उत्पादों को अन्य उत्पादों से अलग करने के लिए सरकार ने इको मार्क लेबलिंग की एक स्कीम शुरू की है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा चलाया जा

रहा है। इको-मार्क के तहत उत्पाद की पैकिंग ऐसी सामग्री से की जानी चाहिए जिसे दोबारा तैयार किया जा सकता हो अथवा जो बायो-डिग्रेडेबल सामग्री से बनी हो। यह स्कीम 1993.94 से लागू है।

ग्लास, अल्यूमीनियम पैकेजिंग सामग्री, पेपर बोर्ड आदि जैसी पास्थितिकी अनुकूल पैकेजिंग सामग्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्पाद शुल्क में कमी की है। मंत्रालय ने प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों, प्रसंस्कृत मांस तथा मछली उत्पादों आदि की पैकिंग के लिए अल्यूमीनियम के डिब्बों के इस्तेमाल के वास्ते एक अनुसंधान परियोजना भी प्रायोजित की है।

इस अधिनियम के तहत खाद्य तेलों, चाय और काफी जैसे खाद्य उत्पादों की पारिस्थितिकी अनुकूल लेबलिंग को 30 अगस्त, 1994 को अधिसूचित किया गया। कागज और प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री तथा अल्यूमीनियम, जूट, पेपर और प्लास्टिक की परतों (लेमिनेशन) को भी 6 सितम्बर, 1995 को अधिसूचित किया गया। शिशु आहार, वीनिंग फूड और कतिपय प्रसंस्करण फल तथा सब्जी उत्पादों जैसे खाद्य उत्पादों को 6 सितम्बर, 1995 को अधिसूचित किया गया।

[हिन्दी]

## बिजली की खपत

*220. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकसित देशों की तुलना में देश में बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) क्या देश में आवश्यकता के अनुरूप बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत क्रमशः 283.10, 298.96 और 318.84 कि.वा.घं. थी। वर्ष 1992 के दौरान कुछ विकसित देशों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान देश में ऊर्जा आवश्यकता 389.7 बि.यू.थी, जबकि इसकी तुलना में विद्युत उत्पादक केन्द्रों में बसबार पर विद्युत उपलब्धता 354 बि.यू. थी, जोकि 9.2 प्रतिशत विद्युत की कमी की द्योतक है।

(ग) देश में विद्युत आपूर्ति को सुधारने के लिए आरंभ किए गए उपायों में, नई ऊर्जा क्षमता को चालू करने में तेजी लाना, अल्पावधि वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के निष्पादन में सुधार लाना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, बेहतर मांग पक्ष प्रबंध और ऊर्जा संरक्षण के क्रियान्वयन के अलावा अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों में कमी वाले क्षेत्रों में ऊर्जा का अंतरण करना शामिल है।

### विवरण

### कुछ विकसित देशों में वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली की खपत (कि.वा.घं. में)

| क्र.सं. | देश | (वर्ष 1992) कि.वा.घं. में खपत |
|---|---|---|
| 1. | जापान | 7,192 |
| 2. | फ्रांस | 7,140 |
| 3. | स्वीडन | 16,655 |
| 4. | यू.के. | 5,933 |
| 5. | आस्ट्रेलिया | 9,043 |
| 6. | यू.एस.ए. | 12,160 |

स्रोत : ऊर्जा सांख्यिकी वार्षिक पुस्तक - यू.एन. प्रकाशन

[अनुवाद]

## राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

1589. **श्री सनत मेहता :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कोई इकाई गुजरात विद्युत बोर्ड को विद्युत को आपूर्ति करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रति इकाई लागत क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) जी, हां।

(ख) गुजरात में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केन्द्रों द्वारा गुजरात बिजली बोर्ड को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की प्रति यूनिट लागत निम्नवत् है :-

| क्र.सं. | संयंत्र का नाम | प्रति यूनिट लागत |
|---|---|---|
| 1. | कवास | 147.21 पैसे/कि.वा.घं. |
| 2. | गंधार | 219.54 पैसे/कि.वा.घं. (अनंतिम) |

## जल मल निकासी प्रणाली

1590. **श्री आर.बी. राई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग शहर की जल-मल निकासी प्रणाली में सुधार लाने के लिए कोई योजना

केन्द्र सरकार की मंजूरी और वित्तीय सहायता के लिए भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू.वेंकटेस्वरलू)** : (क) और (ख). दार्जिलिंग क्षेत्र बाबत स्वच्छता, जलनिकासी, कूड़ा-कचड़ा निपटान आदि में सुधार के लिए एक परियोजना रिपोर्ट (13.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर) योजना आयोग को दिसम्बर, 1995 में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी। इस मंत्रालय द्वारा तकनीकी दृष्टिकोण से इस योजना की जांच की जा रही है।

## जम्मू और कश्मीर में बिजली की कमी

1591. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जम्मू और कश्मीर में बिजली के क्षेत्र में कितना वित्तीय घाटा हुआ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि जम्मू और कश्मीर में घरेलू उपयोग के लिए खपत की जाने वाली बिजली के लिए उपभोक्ताओं को कोई बिल जारी नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो कब से उक्त बिल जारी नहीं किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार राज्य द्वारा कितना राजस्व जिला-वार प्राप्त किया गया;

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य के बाहर से बिजली की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि अदा की गई है; और

(च) राज्य में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बाला सुब्रह्मण्यन)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय घाटा निम्न प्रकार से है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1993-94 | (-) | 293.24 करोड़ रु. |
| 1994-95 | (-) | 330.93 करोड़ रु. |
| 1995-96 | (-) | 402.47 करोड़ रु. (प्रत्याशित) |

(ख) जम्मू क्षेत्र में, घरेलू उपभोक्ताओं को बिल दो महीने में एक बार प्रस्तुत किए जाते हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में बिलिंग की अवधि थोड़ी अधिक है।

(ग) कश्मीर घाटी में वर्तमान सुरक्षा स्थिति के कारण पिछले 5-6 वर्षों से बिल प्रस्तुत करना संभव नहीं हुआ है।

(घ) राज्य द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूल किया गया राज्स्व निम्न प्रकार है :-

(रु. करोड़ों में)

| वर्ष | जम्मू | कश्मीर | कुल |
|---|---|---|---|
| 1993-94 | 31.43 | 31.61 | 45.04 |
| 1994-95 | 33.115 | 12.609 | 45.724 |
| 1995-96 | 36.47 | 11.497 | 47.967 |

(ङ) इस अवधि के दौरान राज्य के बाहर से बिजली की खरीद के लिए राज्य द्वारा अदा की गयी राशि निम्न प्रकार से है :-

| | |
|---|---|
| 1993-94 | 126.860 करोड़ रु. |
| 1994-95 | 126.799 करोड़ रु. |
| 1995-96 | 209.991 करोड़ रु. |

(च) राज्य द्वारा विद्युत आपूर्ति में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार से हैं :

(1) **कश्मीर क्षेत्र में** :- 220 के.वी. किशनपुर - पामपोर ट्रांसमिशन लाईन और पामपोर में रिसीविंग स्टेशन कमीशन किया गया है।

(2) **जम्मू क्षेत्र में** :- 120 के.वी.ए. 220/132 के.वी. रिसीविंग स्टेशन हीरानगर पहले ही कमीशन कर दिया गया है लेकिन उसे स्टेबलाईज्ड किया जा रहा है। इसी प्रकार से 132/33 के.वी.बारी ब्रह्मा ग्रिड स्टेशन की क्षमता बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

(3) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श करके दोनों क्षेत्रों की वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने का कार्य शुरू किया गया है।

(4) जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी जिलों में, लकड़ी के खम्बों के स्थान पर स्टील टूबल खम्बे/पी.सी.सी. के खम्बे लगाकर पुरानी वितरण प्रणाली को सक्रिय किया गया है।

(5) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य, जिसमें रिसीविंग स्टेशन का निर्माण और गांवों का ऊर्जायन भी शामिल है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए आर.ई.सी. इंडिया द्वारा धन दिया जाता है।

## जल मल व्ययन परियोजना

1592. **श्री राम नाईक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र जल आपूर्ति और जल मल व्ययन परियोजना चरण-दो की एक परियोजना अंतिम स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से लंबित है;

(ग) अभी यह किस स्तर पर लंबित है; और

(घ) विलंब के क्या कारण हैं और इस परियोजना को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू)** : (क), (ख) से (घ). महाराष्ट्र जल आपूर्ति और जल-मल व्ययन परियोजना चरण-2 तकनीकी स्वीकृति के लिए इस मंत्रालय में विचाराधीन है। जून, 1995 में राज्य सरकार से वित्तीय योजना, परस्पर प्राथमिकताओं बाबत स्पष्टीकरण देने और केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने, पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन कराने, वन्य भूमि आदि के परिवर्तन हेतु रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया था। उपर्युक्त मुद्दों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है। अतः परियोजना की स्वीकृति हेतु कोई निश्चित समय का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

### विद्युत उत्पादन

1593. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोधनशालाओं के उप-उत्पादों को विद्युत उत्पादन हेतु कार्य में लाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) क्या कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड ने शोधनशालाओं में उप-उत्पादों और गैस से विद्युत उत्पादन की कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) कुछ तेल कम्पनियां अपने द्वारा उत्पादित भारी पेट्रोलियम स्टाक से बिजली पैदा करने की व्यवहार्यता पर विचार कर रही हैं।

(ख) और (ग). कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड में अम्बालामुगल में 1600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रिफाइनरी में ईंधन के रूप में उपलब्ध अपशिष्ट स्ट्रीम पर आधारित 500 मेगावाट की बिजली उत्पादन परियोजना लगाने का एक प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

### प्रशासनिक न्यायाधिकरण

1594. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्य कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक प्रशासनिक न्यायाधिकरण में कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और कब तक इन्हें भरे जाने की संभावना है?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बाला सुब्रहमण्यन)** : (क) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत एक केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और आठ राज्य प्रशासनिक अधिकरण आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं।

(ख) विवरण I और II संलग्न हैं। एक केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा दूसरा राज्य प्रशासनिक अधिकरणों के लिए।

(ग) जहां तक केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में रिक्तियों का संबंध है, 20.7.1996 तक की सभी रिक्तियों जो पदधारियों द्वारा पदभार छोड़ने के कारण खाली हुई थीं, पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया जारी है और इन रिक्तियों के शीघ्र ही भरे जाने की आशा है।

राज्य प्रशासनिक अधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के प्रस्तावों के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। संबंधित राज्य सरकारों से यथाप्राप्त कतिपय रिक्त पदों के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है और जब इन पर अंतिम रूप से अनुमोदन हो जाएगा, नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। शेष रिक्त पदों के लिए प्रस्ताव प्रतीक्षित हैं।

### विवरण-I

### केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

| उपाध्यक्ष | | न्यायिक सदस्य | | प्रशासनिक सदस्य | |
|---|---|---|---|---|---|
| न्यायपीठ | रिक्ति की तारीख | न्यायपीठ | रिक्ति की तारीख | न्यायपीठ | रिक्ति की तारीख |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. पटना न्यायपीठ | 31.07.1995 | 1. जोधपुर | 04.12.1994 | 1. जोधपुर | 01.09.1996 |
| 2. बम्बई न्यायपीठ | 30.09.1995 | 2. हैदराबाद | 15.04.1995 | 2. अर्नाकुलम | 22.03.1996 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. दिल्ली न्यायपीठ | 10.02.1996 | 3. अहमदाबाद | 27.04.1995 | 3. दिल्ली | 23.06.1996 (पदधारी की मृत्यु के कारण) |
| 4. गुवाहाटी न्यायपीठ | 01.03.1996 | 4. अर्नाकुलम | 23.08.1995 | | |
| 5. कटक न्यायपीठ | 23.03.1996 | 5. दिल्ली | 01.09.1995 | | |
| 6. चण्डीगढ़ न्यायपीठ | 10.04.1996 | 6. बंगलौर | 12.09.1995 | | |
| 7. अहमदाबाद न्यायपीठ | 28.06.1996 | 7. पटना | 15.12.1995 | | |
| 8. मद्रास न्यायपीठ | 20.07.1996 | | | | |

## विवरण-II

### राज्य प्रशासनिक अधिकरण

| अधिकरण का नाम | पद का नाम | | राज्य सरकारों द्वारा सूचित की गई रिक्तियां |
|---|---|---|---|
| (1) आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण | अध्यक्ष | | 16.7.1995 |
| | उपाध्यक्ष | | 3.7.1996 |
| | प्रशासनिक सदस्य | | 25.4.1996 |
| | न्यायिक सदस्य | | 15.10.1995 |
| (2) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण | कोई पद रिक्त नहीं है | | |
| (3) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण | प्रशासनिक सदस्य | | 24.3.1996 |
| (4) महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण | अध्यक्ष | | 19.2.1995 |
| | प्रशासनिक सदस्य | | 30.3.1992 |
| | न्यायिक सदस्य | (i) | 13.11.1995 |
| | | (ii) | 31.3.1996 |
| (5) मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण | अध्यक्ष | | 10.2.1996 |
| | प्रशासनिक सदस्य | (i) | 10.6.1994 |
| | | (ii) | 8.7.1994 |
| | | (iii) | 23.11.1994 |
| | न्यायिक सदस्य | (i) | 25.7.1995 |
| | | (ii) | 8.9.1995 |
| | | (iii) | 23.3.1996 |
| (6) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण | प्रशासनिक सदस्य | (i) | 7.3.1995 |
| (7) तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण | प्रशासनिक सदस्य | (i) | 5.6.1996 |
| (8) पश्चिम बंगाल प्रशासनिक अधिकरण | अध्यक्ष | (i) | 29.2.1996 |
| | उपाध्यक्ष | (i) | 16.1.1996 |
| | प्रशासनिक सदस्य | (i) | 16.1.1995 |
| | न्यायिक सदस्य | (i) | 25.11.1995 |

[अनुवाद]

### सम्पत्ति परिवर्तन नीति

**1595. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सम्पत्ति परिवर्तन नीति में कोई संशोधन किया गया है/किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे संशोधनों के विरुद्ध कोई आपत्ति की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू)** : (क) और (ख). दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी और प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रख कर सम्पत्ति के परिवर्तन की नीति में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार पुनर्वास कॉलोनियों में मूल पट्टा धारकों के मामले में परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत तैयार फ्लैटों के मामले में $33^1/_3$ प्रतिशत और अन्यपट्टा धारकों के मामले में 25 प्रतिशत छूट की घोषणा की गई है।

(ग) और (घ). डी.डी.ए. कालोनियों की शीर्ष एसोशियेशन ने 50 वर्गमीटर के फ्लैटों के मुफ्त पट्टा-मुक्त परावर्त्तन का मामला शुरू किया था और उसे दिल्ली उच्च न्यायालय में भी उठाया। मामले की विस्तृत जांच के बाद ज्ञात हुआ कि फ्लैटों के निर्माण की तुलना, सीमित आकार के प्लाट पर समूह-आवास काम्प्लैक्स में यूनिटों की अधिक संख्या और उनकी सघनता के आधार पर, साधारण मकान निर्माण से नहीं की जा सकती। अतः नव-निर्मित फ्लैटों के मामले में परावर्त्तन शुल्क का निर्धारण करते समय, यूनिटों की संख्या से क्षेत्र के विभाजन को हिसाब में लेकर, परावर्त्तन शुल्क की समान दर तय की गई। लेकिन विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखकर, नव-निर्मित फ्लैटों के आबंटियों/पट्टाधारियों को परावर्त्तन शुल्क में रियायत देकर-अर्थात्, अन्य मकानों के आबंटियों को 25 प्रतिशत की रियायत की तुलना में $33^1/_3$ प्रतिशत की रियायत देकर लाभ पहुंचाया गया है।

### जल प्रदूषण के मामले

**1596. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय राज्यों, विशेषरूप से कर्नाटक में जल प्रदूषण के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू)** : (क) कर्नाटक सहित अनेक राज्यों में नगरपालिकाओं और उद्योगों से निकलने वाले अशोधित/आंशिक रूप से शोधित प्रदूषित जल के कारण भूतल और भूगिमत जल प्रभावित हुआ है।

(ख) और (ग). नगरपालिका के प्रदूषित जल की निकासी से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय नदी कार्य योजना आरंभ की गयी है जिसके माध्यम से नगरपालिकाओं के प्रदूषित जल को निकासी से पूर्व रोककर शोधित किया जाना है।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली लगाने के निर्देश दिये गये हैं और ऐसा न करने पर सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना (चरण-1) के तहत कर्नाटक में नदी तट पर अथवा आसपास स्थित 8 नगरपालिकाएं चुनी गयी हैं और मलजल संग्रहण अवरोधन और मलजल शोधन संयंत्र स्थापित करने हेतु कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है। भारत सरकार ने कार्य आरम्भ करने के लिए 27.00 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस पर होने वाले व्यय को भारत सरकार और कर्नाटक सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

[हिन्दी]

### बरेली का विकास

**1597. श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बरेली शहर जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है के विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ख) इस संबंध में प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू)** : (क) तथा (ख). क्षेत्रीय योजना-2001 के अनुसार एन.सी.आर. से बाहर काउन्टर मैगनेट क्षेत्रों में से एक बरेली कस्बा भी है। काउन्टर मेगनेट कस्बों में विकास कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा उनके अभिकरणों के माध्यम से आरंभ किए जाते हैं और एन.सी.आर. योजना बोर्ड तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित योजनाओं द्वारा इनकी मदद की जाती है। एन.सी.आर. योजना बोर्ड द्वारा बरेली में निम्नलिखित दो योजनाओं की सहायता की गई है :—

**(1) रामपुर रोड रिहायशी योजना**

योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 8.575 करोड़ रुपये की लागत से 50 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव पर विचार किया गया

है, जिसमें 4000 रिहायशी एककों के लिए 2,200 प्लाटों और 22 समूह आवास प्लाटों का प्रावधान है।

**(2) रामपुर रोड ट्रांसपोर्ट नगर**

इस योजना के अन्तर्गत 3.15 करोड़ रुपये की लागत से 28 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण पर विचार किया गया है जिसमें 268 परिवहन अभिकरणों, 30 वाणिज्यिक प्लाटों, 275 ट्रकों के लिए पार्किंग तथा दो डॉरमिटरी के अलावा 60 दुकानों का प्रावधान है। इसके अलावा पुल, रेलवे स्टेशन इत्यादि जैसी सुविधाओं के लिए 16 और प्लाट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

**शहरी समस्याएं**

1598. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर को नियंत्रित करने और लोगों का गांव से शहर में पलायन कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी राशि खर्च की गई और कितने बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाया गया;

(ग) क्या सरकार ने शहरों में बढ़ती हुई बेरोजगारी की दर कम करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने शहरी बेरोजगारों की संख्या का आंकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सफाई मजदूर पुनर्वास योजना, गन्दी बस्ती हटाने और झुग्गी-झोंपड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(छ) शहरों में आवास समस्या का समाधान करने की क्या योजना शुरू की गई है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) :** (क) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**पेंशन के एक तिहाई कम्यूटेड हिस्से को पुनः बहाल करना**

1599. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 दिसम्बर, 1995 के उच्चतम न्यायालय के फैसले का अध्ययन किया है जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति के समय प्रो-रैटा पेंशन का एकमुश्त भुगतान लिया था, को पेंशन के एक तिहाई हिस्से को पुनः बहाल किए जाने की व्यवस्था दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक यह निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार के इन कर्मचारियों को इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) :** (क) और (ख). जी, हां। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने सॅविलियन के समय अनुज्ञेय यथानुपाती (प्रो-रैटा) पेंशन के एकमुश्त भुगतान के लिए विकल्प दिया था, की पेंशन के एक तिहाई संराशीकृत हिस्से की बहाली संबंधी रिट याचिका संख्या 11855/85 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.12.1995 के निर्णय के कार्यान्वयन का प्रश्न संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जाएगा।

(ग) इस मामले पर अंतिम निर्णय लिए जाते ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

(घ) तथा (ङ). उपर्युक्त (ख) पर दिए उत्तर के अवलोकन का प्रश्न नहीं उठता है।

**रात्रिकालीन लिपिक**

1600. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के कुछ कार्यालयों में विशेषकर दिल्ली में बड़ी संख्या में लिपिक देर रात तक कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्य का स्वरूप तथा उनका वेतनमान क्या है और उन कार्यालयों का तथा वहां भर्ती की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों में रात्रि के लिए तैनात सभी लिपिकों को उनके सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा आवासीय टेलीफोन की सुविधा प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सचिवालय तथा इस संबद्ध कार्यालयों में तैनात रात्रिकालीन लिपिकों (अवर श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक इत्यादि) की संख्या के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है तथपि, मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की कार्यात्मक अपेक्षाओं के आधार पर सामान्यतः एक अथवा दो लिपिकों/चपरासियों को रात्रिकालीन ड्यूटी में लगाया जाता है। रात्रिकालीन ड्यूटी कर्मचारियों के संबंध में विशेष रूप से कोई भर्ती नहीं की जाती है तथा संबधित लिपिक आदि रात्रिकालीन अपनी ड्यूटी के दौरान अपने ग्रेड का वेतन प्राप्त करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें रात्रि ड्यूटी भत्ता मंजूर किया जाता है जो उनके द्वारा साढ़े आठ घंटे की सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त निष्पादित की जाने वाली ड्यूटी के घंटों के 50 प्रतिशत पर देय समयोपरि भत्ते पर आधारित होता है बशर्ते वे समयोपरि भत्ते की मंजूरी के लिए अन्य शर्तें पूरी करते हों।

आवासीय (रात्रिकालीन ड्यूटी) कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य विरामी स्वरूप के होते हैं। इन्हें सामान्यतः कभी-कभी टेलीफोन कॉल सुननी पड़ती हैं और तार/टैलेक्स/बेतार संदेश प्राप्त करने होते हैं तथा तत्काल/महत्वपूर्ण स्वरूप की डाक इत्यादि को प्राप्त करना/भेजना होता है।

(ग) से (ङ). ऐसे कर्मचारियों को मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों द्वारा आवासीय टेलीफोन उपलब्ध किए जाने संबंधी सूचना भी केन्द्रीकृत रूप से मॉनीटर नहीं की जाती है। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में ऐसे कर्मचारियों को आवासीय टेलीफोन देने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। ये कर्मचारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों इत्यादि द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पहले से जारी समय अनुसूची के अनुसार रात्रिकालीन ड्यूटी पर लगाए जाते हैं तथा उन्हें अल्पकालिक सूचना पर ड्यूटी पर बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

## मकानों का निर्माण

**1601. श्री राम सागर:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा श्रेणी-वार और क्षेत्र-वार कुल कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ख) 1994-95 और 1995-96 के दौरान कम मकानों के निर्माण के क्या कारण हैं;

(ग) प्रतिवर्ष कितने मकानों के निर्माण की आवश्यकता होती है और वास्तव में कितने मकान बनाए जाते हैं; और

(घ) दिल्ली में इस समय कुल कितने मकानों की कमी है और सरकार का इस कमी को कैसे पूरा करने का विचार है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू)** : (क) से (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा 1992-93 से 1995-96 के दौरान निर्मित आवासों की संख्या इस प्रकार है :-

| वर्ष | निर्मित आवास |
|---|---|
| 1992-93 | 7876 |
| 1993-94 | 8661 |
| 1994-95 | 6844 |
| 1995-96 | 2298 |

इन आवासों का क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा विवरण में है।

डी.डी.ए. ने मकान बनाने में गिरावट के निम्नलिखित कारण बताये हैं :-

1. बाह्य विद्युतीकरण में देरी;
2. बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था में विलम्ब;
3. भवन निर्माण सामग्री की सामयिक कमी;
4. संविदागत समस्याएं;
5. न्यायालय के स्टे, अतिक्रमण तथा मुकद्दमेबाजी इत्यादि के कारण भूमि संबंधी समस्याएं;

**(ग) और (घ). दिल्ली में आवास की मौजूदा कमी का कोई वैज्ञानिक आकलन नहीं किया गया है। जहां तक डी.डी.ए. का संबंध है, मध्यम आय वर्ग/निम्न आय वर्ग श्रेणियों के अंतर्गत 43,394 पंजीकृत व्यक्ति आवंटन के लिए शेष हैं। आशा है कि भूमि, अवस्थापन व अन्य बुनियादी सुविधाएं सुलभ होने पर, इन पंजीकृत व्यक्तियों को दो वर्ष के अंतर्गत फ्लैट आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा डी.डी.ए की सहकारी समूह आवास समितियों को 33,000 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए द्वारका तथा नरेला में 400 भूखण्ड आवंटित करने की योजना है।**

**विवरण**

**वर्ष 1992-93 के दौरान तैयार आवास**

| क्षेत्र | एस.एफ.एस. | एम.आई.जी | एल.आई.जी | जनता ई.डब्ल्यू.एम | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| पूर्वी जोन | - | 288 | 332 | 504 | 1124 |
| दक्षिण पश्चिम जोन | 1257 | 232 | - | 120 | 1609 |
| दक्षिण पूर्व जोन | 48 | 44 | - | 47 | 139 |
| रोहिणी | 536 | - | 1400 | - | 1936 |
| उत्तरी जोन | 72 | 544 | 660 | 976 | 2252 |
| पश्चिम जोन | 28 | 148 | 384 | 256 | 816 |
| जोड़ | 1941 | 1256 | 2776 | 1903 | 7876 |

**1993-94 के दौरान तैयार आवास**

| क्षेत्र | एस.एफ.एस. | एम.आई.जी. | एल.आई.जी. | जनता | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| पश्चिम/द्वारका | 128 | 597 | 119 | 63 | 907 |
| उत्तर जोन | 376 | 416 | 624 | - | 1416 |
| रोहिणी | 928 | 1503 | 1788 | - | 4219 |
| पूर्व जोन | 54 | 168 | 266 | 768 | 1256 |
| दक्षिण पूर्व जोन | - | - | 706 | - | 708 |
| दक्षिण-पश्चिम जोन | 155 | - | - | - | 155 |
| जोड़ | 1641 | 2684 | 3505 | 831 | 8661 |

**1994-95 के दौरान तैयार किए गए आवास**

| क्षेत्र | एस.एफ.एस. | एम.आई.जी. | एल.आई.जी. | जनता | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| पूर्वी जोन | 912 | 552 | - | - | 1464 |
| दक्षिण पश्चिम जोन | 24 | 201 | - | - | 225 |
| दक्षिण पूर्वी जोन | - | - | 48 | - | 48 |
| कालकाजी एक्स. | | | | | |
| पाकेट ए-2 | | | | | |
| उत्तरी जोन | 00 | 504 | 784 | - | 1368 |
| पश्चिमी जोन | 1224 | 884 | 613 | 374 | 3095 |
| रोहिणी | - | 144 | 500 | - | 644 |
| जोड़ | 2240 | 2285 | 1945 | 374 | 6844 |

**वर्ष 1995-96 के दौरान तैयार किए गए आवास**

| क्षेत्र | एसएफएस | एमआईजी | एलआईजी | ईडब्ल्यूएस | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| दक्षिणी-पश्चिमी | 8 | – | – | – | 8 |
| पूर्व | 165 | 852 | 224 | – | 1214 |
| पश्चिम | – | 498 | 236 | – | 734 |
| रोहिणी | – | 315 | – | | 315 |
| जोड़ | 173 | 1665 | 460 | – | 2298 |

## राज्य मंत्रियों का सम्मेलन

1602. डा. प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1995 में पेंशन के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और क्या निर्णय लिये गये; और

(ख) सामान्य तौर पर एवं विशेषकर लम्बित मामलों को तेजी से निपटाने हेतु निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन)** : (क) और (ख). पेंशन प्रशासन पर 17 राज्यों के राज्य मंत्रियों का एक राज्य-स्तरीय सम्मेलन 9.11.95 को आयोजित किया गया था। इस बैठक में हुए विचार-विमर्श से पेंशन संबंधी नीति-निर्माण एवं पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी तंत्र की स्थापना हेतु केन्द्र और राज्यों द्वारा बातचीत करते रहकर आपसी तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देने में सहायता मिली। पेंशन के आकलन संबंधी लेखाकार्य के लिए पेंशनभोगियों की संख्या से संबंधित सही डाटा बेस के लिए कम्प्यूटरीकरण के अधिकाधिक उपयोग की वांछनीयता को सभी राज्यों द्वारा सराहा गया। पेंशन कार्य को महालेखाकार से राज्य सरकारों को हस्तांतरित करने के मुद्दे की जांच करने के लिए पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग में एक समिति भी गठित की गई है।

## तेल कुएं

1603. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान खोले गए तेल कुओं के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या इन कुओं में से किसी को तेल दोहन के कार्य हेतु निजी पार्टियों को सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इनके दोहन का कार्य पुनः अपने नियंत्रणाधीन रखना चाहता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) पिछले दो वर्षों (1994-95 और 1995-96) के दौरान निम्नलिखित कूप संरचनाओं में तेल की खोज हुई :

| कूप/संरचना | बेसिन/क्षेत्र |
|---|---|
| बी-15-2 | पश्चिमी तट (अपतट) |
| बी-193-1 | - वही - |
| डब्ल्यू ओ- 16-1 | - वही - |
| डब्ल्यू ओ-15-2 | - वही - |
| बी- 15 ए- 1 | - वही - |
| जी एस-23-1 | पूर्वी तट (अपतट) |
| पुंडी-2 | कावेरी (भूस्थल) |
| किझवेलुर-1 | - वही - |
| खम्बोई-1 | कैम्बे (भूस्थल) |
| भेकुलाजान | असम |
| राजाली | असम |
| बोरहपजान | असम |
| रूंगालीटिंग | असम |
| तमुलीखाट | असम |

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ). उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता

## जैसलमेर को गैस

1604. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में गैस की आपूर्ति हेतु क्या दर तय की गई है;

(ख) क्या सरकार ने एच बी जे पाइप लाइन तथा अन्य गैस कुओं के लिए गैस की पुनरीक्षित दर को अधिसूचित कर दिया है;

(ग) क्या नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग 40.40 प्रतिशत है जिसका विद्युत उत्पादन में योगदान है और जिसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) से (घ). राजस्थान में तथा उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर भारत के अन्य भागों में प्राकृतिक गैस का मूल्य रायल्टी, करों और परिवहन खर्चों के अलावा 1850 रुपए प्रति हजार घन मीटर है। एच बी जे पाइपलाइन के आस-पास परिवहन खर्च 850 रुपये प्रति हजार घन मीटर है। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड, रामगढ़ को आपूर्ति गैस में अक्रिय गैसों का प्रतिशत बहुत होता है। इसी कारण राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड, रामगढ़ को मूल्य में छूट दी जाती है।

## कश्मीरी पंडितों की दशा

**1605. श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डो-अमेरिकन कश्मीर फोरम ने असिस्टेंट सेक्रेटरी आफ स्टेट, डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स एण्ड लेबर के असिस्टेंट सेक्रेटरी और 'शातुक' जो मानवाधिकार रिपोर्ट जारी करते हैं, को कश्मीरी पंडितों की दशा को अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए लिखा था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पुन्नुन कश्मीर तथा अन्य कश्मीरी पंडित संगठनों सहित कश्मीरी पंडितों के शिष्टमंडल को हाल ही में राजनीतिक वार्ता के लिए बुलाया था;

(ग) यदि हां, तो वार्ता के दौरान किन-किन बातों पर चर्चा हुई; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन)** : (क) जी हां, श्री मान्।

(ख) से (घ). राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री ने फरवरी, 1996 में कश्मीरी प्रवासी ग्रुपों सहित, जम्मू और कश्मीर की राजनैतिक पार्टियों के साथ विचार-विमर्श किया था। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में राज्य में चुनाव कराने पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया था। राज्य में चुनाव कराने के मामले में विभिन्न राजनैतिक दलों और प्रवासी ग्रुपों के अलग-अलग विचार थे। तथापि विभिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुए राज्य में संसदीय चुनाव शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। कश्मीरी प्रवासियों ने भी डाक द्वारा मतदान की सुविधा के जरिए मतदान किया।

## इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग

**1606. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसाधनों अथवा आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभाव में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग द्वारा अधिक विदेशी निवेश आमंत्रित करने हेतु अपनी नीति पुनः तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयात संबंधी लागत अत्यधिक होने के कारण हार्डवेयर उद्योग का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा आकर्षित करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

**योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर उद्योग ने ऐसा कोई नीति विषयक दस्तावेज भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक विभाग को प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विदेशी पूंजीनिवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा पहले ही किए गए उपाय विवरण में दिए गए हैं।

### विवरण

### विदेशी पूंजीनिवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

(1) नीतिगत उपाय करके जैसे कि स्थापना-स्थल संबंधी सीमाओं से छूट देना, चार विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर लाइसेंसिंग समाप्त करना, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम समाप्त करना तथा पूंजीनिवेश का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति (एमआरटीपी) अधिनियम में संशोधन करना।

(2) आयातित पूंजीगत वस्तुएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए आयात-निर्यात नीति का उदारीकरण, मूल्य पर आधारित उन्नत लाइसेंसिंग योजना आदि।

(3) वित्तीय एवं कर संबंधी नीति को विशेष रूप से शुल्क के ढांचे, निगमित कराधान आदि के क्षेत्रों में तर्कसंगत बनाना।

(4) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना शुरू करना जो ऐसे लघु सॉफ्टवेयर ग्रहों को मूल संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जो निर्यात बाजार में प्रवेश करने के इच्छुक हैं। इस योजना के अन्तर्गत निजी एसटीपी भी स्थापित की जा सकती है जो बड़ी कम्पनियों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के आयात आदि के लिए उपलब्ध कराई गई शुल्क मुक्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए की जा सकती है।

(5) इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना (ईएचटीपी) शुरू करना जिसे विश्वव्यापी इलेक्ट्रॉनिकी सेक्टर की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार किया गया है। इससे एक लचीली नीति का परिवेश उपलब्ध होगा, जिससे सरलता से व्यापार किया जा सकेगा और विशाल भारतीय घरेलू बाजार को व्यावसायिक क्षमता का लाभ प्राप्त होगा, जो देश में निर्यात के प्रयोजन से उत्पादन के लिए प्रोत्साहनदायक होगा।

(6) पूंजीनिवेश तथा प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी सहयोग को प्रोत्साहन देना। इसमें उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत की विदेशी साम्यापूंजी तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के लिए स्वतः अनुमोदन तथा ऐसे उद्योगों में भुगतानों की निश्चित उच्चतम सीमा सहित विदेशी प्रौद्योगिकी के समझौतों के लिए स्वतः अनुमति शामिल है।

(7) प्रवासी भारतीयों तथा मूलतः प्रवासी भारतीयों के स्वामित्वाधीन विदेशी कार्पोरेट निकायों को भारत में पूंजीनिवेश करने के लिए प्रोत्साहन देना। इसमें प्राथमिकता वाले उद्योगों में शत प्रतिशत तक साम्यापूंजी के लिए स्वतः अनुमोदन शामिल है।

(8) भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की गुणवत्ता में संवर्धन के लिए मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) कार्यक्रम नामक एक गुणवत्ता पूर्ण मूल संरचनात्मक सुविधा कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

(9) भारत में तथा विदेशों में सेमिनारों, प्रदर्शनियों, व्यवसाय प्रतिनिधि मण्डल आदि में भाग लेना तथा उन्हें प्रायोजित करना।

(10) भारतीय सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सेवा सहयोग एवं शिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

(11) सॉफ्टवेयर के निर्यात के प्रयोजन से उच्च गति डेटा संचार उपलब्ध कराने के लिए सैटकोम सेवाएं (भारत) की स्थापना करना।

## सेवाकर्मियों (धोबियों) के लिए क्वार्टरों का निर्माण

**1607. श्री जगमोहन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका (एन.डी.एम.सी) द्वारा 'धोबियों' के लिए सेवा कर्मी क्वार्टरों के निर्माण हेतु डी आई जेड क्षेत्र (हैवलोक स्क्वायर) में 1.5 एकड़ जमीन आवंटित करने संबंधी अनुरोध लम्बे समय से मंत्रालय में लम्बित पड़ा है;

(ख) क्या इस लम्बे विलम्ब से धोबियों में अत्यधिक कुंठा है और इसके परिणामस्वरूप एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में गैर-कानूनी अतिक्रमण हुआ और गंदगी फैल गई है; और

(ग) कब तक जमीन का आवंटन कर दिए जाने की संभावना है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) :** (क) से (ग). नई दिल्ली नगर निगम को डी आई जेड क्षेत्र में भूमि का आवंटन, इस मंत्रालय के दिनांक 12.7.96 के पत्र सं. जे-13019/1/94- एल.डी. (यू.एस.एल.11) के तहत किया गया है।

## तटवर्ती क्षेत्र के लोगों के समक्ष समस्याएं

**1608. श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई, महाराष्ट्र के समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या रहे तथा उनके जानमाल की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) :** (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि उनको मुम्बई में समुद्री इलाकों के निकट रह रहे लोगों की दयनीय स्थिति की जानकारी है और हालांकि इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है लेकिन राज्य सरकार के आवास तथा विशेष सहायता विभाग द्वारा कुछ प्रारंभिक कार्य किये गये हैं।

(ग) चूंकि शहरी विकास राज्य का विषय है इसलिए इस बारे में आवश्यक कदम राज्य सरकार द्वारा ही उठाये जाने हैं। भारत सरकार से शहरी विकास सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

## गोलन और लोकगलान घाटियों को बन्द करना

**1609. श्री गुलाम रसूल कार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोलन और लोकगलान घाटियों को बारामूला और कुपवाड़ा जिले के गुज्जर और बकरवाल समुदाय के मवेशियों को चराने के लिए नहीं खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) गुज्जर, बकरवाल और स्थानीय लोगों द्वारा बारामूला और कुपवाड़ा जिले के कितने घास उगाने वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर बालासुब्रह्मण्यन)** : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। ये स्थान नियंत्रण रेखा के निकट है तथा यदि इनमें पशु चराने की सुविधा दे दी जाती है तो उग्रवादियों द्वारा इनका दुरूपयोग निर्गमन और प्रवेश दोनों प्रयोजनों हेतु किया जा सकता है।

(ग) बारामूला जिले में 18 'बाहक' तथा कुपवाड़ा जिले में 10 'बाहक' बकरवालों/गुज्जरों और स्थानीय लोगों के लिए पशुओं को चराने के प्रयोजनार्थ खुले हैं।

## आर्सेनिक मुक्त जल

**1610. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र** और **रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने गुजरात के विभिन्न जिलों में 'आर्सेनिक मुक्त जल' की आपूर्ति के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किए गए राज्य सरकार के प्रस्तावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा)** : (क) गुजरात राज्य सरकार से ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

## परमाणु ऊर्जा आयोग

**1611. श्री अमर पाल सिंह :**

**श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन के प्रति उत्तरदायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को परमाणु ऊर्जा आयोग से स्वतंत्र कर देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) और (ख). परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जिसका गठन परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1962 का 33) के अधीन इस अधिनियम की धारा 16, 17 और 23 के तहत परिकल्पित नियामक और सुरक्षा कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया था, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रति उत्तरदायी होगा तथा सुरक्षा विनियमों और मानकों के अनुपालन और सिफारिशों के क्रियान्वयन सहित सुरक्षा स्थिति के बारे में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष को आवधिक रूप से रिपोर्ट भेजेगा। वह अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट भी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें परमाणु ऊर्जा आयोग को की जाएंगी जिसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(ग) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के पास कार्यात्मक स्वतंत्रता पहले से ही है।

(घ) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के पास किसी भी ऐसी सुविधा पर प्रतिबंध लगाने/उसके प्रचालन को रोक देने का प्राधिकार है जहां उसके निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा हो।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

## उत्तर प्रदेश परियोजनाओं को मंजूरी

**1612. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी हेतु कुछ योजनाएं योजना आयोग को भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये योजनायें किन-किन स्थानों से सम्बन्धित हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की सम्भावना है ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) से (ग). एक मध्यम सिंचाई परियोजना अर्थात् पथराई मध्यम सिंचाई परियोजना, जो झांसी जिले में स्थित है और 31.66 करोड़ रुपये की परिशोषित लागत पर है, क्रमशः 3772 हेक्टेयर और 3509 हेक्टेयर के कुल कमान क्षेत्र और खेती योग्य कमान क्षेत्र को कवर करती है, योजना आयोग में जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हुई है, क्योंकि सिंचाई परियोजनायें सीधे योजना आयोग को नहीं भिजवाई जाती, तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा परियोजना की विधिवत रूप से सिफारिश की गई है। राज्य वित्त विभाग की सहमति और राज्य सरकार द्वारा संकलित किए जाने वाले अन्य सम्बन्धित ब्यौरों की मामले में प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होते ही योजना आयोग द्वारा निवेश अनुमोदन हेतु परियोजना पर विचार किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत की जाने वाली 100 मिलियन डालर की

लागत वाली ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय सफाई पर एक अन्य परियोजना प्राप्त हुई है। ग्रामीण समाज की जीवन दशाओं के उद्देश्य की उपलब्धि के लिए परियोजना को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और पर्यावरणीय सफाई सुविधाओं (मल-जल नालियां और निम्न लागत सफाई शौच-घर) और विभिन्न संस्थानात्मक संरचनाओं को सुदृढ़ करने की अवधारणा को एक करना है। परियोजना क्षेत्र की अवस्थिति उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में फैली हुई है। जिसमें आठ पहाड़ी जिले शामिल हैं, नामतः देहरादून, टिहरी, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, नैनीताल और पांच बुन्देलखण्ड जिले नामतः झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और जालौन के 1000 गांवों को कवर करते है। परियोजना का पहले ही 59.6 मिलियन डालर ऋण के लिए विश्व बैंक द्वारा 26.6.96 को अनुमोदित किया जा चुका है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत सड़कों और पुलों के लिए 2500 करोड़ रुपये का अनुरोध किया गया है। चुने गये पैकेज की कुल लम्बाई 2680 किलोमीटर है, जिसमें से 258 किलोमीटर को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता है। 1405 किलोमीटर को चौड़ किए जाने और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है और 1017 किलोमीटर को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

**[अनुवाद]**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को केन्द्रीय सहायता**

1613. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
**प्रो. रासा सिंह रावत :**
**श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता :**
**श्रीमती शीला गौतम :**
**श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए अलग-अलग कितनी राशि मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) :** (क) से (च). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समग्र विकास के लिए अनेक योजना स्कीमें चला रहा है। योजना स्कीमों के तहत राज्य सरकार के संगठनों, संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र की यूनिटों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक संगठनों आदि को खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना अथवा अपग्रेडिंग अथवा विस्तार किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने, विपणन समर्थन, सुअर मांस, पाल्ट्री और अन्य मांस तथा मांस प्रसंस्करण सुविधाओं, टूना और अन्य मछली प्रसंस्करण की स्थापना, कोल्ड चेन की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में अनुसंधान तथा विकास और कतिपय क्षेत्रों में जनशक्ति के प्रशिक्षण आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमें राज्य विशेष नहीं होतीं और उनमें विभिन्न क्षेत्र जैसे फल और सब्जी प्रसंस्करण, मांस तथा पॉल्ट्री प्रसंस्करण, अनाज प्रसंस्करण, मात्स्यिकी आदि शामिल हैं। इस मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास सहायता समेत निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है :-

| वर्ष | राशि (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| 1993-94 | 38.52 |
| 1994-95 | 29.74 |
| 1995-96 | 40.87 |

**समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम**

1614. **श्री राजू राणा :**
**श्री काशीराम राणा :**

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत की गयी और इनमें से सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिकतम भागीदारी।

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले उन परिवारों का चयन, जिन्हें परिसम्पत्तियों के रखरखाव का अनुभव, ज्ञान और कुशलता प्राप्त हो। अन्य को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जा सकती है, यदि वे ट्राइसेम अथवा दूसरे संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अपनी कुशलता को बढ़ा लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं।

(3) कार्य से पूर्व दी जाने वाली सब्सिडी को कार्योत्तर सब्सिडी में बदलना।

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋण की बेहतर अदायगी के लिए उपाय।

(5) पुनर्अदायगी अनुसूचियों का यथार्थवादी होना तथा प्रतिभूति मुक्त सीमाओं को बढ़ाना।

(6) अपेक्षित कार्यशील पूंजी को पूरा करने की आवश्यकता।

(7) अवसंरचना की बेहतर आयोजना एवं विकास पर बल।

(8) अधिकतम ऋण और उच्चतम सब्सिडी प्रदान करते हुए प्रति परिवार सहायता के स्तर को बढ़ाना।

(9) सामूहिक क्रियाकलापों को बढ़ाना।

(10) परम्परागत लक्ष्योन्मुखी आभगम में संशोधन।

(घ) भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रमशः सभी संबंधित पक्षों को सिफारिशें लागू करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

**[हिन्दी]**

**प्रशासनिक ढांचे में सुधार और इसका पुनर्गठन**

1615. **श्रीमती शीला गौतम :**

**श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का प्रशासनिक ढांचे में सुधार और इसका पुनर्गठन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रशासनिक ढांचे में व्याप्त कमियों की जांच करने और इस संबंध में उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से किसी सुधार आयोग/समिति का गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन)** : (क) सरकार ने अपने प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने और इसका पुनर्गठन करने के लिये समय-समय पर अनेक कदम उठाए हैं ताकि प्रशासनिक कार्य-कुशलता को बढ़ाया जा सके। प्रशासन में समुचित सुधार सुझाने के लिये समय-समय पर अनेक विशेषज्ञतापूर्ण संस्थाएं भी गठित की गई हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :-

- सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती, पदोन्नति और स्थानान्तरण के लिये प्रक्रियाओं और पद्धतियों में सुधार लाने संबंधी उपाय,
- कार्यविधियों के सरलीकरण, प्राधिकार सौंपने, जवाबदेही लागू करने और लोक शिकायतों का शीघ्र तथा सहानुभूतिपूर्वक निवारण करने के लिये जवाबदेह प्रशासन संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत उपाय,
- लोक प्रशासन में भ्रष्ट व्यवहार से निपटने की दृष्टि से सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करना और निवारक सतर्कता, निगरानी तथा सुरागरसानी और निवारक दण्डात्मक कार्रवाई वाली एक तीन-मुखी योजना को लागू करना।

(ख) और (ग). इस समय सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**[अनुवाद]**

**परियोजना की स्वीकृति**

1616. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मई, 1996 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रेस", नई दिल्ली में "इनएफिसियेंसी कास्ट्स सेंटर आफ स्वोपिंग रुपीज 17,888 करोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है; और

(घ) अत्यधिक विलम्ब और बढ़ती हुई लागत से बचने हेतु केंद्र की वृहत् परियोजनाओं की स्वीकृति में विलंब न होने देने के लिए क्या सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) जी, हां। समाचारों में उल्लिखित 1788 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय क्षेत्र की मेगा एवं बड़ी परियोजनाओं की अनुमोदित लागत एवं प्रत्याशित लागत (29.2.1996 के दिन की स्थिति के अनुसार) के बीच अन्तर की राशि के बारे में है। इसका समग्र दोष 'अकुशलता' को नहीं दिया जा सकता है।

(ख) परियोजना प्राधिकारियों के नियंत्रण से परे विनिमय भिन्नताओं, मूल्य वृद्धि, ड्यूटी में परिवर्तन तथा वसूलियां आदि जैसे बाह्य कारकों के कारण, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन एवं विलंब के अलावा, लागत वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

(ग) और (घ). सरकार को परियोजनाओं की समय वृद्धि तथा लागत वृद्धि के बारे में अधिक चिंता है। परियोजनाओं के मूल अनुमान तैयार करने तथा कार्यान्वयन को सुप्रवाही बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

**विवरण**

**सरकार द्वारा परियोजना के मूल अनुमान तैयार करने तथा कार्यान्वयन को सुप्रवाही करने के लिए उठाए गए कदम।**

(1) चरण-2 में कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना को अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व चरण-1 में पर्याप्त तैयारी, पर्यावरणीय तथा अन्य निकासियों और आधारी संरचना संबंधी आयोजना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का द्विस्तरीय अनुमोदन।

(2) परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर गहन प्रबोधन। इससे कठिनाइयों का पता लगाने तथा उपचारी अभ्युपाय करने में प्रबंधन की सहायता करने में प्रबोधन अभिकरण समर्थ हो जाएँगे।

(3) परियोजना प्राधिकरणों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहराई से जटिल समीक्षा।

(4) ठेका पैकेजों को तेजी से अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य दलों/उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।

(5) विलंब को न्यूनतम करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों एवं परियोजना प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार, उपकरण संभरणकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबद्ध अभिकरणों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई।

(6) अन्तः-मंत्रालयीय समन्वय तथा अन्तः सम्पर्क।

(7) वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करने पर बल।

(8) सचिवों की समिति द्वारा कठिनाइयों का सामना कर रही विशिष्ट परियोजनाओं की समीक्षा।

**[हिन्दी]**

**मकानों की कमी**

**1617. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कमी के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या देश के पिछड़े एवं गरीब क्षेत्रों में अतिरिक्त आवासीय इकाइयों की आवश्यकता के संबंध में प्रखंडवार आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). आकलनों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 14.5 मिलियन आवासों की कमी है। इन 14.5 मिलियन आवासों में से 10.31 मिलियन आवासों को सुधारने की आवश्यकता होगी तथा 4.19 मिलियन आवासों को बनाए जाने की आवश्यकता होगी। इन आवासों के निर्माण/सुधारने के कार्यक्रम को निम्नलिखित तरीके से चरणबद्ध रूप से किया जाएगा :-

| वर्ष | बनाए | सुधारे |
|---|---|---|
| | जाने वाले आवास | |
| | | (लाख में) |
| 1996-97 | 10.5 | 25.8 |
| 1997-98 | 10.5 | 25.8 |
| 1998-99 | 10.5 | 25.8 |
| 1999-2000 | 10.4 | 25.7 |
| कुल | 41.9 | 103.1 |

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछले बकाया रिक्त पद**

**1618. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ख) क्या उनके लिए आरक्षित रिक्त पड़े पद भरे नहीं गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कब तक इन रिक्त पदों को भरे जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन)** : (क) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग). अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पांचवें विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत, 1.4.1995 तक की स्थिति के अनुसार, भरे जाने के लिए, 17,228 पिछली बकाया रिक्तियों की पहचान की गई 30.6.96 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इस अभियान के दौरान मूल्यांकित रिक्तियों में से, 8879 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती की जा चुकी है।

(घ) और (ङ). भरी न जा सकी आरक्षित रिक्तियों के संबंध में सूचित किया गया है कि उन्हें मुख्यतः अपेक्षित विशिष्ट दक्षता अथवा तकनीकी अर्हता वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण, भरा नहीं जा सका। 1.7.96 तक की पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से वर्ष 1996 में सरकार द्वारा छठा विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है।

## वाच एशिया की रिपोर्ट

**1619. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मानवाधिकार एजेंसी 'वाच एशिया' की रिपोर्ट की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन)** : (क) से (ग). ह्यूमन राईट्सवाच/एशिया की 'इण्डियाः इण्डियाज सीक्रेट आर्मी इन कश्मीरः न्यू पैटर्नस आफ एब्यूज एमर्ज्ड इन द कर्नाफ्लक्ट" शीर्षक से 19.05.96 को जारी की गई नवीनतम रिपोर्ट पूर्णतया आधारहीन आरोपों और टिप्पणियों से भरी हुई है। इस रिपोर्ट में उन लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया गया है जिन्होंने हिंसा और आतंकवाद का मार्ग त्याग दिया है और अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों की ओर वापस लौटे हैं। यह रिपोर्ट आतंकवादियों और सीमा पर उनके आकाओं के उद्देश्य का समर्थन करती है। सामान्य आरोपों की इस रिपोर्ट में सुरक्षा बलों द्वारा हिंसा के कुछ विशिष्ट आरोपों का वर्णन भी किया गया है। इस कुप्रचार का मुकाबला करने के लिए रिपोर्ट में उल्लिखित अलग-अलग मामलों के संबंध में तथ्यों सहित इसमें लगाए गए विभिन्न आरोपों का खण्डन करते हुए विस्तृत जवाब 10.06.96 को विदेश स्थित हमारे मिशनों को भेज दिया गया है।

## तेल शोधक कारखाने

**1620. श्री ई. अहमद : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कितनी तेल शोधक कारखाने कार्यरत हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) सभी तेल शोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता अलग-अलग कितनी-कितनी है;

(ग) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन की देश में विशेषतः केरल में और अधिक कार्यालय खोलने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) और (ख). ब्यौरा निम्नवत् है :

| | कंपनी का नाम | रिफाइनरी का स्थान | क्षमता (मि.मी.टन प्र. वर्ष) |
|---|---|---|---|
| 1. | इंडियन आयल का. लि. (आई ओ सी) | 1. गुवाहाटी | 1.0 |
| | | 2. बरौनी | 3.3 |
| | | 3. कोयाली | 9.5 |
| | | 4. हल्दिया | 2.75 |
| | | 5. मथुरा | 7.5 |
| | | 6. डिग्बोई | 0.5 |
| 2. | हिन्दुस्तान पट्रोलियम का.लि. (एच पी सी एल) | 1. बम्बई | 5.5 |
| | | 2. विशाख | 4.5 |
| 3. | भारत पट्रोलियम का. लि. (बी.पी.सी.एल.) | 1. बम्बई | 6.0 |
| 4. | मद्रास रिफाइनरीज लि. (एम आर एल) | मद्रास | 6.5 |
| 5. | कोचीन रिफाइनरीज लि. (सी आर एल) | कोचीन | 7.5 |
| 6. | बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. (बी आर पी एल) | बोंगाईगांव | 2.35 |
| 7. | एम आर एल की क्रूड आसवन इकाई | नारीमनम | 0.50 |
| 8. | मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. | मंगलौर | 3.0 |

(ग) और (घ). आई ओ सी की देश में, खासकर केरल में किसी नए कार्यालय को खोलन की कोई योजना नहीं है।

### आयल पूल एकाउन्ट

**1621. डा. एम.पी. जायसवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बजट में कम वित्तीय घाटा दिखाने के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान "आयल पूल एकाउन्ट" में 4000 करोड़ रुपया निकाला गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'आयल पूल एकाउन्ट' से निकाली गयी धनराशि पुनः जमा कर दी गयी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) :** (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

**[हिन्दी]**

### संसद सदस्यों के पत्रों पर कार्यवाही

**1622. श्री राम टहल चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों के पत्रों पर कार्यवाही से संबंधित अनुदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सचिवालय नियमों के अन्तर्गत कार्यालय अनुदेश के पैरा 57 और 60 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों में क्या सजा विनिर्दिष्ट की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) :** (क) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका के पैरा 57 और 60 में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करें। इस पद्धति का उल्लघन करने पर अनुशासनिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ख) से (घ). जी, हां। सरकार ने संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर तत्काल देने के संबंध में अनुदेश जारी किये हैं और मंत्रालयों/विभागों से यह ध्यान रखने के लिये कहा है कि इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। उनसे एक निगरानी प्रणाली भी तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसद सदस्यों को कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका के पैरा 122 में की गई व्यवस्था के अनुसार तत्काल उत्तर भेजे जा रहे हैं।

### मिट्टी के तेल का वितरण

**1623. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को मिट्टी के तेल की वितरण प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जायेंगे ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) :** (क) से (ग). सरकार मिट्टी तेल की वितरण प्रणाली की आवधिक तौर पर पुनरीक्षा करती है। विभिन्न राज्यों के लिए मिट्टी के तेल के आवंटन में वृद्धि की अनुमति देने के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से विपणन बिन्दुओं की पहचान करने तथा मिट्टी तेल की कालाबाजारी रोकने के संबंध में खामियों को दूर करने हेतु खुदरा वितरण प्रणाली को तर्क संगत बनाने के लिए भी अनुरोध किया है ताकि यह लक्ष्यीकृत वर्गों को समय से तथा अपेक्षित मात्रा में और निर्धारित मूल्यों पर मिल सके।

(घ) मिट्टी तेल की कालाबाजारी रोकने के लिए मिट्टी तेल की फरफ्यूरल डोपिंग, इसकी नीली रंगाई, चल प्रयोगशालाओं द्वारा नमूना परीक्षण तथा तेल कंपनियों के क्षेत्राधिकारियों एवं राज्य प्राधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण जैसे कदम उठाए जाते हैं।

### रसोई गैस एजेंसियां

**1624. श्री पीताम्बर पासवान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रसोई गैस की कितनी एजेंसियां हैं और राज्य में रसोई गैस संबंधी लंबित मामलों को निपटाने हेतु कितनी एजेंसियां खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) राज्य में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां नई रसोई गैस एजेंसियां खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) कब तक लंबित एजेंसियों को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) :** (क) से (ग). 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार बिहार में 195 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें काम कर रही थीं। बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए 95 अतिरिक्त एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को बिहार की 1994-96 की एल पी जी विपणन योजना में शामिल कर लिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन तेल चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। विज्ञापन की तारीख से डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू होने में आमतौर पर 1-2 वर्ष लगते हैं।

### उत्तर प्रदेश में सड़कें

1625. **श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :**

**श्री राम सागर :**

**श्री सुशील चन्द्र :**

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में सड़कों का निर्माण करने और उन्हें पक्का करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यहि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान देश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या परिवहन की उपलब्धता विकास की दिशा में पहला कदम है; और

(ज) क्या इससे ग्रामीण रोजगार भी प्रभावित होगा और श्रमिकों का उत्प्रवास भी रुकेगा ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) :** (क) से (ग). मंत्रालय का उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में सड़कों का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का कोई विचार नहीं है।

(घ) से (च). आठवीं योजना (1992-97) में 1000 और उससे ऊपर की जनसंख्या (1981) की जनगणना के आधार पर के सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का विचार है।

(छ) से (ज). ग्रामीण सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की जोड़ने, सामाजार्थिक विकास की गति बढ़ाने और समेकित ग्रामीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

**[अनुवाद]**

### कोर्जेंट्रिक्स विद्युत परियोजना

1626. **श्री आर. साम्बासिवा राव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोर्जेंट्रिक्स विद्युत परियोजना का ब्यौरा और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या इसका इस क्षेत्र के किसानों और मछुआरों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) उसकी अनुमानित लागत कितनी है और उससे क्या लाभ होंगे ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में नंदीकुर स्थित 1000 मेगावाट (4×250 मेगावाट) क्षमता वाला कोयला आधारित मंगलौर ताप विद्युत केन्द्र, मंगलौर पावर कंपनी (मै. कोर्जेंट्रिक्स) इनर्जी इन्क, यू.एस.ए. तथा मै0 चाइना लाइट एंड पावर कंपनी हांगकांग़ द्वारा समर्थित) द्वारा स्थापित किया जा रहा है। के.वि.प्रा. द्वारा इस परियोजना को कुछ शर्तों के अधीन 751.574 मिलियन अमरीकी डालर + 1500 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित कार्यपूर्ति लागत के लिए तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस परियोजना को वित्तीय समापन की तिथि से 42 महीनों की अवधि के भीतर पूरा कर लिए जाने की प्रत्याशी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जैसा कि उपरोक्त (क) में उत्तर दिया गया है।

### एनरॉन परियोजना

1627. **श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एनरॉन परियोजना को काउंटर-गारंटी प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) जी, हां।

(ख) डाभोल विद्युत परियोजना के चरण-I के लिए विद्युत क्रय करार के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की डाभोल विद्युत कंपनी (डीपीसी) को दी जाने वाली निर्दिष्ट भुगतान देयताओं हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार की गारंटी के लिए भारत सरकार (जीओआई) की प्रति गारंटी की शर्तों एवं निबंधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये भी शामिल है :-

- भारत सरकार की देयता वित्तीय आभारी की होगी;
- यह गारंटी कुछ निर्धारित घटनाओं के घटने पर तत्काल समाप्त हो जाएगी;
- यह गारंटी किसी एक वित्तीय वर्ष के संबंध में 1500 करोड़ रुपये के अधिक की नहीं होगी, जो मुद्रास्फीति, करों में परिवर्तन तथा रुपये के अवमूल्यन के कारण उपयुक्त समायोजनों के तहत होगी।

- समापन भुगतान, प्रत्येक समय पर केवल बकाया विदेशी ऋण तक सीमित होगा जिसे भी 300 मिलियन अमरीकी डॉलर तक सीमित किया गया है।
- विवादों के निपटान में समझौते की प्रक्रियाओं को प्रथय उपाय के रूप में अपनाया गया है।
- किसी भी ऐसे विवाद को, जिसका समाधान सुलह से न किया जा सकता हो, मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाएगा। मध्यस्था अनसिट्रल मध्यस्थता नियमों के प्रावधानों के अनुरूप होगी।

**[हिन्दी]**

### रसोई गैस

1628. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की विभिन्न कम्पनियों में रसोई गैस की प्रतीक्षा सूची में बिहार से कुल कितने आवेदनकर्ता पंजीकृत हैं; और

(ख) इन आवेदनकर्ताओं को रसोई गैस के कनेक्शन कब तक प्रदान किए जाएंगे?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू)** : (क) और (ख). 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास 3.72 लाख आवेदक प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

अधिक से अधिक आवेदकों को यथाशीघ्र एल पी जी कनेक्शन जारी करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। विद्यमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता में वृद्धि करके, नए संयंत्रों की स्थापना करके और ज्यादा आयात के माध्यम से आपूर्ति में वृद्धि करके एल पी जी की उपलब्धता बढ़ाने की योजनाएं बनाई गई हैं। एल पी जी के लिए नई आयात सुविधाएं कांडला और मंगलौर में निर्माणाधीन हैं, जिनके अक्तूबर, 1996 में चालू होने का अनुमान है। इससे बढ़ाए गए आयात के माध्यम से एल पी जी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। सरकारी तेल कंपनियां बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए नए भरण संयंत्र तथा और अधिक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोल रही हैं। ऐसा अनुमान है कि सारी प्रतीक्षा सूची वर्ष 2001 तक निपटा दी जाएंगी।

**[अनुवाद]**

### तेल शोधनशालाएं

1629. **श्री रमेन्द्र कुमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी तेल शोधनशालाओं की क्षमता में वृद्धि की गई है; और

(ख) बिहार स्थित बरौनी तेल शोधनशाला की क्षमता कितनी है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रिफाइनरियों की शोधन क्षमता के वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| रिफाइनरी | क्षमता वृद्धि | वर्ष |
|---|---|---|
| आई ओ सी, गुवाहाटी | 0.15 एम एम टी | 1993-94 |
| सी आर एल, कोचीन | 3.00 एम एम टी | 1994-95 |
| बी आर पी एल, बोंगाईगांव | 1.00 एम एम टी | 1995-96 |

(ख) बरौनी रिफाइनरी की स्थापित क्षमता 3.3 एम एम टी पी ए है।

**[हिन्दी]**

### रसोई गैस एजेंसी

1630. **डॉ. बलिराम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां सरकार का विचार पेट्रोल/डीजल पम्प और रसोई गैस एजेंसी खोलने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार आजमगढ़ के लालगंज, धाकया और मुबारकपुर बाजार में रसोई गैस एजेंसी खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक ये एजेंसियां खोलने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) से (घ). खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को ऐसे स्थानों पर खोला जाता है, जो तेल उद्योग के आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी मानकों को पूरा करते हैं। तदनुसार 172 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 156 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को उत्तर प्रदेश की क्रमशः 1993-96 की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना और 1994-96 की एल पी जी विपणन योजना में शामिल कर लिया गया है।

लालगंज, धाकया और मुबारकपुर बाजार में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना करने का वर्तमान समय में कोई प्रस्ताव नहीं है।

### सुपर ताप विद्युत केन्द्र

1631. **श्री महावीर लाल विश्वकर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में छपरा जिला में टंडवा में सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

### पेयजल

1632. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में विशेषकर गुजरात के खारापानी वाले क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार ने शुद्ध और पेय जल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान देकर कोई अल्पावधि अथवा दीर्घावधि योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पेयजल, कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा)** : (क) से (ग). खारेपन पर नियंत्रण पाने हेतु जल गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उप मिशन के अन्तर्गत खारे पानी से प्रभावित क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं।

परियाजनाओं की अनुमोदित लागत का 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है तथा बकाया 25 प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों में उप मिशन के अन्तर्गत शुरू की गई योजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा वहन की जानी होती है। ग्रामीण वस्तियों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता की स्थिति संबंधी सर्वेक्षण के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में खारेपन से प्रभावित 56,739 बस्तियां थीं। सबंधित राज्यों को नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं बनाने की सलाह दी गई है।

**[अनुवाद]**

### विदेशी बैंक

1633. **श्री सुरेश कलमाड़ी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने चार विदेशी बैंकों से 1.82 मिलियन डालर के ऋण की व्यवस्था करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इन विदेशी बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस उद्देश्य हेतु ऋण का उपयोग किये जाने की संभावना है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) और (ख). ओ एन जी सी ने 20 बिलियन जापानी येन के ऋण की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित चार बैंकों के संघ को आदेश दे दिया है :-

(1) श्री ए एशिया लिमिटेड, हांगकांग।

(2) आई बी जे एशिया लिमिटेड, हांगकांग।

(3) सोसाइटी जेनरल एशिया लिमिटेड, हांगकांग; तथा

(4) यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैंड, हांगकांग।

(ग) उक्त ऋण की व्यवस्था निम्नलिखित पूर्व ऋणों को पुनः वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है -

(1) अगस्त 1989 में आहरित 10 बिलियन जापानी येन का सिण्डीकेट ऋण।

(2) नवम्बर, 1993 में आहरित 15912.126 मिलियन जापानी येन का सप्लायर क्रेडिट (मौजूदा बकाया राशि 11934.09 मिलियन है)।

ओ एन जी सी ने ब्याज व गारंटी प्रभारों को बचाने के उद्देश्य से अपने पूर्व ऋणों को गारंटी रहित नए ऋणों के माध्यम से लौटाने का प्रस्ताव किया है।

### गुजरात को विद्युत की आपूर्ति

1634. **श्री सनत मेहता** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि तारापुर तथा काकरापाड़ा परमाणु विद्युत केन्द्रों में प्रति इकाई विद्युत की लागत क्या है तथा किस लागत पर गुजरात को इसकी आपूर्ति की जाती है ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : जून, 1996 की स्थिति अनुसार तारापुर परमाणु बिजलीघर में बिजली की यूनिट ऊर्जा लागत 63.31 पैसे/किलोवाट घंटा और ककरापार परमाणु बिजली घर में 217.54 पैसे/किलोवाट घंटा है। इन बिजलीघरों से विद्युत की आपूर्ति के लिए गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड से भी यही दरें ली जाती हैं।

**[हिन्दी]**

### आग लगने की घटना

1635. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अनेक पेट्रोल/तेल डिपो में पिछले तीन वर्षों के दौरान आग लगने की अनेक घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कुल कितनी वित्तीय हानि हुई और ऐसी घटनाओं जिससे जान और माल की हानि होती है की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इन घटनाओं की जांच के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(ङ) यहि हां, तो समिति द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) से (ङ). पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में तेल प्रतिष्ठानों में दो अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं। शकूरबस्ती में आई ओ सी की रेलवे साइडिंग के स्विच कक्ष में इलैक्ट्रिक पेनल में 23.12.1995 को प्रातः 10 बजे थोड़ी आग लगी थी। इस आग को आई ओ सी के कर्मचारियों ने तत्काल बुझा दिया। कोई माल हानि नहीं हुई। इस दुर्घटना की जांच करने वाले मुख्य टर्मिनल प्रबंधक का निष्कर्ष था कि आग शार्ट सर्किट के कारण लगी थी।

दूसरी बार आग दुर्घटना टीकरी कलां में आई ओ सी के एल पी जी भरण संयंत्र में टैंक वैगन गैन्ट्रि में 30.5.1996 को प्रातः 7.27 बजे के लगभग हुई। कार्य पर उपस्थित आई ओ सी कर्मचारियों ने चार मिनट में आग पर काबू पा लिया। कोई जान हानि नहीं हुई। एक कर्मचारी 30 प्रतिशत जल गया तथा चार अन्य व्यक्तियों को छोटे-मोटे घाव हो गए। माल हानि 8000 रुपये की हुई।

**[अनुवाद]**

## पेट्रोलियम उत्पादों की तस्करी

**1636. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के माहे से पेट्रोलियम उत्पादों की तस्करी के मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में लाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) जी, नहीं। पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के माहे से पेट्रोलियम उत्पादों की तस्करी के किसी मामले की रिपोर्ट सरकार को नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

## रसोई गैस कनेक्शन

**1637. श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली (उत्तर प्रदेश) में रसोई गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं और इस सूची को कब तक निपटा दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस समय प्रतीक्षा सूची में किस वर्ष के पंजीकृत व्यक्तियों को गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) और (ख). 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार बरेली (उ.प्र.) के 39602 आवेदक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां एल पी जी गैस कनेक्शन के लिए सूचीबद्ध थे।

अधिक से अधिक आवेदकों को यथाशीघ्र एल पी जी कनेक्शन जारी करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। विद्यमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता में वृद्धि करके, नये संयंत्रों की स्थापना करके एल पी जी की उपलब्धता बढ़ाने की योजनाएं बनाई गई हैं। एल पी जी के लिए नई आयात सुविधाएं कांडला और मंगलौर में निर्माणाधीन हैं, जिनके अक्तूबर, 1996 में चालू होने का अनुमान है। इससे बढ़ाए गए आयात के माध्यम से एल पी जी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। सरकारी तेल कंपनियां बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए नए भरण संयंत्र तथा और अधिक एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोल रही हैं। ऐसा अनुमान है कि सारी प्रतीक्षा सूची वर्ष 2001 तक निपटा दी जाएगी।

**[अनुवाद]**

## परियोजनाओं का क्रियान्वयन

**1638. डा. कृपासिंधु भोई :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब के कारण देश में काफी धीमी प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में होने वाले विलंब को कम करने के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाने की आवश्यकता समझती है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होना एक ऐसा कारण है जो देश के आर्थिक विकास की प्रगति की गति को प्रभावित कर रहा है।

(ख) सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब को कम करने की प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने के लिए कतिपय कदम उठाए हैं।

(ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

**सरकार द्वारा परियोजनाओं के मूल अनुमान तैयार करने तथा कार्यान्वयन को सुप्रावाही करने के लिए उठाए गए कदम।**

(1) चरण-2 में कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना को अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व चरण-1 में पर्याप्त तैयारी, पर्यावरणीय तथा अन्य निकासियों और आधारी संरचना संबंधी आयोजना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का द्विस्तरीय अनुमोदन।

(2) परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर गहन प्रबोधन। इससे कठिनाइयों का पता लगाने तथा उपचारी अभ्युपाय करने में प्रबंधन की सहायता करने में प्रबोधन अभिकरण समर्थ हो जाएंगे।

(3) परियोजना प्राधिकरणों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहराई से जटिल समीक्षा।

(4) ठेका पैकेजों को तेजी से अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य दलों/उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।

(5) विलंब को न्यूनतम करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों एवं परियोजना प्राधिकरों द्वारा राज्य सरकार, उपकरण संभरणकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबद्ध अभिकरणों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई।

(6) अन्तः मंत्रालयीय समन्वय तथा अन्तः सम्पर्क।

(7) वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करने पर बल।

(8) सचिवों की समिति द्वारा कठिनाइयों का सामना कर रही विशिष्ट परियोजनाओ की समीक्षा।

**सौर ऊर्जा कार्यक्रम**

1639. **श्री सौम्य रंजन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सौर ऊर्जा कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर वाणिज्यकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) और (ख). राजस्थान में बड़े पैमाने को एकीकृत सोलर कम्बाइंड चक्रण (आई एस सी सी) विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें 35 मेवा. का एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र शामिल होगा। विश्व पर्यावरणीय सुविधा (जी ई एफ) द्वारा सौर विद्युत संघटक की संवर्द्धित लागत के लिए 45 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुदान सहायता उपलब्ध कराने पर 'सिद्धांत रूप' में अनुमोदन दे दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावों के लिए जारी किए गए एक अनुरोध के प्रत्युत्तर में राज्य सरकार द्वारा 'स्वयं बनाओ, चलाओ और देखभाल करो' के आधार पर 300 मेवा. समग्र क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए तीन कम्पनियों को आशय पत्र जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी निजी विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं बनाओ, चलाओ और देखभाल करो के आधार पर 5-50 मेवा. सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश में अंशतः ग्रिड से सम्बद्ध प्रत्येक 100 कि.वा. क्षमता के दो सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों (एस पी वी) को पहले ही स्थापित कर लिया गया है।

**मानसून का रुझान**

1640. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1996 के 'द इकोनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित 'मानसून प्लेज हाइड एंड सिक' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार मौसमविज्ञों द्वारा मानसून संबंधी क्या भविष्यवाणी की गयी है ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) :** (क) जी, हां।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1996 के दौरान देश में सामान्य मानसून का पूर्वानुमान लगाया है। इसमें सामान्य को समूचे देश में जून से सितम्बर की अवधि के दौरान हुई वर्षा के + 10 प्रतिशत के दीर्घावधि औसत मूल्य के तौर पर परिभाषित किया गया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के दीर्घावधि पर्वानुमान के अनुसार मौजूदा बारिश का रुझान सामान्य मानसून की ओर है।

## तेल क्षेत्रों का निजीकरण

1641. **श्री एस.डी.एन.आर. व्राडियार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ तेल और गैस क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ गैस और तेल क्षेत्रों के दोहन का निजीकरण करने का है,

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेल/गैस क्षेत्रों के निजीकरण के बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) :** (क) और (ख). भारत सरकार ने अब तक निजी भागीदारी के साथ निम्नलिखित खंडों/क्षेत्रों को उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत अन्वेषण/विकास हेतु ठेके दिए जाने को अनुमोदित कर दिया है।

**अन्वेषण खंड**

| | |
|---|---|
| 1. जी एन-ओ एन-90/3 | प्राणहीता गोदावरी तटीय बेसिन |
| 2. के जी-ओ एस-90/1 | कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन |
| 3. जी के-ओ एन-90/2 | गुजरात कच्छ तटीय बेसिन |
| 4. आर जे-ओ एन-90/1 | राजस्थान तटीय बेसिन |
| 5. सी वाई-ओ एस-90/1 | कावेरी अपतटीय बेसिन |
| 6. आर जे-ओ एन-90/4 | राजस्थान तटीय बेसिन |
| 7. आर जे-ओर एन-90/5 | राजस्थान तटीय बेसिन |
| 8. बी बी-ओ एस/5 | बम्बई अपतटीय बेसिन |
| 9. सी वाई-ओ एस/2 | कावेरी अपतटीय बेसिन |
| 10. के जी-ओ एस/6 | कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन |
| 11. जी के-ओ एस/5 | गुजरात कच्छ अपतटीय बेसिन |
| 12. सी बी-ओ एस/1 | कैम्बे अपतटीय |
| 13. सी बी-ओ एन/7 | कैम्बे तटीय |
| 14. सी बी-ओ एन/2 | कैम्बे तटीय |
| 15. आर जे-ओ एन/6 | राजस्थान तटीय |
| 16. सी बी-ओ एस/2 | कैम्बे अपतटीय |

**खोजे गए तेल व गैस क्षेत्र**

| | |
|---|---|
| हजीरा | गुजरात |
| कैम्बे | -वही- |
| भांदुत | -वही- |
| मतार | -वही- |
| साबरमती | -वही- |
| इदरोरा | -वही- |
| बकरोल | -वही- |
| लोहार | -वही- |
| ढोलका | -वही- |
| वावेल | -वही- |
| बाओला | -वही- |
| असजोल | -वही- |
| पी वाई-1 | कावेरी अपतटीय |
| मिड एंड | बम्बई |
| साऊथ ताप्ती | |
| पन्ना | -वही- |
| मुक्ता | -वही- |
| राव्वा | कृष्णा गोदावरी |
| खारसांग | अरूणाचल प्रदेश |
| रत्ना एंड आर - | बम्बई |
| सीरिज | अपतटीय |

(ग) व (घ). सातवीं, आठवीं तथा संयुक्त उद्यम बोली के तहत 36 अन्वेषण खंडों तथा साथ ही खोजे गए 16 छोटे आकार व 6 मध्यम आकार के क्षेत्रों के लिए भी बोली- प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं।

(ङ) निजी भागीदारी के लिए इन खंडों/क्षेत्रों को प्रस्तुत करने के कारणों में निम्नलिखित शामिल है:

1) ओ एन जी सी/ओ आई एल के तेल अन्वेषण कार्यों को पूरा करना।

2) कुछ तेल क्षेत्रों का सीमांत अर्थ तंत्र।

3) प्रस्तावित छोटे क्षेत्रों के कम जमा भंडार।

4) अन्वेषण व विकास में कुल निवेश को बढ़ाना।

5) इन क्षेत्रों से शीघ्र उत्पादन प्राप्ति द्वारा तेल/गैस उत्पादन बढ़ाने में सहयता करना।

6) बढ़ी हुई तेल प्रापण प्रक्रिया के अनुप्रयोग हेतु।

7) नवीनतम प्रबंधकीय व प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाएं शुरू करना।

## कापार्ट

1642. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अधिकरियों से सीधे सम्पर्क रखने वाले संगठनों को 'कापार्ट' से निधि स्वीकृत की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) :** (क) और (ख). कापार्ट उन स्वैच्छिक एजेन्सियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसने संबंधित राज्य अधिनियम अथवा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन सोसायटी के रूप में या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 अथवा धर्मार्थ एवं धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1920 के अधीन ट्रस्ट के रूप में अपना पंजीकरण कराने के बाद ग्रामीण विकास परियोजनाओं को चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया हो। वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों पर विचार करते वक्त, परियोजना प्रस्ताव की तकनीकी ग्राह्यता एवं आर्थिक व्यवहार्यता के साथ-साथ स्वैच्छिक संगठन की प्रशासनिक क्षमता पर भी ध्यान दिया जाता है। कापार्ट के अन्तर्गत निधियन पूर्व मूल्यांकन, मानीटरों सावधिक रिटर्नों इत्यादि की मार्फत परियोजनाओं की सूक्ष्म निगरानी करने की भी व्यवस्था है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अनुदानित निधियों का सही प्रयोग किया गया है।

कापार्ट से रिपोर्ट मिली है कि उसके द्वारा सहायता प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक एजेन्सियों के संबंध में उसके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों को सीधे तौर पर सम्बद्ध किया जा सके।

## पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1643. **डॉ. प्रवीन चंद्र शर्मा :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में और विशेष रूप से असम में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इस क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं;

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में उक्त क्षेत्र में उन उद्योगों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) :** (क) से (ङ). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं इसलिए देश में स्थित सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों जिनमें असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योग शामिल हैं, के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण, अनाज प्रसंस्करण, मांस तथा पाल्ट्री प्रसंस्करण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन उद्योगों के समक्ष पेश आने वाली कठिनाइयों में अन्यों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे संबंधी कठिनाइयां, क्षेत्र में उद्यमशीलता की कमी, ढुलाई की अधिक लागत, मूल्यवर्धित प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए पर्याप्त बाजार की कमी, लंबे समय तक उचित कीमत पर प्रसंस्करण योग्य कच्चे माल की कमी शामिल हैं।

मंत्रालय स्वयं किसी उद्योग की स्थापना नहीं करता। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योग शामिल हैं की स्थापना/अपग्रेडिंग/विस्तार के मद्देनजर सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग घोषित करना, अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसंवन और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकांश सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना, वित्तीय राहतें उपलब्ध कराना, घरेलू, विदेशी और अनिवासी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। मंत्रालय अनेक स्कीमें भी चला रहा है जिनमें खाद्य प्रसंस्करण आदि सुविधाओं की स्थापना अथवा विस्तार, किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज का विकास, विपणन समर्थन, सुअर मांस, पॉल्ट्री प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, कोल्ड चेन की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण पैकेजिंग में अनुसंधान और विकास तथा कतिपय क्षेत्रों में जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार के संगठनों, सहकारी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को सहायता दी जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना/अपग्रेडिंग के लिए हमारी योजना स्कीमों के तहत अधिक सहायता का प्रावधान रखा गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र की यूनिटों में मांस तथा पॉल्ट्री यूनिटों की स्थापना और सहकारी क्षेत्र में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों तथा सार्वजनिक और स्वैच्छिक क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए भी सहायता दी गई है।

## हैदराबाद फ्यूअल कम्प्लेक्स

1644. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित न्यूक्लियर फ्यूअल काम्प्लेक्स परिसर में विस्तार कार्य चल रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा 1995 में गठित समिति ने इसका कड़ा विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समिति के विचारों को अनदेखा करने के क्या कारण हैं ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

### राजस्थान को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

1645. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान को प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने तक 289 के.एल./हाई स्पीड डीजल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) और (ख). राजस्थान में वर्तमान समय में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति चंबल उर्वरकों, गडेपन, एन टी पी सी, अंता, समकोर ग्लास और राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड, रामगढ़ में की जा रही है।

(ग) से (ङ). आर एस ई बी, रामगढ़ को प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति तक, परियोजना को आरंभ होने के लिए 500 कि.ली. एच एस डी और फरवरी से जून, 1996 तक 8000 कि.ली. एच एस डी का प्रति माह आवंटन किया गया।

### लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

1646. **डॉ. अरूण कुमार शर्मा :**
**श्री चित्त बसु :**
**श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रखंडों में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.), स्थापित करने का है जहां ये नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने विकास खण्ड स्तर पर मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकारें ऐसे विकास खण्डों में चरणबद्ध रूप से लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के लिए कदम उठा सकती है जहां सरकार/गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाया जा रहा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं हैं और न राज्य सरकार/भारत सरकार/गैर-सरकारी संगठनों की किसी एजेन्सी द्वारा ऐसे संस्थान खोलने की योजना है। 3-4 संलग्न विकास खण्डों के समूहों के लिए प्रत्येक मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इलाके से संबद्ध 3-4 चुने हुए व्यवसायों/उद्यमों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण का स्तर बनाये रखने के लिए राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशालय के सम्पूर्ण मार्गदर्शन में मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रबंध तथा संचालन जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियां द्वारा किया जायेगा।

ट्राइसेम प्रशिक्षणार्थियों को मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया जायेगा। तथापि, यदि पर्याप्त ट्राइसेम प्रशिक्षणार्थी उपलब्ध न हों, तो जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के अनुमोदान से दूसरों को भी प्रवेश दिया जा सकता है।

मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए गैर-आवर्ती खर्च ट्राइसेम के मूलभूत ढांचे के अन्तर्गत प्रावधानों से किया जायेगा, जिसमें केन्द्र तथा राज्य का अंश 50:50 के अनुपात में होगा आवर्ती खर्चे राज्य सरकारें वहन करेंगी।

भारत सरकार ने 8 राज्यों में 242 मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने की मंजूरी दी है तथा 1995-96 के दौरान गैर-आवर्ती खर्च के लिए केन्द्र के अंश के रूप में 1961.06 लाख रुपये रिलीज किए।

**[हिन्दी]**

### पेयजल के लिए विश्व बैंक की सहायता

1647. **श्री साहेबराव सुकराम बागूल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से किन-किन राज्यों में पेयजल की समस्या का समाधान किया जायेगा ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू)** : (क) विश्व बैंक ने देश के कुछ भागों में जल आपूर्ति में सुधार/वृद्धि हेतु वित्तीय सहायता मुहैया करायी है।

(ख) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से जल आपूर्ति समस्या का जिन राज्यों में सुधार होगा उनके नाम इस प्रकार हैं :-

**शहरी जल आपूर्ति**

(1) आंध्र प्रदेश (हैदराबाद और सिकंदराबाद)

(2) तमिलनाडु (मद्रास)

**ग्रामीण जल आपूर्ति**

(1) महाराष्ट्र (सतारा, पुणे, अहमद नगर, सांगली, थाणे, औरंगाबाद, बीड, लातूर, बुलधान और चंद्रपुर जिलों के लिए)

(2) कर्नाटक (बंगलौर, मध्य मैसूर, शिमोगा, दक्षिण बेलारी, गुलबर्गा, रायचूर, विदार, बेलगांव, तुमकुर और हसन)।

(3) उत्तर प्रदेश (टेहरी, देवरिया, झांसी, बिजनौर, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टेहरी, ललितपुर, जालौन, अल्मोड़ा, हमीरपुर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र और इलाहबाद)।

(4) पंजाब (भटिंडा, मनसा, फरीदकोट, रोपर, होशियारपुर और गुरदासपुर)।

(5) तमिलनाडु (चेंगाइ, नॉर्थ आरकोट-अम्बेडकर, साऊथ ऑरकोट-वल्लार, विल्लुपुरम, त्रिची, नंजावूर, कंद ए मिलाद, मदुरै, दिण्डीगुल, पसम्पोरी, तिरूनेवली, चिदाम्बरम्, कन्याकुमारी, सलेम, कोयम्बटूर और पेरियार।

**विवरण**

**विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से निष्पादित जल आपूर्ति और सीवरेज/स्वच्छता परियोजनाओं की सूची।**

| क्र.सं. | परियोजना क्षेत्र | लागत (करोड़ रु. में) | विश्व बैंक सहायता (मिलियन अमरीकी डालर) | निष्पादन वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बम्बई जल आपूर्ति एवं सीवरेज चरण-1 (बम्बई) | 185.00 | 55.0 | 1979 |
| 2. | महाराष्ट्र जल आपूर्ति एवं सीवरेज (6 कस्बे व 22 गांव) | 86.00 | 48.0 | 1988 |
| 3. | पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज (जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, मोंगा, पटियाला, भटिंडा, राजपुरा एवं पठानकोट) | 67.00 | 38.0 | 1988 |
| 4. | उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहबाद एवं लखनऊ) | 60.00 | 40.0 | |
| 5. | द्वितीय बम्बई जलापूर्ति एवं सीवरेज (बम्बई) | 640.00 | 196.0 | 1988 |
| 6. | राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज (जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर) | 137.76 | 80.0 | 1988 |
| 7. | गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज (आनन्द, गोधरा, नादियाद, भावनगर व जामनगर) | 207.33 | 72.0 | 1991 |
| 8. | तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं सीवरेज (कोयम्बटूर, मदुरै, सलेम, कांचीपुरम, संकरनकोइल, पोलाची, पुड्डूकोट्टाई, मनप्परिया, तिरूवन्नामलाई, 44 छोटे कस्बे और 476 ग्रामीण बस्तियां) | 321.86 | 73.0 | 1994 |
| 9. | केरल जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (किलोन व 7 ग्रामीण विकास क्षेत्र) | 127.88 | 30.11 | 1994 |
| 10. | मद्रास जल आपूर्ति व स्वच्छता (मद्रास) | 205.00 | 69.0 | 1996 |
| 11. | तीसरी बम्बई जल आपूर्ति एवं सीवरेज (बम्बई) | 800.00 | 145.0 | 1996 |
| 12. | गुजरात शहरी विकास (जलापूर्ति) (अहमदाबाद, सूरत, बडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, आनन्द, और कुछ ग्रामीण क्षेत्र) | 208.00 (98.50) | 62.0 | 1995 |
| 13. | उत्तर प्रदेश शहरी विकास (जल आपूर्ति) (वारणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर, गाजियाबाद, देहरादून, नैनीताल, झांसी और मेरठ) | 463.86 (195.66) | 150.0 | 1996 |

[अनुवाद]

## जामिया मस्जिद, श्रीनगर

1648. **श्री गुलाम रसूल कार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐतिहासिक मस्जिद (जामिया मस्जिद, श्रीनगर) को हाल में जलाने का प्रयास किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मामला पुलिस में दर्ज किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या था और अपराधी व्यक्ति कौन थे ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) :** (क) से (घ). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 30.6.1996 को तड़के श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद के पूर्वी दरवाजे पर आग दिखाई पड़ी। सड़क की ओर से सुरक्षा गार्ड और कुछ नमाजियों ने यह आग देखी और शोर मचाया तथा आग को बुझा दिया। फिर भी, मजिस्द के पूर्वी दरवाजे को आंशिक रूप से क्षति पहुंची। इस घटना के बारे में एक मामला दर्ज किया गया है और जांच की गई। फिर भी, 1 जुलाई, 1996 को 2130 बजे, अ. हमीद अहंगर नामक व्यक्ति निवासी रोशनपुरा मोहल्ला, श्रीनगर को उस समय रंगे हाथ पकड़ लिया गया जब वह जामिया मस्जिद के उत्तरी दरवाजे को आग लगाने की कोशिश कर रहा था। उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वह आदमी पागल बताया जाता है। दरवाजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

## स्कूलों में खराब परिणाम

1649. **श्री चमन लाल गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर के कई सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों ने गत वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में भी स्कूल शिक्षा के राज्य बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की प्रतिशत कम है; और

(ख) क्या खराब परिणाम के कारण का पता लगाने के लिए कोई जांच करवाई गई है तथा ऐसी जांच के क्या परिणाम रहे हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकारी स्कूलों के कार्यकरण और कार्य निष्पादन की सरकार नियमित रूप से पुनरीक्षा करती है। इन स्कूलों की तुलना निजी क्षेत्र के स्कूलों से करना, उनके कार्यनिष्पादन का सही सूचक नहीं होगा क्योंकि निजी क्षेत्र के स्कूलों (जो अधिकतर शहरी क्षेत्रों में हैं) के छात्र आमतौर पर शिक्षित वर्गों से संबंधित होते हैं और ये बहुत हद तक प्राइवेट ट्यूशन पर भी निर्भर करते हैं। तथापि अध्यापकों के लिए नियमित आधार पर पुनश्चर्या/अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम शुरू करने और अध्यापकों के पदों को भरने जैसे कदम उठाए गए हैं। इन कदमों के परिणामस्वरूप, सरकारी उच्चतम माध्यमिक स्कूलों का कार्य निष्पादन धीरे-धीरे सुधर रहा है।

## इंदिरा आवास योजना

1650. **श्री के.एस.आर. मूर्ति :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त सभी मकानों का निर्माण इंदिरा आवास योजना निधि के तहत किया गया है; और

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार को इस प्रयोजनार्थ दी गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) :** (क) और (ख). इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मुक्त बंधुवा मजदूरों और गरीबी की रेखा से नीचे के गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को मकानों के निर्माण हेतु राज्यों को रिलीज की जाती है। कुछ राज्यों में, इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत की गई रिलीज का प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्रामीण गरीबों के मकानों के निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तथापि, इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए मकानों के निर्माण हेतु आंध्र प्रदेश राज्य को कोई विशेष रिलीज नहीं की गई है।

## गुजरात की शहरी परियोजनाओं को स्वीकृति

1651. **श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के शहरी क्षेत्रों के लिए सफाई एवं जलापूर्ति की कितनी परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) क्या 1995-96 में राज्य में स्थित किन्हीं परियोजनाओं को स्वीकृति/अनुमोदित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू)** : (क) गुजरात के शहरी क्षेत्रों के लिए एक जल आपूर्ति और तीन स्वच्छता परियोजनाएं प्रारम्भिक अवस्था में हैं और इनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति देने से पूर्व राज्य सरकार से तकनीकी और वित्तीय दृष्टिकोणों से व्यापक ब्यौरे लेने अपेक्षित होंगे।

(ख) और (ग). बरवाला और सूरजकराडी की जल आपूर्ति स्कीमें क्रमशः 90.94 लाख रुपये और 18.20 लाख रुपये की अनुमानित लागत से केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 1996 में स्वीकृत कर दी गई थी। लागत में केन्द्र और राज्य सरकार की बराबर की भागीदारी होगी।

## विद्युत का बंटवारा

1652. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावी-व्यास प्रणाली द्वारा उत्पादित विद्युत के बंटवारे के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा की गयी मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राजस्थान सरकार की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी)** : (क) और (ख). पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केन्द्र सरकार के बीच दिनांक 10.5.84 को एक करार निष्पन्न किया गया, जिसके अनुसार आनंदपुर साहब हाइडल परियोजना, मुकेरियां हाइडल परियोजना, थीन डैम परियोजना, अपर बारी दोआब कैनाल (यूबीडीसी) चरण-2 और शाहपुर कंडी हाइडल योजना में उत्पादित बिजली में हरियाणा और राजस्थान के हिस्से की हकदारी के प्रश्न और वहां ऐसी हकदारी होने की स्थिति में प्रत्येक राज्य का हिस्सा निश्चित करने हेतु मामला उच्चतम न्यायालय को भेजना था।

इस विषय पर जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न अंतःराज्यीय बैठकों में विचार-विमर्श किया गया। तथापि, किसी भी सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सका। अब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् ने संबंधित राज्यों से सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए सम्पर्क किया है।

## अवैध निर्माण

1653. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों में कितने अवैध निर्माण किए गए हैं;

(ख) अनेक नागरिक निकायों को पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में उन कालोनियों के अधिकृत निवासियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें अवैध निर्माण हुआ है;

(ग) सरकार ने अवैध निर्माण को गिराने के लिए क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलू)** : (क) से (घ). सरकारी कालोनियों में लगभग 2200 अनधिकृत ढांचे विद्यमान हैं। इनमें झुग्गियां, दुकानें, धार्मिक ढांचे आदि शामिल हैं लेकिन इसमें सरकारी मकानों में किये गये अनधिकृत निर्माण शामिल नहीं हैं। जब भी अतिक्रमित भूमि का कोई भाग सार्वजनिक उपयोग के लिए अपेक्षित होता है तो ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए निर्धारित आमनीति के अनुसार अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जाती है और बाद में वास्तविक रूप से सर्वेक्षण किया जाता है। फील्ड स्टाफ को सतर्क रहने और नये अतिक्रमणों को रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

## उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी

1654. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में विद्युत की गंभीर कमी से परिचित है जिससे लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी)** : (क) उत्तर प्रदेश को अप्रैल से जून 1996 के दौरान, उत्तरी क्षेत्र में 6.8 प्रतिशत और अखिल भारतीय 11.20 प्रतिशत औसत बिजली की कमी की तुलना में 14.3 प्रतिशत बिजली की कमी का सामना पड़ा।

(ख) उत्तर प्रदेश में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में, क्षमता वृद्धि करना, वर्तमान क्षमता से उत्पादन को अधिकतम करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पारेषण और वितरण हानियों में कमी लाना प्रभावी और प्रबंधन तथा ऊर्जा संरक्षण उपाय लागू करना तथा पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से सहायता प्राप्त करना शामिल है।

[अनुवाद]

## पन-विद्युत उत्पादन में कमी

**1655. डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुल विद्युत उत्पादन में पन-विद्युत का हिस्सा कम हुआ है जबकि पन-विद्युत उत्पादन क्षेत्र में विद्युत उपयोग की क्षमता सर्वाधिक है;

(ख) क्या योजना आयोग ने पन-विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए नीति तैयार करने हेतु कोई पैनल गठित किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या पैनल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी)** : (क) वर्ष 1963 में देश की कुल अधिष्ठापित क्षमता में पन-विद्युत उत्पादन का हिस्सा 50.62 प्रतिशत था, जो उसके बाद गिरकर 31.3.96 के अनुसार 25.19 प्रतिशत रह गया। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 60 प्रतिशत भार अनुपात पर देश की कुल पन-विद्युत क्षमता का आकलन 84044 मे.वा. किया है, जिसमें से 80 प्रतिशत भार अनुपात पर 12475.07 मे.वा. (14.84 प्रतिशत) विकसित की जा चुकी है और 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 5879 मे.वा. (6.99 प्रतिशत) विकसित किए जाने के विभिन्न चरणों में है।

(ख) से (घ). आठवीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की जाने वाली नई पन-बिजली परियोजनाओं का पता लगाने और इन परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित किए जाने हेतु कार्य योजना सुझाने के वास्ते मई, 1992 में योजना आयोग द्वारा एक अंतःमंत्रालय दल गठित किया गया था। इस दल की पहली बैठक सितम्बर, 1992 में आयोजित की गई थी। तत्पश्चात, विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) समिति 1993 में गठित की गई थी, जिसने कुल अधिष्ठापित क्षमता में पनबिजली के हिस्से को बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार किया था। परिणामस्वरूप, नई पन-बिजली परियोजनाओं का पता लगाने के लिए अंतःमंत्रालय दल की आगे कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

## राष्ट्रीय पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा नीति

**1656. श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम'** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कब तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा;

(ग) वर्ष 2000 तक देश की कुल विद्युत आवश्यकता का कितना प्रतिशत इस स्रोत से पूरा किया जाएगा; और

(घ) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी)** : (क) और (ख). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। चूंकि इस नीति में व्यापक निहितार्थ शामिल होने की संभावना है, इस नीति को संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श के पश्चात् अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) मसौदा नीति में 9वीं योजना के अंत तक कुल उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा का भाग अनंतिम रूप से 5 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है।

(घ) देश में आठवीं योजना के अंत तक प्रतिशतता कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 27 प्रतिशत होने की आशा है।

[हिन्दी]

## उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास

**1657. श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार उक्त धनराशि को आवंटित करते समय राज्य सरकार को कोई दिशा-निर्देश जारी करती है;

(ग) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास की दर कितनी है और बुंदेलखण्ड क्षेत्र में विकास की इतनी नीची दर रहने के क्या कारण हैं;

(घ) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत कितने ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं और इनमें से दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के जरिए कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं और इनमें से दलित महिलाओं की प्रतिशतता कितनी है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा)** : (क) से (ङ). उत्तर प्रदेश राज्य सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम जैसे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई राशि तथा लोगों और लाभान्वित महिलाओं की

संख्या नीचे दी गई है:

| कार्यक्रम | आवंटित राशि (रुपये लाख में) | लाभान्वित लोगों की संख्या | लाभान्वित महिलाओं की संख्या (लाख) |
|---|---|---|---|
| समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 20316.50 | 355916 (सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या) | 1.31 |
| जवाहर रोजगार योजना | 68271.83 | 1532.66 (लाख श्रम दिन) | 364.29 |
| त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम | 11182.00 | 16.99 (लाख व्यक्ति) | कार्यक्रम किसी लिंग विशेष के लिए नहीं है। |

निधियों के उचित उपयोग तथा लक्ष्यों की प्राप्ति सहित सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विस्तृत मार्गदर्शिकाएं समय-समय पर राज्यों को जारी की जाती हैं।

[अनुवाद]

### मत्स्यन नौकाओं पर प्रतिबंध

1658. **श्री मोहन रावले :**
**श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
**श्री कृष्ण लाल शर्मा :**
**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
**श्री संदीपान थोरात :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय जल-क्षेत्र में विदेशी नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया है और देश भर में मछुआरों द्वारा प्रमुख पत्तनों पर किए जाने वाले कब्जे को रोकने के लिए मानसून के बाद भी यह प्रतिबंध जारी रखने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निरोधात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रतिबंध के बावजूद पहले से किए गए संयुक्त समुद्री उद्यम समझौते के अंतर्गत मत्स्यन कार्य जारी रहेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विश्वभर के उन देशों के नाम क्या हैं जहां यांत्रिक नौकाओं द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्यन पर प्रतिबंध लागू है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय)** : (क) से (ङ). भारत सरकार ने समुद्रवर्ती राज्य के तट से परे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रजनन ऋतु के दौरान गहन समुद्री मत्स्यन पर प्रतिबंध लगाने की पेशकश की है बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार भी ट्रालिंग पर ऐसा ही प्रतिबंध लगाए। तदनुसार केरल और कर्नाटक की राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने केरल और कर्नाटक के तट से परे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त उद्यम जलयानों समेत सभी गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के प्रचालन पर रोक लगा दी है। तटीय जल क्षेत्र में मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों के प्रचालन पर ऐसी ही रोक केरल व कर्नाटक की सरकारों द्वारा लगाई गई है। केरल के मामले में गहन समुद्री मत्स्यन पर रोक 30 जुलाई, 1996 तक और कर्नाटक के मामले में 31 अगस्त, 1996 तक लगी रहेगी।

(च) संसार के सभी तटीय देशों से यह सूचना प्राप्त करना संभव नहीं होगा। लेकिन समुद्री मत्स्यन के क्षेत्र में इनमें से अनेक देशों ने क्षेत्रों और/या विशिष्ट गियरों और/या विशिष्ट लक्ष्य प्रजातियों के मामले में मियादी प्रतिबंध लगाए हैं।

[हिन्दी]

### परमाणु ऊर्जा

1659. **प्रो. रासा सिंह रावत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा में किन कारणों से परमाणु ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन के कार्य में बार-बार बाधा आ रही है;

(ख) परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कोटा में रिएक्टर कब स्थापित किया गया था, उस पर कितनी राशि खर्च की गई थी और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) क्या ये परमाणु रिएक्टर अब खराब पड़े हैं और इन्हें पुनः चालू करने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध नहीं है; और

(घ) क्या इन परमाणु रिएक्टरों से भविष्य में विद्युत उत्पादन करना संभव होगा और यदि हां, तो कितने विद्युत उत्पादन की संभावना है?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) कोटा स्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट-1 जो विगत में रुकावटों का सामना कर रहा था, को उसके

अगम्य क्षेत्र में स्थापित अति दाब मोचन युक्ति में से भारी पानी के लघु किन्तु दुष्कर रिसाव की वजह से इस समय फरवरी, 1994 से बंद किया हुआ है। यूनिट-2 को जोकि कुल मिलाकर लगभग 60 प्रतिशत के क्षमता गुणक और लगभग 72 प्रतिशत के उपलब्धता गुणक के साथ अच्छी तरह कार्य कर रहा था, पहली अगस्त, 1994 से सेवाकालीन निरीक्षण और अंततः शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने तथा प्रणालियों को अपग्रेड करने के लिए बंद किया हुआ है।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 को 220 मेगावाट की प्रारम्भिक विद्युत क्षमता के साथ 73.77 करोड़ रुपए की लागत पर स्थापित किया गया था और 1972 में इसे चालू किया गया था। राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 को उतनी ही क्षमता के साथ 102.54 करोड़ रुपए की लागत पर स्थापित किया गया था और 1980 में चालू किया गया था। राजस्थान परमाणु बिजलघर-1 का विद्युत स्तर 1987 से 100 मेगावाट तक और राजस्थान परमाणु विजलीघर-2 का 1.4.1991 से 200 मेगावाट तक सीमित कर दिया था।

(ग) तथा (घ). राजस्थान परमाणु विजलीघर-1 में हुए रिसाव को स्वदेशी प्रोद्योगिकी के आधार पर बंद करने की योजना बनाई जा रही है और शीतलक चैनलों की अखंडता का मूल्यांकन किया जा रहा है। इन कारणों का ध्यान में रखते हुए राजस्थान परमाणु विजलीघर-1 के लगातार प्रचालन के प्रश्न के बारे में तकनीकी और आर्थिक मुद्दों के आधार पर समीक्षा की जा रही है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 में शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने के लिए प्रौद्योगिकीय सक्षमता स्वदेशी तोर पर विकसित कर ली गई है। इन शीतलक चैनलों में से ईंधन निकाल देने का काम पूरा कर लिया गया है तथा चैनलों को काटने और अलग करने का काम संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है। आशा है कि इस यूनिट को 200 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ 1998 में फिर से चालू कर दिया जाएगा।

## राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

**1660. श्री सोहन बीर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का वार्षिक कारोबार क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष के दौरान कारोबार में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रतिशत क्या है; और

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान कितने कारोबार का लक्ष्य रखा गया है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के वार्षिक कारोबार तथा प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष में कारोबार में हुई वृद्धि के प्रतिशत का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :—

| वर्ष | कारोबार (करोड़ रुपए में) | वृद्धि (%) |
|---|---|---|
| 1993-94 | 5918.33 | - |
| 1994-95 | 6359.84 | 7 |
| 1995-96 | 8258.71 (अनंतिम) | 30 |

(घ) वर्ष 1996-97 में 8740.98 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है।

[अनुवाद]

## विश्व बैंक की रिपोर्ट

**1661. श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में विद्युत को स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है; और

(घ) विश्व बैंक द्वारा की गई टिप्पणी पर सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

## केन्द्र सूची में विद्युत क्षेत्र

**1662. श्री संतोष मोहन देव :**

**डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है कि विद्युत जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र केन्द्र के क्षेत्राधिकार में ही होना चाहिए और इसके लिए इसे केन्द्र और राज्यों को समवर्ती सूची से हटाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## गरीबी उन्मूलन

**1664. श्री जगमोहन :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी के उन्मूलन में भारत का निजी निगमित क्षेत्र क्या भूमिका अदा कर रहा है;

(ख) क्या इस क्षेत्र ने किसी तरीके से गरीबों की आर्थिक और सामाजिक क्षमताएं वढ़ाने में मदद की है; और

(ग) सरकार द्वारा निजी निगमित क्षेत्र का दृष्टिकोण बदलने की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) :** (क) और (ख). सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए तीन-तरफा हमला कर रही है; अर्थात् (i) आर्थिक संवृद्धि को तीव्र करना, (ii) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के सामाजिक विकास; तथा (iii) गरीबों के लिए रोजगार, आय सर्जक कार्यक्रमों तथा संपत्ति निर्माण के माध्यम से गरीबी पर प्रत्यक्ष हमला। निजी निगमित क्षेत्र देश में आर्थिक संवृद्धि की दर को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे पश्च्यगामी तथा उन्नत सम्पर्कों के माध्यम से आर्थिक सक्रियता और रोजगार में वृद्धि होती है। तथापि, गरीबी पर प्रत्यक्ष हमला तकरीबन सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

(ग) सरकार निजी निगमित क्षेत्र के निवेश और उत्पादन को इच्छित दिशा में पहुंचाने के लिए वित्तीय और राजकोषीय साधनों का प्रयोग करती है। ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कोष है, जो करों में छूट देकर ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए अंशदान को आकृष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक उत्तरदायित्व का और अधिक भार वहन करने हेतु निगमों को राजी करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर निजी निगम विभिन्न ग्रामीण विकास स्कीमों और सामाजिक वानिकी में शामिल हो गये हैं।

## अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का विकास

**1665. श्री राजीव प्रताप रूडी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य एजेंसियों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान, बिहार नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी (बी.आर.ई.डी.ए.) को दी गई वित्तीय सहायता, निर्धारित लक्ष्य और आज तक की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानिरीक्षक, पंजीकरण, बिहार ने बी.आर.ई.डी.ए. का पंजीकरण रद्द कर दिया है ओर केन्द्र सरकार अभी भी गैर-कानूनी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) जी, हां।

(ख) बिहार रिन्यूबल ऊर्जा विकास एजेंसी (बी.आर.ई.डी.ए.) को वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता, निर्धारित किए गए लक्ष्य और उपलब्धियों को विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). जी हां। आई जी, रजिस्ट्रेशन बिहार ने अपने दिनांक 20.7.93 के आदेश द्वार बिहार रिन्यूएबल ऊर्जा विकास एजेंसी का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। बी.आर.ई.डी.ए. द्वारा फाइल की गई एक अपील पर सदस्य, राजस्व बोर्ड बिहार सरकार ने अपने दिनांक 7.12.93 के आदेश द्वारा आई जी, रजिस्ट्रेशन के आदेश को निष्प्रभावी कर दिया। अतः केन्द्र सरकार द्वारा किसी अवैध संस्था को सहायता नहीं दी जा रही है।

## विवरण

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | कार्यक्रम | वास्तविक लक्ष्य,/ उपलब्धि और वित्तीय सहायता | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1992-93 | | | 1993-94 | | | 1994-95 | | |
| | | वास्तविक | | वित्तीय | वास्तविक | | वित्तीय | वास्तविक | | वित्तीय |
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | सहायता (लाख रु. में) | लक्ष्य | उपलब्धि | सहायता (लाख रु. में) | लक्ष्य | उपलब्धि | सहायता (लाख रु. में) |
| 1. | बायोगैस (पारिवारिक आकार के) (संख्या) | 3500 | 3502 | 58.93 | 3800 | 2674 | 55.06 | 3008 | 1063 | शून्य |
| 2. | सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र (सीबीपी/आईबीपी) (रु.) | 6 | शून्य | 2.50 | 5 | शून्य | शून्य | 2 | 2 | शून्य |
| 3. | उन्नत चूल्हा (संख्या) | 80,000 | 81,097 | 187.34 | 1,50,000 | 76,231 | 51.00 | 80,000 | 29,988 | 66.05 |
| 4. | एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम आईआरईपी) | लक्ष्य नहीं | - | 12.52 | लक्ष्य नहीं | - | 10.22 | लक्ष्य नहीं | - | - |
| 5. | सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम (संग्राहक क्षेत्र वर्ग मी. में) | 1830 | शून्य | 20.3 | आबंटित नहीं | 1004 | 0.66 | आबंटित नहीं | शून्य | 1.50 |
| 6. | जल पंपिंग पवन मिलें | लक्ष्य नहीं | - | - | लक्ष्य नहीं | - | शून्य | लक्ष्य नहीं | - | 9.50 |

## दक्षिणी गैस ग्रिड

**1666. श्री ई. अहमद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को दक्षिणी गैस ग्रिड को स्वीकृति प्रदान करने हेतु कदम उठाने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को स्वीकृति देने हेतु अब तक केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) उक्त ग्रिड की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) इस परियोजना के प्रमुख लाभार्थियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) किन-किन देशों ने इस परियोजना को गैस की आपूर्ति करने का प्रस्ताव किया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) :** (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने ओमान के साथ प्रमुख शर्तों पर एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं तथा ईरान-भारत पाइपलाइन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन आरंभ कर दिया है। दक्षिण भारत में एल एन जी टर्मिनल स्थापित करने के संबंध में एक प्रस्ताव गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि. से प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ). विशिष्ट परियोजना की रूप रेखा तैयार हो जाने के पश्चात इसकी लागत तथा प्रमुख लाभार्थियों के नाम ज्ञात होंगे।

(ङ) ओमान/ईरान से आने वाली प्राकृतिक गैस तथा मध्य-पूर्व/दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाली एल एन जी की आपूर्ति दक्षिणी गैस ग्रिड के अन्तर्गत की जा सकती है।

## पुयामकुट्टी विद्युत परियोजना

**1667. श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को कनाडा सरकार से केरल में पुयामकुट्टी जल विद्युत परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई आश्वासन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कनाडा सरकार की इस संबंध में क्या शर्तें हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

## केन्द्रीय भंडार के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

**1668. श्री राम सागर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भंडार के कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मामलों की जांच चल रही है;

(ख) कितने मामलों को निपटा दिया गया है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या शाखा भंडारों/गोदामों में अब भी निरन्तर कमी चल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कमी के कितने मामलों का वर्ष-वार पता चला, उसमें कितनी धनराशि की कमी पाई गई तथा गत तीन वर्षों की तुलना में उक्त कमी कितनी थी?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) :** (क) 12 मामले।

(ख) 3 मामले।

(ग) और (घ). गोदामों/भण्डारों में वस्तुओं की चोरी/उन्हें उठाने रखने से पहुंचने वाली क्षति, विभिन्न कारणों जैसे परिवहन संबंधी समस्याओं, उत्पादन में आने वाली बाधाओं इत्यादि से निर्माताओं/वितरकों की ओर से होने वाले विलंब की वजह से वस्तुओं की उपलब्धता में कमियों के कुछ मामले सामने आए हैं।

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान चोरी आदि के कारण हुई कमियों के मामलों की संख्या तथा उसमें अन्तर्निहित धनराशि दर्शाते हुए वर्षवार विवरण संलग्न है इससे पहले की अवधि से संबंधित जानकारी केन्द्रीय भण्डार के पास इस समय सहज सुलभ नहीं है। इससे पता चलता है कि उपर्युक्त कमियों के मामलों में सम्पूर्ण व्यवसाय की प्रतिशतता के तौर पर गिरावट का रुझान है।

### विवरण

**पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार कमी के मामलों की संख्या तथा अंतर्निहित राशि।**

| अवधि | कमी के मामलों की संख्या | राशि (रु./लाख) | संपूर्ण व्यवसाय की तुलना में हुई कमी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 1991-92 | 45 | 3.60 | 0.06 |
| 1992-93 | 68 | 4.18 | 0.05 |
| 1993-94 | 90 | 4.93 | 0.05 |
| 1994-95 | 78 | 3.97 | 0.04 |
| 1995-96 | 60 | 3.85 | 0.03 |

**घरों पर गैस सिलेण्डर निःशुल्क पहुंचाना**

**1669. श्री सुरेश कलमाडी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रसोई गैस वितरक संघ ने उनके कमीशन में तत्काल वृद्धि नहीं किए जाने पर घरों पर गैस सिलेण्डर निःशुल्क नहीं पहुंचाने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति से सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**राजस्थान को गैस सप्लाई**

**1670. श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड/भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने राजस्थान को 5.5 लाख स्टैंडर्ड क्युबिक मीटर गैस सप्लाई करने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आश्वासन को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) :** (क) और (ख). राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड की रामगढ़ विद्युत परियोजना को 5.5 लाख मानक घन मीटर गैस प्रतिदिन आवंटित की गई है।

(ग) आर एस ई बी, रामगढ़ को गैस की आपूर्ति नवम्बर, 1994 में शुरू हो गई तथा अप्रैल, 1997 तक उसके बढ़कर 5.5 लाख मानक घन मीटर प्रतिदिन के स्तर तक पहुंच जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

**इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर पार्क**

**1671. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मे इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर पार्क, की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) :** (क) से (ग). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के विचाराधीन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने पहले ही नोएडा में एक सॉफ्टवयेर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की है जो इस समय उत्तरी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने भी ओखला के पास एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की है जो सॉफ्टवेयर का निर्यात करने वाली इकाइयों को मूल संरचनात्मक सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है।

[अनुवाद]

**रसोई गैस की आपूर्ति**

**1672. श्री सनत मेहता :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय रसोई गैस की आपूर्ति कर रही निजी कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) निजी कंपनियों द्वारा 1995-96 के दौरान कितने उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति की गयी है; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की रसोई गैस कंपनियों के पास अब तक कुल कितने उपभोक्ता पंजीकृत हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) :** (क) समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत निजी एजेंसियों को अपनी सुविधाओं का प्रयोग कर वितरण नेटवर्क स्थापित कर एल पी जी का आयात करने तथा बाजार निर्धारित कीमतों पर ऐसे आयातित एल पी जी की बिक्री के लिए अनुमति दी गयी है। समानांतरण विपणन के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अभी तक 16 पक्षकारों ने एल पी जी का आयात किया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

1. मैसर्स एस्सार वर्ल्ड ट्रेड
2. मैसर्स हिन्दुस्तान डोमेस्टिक आयल एण्ड गैस कं.
3. मैसर्स जय सिलिंडर्स
4. मैसर्स भारत शेल
5. मैसर्स श्री शक्ति एल पी जी
6. मैसर्स एओगीस केमिकल्स
7. मैसर्स काबसन्स इंडस्ट्रीज
8. मैसर्स पालरील
9. मैसर्स बोमी गैस

10. मैसर्स माहा गैस
11. मैसर्स एशिया एल पी जी
12. मैसर्स एसपाईस
13. मैसर्स रिलायन्स पेट्रोलियम
14. मैसर्स फीना पेट्रोलियम
15. मैसर्स इंडो-गल्फ फ्यूल्स लि.
16. मैसर्स इंडोर गैसेज

उपर्युक्त पक्षकारों द्वारा आयातित अधिकांश एल पी जी को औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को थोक में बेचा गया है।

(ख) समानांतर विपणन योजना के तहत निजी पक्षकार अपनी विपणन नीतियों तथा नेटवर्क रखने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार के पास उन उपभोक्ताओं की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है जिनको समानांतर विपणनकर्ता अपने उत्पाद बेचते हैं।

(ग) 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार एल पी जी कनेक्शन के लिए देश में करीब 257 लाख एल पी जी ग्राहक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, जो एल पी जी का विपणन करती है, के पास प्रतीक्षा सूची में है।

## कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र

**1673 श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को किसी नए स्थान पर स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थापना के लिए चयनित स्थान का ब्यौरा क्या है?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) दो यूनिटों वाली कैगा परमाणु विद्युत परियोजना जिसके प्रत्येक यूनिट की क्षमता 220 मेगावाट है, का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मई, 1996 की स्थिति के अनुसार इस परियोजना का लगभग तीन-चौथाई कार्य पूरा कर लिया गया है और आशा है कि इन यूनिटों को वर्ष 1998-99 के दौरान चालू कर दिया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

## ग्रामीण विद्युतीकरण

**1674. डॉ. प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु केंन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस प्रयोजनार्थ कितनी-कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) असम के सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी)** : (क) से (च). योजना आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों के ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत वित्तीय आवंटन नीचे दिए अनुसार है :

(करोड़ रुपए)

| क्र. सं. | राज्य | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | असम | 12.50 | 13.00 | 66.00 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 13.50 | 14.00 | 11.00 |
| 3. | मणिपुर | 12.08 | 10.60 | 12.95 |
| 4. | मेघालय | 5.50 | 6.00 | 5.24 |
| 5. | मिजोरम | 9.00 | 7.20 | 7.80 |
| 6. | नागालैंड | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7. | त्रिपुरा | 15.50 | 13.00 | 6.00 |

असम में गांवों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए कोई समय सीमा अथवा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

चूंकि, ग्रामीण विद्युतीकरण एक सतत् प्रक्रिया है, अतः सभी गांवों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता, राज्य में विद्युत औपूर्ति की स्थिति, पारेषण और वितरण प्रणालियों का उपयुक्त नेटवर्क और राज्य सरकार के परामर्श से योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों पर निर्भर करेगा।

### सॉफ्टवेयर उद्योग

**1675. डॉ. कृपासिंधु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सॉफ्टवेयर उद्योग का कार्य निष्पादन कैसा रहा;

(ख) इस समय कौन-कौन सी निजी और सरकारी कम्पनियां सॉफ्टवेयर का उत्पादन और निर्यात कर रही हैं;

(ग) क्या सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढावा देने की व्यापक सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किन संभावनाओं की खोज की गई है; और

(ङ) 1996-97 के लिए इस संबंध में क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) सॉफ्टवेयर उद्योग के पिछले तीन वर्षों का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपए में)

| वर्ष | घरेलू | निर्यात |
|---|---|---|
| 1993-94 | 695 | 1,020 |
| 1994-95 | 1,070 | 1,474 |
| 1995-96 | 1,690 | 2,650 (अनुमानित) |

(ख) सॉफ्टवेयर का निर्यात करने वाली लगभग 250 बड़ी कम्पनियां हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कम्पनियां शामिल हैं।

(ग) से (ङ). सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं :-

- सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए उच्च गति आंकड़ा संचार की मूल संरचनात्मक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने बंगलौर, पुणे, भुवनेश्वर, गांधीनगर, तिरूवनन्तपुरम, नोएडा तथा हैदराबाद में 7 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपी) की स्थापना की है। सरकार राज्य सरकारों को भी सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है।

  पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान की राज्य सरकारों ने क्रमशः कलकत्ता तथा जयपुर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की है। पंजाब तथा गोवा की राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की दिशा में कार्रवाई आरम्भ की है।

- सॉफ्टवेयर उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मात्रा तथा गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से जनशक्ति विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ करना। पिछले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने कम्प्यूटर में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए 254 संस्थानों को सहायता प्रदान की है।

- अनौपचारिक क्षेत्र में शिक्षण की गुणवत्ता में मानकीकरण लाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग 'कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा मान्यता (डीओई-एसीसी) नामक एक स्वैच्छिक योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित मानकों तथा मानदण्डों को पूरा करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के (निजी तथा सार्वजनिक दोनों) संस्थानों को विशिष्ट स्तर के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अर्थात 'ओ' (आधारभूत) 'ए' (उन्नत डिप्लोमा), 'बी' (स्नातक) तथा 'सी' (स्नातकोत्तर) स्तर के पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।

- देश में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा देना, जो कुशलता के निर्माण तथा क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए एक आधार उपलब्ध कराएगा।

- कापीराइट अधिनियम के जरिये साफ्टवेयर का कानूनी संरक्षण।

- निर्यात संवर्धन अभियान शुरू करना।

वर्ष 1996-97 के लिए निर्धारित किए गए कार्यक्रम नीचे दिए अनुसार हैं :-

- निर्यात करने वाली इकाइयों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा स्थापित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में विद्यमान उच्च गति डेटा संचार चैनलों की बैंड विड्थ में वृद्धि करके क्षमता में अभिवृद्धि करना।

- सॉफ्टवेयर उद्योग संघ तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका में सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन सेमिनारों/सम्मेलनों का आयोजन करना।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों - कॉमडेक्स फॉल '96 तथा सेबिट '97 में भाग लेना।

- सॉफ्टवेयर उद्योग संघ के साथ मिलकर वैध सॉफ्टवेयर के प्रयोग तथा सॉफ्टवेयर की बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षक के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सेमिनारों का आयोजन करना।

## भू-जल प्रदूषण

**1676. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'द इकोनोमिक टाइम्स' नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई, 1996 में 'फैटल थ्रस्ट; 1 एम ड्रिंक टोक्सिक वाटर' शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल के सात जिलों में पानी में प्रति लीटर आरसनिक की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सात जिलों के लिए विशेष रूप से 24 परगना (दक्षिण) जो कि गरीबी से प्रभावित जिला है और जिसमें कोई भी उद्योग नहीं है, भू-जल को आरसनिक प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कोई दीर्घकालिक या अल्पकालिक योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) :** (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल के आठ जिलों में पेयजल में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नियत सुरक्षा मानक से अधिक सांख्यिवार (आरसेनिक) है।

(ग) से (ङ). ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने कुल 750 करोड़ रुपए की लागत से एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है, जिसमें आरसेनिक विषाक्तता निवारण के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपाय बताए गए हैं। तत्काल राहत के रूप में मौजूदा उथले नलकूपों की बजाए गहरे नलकूप लगाना, पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति की नई योजनाएं बनाना, सेहतमंद जल वाले रिगकूपों तथा फसलों के लिए बरसाती पानी के तालाबों का निर्माण तथा समस्या के स्थायी समाधान के लिए, सतही पानी की पाइपों द्वारा सप्लाई, नए ताजा जल स्रोतों की स्थापना, इस योजना की कुछ खास बातें हैं। परिप्रेक्ष्य योजना के अन्तर्गत हुगली नदी के सतही जल पर आधारित एक परियोजना शामिल है जिसका लक्ष्य 228 करोड़ रु. की लागत से दक्षिणी चौबीस परगना जिले के छः आरसेनिक प्रभावित ब्लाकों को लाभान्वित करना है, और इसका लाभ 13.56 लाख आबादी को मिलेगा। आरसेनिक विषाक्तता से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की निगरानी के लिए लोक स्वास्थ्य संगठन विभाग के अन्तर्गत एक कार्य दल बनाया गया है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के विशेषज्ञ शामिल हैं।

जहां तक शहरी क्षेत्रों की बात है विषाक्तता निवारण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव/योजना प्राप्त नहीं हुई है।

## मेगा विद्युत परियोजनाएं

**1677. श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :**
**श्री काशी राम राणा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात तथा महाराष्ट्र सरकारों से ओमान गैस पाइप लाइन पर आधारित इन राज्यों में 2500 मेगावाट की मेगा विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थानों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू किए जाने की संभावा है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

## परियोजनाओं की निगरानी

**1678. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय. :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कितनी चालू परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाओं की मूल लागत में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो गई है और इनकी अनुमोदित लागत कितनी थी और इनकी लागत कितनी आने का अनुमान लगाया गया है; और

(ग) तत्संबंधी मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) :** (क) दिनांक 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र में 20 करोड़ रु. तथा उससे अधिक लागत वाली 401 परियोजनाओं का प्रबोधन सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ख) दिनांक 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार, 64 परियोजनाओं में उनकी अनुमोदित लागत के संदर्भ में 50 प्रतिशत तथा अधिक की लागत वृद्धि थी।

(ग) 50 प्रतिशत तथा अधिक लागत वाली परियोजनाओं की मंत्रालय-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

| मंत्रालय | 50 प्रतिशत तथा अधिक लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं की संख्या |
|---|---|
| 1. परमाणु ऊर्जा | 1 |
| 2. नागर विमानन | 1 |
| 3. कोयला | 4 |
| 4. उवर्रक | 1 |
| 5. सूचना और प्रसारण | 1 |
| 6. इस्पात | 2 |
| 7. पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस | 4 |
| 8. विद्युत | 14 |
| 9. भारी उद्योग | 1 |
| 10. रेलवे | 25 |
| 11. भूतल परिवहन | 9 |
| 12. अन्य (लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वयन) | 1 |
| कुल | 64 |

### एल.पी.जी. एजेंसियां

**1679. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार की ओर से केरल स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन को गैस एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल पम्प स्वीकृत करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) :** (क) जी, हां।

*(ख) विद्यमान नीति के अनुसार राज्य के स्वामित्व/नियंत्रण वाले निगम 'सामान्य' श्रेणी के अधीन विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवेदन* करने के लिए पात्र हैं। आय, निवास, तथा बहु डीलरशिप मानक इन पर लागू नहीं होते हैं। संबंधित मामले में राज्य सरकार को तदनुसार विज्ञापनों के प्रति आवेदन करने के लिए सलाह दी गई है।

### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वित्त निगम

**1680. श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वित्त निगम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### जल आपूर्ति और सफाई

**1681. डा. अरूण कुमार शर्मा :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). असम राज्य सरकार से प्राप्त योजनाओं के ब्यौरे और उनकी वर्तमान स्थिति विवरण में दी गई है।

**विवरण**

| क्रमांक | परियोजना का नाम | योजनाओं की संख्या | बसावटों की संख्या | अनुमानित लागत (रु. लाख में) | प्राप्ति की तारीख | परियोजना की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| असम | | | | | | |
| 1. | बिना स्रोत वाली अनुसूचित जाति/जनजाति बसावटों की कवरेज हेतु योजना | 1 | 5668 | 2400.00 | 28.2.95 | राज्य सरकार का लौह-दूर करने वाले संयंत्रों को लगाने को युक्ति संगत ठहराने के लिए बसावटों की स्थिति और जल गुणवत्ता आंकड़ों की कार्य-योजना पर सूचना भेजने का अनुरोध किया था। सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | सिब सागर जिले के नजीरा और जरायी देव सिविल सब-डिवीजन के अधिक लौह वाले क्षेत्रों में जल योजना हेतु परियोजना | 1 | 82 | 94.59 | 13.2.96 | योजना की जांच की जा रही है। |

[हिन्दी]

### ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग

1682. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से कितनी महिलाओं को लाभ मिला तथा उनमें दलितों का प्रतिशत क्या है ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा)** : वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के मार्फत उत्तर प्रदेश में महिला लाभार्थियों की संख्या को नीचे दिया गया है :-

| योजना का नाम | | कुल महिला लाभार्थी |
|---|---|---|
| (क) जवाहर रोजगार योजना | | (सृजित श्रमदिन लाख में) |
| 1. | जवाहर रोजगार योजना | 333.95 |
| 2. | सुनिश्चित रोजगार योजना | 30.34 |
| 3. | गहन जवाहर रोजगार योजना | 73.43 |
| (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सम्बद्ध कार्यक्रम | | (लाख लाभार्थी) |
| 1. | समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 1.31 |
| 2. | ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम | 0.38 |
| 3. | ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम | 0.23 |
| (ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | | (संख्या लाख में) |
| 1. | राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना | 3.01 |

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को लाभ मुहैया करवाये जाते हैं। मंत्रालय ऐसी गरीब महिलाऐं जोकि दलित हैं, के प्रतिशत की निगरानी नहीं करता।

[अनुवाद]

### न्यूनतम कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1683. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने सरकार में शामिल सभी दलों की सहमति वाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या प्राथमिकताएं तय की गई हैं;

(ग) क्या विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा प्राथमिकताओं वाले उन सभी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) से (घ). जी, हां, सरकार द्वारा घोषित तथा सामान्य कार्रवाई वाले न्यूनतम कार्यक्रम में निहित नीतियों तथा कार्यक्रमों के ब्यौरे तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों से कहा गया है।

प्रधानमंत्री की पहल पर 4-5 जुलाई, 1996 को हाल ही में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में समयबद्ध ढंग से सभी लोगों को सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के प्रावधान का अनुमोदन किया गया है ये सात न्यूनतम बुनियादी सेवायें निम्नानुसार हैं :-

(1) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के 100 प्रतिशत कवरेज का प्रावधान

(2) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का 100 प्रशित कवरेज

(3) प्रांथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण

(4) सभी आश्रयरहित गरीब परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता का प्रावधान

(5) सभी ग्रामीण ब्लॉकों तथा शहरी गन्दी बस्तियों और लाभ से वंचित वर्गों के प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार

(6) सभी सम्पर्क रहित गांवों तथा आवास स्थलों के लिए सम्पर्क का प्रावधान

(7) गरीबों पर ध्यान देकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाना।

इनके तहत, पहली तीन बुनियादी सेवायें अगले दो से तीन वर्षों के भतीर उपलब्ध कराई जानी हैं। तथापित, इन क्षेत्रों में सन्तोषजनक परिणाम वाले राज्य प्राथमिकता के लिए पहचान किए गए सात न्यूनतम बुनियादी सेवाओं में से कोई अन्य घटक चुन सकते हैं।

इसके अलावा, शहरी तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार, मरूस्थल तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के विकास के क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें इसी तरह जारी रहेंगी, लेकिन राज्यों को इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में और अधिक स्वतन्त्रता तथा लोच रहेगी। शेष केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत निधियों का पूल बनाया जाएगा और वर्ष 1995-96 में राज्यों में दिए गए आवंटनों के आधार पर बुनियादी राज्य हकदारी अनुपात तैयार किया जाएगा। राज्य इन केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में से उन स्कीमों को चुनने के लिए स्वतन्त्र होंगे, जिन्हें वे विशिष्ट प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित करना पसन्द करेंगे, इसके अलावा, सभी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यों की वार्षिक हकादारी में प्रत्येक वर्ष 15-20 प्रतिशत वृद्धि होगी।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के सन्दर्भ में योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श करके मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पद्धतियों में संशोधन के सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार कर रहा है।

## योजना प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण

**1684. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा योजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण हेतु सरकार से अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन संगठनों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण का कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) से (घ). विकेन्द्रीकृत आयोजना एक अनवरत प्रक्रिया है। योजना आयोग के पास गैर-सरकारी कार्यालयों से विकेन्द्रीकृत आयोजना संबंधी कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है, जबकि भिन्न-भिन्न भागों से आयोजना को निचले स्तर तक ले जाने की विभिन्न मांगों के प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने 73 तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अधिनियमन के माध्यम से महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये संविधान संशोधन अधिनियम अपने क्षेत्राधिकार से सम्बद्ध क्षेत्रों के भीतर आयोजना को शुरू करने के लिए पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करते हैं। उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की कार्रवाई विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर है।

## युवाओं को रोजगार

**1685. श्री सौम्य रंजन :**
**श्री थावरचन्द गेहलोत :**

**क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 के दौरान और चालू वर्ष में अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया;

(ख) वर्ष 1996 में कितने युवाओं को रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) उड़ीसा में 30 जून, 1996 तक कितने बेरोजगार व्यक्तियों ने रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण कराया; और

(घ) निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 31 मई, 1996 तक की वित्तीय और वास्तविक उपलब्धि क्या रही है ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा)** : (क) से (घ). यह मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) कार्यान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण युवाओं को प्रासंगिक कला में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार प्राप्त करने के योग्य बन सकें।

2. वर्ष 1995-96 और चालू वर्ष 1996-97 (मई 1996 तक) में ट्राइसेम के अन्तर्गत वित्तीय और भौतिक उपलब्धि तथा उपलब्ध कराया गया रोजगार निम्नानुसार है :

| वर्ष | वित्तीय | | भौतिक | |
|---|---|---|---|---|
| | कुल आवंटन (रुपए लाख में) | खर्च | प्रशिक्षित युवाओं की संख्या | नियोजित प्रशिक्षित युवाओं की संख्या |
| 1995-96 | 9025.00 | 9327.43 | 287273 | 136271 |
| *1996-97 | 9025.00 | 276.23 | 15354 | 2727 |

* ट्राइसेम के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य वर्ष 1995-96 से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.ई.टी.) द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्तमान सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य से नौकरी चाहने वालों, जिनमें से सभी अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं हैं तथा जिनका नाम 31.3.1996 तक विद्यमान रजिस्टर में था, की संख्या 940.9 हजार थी।

## अलीगढ़ में सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति

**1686. श्री जगमोहन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ शहर में अत्यधिक जल प्रदूषण के कारण महामारी के गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या पर्यावरण एवं विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रयोजित अध्ययन से पता चला है कि इस शहर में आपूर्ति किया जाने वाला जल 94 प्रतिशत तक प्रदूषित है; और

(ग) शहर में महामारी के खतरों, विशेषकर बारिश के मौसम में इसे टालने के लिए तथा स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति और सुरक्षित जल निकास व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू)** : (क) जी नहीं।

(ख) अलीगढ़ नगर निगम के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) अलीगढ़ नगर निगम के वॉटर वर्क्स स्टाफ द्वारा नगर के विभिन्न भागों में प्रतिदिन क्लोरीन डालकर स्वच्छ पेय जल सप्लाई किया जाता है और बचे हुए क्लोरीन की नियमित जांच की जाती है। जल प्रणाली में रिसाव की रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार द्वारा प्रयास किए गए हैं।

## कोलतार की आपूर्ति

**1687. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और भारतीय तेल निगम ने कोलतार की आपूर्ति के लिए बिहार सरकार से कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौते के अनुरूप डीलीवरी स्थलों पर माल की डिलीवरी नहीं की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गंतव्य तक पहुंचने वाले कोलतार की मात्रा समझौते की शर्तों से कम थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) से (च). हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने कोलतार की आपूर्ति के लिए बिहार सरकार के साथ कोई करार नहीं किया है। तथापि, बिहार सहित राज्य सरकारों के राज्य लोक निर्माण विभागों जैसे विभिन्न विभागों को बिटुमेन की आपूर्ति, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के रेट कांट्रेक्ट के अनुसार की जाती है। उत्पाद की आपूर्ति, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की दरों के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा जारी आपूर्ति आदेश के प्रति की जाती है। ये दरें सभी राज्यों के लिए समान होती हैं।

## राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

**1688. श्री मृत्युंजय नायक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में वर्ष 2002 तक अनेक कोयला तथा गैस आधारित संयंत्रों की स्थापना करके 2500 मे.वा. से अधिक की कंपनी बनाने की कोई महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई रणनीति तैयारी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी)** : (क) से (घ). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की इस समय अधिष्ठापित क्षमता 16795 मे.वा. है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :-

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | अवस्थिति | अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | उत्तर प्रदेश | 2000 |
| 2. | रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | उत्तर प्रदेश | 1000 |
| 3. | नैशनल कैपिटल पावर प्रोजेक्ट | उत्तर प्रदेश | 840 |
| 4. | फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-1 | उत्तर प्रदेश | 420 |
| 5. | दादरी कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट | उत्तर प्रदेश | 817 |
| 6. | अन्ता कंबाइंड साइकिल गैस पावर प्रोजेक्ट | राजस्थान | 413 |
| 7. | औरैया कंबाइंड साइकिल गैस पावर प्रोजेक्ट | उत्तर प्रदेश | 652 |
| 8. | विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | मध्य प्रदेश | 1260 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. | कोरबा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | मध्य प्रदेश | 2100 |
| 10. | कवास कम्बाईड साइकिल | गुजरात | 645 |
| 11. | झनोर-गंधार कंबाइंड साइकिल गेस पावर प्रोजेक्ट | गुजरात | 648 |
| 12. | रामागुडम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | आंध्र प्रदेश | 2100 |
| 13. | फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | पश्चिम बंगाल | 1600 |
| 14. | कहलगांत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | बिहार | 840 |
| 15. | तलचेर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | उड़ीसा | 1000 |
| 16. | तलचेर थर्मल पावर स्टेशन | उड़ीसा | 460 |
| | जोड़ | | 16795 |

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने नौवीं और दसवीं योजना अवधियों अर्थात् वर्ष 1997-98 से 2006-2007 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण योजना तैयार की है। एनटीपीसी द्वारा, अन्रू बातों के साथ-साथ अपनाई गयी बहुमुखी नीति में, इसके विद्यमान विद्युत संयंत्रों का विस्तार, हरियाली वाले स्थानों पर नई परियोजनाओं की स्थापना, राज्य बिजली बोर्डों और अन्य यूटिलिटियों के कम विष्पादन वाले वर्तमान विद्युत संयंत्रों का अधिग्रहण संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना शामिल है।

इन 10 वर्षों के दौरान लाभ प्रदान करने वाली चुनी गई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :-

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | अवस्थिति | नौंवी योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि (मे.वा) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **(1)** | **अनुमोदित एवं चल रहीं परियोजनाएं** | | |
| 1. | विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर पोजेक्ट चरण-2 | मध्य प्रदेश | 1000 |
| 2. | ऊंचाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-2 | उत्तर प्रदेश | 420 |
| 3. | कायमकुलम कम्बाइंड साइकिल प्रोजेक्ट | केरल | 400 |
| | उप-जोड 1 | | 1820 |
| **(2)** | **विचाराधीन नई परियोजनाएं** | | |
| 1. | फरीदाबाद गैस पावर प्रोजेक्ट | हरियाणा | 400 |
| 2. | तलचेर-2 ताप विद्युत परियोजना | उड़ीसा | 2000 |
| 3. | हैदराबाद मैट्रो कंबाईड साइकिल पावर प्रोजेक्ट | आंध्र प्रदेश | 650 |
| 4. | सिम्हाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट | आंध्र प्रदेश | 1000 |
| 5. | कवास कंबाईड साइकिल-पावर प्रोजेक्ट चरण-2 | गुजरात | 650 |
| 6. | रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-2 | उत्तर प्रदेश | 1000 |
| 7. | रामागुंडम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण-3 | आंध्र प्रदेश | 500 |
| | उप-जोड़ 11 | | 6200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| (3) | **तैयार की जा रही नई परियोजनाओं के प्रस्ताव** | | |
| 1. | सीपट सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट | मध्य प्रदेश | 2000 |
| 2. | अन्ता कंबाईंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट चरण-2 | राजस्थान | 400 |
| 3. | औरैया कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट चरण-2 | उत्तर प्रदेश | 650 |
| 4. | दक्षिणी मद्रास गैस विद्युत परियोजना | तमिलनाडु | 2000 |
| | उपजोड़ | | 5050 |
| | कुल जोड़ | | 13070 |

## केरल में शहरों का विकास

**1689. श्री पी.सी. थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मुवातुपुजा नगरपालिका को आई.डी.एस. एम.टी. योजना के अर्न्तगत मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत इस पालिका को मंजूरी की गई धनराशि और दिए गए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आई.डी. एस.एम.टी. से सम्बन्धित राज्य के अन्य प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी और लागू कर दिया जाएगा?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मुवातुपुजा को वर्ष 1990-91 के दौरान VII योजना आई.डी.एस.एम.टी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार आई.डी.एस. एम.टी. में शामिल किया गया था। इस कस्बे के लिए 118.46 लाख रुपये की लागत पर विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार को इस कस्बे के लिए क्रमशः अधिकतम 46 लाख और 40 लाख रुपये की अधिकतम केन्द्रीय सहायता की तुलना में 1990-91 के दौरान 15 लाख और 1995-96 के दौरान 25 लाख रुपये की 2 किस्तें अब तक जारी की जा चुकी हैं। जून 1996 तक इस कस्बे में अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकार ने कुल 47.24 लाख रुपये के व्यय की सूचना दी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च). हालांकि 1995-97 के दौरान देश के छोटे और मझोले शहरों मे रहने वाली कुल आबादी में केरल के छोटे और मझोले शहरों में रहने वाली आबादी के हिस्से के मानदंड के आधार पर केरल के दो कस्बे को आई.डी.एस.एम.टी. में शामिल करने बाबत नियत किया गया फिर भी केरल की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति ने 1995-96 के दौरान 4 कस्बों के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने की मांग की है। उपलब्ध बजट के भीतर, केरल द्वारा प्रस्तावित पहले तीन कस्बों की सहायता की जाएगी। इस प्रकार प्राथमिकता कस्बा संख्या-4 निदुमनगढ़ पर विचार नहीं किया जा सका। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि इस कस्बे पर कब तक विचार किया जायेगा क्योंकि 1996-97 के दौरान केरल के लिए केन्द्रीय धन-राशि का नियतन करना, बजट की उपलब्धता, राज्य अंश का प्रावधान, पहले जारी की गई राशि का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और आबादी के मानदंड के आधार पर उपलब्ध किटी में केरल के हिस्से पर निर्भर करेगा। आई.डी.एस.एम.टी. के तहत लंबित प्रस्तावों पर राज्य को आवंटित बजट के भीतर विचार करना राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति पर निर्भर करेगा।

## पेयजल आपूर्ति योजना

**1690. श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त योजना के तहत महाराष्ट्र को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू-वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू)** : (क) और (ख). त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) के तहत और अधिक निधियों के नियतन हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत, 515.11 लाख रुपये की कुल लागत की 6 जल आपूर्ति स्कीमें स्वीकृत की गयी हैं और नीचे दिये गये विवरणानुसार 214.16 लाख रुपये रिलीज किये गये हैं :

| | |
|---|---|
| 1993-94 | 65.36 लाख रुपये |
| 1994-95 | 92.50 लाख रुपये |
| 1995-96 | 36.30 लाख रुपये |

(ग) महाराष्ट्र राज्य के लिए नियतनों बाबत अन्तिम निर्धारण 1996-97 के दौरान कार्यक्रम हेतु नियतन और उसमें राज्य सरकार के शेयर के आधार पर किया जाएगा।

[हिन्दी]

## अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की खोज

**1691. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं तथा उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए मदवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा अब तक कितनी खर्च की गई है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी)** : (क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान में सौर लालटेन, सौर सड़क रोशनियां, बायोगैस संयंत्र, सोलर रैस्टोरैन्ट, सोलर शोरूम, बैटरी चालित वाहन, एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम आदि परियोजनाओं जैसी व्यापक श्रेणी की अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाएं/योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) सौर लालटेन, सड़क रोशनी और सामुदायिक बायोगैस योजनाओं आदि में सम्पूर्ण राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। सोलर रैस्टोरैंट दिल्ली हाट में स्थित है और सोलर शोरूम कनॉट प्लेस में स्थित है। इन परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित की गई धनराशि संलग्नक विवरण में दी गई है।

(ग) मंत्रालय द्वारा राज्यवार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी (डीईडीए) ने सौर प्रकाशवोल्टीय लालटेन कार्यक्रम के लिए 25 लाख रुपये की राशि आवंटित की जिसमें से अब तक 23.7 लाख रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों के लिए 10 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई, जिसमें से अब तक कोई राशि खर्च नहीं की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सोलर रेस्टोरैंट के लिए दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी (डीईडीए) ने कोई धनराशि आवंटित नहीं की है।

### विवरण

### पिछले तीन वर्षों के दौरान आरंभ की गई परियोजनाओं के लिए आवंटित धन-राशि और खर्च की गई राशि

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | परियोजना/योजना का नाम | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | एसपीवी लालटेन | 20 | 23.9 | 32.72 |
| 2. | एस पीवी सड़क रोशनी कार्यक्रम | 18 | शून्य | 3.38 |
| 3. | बायोगैस कार्यक्रम | 29.47 | शून्य | शून्य |
| 4. | सोलर रैस्टोरैन्ट | शून्य | शून्य | 3.5 |
| 5. | सोलर शोरूम | शून्य | शून्य | 7.20 |
| 6. | पवन पम्प | 1.18 | 0.77 | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | आई.यू.ई.पी. योजना के अंतर्गत* | 110 | 68 | 91.25 |
| 8. | आई.आर.ई.पी. योजना के अंतर्गत** | 44.19 | 39.03 | 60 |
| 9. | विशेष प्रदर्शन परियोजना (एसडीपी) | 2.45 | शून्य | शून्य |
| 10. | दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली की 200 डीजल बसों को डीजल मैथानोल की दोहरी ईंधन विधि से चलाने की प्रदर्शन परियोजना | शून्य | शून्य | 42.33 |
| 11. | दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी (डीईडीए) की कार्य न कर रही 40 बसों की मरम्मत (एक बार के अनुदान के आधार पर) | शून्य | शून्य | 50.00 |
| 12. | मैसर्स रिलायंस ऑटो पार्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा.) लिमि. कलकत्ता द्वारा उच्च ऊर्जा घनत्व बैटरियों का विकास और उनका दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी (डी ई डी ए), दिल्ली बैटरी बसों में परिक्षण करना। | शून्य | 3.28 | शून्य |
| 13. | डीईडीए, दिल्ली द्वारा नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों (एनआरएसई) का प्रचार, प्रदर्शन, फोटोग्राफिक और वीडियो विस्तार। | 11.79 | शून्य | शून्य |

* एकीकृत शहरी ऊर्जा कार्यक्रम

** एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम

**[अनुवाद]**

## एल.पी.जी. एजेंसियां

1692. **डॉ. प्रबीन चन्द्र शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से असम में एल.पी.जी. एजेंसियां के खोलने के लिए कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये एजेंसियां किन-किन स्थानों में खोले जाने का विचार है, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) से (ग). असम सहित देश के विभिन्न भागों से अतिरिक्त एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने की मांग समय-समय पर प्राप्त होती रहती है। तेल उद्योग के आर्थिक व्यवहार्यता मानदण्डों को पूरा करने वाले स्थान एल पी जी विपणन योजना में सम्मिलित किए जाते हैं। तदनुसार एल पी जी विपणन योजना 1994-96 में असम के लिए निम्नानुसार 16 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गई है :-

| | | |
|---|---|---|
| राहगिया | करीमगंज | |
| नागांव | चपार | |
| गोहाटी (2) | खारूपेटिया | |
| बारपेटा रोड | गोलाघाट | |
| लांका | | |
| मंकाचार | | वितरकों का चयन तेल चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। |
| डुबरी | | |
| लुंडिंग | | |
| रामकृष्ण नगर | | |
| विस्वानाथ चाराली | | |
| माकुम | | |

## भूमि संबंधी रिकार्ड

1693. **डा. कृपासिन्धु भोई :**

**श्री कृष्ण लाल शर्मा :**

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भूमि संबंधी रिकार्ड/कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड को अद्यतन बनाने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गयी है और इस पर कुल कितनी लागत व्यय की जा रही है;

(ग) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का इस प्रयोजनार्थ राज्यों को विशेष अनुदान स्वीकृत करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भूमि संबंधी रिकार्ड को कब तक अद्यतन कर दिए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा)** : (क) जी, हां।

(ख) भू-अभिलेखों की कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत अब तक 223 जिलों का कवर कर लिया गया है और इसी अनुरूप राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 44.27 करोड़ रुपये की निधियां प्रदान की गई हैं।

(ग) राज्यवार ब्यौरे सहित एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ). भू-अभिलेखों की कम्प्यूटरीकरण योजना राज्यों/संघशासित प्रदेशों को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है।

(च) भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है। फिर भी, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पूर्ण आंकड़े को संग्रहित करने संबंधी प्रथम-चरण की परियोजना मार्गदर्शिकाओं के अनुसार तीन वर्षों में पूरा कर लिए जाने की आशा है। हालांकि यह कार्य मूलतः राज्य/संघशासित प्रदेश द्वारा की गयी प्रभावी आयोजना और प्रयासों पर निर्भर करता है, जिसमें उनके स्तर-दर-स्तर के राजस्व कर्मी भी शामिल होते हैं, अतः केन्द्र सरकार द्वारा कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती।

**विवरण**

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | जिलों की संख्या | रिलीज की गयी कुल राशि (रुपये लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 12 | 418.00 |
| 2. | असम | 8 | 158.00 |
| 3. | बिहार | 7 | 150.00 |
| 4. | गुजरात | 9 | 165.00 |
| 5. | गोआ | सम्पूर्ण राज्य | 20.00 |
| 6. | हरियाणा | 17 | 275.00 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 8 | 145.00 |
| 8. | जम्मू एवं कश्मीर | 4 | 49.00 |
| 9. | कर्नाटक | 9 | 216.00 |
| 10. | केरल | 14 | 295.00 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 13 | 243.00 |
| 12. | महाराष्ट्र | 20 | 375.00 |
| 13. | मणिपुर | 3 | 25.00 |
| 14. | मिजोरम | 1 | 25.00 |
| 15. | उड़ीसा | 12 | 252.50 |
| 16. | पंजाब | 5 | 123.62 |
| 17. | राजस्थान | 16 | 293.00 |
| 18. | सिक्किम | सम्पूर्ण राज्य | 32.00 |
| 19. | तमिलनाडु | 10 | 243.00 |
| 20. | त्रिपुरा | 3 | 85.00 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 22 | 394.00 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 14 | 410.00 |
| 23. | दादरा व नगर हवेली | सम्पूर्ण संघशासित क्षेत्र (एक इकाई) | 12.38 |
| 24. | दिल्ली | सम्पूर्ण संघ शासित क्षेत्र (एक ईकाई) | 8.05 |
| 25. | पांडिचेरी | सम्पूर्ण संघ शासित क्षेत्र (एक इकाई) | 1508 |
| | कुल | 223 परियोजनाएं | 4427.53 |

**एम.आर.टी.एस. परियोजना**

**1694. श्री बी.एल.शर्मा "प्रेम" : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली की एम.आर.टी.एस. परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य काफी समय से लंबित पड़ा है जिसके कारण परियोजना लागत में कई गुणा वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) परियोजना के कब से शुरू हो जाने की संभावना है; और

(घ) विभिन्न चरणों में कितनी दूरी (लंबाई) शामिल किए जाने का अनुमान है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु)** : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1994 में दिल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजना को सैद्धान्तिक अनुमोदन देने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से सरकार का अन्तिम निवेश अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। पहले से पूरी की गई कार्रवाई इस प्रकार है :—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना और परियोजना का विस्तृत वित्तीय, आर्थिक लागत-लाभ विश्लेषण, परियोजना कार्यान्वित करने के लिए दिल्ली सरकार के

सहयोग से कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक कम्पनी का पंजीकरण, परियोजना के लिए उदार शर्तों पर ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए ओ.ई.सी.एफ. (जापान) के समक्ष परियोजना प्रस्तुत करना, इस परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़े सभी मामलों में मदद और निगरानी करने के लिए मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करना। ओ.ई.सी.एफ (जापान) ने भी हाल ही में परियोजना का अलग से तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करवाया है और इस परियोजना को ओ.ई.सी.एफ. (जापान) सहायता के लिए स्वीकार्य पाया है तथापि, उनके द्वारा इस परियोजना के लिए ऋण स्वीकृति का निर्णय लेने हेतु भारत सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तिम निवेश अनुमोदन, जो मांगा गया है, की प्रतीक्षा की जा रही है। ओ.ई.सी.एफ (जापान) ने कहा है कि यह अनुमोदन उन्हें अगस्त, 1996 के मध्य तक सूचित कर दिया जाए ताकि वे इस परियोजना को अपने 1996-97 के ऋण पैकेज में शामिल कर सकें।

(ग) आशा है कि यह परियोजना 1997-98 के दौरान आरंभ कर दी जाएगी बशर्ते कि सरकार द्वारा अन्तिम निवेश अनुमोदन मिले और ओ.ई.सी.एफ. द्वारा परियोजना के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाये।

(घ) परियोजना के प्रथम चरण में 11.00 कि.मी. भूमिगत मार्गसहित 55.3 कि.मी. की दूरी शामिल है। प्रथम चरण का कार्यान्वयन आरंभ करने के पश्चात ही द्वितीय और अनुवर्ती चरणों के ब्यौरों का निर्णय किया जा सकेगा।

## पिछड़े क्षेत्रों का विकास

**1695. डॉ. अरुण कुमार शर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि मंजूर और जारी की गई;

(ग) असम सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ):** (क) और (ख). संघ सरकार ने वर्ष 1993-94 में जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, मरूस्थल क्षेत्रों तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों में स्थित अभिनिर्धारित पिछड़े ब्लॉकों में गरीबी उन्मूलन हेतु एक योजना (रोजगार आश्वासन स्कीम) शुरू की है। असम में 218 ब्लॉकों में से 142 ब्लॉक इस योजना के तहत कवर किये गये हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के लिए जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं :—

(रुपये लाख में)

| | |
|---|---|
| 1993-94 | 2587.50 |
| 1994-95 | 5790.00 |
| 1995-96 | 10025.00 |

इस योजना के तहत, कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है, क्योंकि यह एक मांग आधारित योजना है।

असम राज्य में तीन चरीदौड़, बलिजाना तथा सोनपुर प्रत्येक में एक विकास केन्द्र निर्धारित किये गये हैं, जिसमें भारत सरकार प्रत्येक केन्द्र के लिए 15 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई। इसलिए योजना पर कार्य अभी शुरू किया जाना है; दो मामलों में परियोजना रिपोर्ट निर्माणाधीन है तथा एक मामले में (चरीदौड) में परियोजना रिपोर्ट असम सरकार से प्राप्त हो गई है।

(ग) असम सरकार ने चरीदौड़ में विकास केन्द्र हेतु इक्विटी के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया।

(घ) मूल्य निर्धारण करने वाली एजेन्सी द्वारा कुछ प्रश्न उठाए गए, जिसके लिए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मामले में जवाब की अभी प्रतीक्षा है।

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना

**1696. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना व्यय किए जाने का अनुमान है;

(ख) इसकी उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) इसके द्वारा राजधानी में जनसंख्या को कम करने में कितनी सहायता प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना को शताब्दी के अन्त तक लागू रखने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(च) राजधानी से हटा कर आस-पास के नगरों में अब तक स्थापित किये गये केन्द्रीय सरकार कार्यालयों का ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) :** (क) एन. सी.आर. योजनागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर मई, 1996 तक कुल व्यय 252.71 करोड़ रुपये हुआ। 1996-97 के दौरान अनुमानित वितरण धनराशि की उपलब्धता तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मांग पर निर्भर करेगा।

(ख) एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड ने 89 योजनाओं के लिए धन दिया जिनमें से 46 पूरी हो चुकी हैं और 43 चल रही हैं। योजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

| उप-क्षेत्र | पूरी हो चुकी योजनाओं की संख्या | चालू योजनाओं की संख्या | व्यय (रु. करोड़ों में) |
|---|---|---|---|
| हरियाणा | 12 | 10 | 61.92 |
| राजस्थान | 24 | 13 | 67.11 |
| उत्तर प्रदेश | 10 | 16 | 115.35 |
| काऊंटर मैगनेट शहर | – | 4 | 8.33 |
| योग | 46 | 43 | 252.71 |

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबादी वृद्धि दर जो 1971-81 के बीच 53 प्रतिशत थी, 1981-91 की बीच कर 51.46 प्रतिशत रह गई जिससे पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर आबादी के दबाव पर कमी आयी है।

(घ) और (ङ). जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का परिदृश्य वर्ष 2001 है। क्षेत्रीय तथा शहरी नियोजन प्रक्रियाओं की लंबी तैयारी अवधि होती है। दिल्ली में आबादी का दबाव कम करने के क्षेत्रीय योजनागत उद्देश्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सुसंगत और संतुलित विकास करने के लिए क्षेत्रीय योजना का कार्यान्वयन जारी रखना होगा।

(च) गत 5 वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के निम्नलिखित कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजा गया है :—

(1) पोस्टल स्टाफ कॉलेज।
(2) राष्ट्रीय श्रम संस्थान।
(3) राष्ट्रीय महिला व्यवसायिक संस्थान।
(4) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान।

## भूमि विकास और निपटान संबंधी समिति

1697. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि विकास और निपटान से संबंधित कानूनी, वित्तीय और अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) :** (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि के संगठन विकास और बिक्री संबंधी मुद्दों पर विचार करने और राष्ट्रीय राजधानी में भूमि विकास, आवास निर्माण तथा अन्य संबद्ध कार्यकलापों में निजी विकास कर्त्ताओं (प्राइवेट डेवलोपर्स) की भागीदारी के लिए नीतिगत सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई है।

(ग) चूंकि समिति को विशेषज्ञ समितियों द्वारा पृष्ठ भूमि दस्तावेज तैयार करने की प्रतीक्षा है, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत करेगी।

## छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों का विकास

1698. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्यों के बीच छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के समेकित विकास की योजना में भागीदारी की पद्धति क्या है;

(ख) केन्द्र द्वारा प्रयोजित इस विकास योजना के अन्तर्गत लाए गए देश के छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं योजना के दौरान कर्नाटक में छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकास के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) :** (क) भागीदारी पद्धति इस प्रकार है :—

| कस्बा श्रेणी व आबादी | परियोजना लागत | केन्द्रीय सहायता (अनुदान) | राज्यांश (अनुदान) | हुडको/वित्तीय संस्थान ऋण/अन्य स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| (क) (2000 से कम) | 100 | 48 (48%) | 32 (32%) | 20 (20%) |
| (ख) (2000-50000) | 200 | 90 (45%) | 60 (30%) | 50 (25%) |
| (ग) (5000-100000) | 350 | 150 (43%) | 100 (28%) | 100 (29%) |
| (घ) (1-3 लाख) | 550 | 210 (38%) | 140 (26%) | 200 (36%) |
| (ङ) (3-5 लाख) | 750 | 270 (36%) | 180 (24%) | 300 (40%) |

(कोष्ठक के आंकड़े कुल प्रोजेक्ट लागत का प्रतिशत हैं जैसा कि कालम-2 में दृष्टांत के रूप में है)

स्कीम के अन्तर्गत उपर्युक्त अनुदान घटक केन्द्र और राज्यों के बीच 60:40 में है।

(ख) छोटे व मझौले कस्बों के समेकित विकास की स्कीम में शुरू से 31.3.96 तक शामिल कस्बों की राज्यवार संख्या विवरण-I में है।

(ग) और (घ). 8वीं योजना के शुरू के चार वर्षों (1992-96) के दौरान कर्नाटक को दी गयी राशि का विवरण विवरण-II में है। वर्ष 1996-97 के लिए धन का आबंटन परियोजना रिपोर्ट की पेशी, पूर्व प्रदत्त धन के उपयोग प्रमाण-पत्र देने तथा स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।

विवरण-I

**छोटे व मझोले कस्बों के समेकित विकास की स्कीम में शामिल कस्बों की राज्यवार संख्या।**

(31.3.96 को)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य | शामिल कस्बे |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 66 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 4 |
| 3. | असम | 17 |
| 4. | बिहार | 35 |
| 5. | गोवा | 6 |
| 6. | गुजरात | 47 |
| 7. | हरियाणा | 12 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 4 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 7 |
| 10. | कर्नाटक | 68 |
| 11. | केरल | 30 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 65 |
| 13. | महाराष्ट्र | 90 |
| 14. | मणीपुर | 10 |
| 15. | मेघालय | 7 |
| 16. | मिजोरम | 4 |
| 17. | नागालैंड | 5 |
| 18. | उड़ीसा | 39 |
| 19. | पंजाब | 22 |
| 20. | राजस्थान | 41 |
| 21. | सिक्किम | 4 |
| 22. | तमिलनाडु | 93 |
| 23. | त्रिपुरा | 7 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 73 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 60 |
| | **संघ शासित प्रदेश** | |
| 1. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 1 |
| 2. | दादर व नगर हवेली | 2 |
| 3. | लक्षद्वीप | 1 |
| 4. | पाण्डिचेरी | 6 |
| 5. | दमन व दीव | 1 |
| | योग | 828 |

विवरण-II

**आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अन्तर्गत 8वीं योजना के शुरू के चार वर्षों (1992-96) में कर्नाटक सरकार को वर्ष-वार आबंटित/जारी धनराशि**

**क. नई स्कीमें**

| वर्ष | स्कीम में लेने हेतु अनुमोदित कस्बों के नाम | जारी केन्द्रीय राशि (लाख रु. में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1992-93 | चिप्तुर, गोवरीबिदानुर, बदामी, गुरूमिटकल, साउण्डटी, बयादगी, करवार | 120.00 |
| 1993-94 | बीदर, हवारी, बेलारी, मधुगिरि, के.आर. नगर इल्कल, निमानी, डोडावल्लापुर, बाइलहमल, मृदालगी मुलबागल, लिन्गासुगुर। | 260.00 |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 1994-95 | मांडया, बीजापुर, लक्ष्मेश्वर, शिगांव सवानूर गदागेटागिरि, कोटुर, मालुर, शोरापुर, कुद्रापुर, सिदालगट्टा। | 290.00 | |
| 1995-96 | आरसीकेर, हन्सुर गजेन्द्रगढ़ सिआरा, बंगारपेट | 150.00 | + 66.00* |
| | कोप्पल | -216.00 | |
| | कुल कस्बे : 36 | योग : 880.00 | |

* 66 लाख रुपये 1992-93 में स्कीम में शामिल बदामी और गुरूमितकल कस्बों तथा 1993-94 में शामिल बेल्लारी टाऊन के लिए दूसरी किश्त के रूप में शामिल किये गये

### ख. चालू स्कीमें (आठवीं योजना से पूर्व अनुमोदित)

(लाख रुपये में)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | चिन्तामणि | 20.00 | (दूसरी किश्त) |
| 1993-94 | - | - | |
| 1994-95 | - | - | |
| 1995-96 | रामनगरम | 20.00 | (दूसरी किश्त) |
| 1995-96 | चिन्तामणि | 6.00 | (तीसरी किश्त) |
| | कुल कस्बे : 2 | योग : 46.00 | |
| | कस्बों की सकल संख्या : 38 (क + ख) | | |
| | रिलीज केन्द्रीय सहायता का कुल अनुदान (क + ख) | 932.00 | |

### पेय जल की आपूर्ति

**1699. श्री जगमोहन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय महानगरीय क्षेत्रों के जलस्तर में चिंताजनक रूप से कमी आई है और स्वच्छ पेय जल की कमी के फलस्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियों की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे महानगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**शहरी कार्य रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु) :** (क) दिल्ली के आंकड़ों के दीर्घकालिक अवलोकन से पता चलता है कि नजफगढ़ ब्लाक के मध्य भाग, सिटी ब्लाक और मेहरोली ब्लाक के दक्षिण भाग में भू-जल स्तर में चार मीटर से अधिक कमी आयी है। कलकत्ता के पूर्वी तथा उत्तरी भागों में 4 से 8 मीटर से अधिक कमी पायी गई है। मद्रास तथा बम्बई में 2 मीटर से कम की कमी पायी गई है। तथापि, किसी राज्य सरकार/स्थानीय निकायों से शुद्ध तथा पेय जल की कमी के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) जल आपूर्ति राज्य का विषय है इसलिए शुद्ध तथा पर्याप्त पेय जल मुहैया कराना संबंधित राज्य सरकार/स्थानीय निकायों का दायित्व है। तथापि, जब भी सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा व्यक्तिगत मामले भारत सरकार को भेजे जायेंगे, ऋण सहायता पद्धति आदि पर विचार किया जायेगा।

### दुल-हस्ती पनबिजली परियोजनाएं

**1700. श्री चमन लाल गुप्ता :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुल-हस्ती पनबिजली परियोजना प्र कार्य कब आरम्भ किया गया था, इसकी अनुमानित लागत क्या थी, इसके आरम्भ होने के समय योजना क्या थी और इसकी स्थापित क्षमता क्या है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है और इस का संशोधित लागत आकलन क्या है;

(ग) क्या दुल-हस्ती का काम फ्रेंच कांजोर्टियम को सौंपा गया था और यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं;

(घ) उक्त ठेकेदार द्वारा परियोजना पर कार्य कब रोका गया और अब तक फ्रेंच कांजोर्टियम को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ङ) यदि कुछ नई विदेशी कंपनियों से सम्पर्क किया गया है और यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है; और

(च) फ्रेंच कांजोर्टियम द्वारा परियोजना कार्य को रोक दिए जाने के कारण कितने कुशल और अकुशल श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी)** : (क) दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना को 1262.97 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत पर राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु 1989 में हाथ में लिया गया था। परियोजना को जुलाई, 1993 में चालू किया जाना था। परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता 390 मेगावाट है।

(ख) जून, 1996 तक इस परियोजना पर 1413 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि व्यय हो चुकी है। परियोजना का संशोधित लागत अनुमान 3470 करोड़ रुपए (अप्रैल, 1996 के मूल्य स्तर पर) है।

(ग) दुलहस्ती परियोजना का क्रियान्वयन 57 महीने की कार्यपूर्ति की निर्धारित अवधि के साथ द्विपक्षीय सहायता सहित टर्नकी आधार पर फ्रेंच कांजोर्टियम को सौंपा गया था।

(घ) फ्रेंच कांजोर्टिम ने यह कहते हुए कि उनके ठेके की वचनबद्धताओं के निष्पादन हेतु सुरक्षा वातावरण उपयुक्त नहीं है, इसलिए उन्होंने अगस्त, 1992 में यह कार्य स्थगित कर दिया था। एनएचपीसी और फ्रेंच कांजोर्टियम के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पन्न किया गया, जिसमें कांजोर्टियम के सिविल निर्माण कार्य भागीदार के हटने और कार्य को शेष चार भागीदारों द्वारा आरंभ किए जाने की परिकल्पना की गई थी। इस समझौता ज्ञापन को बाद में भारत सरकार और फ्रांस सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। फ्रेंच कांजोर्टियम को अब तक 33550 मिलियन जापानी येन और 106.38 करोड़ रुपए (अनंतिम) का भुगतान किया जा चुका है।

(ङ) शेष सिविल निर्माण कार्यों को क्रियान्वित किए जाने हेतु एनएचपीसी ने विश्व व्यापी निविदाएं आमंत्रित की हैं और भारतीय तथा विदेशी कंपनियों से निविदाएं प्राप्त हुई हैं।

(च) जब कंपनी द्वारा परियोजना पर कार्य स्थगित किया गया, तब सिविल निर्माण कंपनी द्वारा काम पर लगाए गए लगभग 2000 श्रमिक प्रभावित हुए।

## परियोजनाओं की समीक्षा

1701. **श्री संदीपन थोरात** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख निर्माणाधीन परियोजनाओं की हाल ही में समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो मानक आर्थिक संकेतकों द्वारा उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मार्च, 1996 तक परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वे 10 शीर्ष परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जिनका कार्यनिष्पादन उत्कृष्ट रहा और वे 10 परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जिनका कार्यनिष्पादन खराब रहा है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कि प्रमुख परियोजनाओं की संभावित लागत और समयावधि में न्यूनतम बढ़ोत्तरी हो, निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए/उठाए वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) जी, हां। केन्द्रीय क्षेत्र में सभी प्रमुख परियोजनाओं जिनकी लागत 100 करोड़ रुपए और इससे अधिक है, की हर महीने समीक्षा की जा रही है।

(ख) इन परियोजनाओं की क्षेत्रवार रूपरेखा, जो मानीटर करने हेतु प्रयुक्त मानक संकेतकों अर्थात् उस पर आने वाली लागत, व्यय जो अब तक किया जा चुका है तथा उसमें लगने वाले समय को दर्शाती है, संलग्न विवरण संख्या 1 में दी गई है।

(ग) ऐसी 10 परियोजनाओं की सूची जिनका सर्वोत्कृष्ट कार्यान्वयन रिकार्ड है अर्थात् परियोजना के लिए अनुमानित समय और लागत के 50 प्रतिशत से ज्यादा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है तथा जो अभी आने वाली लागत और समय सीमा के लक्ष्य के केवल 10 प्रतिशत के भीतर ही है, विवरण-2 के रूप में संलग्न है। पुनः इसी विवरण में 10 सबसे दयनीय परियोजनाओं की सूची है अर्थात जो 12 वर्ष से अधिक की अवधि से कार्यान्वित है और इनके ऊपर लागत भी ज्यादा (प्रत्येक के मामले में 300 प्रतिशत से अधिक) हो चुकी है।

(घ) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब को घटाने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा विवरण संख्या 3 के रूप में संलग्न है।

## विवरण-I

### दिनांक 31.3.96 के दिन की स्थिति के अनुसार नवीनतम अनुसूची के बारे में परियोजनाओं में समय/लागत वृद्धि की सीमा

| क्र. सं. | क्षेत्र | परि. | कुल लागत (करोड़ रु.) | | | किए गए | लागत वृद्धि वाली परियोजनाएं | | | | समय वृद्धि वाली परियोजनाएं | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सं. | नवीनतम अनुमोदित | प्रत्या-शित | लागत वृद्धि | व्यय का % | सं. | नवीनतम अनुमोदित | प्रत्या-शित | % वृद्धि | सं. | नवीनतम अनुमोदित | प्रत्या-शित | रेंज (माह) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | परमाणु ऊर्जा | 6 | 3998.4 | 5003.9 | 25.2 | 57.92 | 1 | 711.6 | 2107.0 | 196.1 | 6 | 3998.4 | 5003.9 | 12-36 |
| 2. | नागर विमानन | 3 | 1595.1 | 1667.1 | 4.5 | 42.21 | 1 | 351.9 | 423.9 | 20.5 | 3 | 1595.1 | 1667.1 | 3-12 |
| 3. | कोयला | 27 | 9736.7 | 11464.3 | 17.7 | 45.05 | 9 | 4404.1 | 6336.0 | 43.9 | 12 | 4563.8 | 5310.3 | 4-48 |
| 4. | वित्त | 1 | 348.8 | 348.8 | 0.0 | 32.78 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 5. | उर्वरक | 7 | 4447.8 | 4993.3 | 12.3 | 48.66 | 2 | 1275.6 | 1821.0 | 42.8 | 3 | 2565.7 | 2565.7 | 2-11 |
| 6. | इस्पात व लौह अयस्क | 7 | 10043.5 | 12374.1 | 23.2 | 63.80 | 2 | 6621.6 | 8952.1 | 35.2 | 2 | 6621.6 | 8952.1 | 12-44 |
| 7. | रसायन व पैट्रो रसायन | 5 | 4168.6 | 4168.6 | 0.0 | 21.60 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 336.4 | 336.4 | 35-35 |
| 8. | पैट्रो व प्राकृतिक गैस | 23 | 21007.5 | 22958.6 | 9.3 | 38.71 | 2 | 2747.5 | 5073.8 | 84.7 | 11 | 8884.2 | 11187.5 | 1-15 |
| 9. | विद्युत | 34 | 29918.0 | 39633.1 | 32.5 | 43.15 | 23 | 17694.8 | 27573.2 | 55.8 | 24 | 20413.1 | 28895.3 | 1-125 |
| 10. | भारी उद्योग | 1 | 191.2 | 307.0 | 60.5 | 19.19 | 1 | 191.2 | 307.0 | 60.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 11. | रेलवे | 46 | 14196.2 | 16480.0 | 16.1 | 48.20 | 33 | 8631.9 | 11556.5 | 33.9 | 25 | 7102.0 | 9433.9 | 3-96 |
| 12. | भूतल परिवहन | 19 | 3320.2 | 4195.5 | 26.4 | 28.52 | 12 | 1622.4 | 2497.7 | 54.0 | 12 | 2071.4 | 2820.5 | 2-93 |
| 13. | दूर संचार | 3 | 353.7 | 353.7 | 0.0 | 1.91 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| | योग | 182 | 103325.5 | 123947.9 | 20.0 | 44.61 | 86 | 44252.7 | 66648.3 | 50.6 | 100 | 58151.5 | 76172.8 | |

**विवरण-2**

**सर्वोत्कृष्ट कार्यान्वयन रिकार्ड वाली शीर्ष 10 बड़ी परियोजनाओं की सूची**

| क्र.सं. | परियोजनाओं का नाम | क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. | समलेश्वरी ओ.सी. | कोयला |
| 2. | संबलपुर, उड़ीसा<br>चंद्रपुर महाराष्ट्र | कोयला |
| 3. | उकनी ओ.सी. | उर्वरक |
| 4. | आओनला विस्तार, बरेली उ.प्र.<br>विजयपुर, विजयपुर, म.प्र. | उर्वरक |
| 5. | दसवीं कोक ओवन बैटरी,<br>भिलाई म.प्र. | इस्पात |
| 6. | पोली प्रोपलाइन संयंत्र, बडोदरा,<br>गुजरात | रसायन और पैट्रो<br>रसायन |
| 7. | पोली बुटाडीन परियोजना, बडोदरा,<br>गुजरात | रसायन और पैट्रो<br>रसायन |
| 8. | एल.पी.जी. आयात सुविधा, मंगलौर,<br>कर्नाटक | पैट्रोलियम तथा<br>प्राकृतिक गैस |
| 9. | एल.पी.जी. आयात सुविधा काण्डला,<br>गुजरात | पैट्रोलियम तथा<br>प्राकृतिक गैस |
| 10. | गांधार विकास चरण-2 गांधार,<br>गुजरात | पैट्रोलियम तथा<br>प्राकृतिक गैस |
| | **खराब कार्यनिष्पादन रिकार्ड वाली सबसे नीचे की 10 बड़ी परियोजनाओं की सूची।** | |
| 1. | बगाहा-छितौनी | रेलवे |
| 2. | दुलहस्ती-एचईपी | विद्युत |
| 3. | कलकत्ता-भूमिगत | रेलवे |
| 4. | हल्दिया उर्वरक परियोजना | उर्वरक |
| 5. | सतग्राम घूजी | कोयला |
| 6. | तलचर-संबलपुर, द.पू.रे. | रेलवे |
| 7. | जोगीघोपा-गुवाहाटी, एन. एफ. | रेलवे |
| 8. | कोयलकारो एचईपी | विद्युत |
| 9. | केडलवाशरी | कोयला |
| 10. | येरागुतला विस्तार | भारी उद्योग |

**सरकार द्वारा परियोजनाओं के मूल अनुमान तैयार करने तथा कार्यान्वयन को सुप्रवाही करने के लिए उठाए गए कदम।**

(1) चरण-2 में कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना को अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व चरण-1 में पर्याप्त तैयारी, पर्यावरणीय तथा अन्य निकासियों और आधारी संरचना संबंधी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का द्विस्तरीय अनुमोदन।

(2) परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर गहन प्रबोधन। इससे कठिनाइयों का पता लगाने तथा उपचारी अभ्युपाय करने में प्रबंधन की सहायता करने में प्रबोधन अभिकरण समर्थ हो जाएंगे।

(3) परियोजना प्राधिकरणों तथा प्रशानिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहराई से जटिल समीक्षा।

(4) ठेका पैकेजों को तेजी से अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य दलों/उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन।

(5) विलंब को न्यूनतम करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों एवं परियोजना प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार, उपकरण संभरणकर्ताओं, ठेकेदारों परामर्शदाताओं तथा अन्य संबद्ध अभिकरणों के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई।

(6) अन्तः मंत्रालयीय समन्वय तथा अन्तः सम्पर्क।

(7) वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करने पर बल।

(8) सचिवों की समिति द्वारा कठिनाइयों का सामना कर रही विशिष्ट परियोजनाओं की समीक्षा।

**विश्व बैंक की सहायता**

1702. **श्री सनत मेहता :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उड़ीसा, हरियाणा और अन्य राज्यों की विद्युत परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए सहमति दे दी है;

(ख) तत्संबंधी शर्तें क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितना सहायता दी जाएगी।

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) से (ग). विश्व बैंक ने उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, प्रत्येक को 2 मिलियन अमरीकी डालर और बिहार को 1.5 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की सहायता से इन राज्यों में राज्य स्तर पर विद्युत क्षेत्र के सुधार/पुनः संरचना के लिए निदानात्मक अध्ययन शुरू किया जा सके।

उपर्युक्त परियोजना आयोजन सुविधा ऋणों के अतिरिक्त, उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के लिए 350 मिलियन अमरीकी डालर के ऋणों के लिए विश्व बैंक से बातचीत चल रही है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए भी इसी प्रकार के पुनः संरचना परियोजना ऋणों हेतु विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है।

**जम्मू और कश्मीर के लिए उत्पाद शुल्क राजस्व**

1703. **श्री चमन लाल गुप्त :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र-वार उत्पाद शुल्क कितना था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जम्मू, कुठआ, उधमपुर तथा रजौरी जिलों में अवैध शराब बनाने तथा उसकी बिक्री के संबंध में कितने छापे मारे गए तथा कितने लोगों को इसमें लिप्त पाया गया;

(ग) शराब विशेषकर अवैध शराब की बढ़ी खपत पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय किये गए हैं;

(घ) राज्य में तथा अन्यत्र उग्रवाद भड़कने, स्थान-वार कितने सरकारी तथा निजी शराब की दुकानें बंद कर दी गई; और

(ङ) उन दुकानों/खोखों को खोलने का कोई प्रस्ताव है?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में शराब तैयार करने और बिक्री करने के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और मारे गए छापों की संख्या इस प्रकार है :

(रुपए लाखों में)

| | जम्मू | कश्मीर | योग |
|---|---|---|---|
| 1993-94 | 5010.48 | 1093.78 | 6104.26 |
| 1994-95 | 6137.12 | 1275.27 | 7412.39 |
| 1995-96 | 8187.02 | 1320.93 | 9507.95 |

(ख) जम्मू, ऊधमपुर, कठुआ एंव राजौरी जिलों में अवैध शराब तैयार करने और बिक्री करने के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और मारे गए छापों की संख्या इस प्रकार है :-

| | मारे गए छापे | पकड़े गए व्यक्ति |
|---|---|---|
| 1993-94 | 1200 | 498 |
| 1994-95 | 1164 | 555 |
| 1995-96 | 1301 | 513 |

(ग) अवैध शराब तैयार करने के खतरे को रोकने के लिए राज्य में सीमा शुल्क विभाग/पुलिस एजेंसी, व्यापक तौर पर छापे मारकर अवैध आसवन पर लगातार कड़ी नजर रख रही है। जैसे ही किसी तरफ से कोई सूचना प्राप्त होती है, वैसे ही, अपराधियों को पकड़ने के लिए निरीक्षकों/संबंधित रैंज उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारियों की देखरेख में विशेष उन्मूलन पार्टियां तैनात करके त्वरित कार्रवाई की जाती है।

मौजूदा लाइसेंसधारियों के संबंध में भी राज्य सरकार ने एक नियामक नीति अपनाई है जिसके तहत कस्बों एवम् अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित खुदरा दुकानों के मामले में लाइसेंस शुल्क दस गुना तक और अन्य क्षेत्रों में स्थित दुकानों के मामले में भी दो गुना बढ़ा दिया गया है।

(घ) जिलावार सूचना विवरण में दी गई है।

(ङ) सरकारी एवं निजी शराब की दुकानें/खोखे कश्मीर घाटी में वर्ष 1989-90 के दौरान उग्रवाद फैल जाने के कारण बन्द हो गए थे। कोई भी लाइसेंसधारी कश्मीर घाटी में अपनी दुकान फिर से खुलवाने के लिए न तो आगे आया है न ही किसी ने कोई अभ्यावेदन दिया है। इसलिए दुकानों को पुनः खुलवाने के लिए किसी कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता।

**विवरण**

**उग्रवाद फैल जाने के कारण बंद हुई सरकारी दुकानों एवं देशी शराब की दुकानों की संख्या दर्शाने वाला**

| जिले का नाम | भारत में निर्मित विदेशी शराब की दुकानों की सं. | देशी शराब की दुकानें | बार सहित होटल | रैस्टोरेंट सहित बार |
|---|---|---|---|---|
| 1. श्रीनगर | 36 | 4 | 8 | 20 |
| 2. अनंतनाग | 10 | 2 | 4 | 1 |
| 3. बारामूला | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 4. कुपवाड़ा | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. लेह | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. डोडा-बनिहाल | 0 | 1 | 0 | 0 |
| योग | 52 | 13 | 21 | 23 |

## भूमि का आवंटन

**1704. श्री राम सागर** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री भूमि के आवंटन के बारे में 18 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3162 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा)** : (क) से (ग). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने इस मंत्रालय को सूचना दी थी कि श्री आर.एम. वत्स, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत) की अध्यक्षता में 16-12-94 को एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी क्योंकि जांच अधिकारी ने त्याग पत्र दे दिया था।

प्राधिकारियों को विक्रय/हस्तांतरण के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। तथापि, ऐसी भूमि का बेनामी लेन-देन हो सका है।

चूंकि आवास स्थल केवल 9 वर्ष के लिए पट्टे पर नाममात्र किराए पर आवंटित किए जाते हैं तथा समाज के कमजोर वर्गों जिनके

पास अपना कोई मकान नहीं है, को भूमि की कीमत का अंदाजा लगाए बिना इनमें प्लाटों को हस्तांतरित करने अथवा विक्रय करने की अनुमति देकर सरकार उन्हें फिर से आवासहीन नहीं बनाना चाहती। इसलिए विक्रय/हस्तांतरण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

**[हिन्दी]**

**आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम**

1705. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में गत तीन वर्षों से टाडा के अंतर्गत कुल कितने मामले दर्ज किए गए ;

(ख) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को अपराधी ठहराया गया ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें छोड़ दिया गया अथवा जमानत पर रिहा कर दिया गया ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कानून के अंतर्गत न्यायालयों में मामले चलाने पर प्रतिवर्ष कितना व्यय हुआ ;

(ङ) इस कानून के अन्तर्गत कितने दोषी व्यक्ति अभी भी जेलों में हैं ; और

(च) टाडा संबंधी कितने मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गए और जांच के पश्चात कितने मामलों को न्यायालयों में चुनौती दी गई ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन)** : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**गरीबी में वृद्धि**

1706. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

**श्री नवल किशोर राय :**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिमांक 16 अप्रैल, 1996 के 'द अब्जर्वर आफ बिजिनेस एण्ड पालिटिक्स', नई दिल्ली में 'राइज इन पावर्टी, लेस जाब्स इन पोस्ट-रिफार्म एक्ट सर्वे' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सुधारोपरान्त अवधि गरीबी में वृद्धि और रोजगार सृजन में भारी कटौती के सम्बन्ध में 1995-96 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अतिरिक्त रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सुधार से पहले की तुलना में बाद की अवधि में रोजगार सृजन का संथागित औसत दर क्या है;

(ङ) क्या देश में पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध होने के कारण श्रमिकोन्मुख योजनाएं बनाने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) जी, हां

(ख), (ग) और (घ). योजना आयोग और वैकल्पिक आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए गरीबी के अनुमानों में अन्तर, अनुमान के लिए अपनाई नई पद्धति में भिन्नता की वजह से है। योजना आयोग के अनुमान न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कृतिक बल रिपोर्ट में दी गई पद्धति और प्रभावी उपभोक्ता मांग पर आधारित है। बहरहाल, गरीबों के अनुपात और उनकी संख्या के अनुमान संबंधी कार्यदल द्वारा सिफारिश की गई पद्धति, जिसे वैकल्पिक आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा भी अपनाया गया बताया गया है, के अनुसार परिमित गरीबी के विस्तार के प्रारम्भिक अनुमान भी बहुत वर्षों तक बढ़ने की प्रवृत्ति को नहीं दर्शाते हैं। इस पद्धति द्वारा लगाए गए 1987-88 के अनुमान समाचार रिपोर्ट में सूचित किए गए 37.52 प्रतिशत के आंकड़ों की तुलना में 39.9 प्रतिशत थे। अर्थ व्यवस्था में कुल वार्षिक रोजगार संवृद्धि में 1991-92 में 3.0 मिलियन की तुलना में 1994-95 में 7.2 मिलियन के लगभग बढ़ोत्तरी का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) और (च). भारत में औद्योगिकीकरण के विस्तार पर आधारित क्षेत्रीय रूप से सन्तुलित पैटर्न पर बल नहीं दिया जा सकता। अधिक श्रम सघनता विकास का पैटर्न है। यह हमारे समाज के गरीब वर्गों के लिए अधिक लाभकारी है। इस सम्बन्ध में छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रमुख भूमिका अदा करनी है।

**[अनुवाद]**

**पेयजल**

1707. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के जल की कमी वाले क्षेत्रों और फ्लोराइड से प्रभावित गांवों के लिए गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत पेयजल योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृति के लिए अभी तक लंबित ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई अथवा प्रदान किए जाने का विचार है; और

(घ) शेष योजनाओं को केन्द्र सरकार कब तक स्वीकृति प्रदान कर देगी ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा)** : (क) से (ग). गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत पेयजल योजनाओं और प्रत्येक योजना हेतु अनुमोदित केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

| क्रमांक | परियोजना/योजना का नाम | अनुमोदित लागत | केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 11 फ्लोराइड दूर करने वाले सयंत्रों की स्थापना | 85.67 | 64.25 |
| 2. | 291 बसावटों में 303 फ्लोराइड दूर करने वाले संयंत्रों की स्थापना | 1564.88 | 1173.75 |
| 3. | 3 फ्लोराइड दूर करने वाले संयंत्रों की स्थापना | 24.773 | 18.68 |
| 4. | मेहसाना जिले में 2 फ्लोराइड दूर करने वाले संयंत्रों की स्थापना | 58.85 | 44.14 |
| 5. | 117 बसावटों के लिए 5 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं | 1186.53 | 889.90 |
| 6. | 11 बसावटों में फ्लोराइड दूर करने वाले संयंत्रों की स्थापना | 89.06 | 66.81 |
| 7. | 24 बसावटों के लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं | 277.64 | 208.23 |
| 8. | 105 बसावटों के लिए हनडोल क्षेत्रीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना | 3287.00 | 2465.25 |

## धुआंरहित चूल्हा

**1708. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांव में प्रत्येक घर में धुंआरहित चूल्हा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रही और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा)** : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि, इन्दिरा आवास योजना की मार्गदर्शिकाओं में निर्धारित किया गया है कि योजना के तहत निर्मित प्रत्येक आवास में पर्याप्त ईंधन वाले धुआंरहित चूल्हे की व्यवस्था होगी। तदनुसार, योजना के शुरू होने से लेकर 1995-96 तक इन्दिरा आवास योजना के तहत 29,13,503 आवासों को बनाया गया। इसके अतिरिक्त, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लक्ष्य वर्ष-दर वर्ष आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। 1996-97 के दौरान, 11,23,560 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

## केन्द्रीय जांच ब्यूरो का कार्यकरण

**1709. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में न केवल दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण की निंदा की गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण में कुशलता एवं ईमानदारी लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक स्वतन्त्र एजेन्सी बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन)** : (क) सरकार को यह ज्ञात है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिनांक 24.05.1996 की सिविल रिट याचिका संख्या-789/96 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यकरण पर कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की पुष्टि की और केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को यह अधिकार दिया है कि वह अपने विरुद्ध की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों को विलोपित/संशोधित करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकता है।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.1996 की रिट याचिका (सिविल) संख्या-789/96 में दिए गए आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका के खारिज हो जाने पर केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को शक्तियां, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (डी.एस.पी.ई.-अधिनियम, 1946) से प्राप्त होती हैं। इन्हीं शक्तियों से, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, संविधान के तहत केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की योजना में अपने कृत्यों का निर्वहन करता है।

[हिन्दी]

## पुलों का निर्माण

1710. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नदियों पर पुलों का निर्माण के संबंध में केन्द्र सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा)** : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

## भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि और आवास

1711. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषतः महाराष्ट्र में, केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन और आवासहीन श्रमिकों का कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या-क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे भूमिहीन श्रमिकों को भूमि और मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता मंजूर की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना में भूमिहीन परिवारों को भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन्दिरा आवास योजना, के अंतर्गत भूमिहीन श्रमिकों रहित ग्रामीण गरीबों को मकान उपलब्ध कराए जाते है। वर्ष 1985-86 में इन्दिरा आवास योजना के प्रारम्भ होने से लेकर मार्च 1995 तक इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 36 करोड़ रुपए के खर्च से 29.13 लाख मकानों का निर्माण किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## मेसर्स नोएडा पावर कंपनी

1712. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेंट्रल ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति और वसूली कार्य के बारे में मेसर्स नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड और राज्य विद्युत बोर्ड के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी ने अभी तक समझौते की निर्धारित शर्तों का पूरा पालन नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी)** : (क) और (ख). नोएडा पावर कंपनी लि. (एनपीसीएल) ने दिनांक 15.11.1993 को उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यूपीएसईबी) के साथ वृहत नोएडा में बिजली की आपूर्ति के लिए एक समझौता निष्पन्न किया था।

(ग) और (घ). यूपीएसईबी ने सूचित किया है कि जनवरी, 1996 के अंत में एनपीसीएल की ओर लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। एनपीसीएल के अनुबंध सबंधी उत्तरदायित्वों और गतिविधियों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नजर रखी जा रही है।

## दिल्ली का विकास

1713. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में जनसंख्या दबाव कम करने के लिए क्षेत्रीय योजना नीतियों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है ?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : (क) से (ग). जी, हां।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसमें राष्ट्रीय राजधानी संघ क्षेत्र दिल्ली (1483 वर्ग किलोमीटर) और हरियाणा (13,413 वर्ग किलोमीटर), राजस्थान (4,493 वर्ग किलोमीटर) और उत्तर प्रदेश (10853 वर्ग किलोमीटर) के तीन संलग्न राज्यों के भाग शामिल करते हुए 32,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर किया गया है, को राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र हेतु योजना 2001 जो 1989 से लागू है, में निरूपित नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार विकसित करने की परिकल्पना की गई है। क्षेत्रकीय योजना एक बहु क्षेत्रकीय नीतिगत ढांचा है जिसमें सड़क और रेल दोनों परिवहनों, विद्युत और दूर संचार और व्यापक भूमि अधिग्रहण और आंतरिक और बाहरी सेवाओं, आवास और उद्योग, थोक, व्यापार और वाणिज्य के आर्थिक कार्यकलापों के माध्यम से दिल्ली से बाहर के चुनिंदा नगरों के विकास को भी क्षेत्रकीय आधारसंचनात्मक घटकों के विकास में कवर किया गया है। यह कार्यनीति हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उप-क्षेत्रों में पहचान किए गए प्राथमिक शहरों से संलग्न नगर क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए हैं, जिससे उच्च आधारसंरचनात्मक सुविधाओं की सहायता से प्रचुर रोजगार अवसर सृजित किए जा सकें और दिल्ली की ओर प्रस्थान करने वाले संभावित प्रवासियों को समाहित किया जा सके ताकि दिल्ली में जनसंख्या दबाव कम हो सके और पूरे क्षेत्र का संतुलित और समन्वित विकास हो सके।

इस कार्यनीति का केन्द्र और राज्य क्षेत्रकों को कवर करने वाले आठवीं योजना निवेश कार्यक्रमों द्वारा अनुमोदन किया गया है। राज्य क्षेत्रक कार्यक्रमों में मुख्यतः भूमि अधिग्रहण और नये नगर क्षेत्रों के लिए स्थानीय आधार संरचना का प्रावधान शामिल है, जबकि केन्द्रीय क्षेत्रक के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रम रेल नेटवर्क की भीतरी आधारसंचना के विकास, सड़क नेटवर्क के विस्तार/उन्नयन, एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण और पूरे क्षेत्र में अच्छी संचार सुविधाओं से संबंधित है।

योजना आयोग के तत्वाधान में नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इसी प्रकार की निवेश योजना प्रक्रिया पहले ही आरम्भ की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत भूतल-परिवहन, रेल, ऊर्जा और दूर-संचार आदि केन्द्रीय मंत्रालयों और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि सदस्य राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी संघ क्षेत्र से निर्धारित समय सीमा के भीतर क्षेत्रीय योजना कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु 'राष्ट्रीय संघ राज्य क्षेत्र उपघटक योजनाएं' तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

## केन्द्रीय भण्डार

1714. **श्री मंगल राम प्रेमी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली स्थित केन्द्रीय भण्डार की विभिन्न शाखाओं में आमतौर पर अधिकांश उपभोक्ता और पंसारी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा शाखाओं को सीधे उपलब्ध करायी गई वस्तुएं इनके भण्डार में होती हैं और गोदामों से आपूर्ति की गई वस्तुएं भण्डार में उपलब्ध नहीं होती है; और

(घ) यदि हां, तो अनुचित और अवांछनीय तरीके से सीधे आपूर्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) :** (क) और (ख). शाखा भण्डारों को वस्तुओं की आपूर्ति उनकी आवश्यकता के अनुसार की जाती है। भण्डारों को वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति मॉनीटर की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ). अधिकांश वस्तुएं केन्द्रीकृत रूप से खरीदी जाती हैं और गोदामों से भण्डारों को आपूर्ति की जाती है। गोदामों अथवा भण्डारों में इन वस्तुओं की उपलब्धता में यदा-कदा कमी, निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं की तरफ से विभिन्न कारणों जैसे परिवहन समस्या, उत्पादन बाधाओं इत्यादि की वजह से देरी हो जाने से हो सकती है। कुछ थोड़ी-सी वस्तुएं, जिनका अधिकांशतः स्थानीय उत्पादन होता है, मांग प्राप्त होने पर अनुमोदित निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सीधे ही भण्डारों को आपूर्ति की जाती हैं। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि भण्डारों में वस्तुएं उपलब्ध रहें और आवश्यकता से ज्यादा सामान इकट्ठा न हो। यह विपणन और सामान प्रबंध प्रणाली केन्द्रीय भण्डार के लिए उपयुक्त और लाभदायक है और इसमें परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## आन्ध्र प्रदेश में पेयजल आपूर्ति

1715. **श्री आर. साम्बासिवा राव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में पेयजल की अत्यधिक कमी को मद्देनजर रखते हुए राज्य में सभी को पेयजल प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है/पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) :** (क) से (ग). जल आपूर्ति मुख्यतः राज्य का विषय है इसलिए जल-आपूर्ति योजनाओं का नियोजन, निष्पादन और रख-रखाव करना राज्य सरकार का दायित्व है। तथापि, शहरी सुलभ जल-आपूर्ति के केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम में 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले शहरों के लिए जल-आपूर्ति योजनाएं बनाने हेतु राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत सहायता मुहैया कराई गई है। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य योजना में शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई सेक्टर के तहत 8 वीं योजना परिव्यय 295.20 करोड़ रुपये है। प्रथम चार वर्षों के लिए वास्तविक व्यय/परिव्यय इस प्रकार है :-

| | |
|---|---|
| 1992-93 | 60.52 करोड़ रु. (वास्तविक) |
| 1993-94 | 56.81 करोड़ रु. (वास्तविक) |
| 1994-95 | 79.81 करोड़ रु. (वास्तविक) |
| 1995-96 | 90.93 करोड़ रु. (परिव्यय) |

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार राज्य में आंशिक रूप से लाभान्वित 17777 बस्तियां हैं और 1996-97 के लिए 3100 बस्तियों में शुद्ध जल मुहैया कराने का लक्ष्य है। ग्रामीण सुलभ जल-आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 1996-97 के लिए नियतन 66.18 करोड रु. है जिसमें से 22.08 करोड़ रु. जारी किये जा चुके हैं।

[हिन्दी]

### पवन ऊर्जा स्रोत

1716. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए आज तक चुने गए उचित स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हुईं; और

(ग) इस संबंध में इकाईवार और वर्षवार कितनी राशि आवंटित की गई और इसमें क्या प्रगति हुई है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा के दोहन हेतु 18 कि.मी. प्रति घं. की न्यूनतम वार्षिक औसत पवन गति अपेक्षित है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पवन गति बहुत कम है जिसके कारण पवन विद्युत उत्पादन संभाव्य नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

### उड़ीसा में पनबिजली परियोजनाएं

1717. **डॉ. कृपासिन्धु भोई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितनी पन बिजली परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या समय निर्धारित किया गया है; और

(ग) राज्य में ऊपरी इन्द्रावती एवं अन्य पन बिजली परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) :** (क) उड़ीसा जल विद्युत निगम लि. द्वारा उड़ीसा में दो पन-बिजली परियोजनाएं (3 मे.वा. से अधिक) क्रियान्वयनाधीन है। ये परियोजनाएं ऊपरी इन्द्रावती जलविद्युत परियोजना - 600 मे.वा. (4X150 मे.वा.) और पोत्तरू जल विद्युत परियोजना 6 मे.वा. (2X3 मे.वा.) है।

(ख) और (ग). ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

### विवरण

| परियोजना का नाम | चालू किए जाने कि लिए निर्धारित तिथि | कार्य की वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| 1. उपरी इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना | यूनिट-1 सितंबर, 1998<br>यूनिट-2 जनवरी, 1999<br>यूनिट-3 मई, 1999<br>यूनिट-4 सितंबर 1999 | बांध और कुण्डों से संबंधित अधिकतर सिविल निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं और हैडरेस सुरंग, अंतर्ग्राही संरचना और मुरान बांध का शेष कार्य प्रगति पर है। मुख्य टरबाईन जनरेटरों के उत्थापन का कार्य चल रहा है। 400 के.वी. स्विचयार्ड लगभग पूरा हो गया है और अन्य वैद्युत में भी पर्याप्त प्रगति हो चुकी है। |
| 2. पोतरू जल विद्युत परियोजना | यूनिट-1 मार्च, 1997<br>यूनिट-2 जून, 1997 | विद्युत गृह, विपथन बेयर हैडरेस सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा है। जेनरेटर उपस्करों की आपूर्ति के ठेके प्रदान कर दिए गए हैं और अधिकतर उपस्कर पहले ही खरीदे जा चुके हैं। |

**'कपार्ट'**

**1718. डा. अरूण कुमार शर्मा :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम में 'कपार्ट' के अन्तर्गत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है और ये परियोजनायें कहां-कहां आरम्भ की जानी हैं; और

(ख) परियोजनावार अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई, जारी की गयी और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) :** (क) और (ख). विगत तीन वर्षों के दौरान असम में स्वैच्छिक एजेन्सियों के लिए कापार्ट द्वारा स्वीकृत की गयी परियोजनाओं, मंजूर की गयी राशि तथा रिलीज की गयी राशि का ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है।

कापार्ट उपयुक्त किस्मों में मंजूर की राशि स्वैच्छिक एजेन्यों के लिए रिलीज करता है। निधियों की प्रथम किस्त के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने पर, आगामी निधियों की रिलीज से पहले परियोजना का भौतिक मूल्यांकन किया जाता है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर संबद्ध स्वैच्छिक एजेन्सी से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं लेखा-परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करे। इस स्थिति में, कापार्ट भी परियोजना का अन्तिम मूल्यांकन करता है, जिससे निधियों के सही प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

**विवरण**

**गत तीन वर्षों के दौरान कपार्ट द्वारा संस्वीकृत असम में प्रयोजनाओं के ब्यौरे**

| क्रमांक | स्वैच्छिक एजेन्सियों के विवरण | योजना का नाम | संस्वीकृत राशि (रुपये में) | रिलीज की गई राशि (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | शान्तिसाधना आश्रम बिलटोला, वशिष्ठ जिला गोहाटी, आसाम | डवाकरा | 3.60,000/- | 3,60,000/- |
| 2. | बरनीसारी युवक संघ पो.ओ. बारननीबारी जिला नालबाडी, असम | डवाकरा | 1,10,464/- | 1,10,464/- |
| 3. | स्वाहिद कनकलता, शिल्प कला केन्द्र, पो.ओ. कावरी पठार, जिला, सोनितपुर, असम | ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवी कार्यों को प्रोत्साहन | 1,59,500/- | 1,59,500/- |
| 4. | ग्राम लोक सेवा संघ पो.ओ. निजधामधामा जिला नलबाडी | जे.आर.वाई | 6,20,400/- | - |
| 5. | असमर्थ लोगों की समिति को सहायता डाकघर मोरीगांव, असम | सी.आर.एस.पी | 1,01,200/- | 1,01,200/- |
| 6. | बारनीबारी, युवक संघ डाकघर बारनीबारी जिला नालबाडी, असम | -वही- | 2,02,400/- | - |
| 7. | बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति, नूरनगर, डाकघर. हेरापोटी वाया, हेबर गांव जिला नवगांव, असम | ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी | 4,86,900/- | 92,517/- |
| 8. | कारपुंगली (के) सोसाइटी, गोव, डाकघर चबाटी, जिला लखीमपुर, असम | -वही- | 1,56,250/- | 1,56,250/- |
| 9. | शान्ति साधना आश्रम बेलतोला, वशिष्ठ, जिला गोहाटी, असम | -वही- | 5,42,000/- | 5,42,000/- |
| 10. | स्वाहिद कनकलता, शिल्पकला केन्द्र पो.ओ. कावरी | लाभार्थियों का संगठन | 27,500/- | 27,500/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | प्रणति संघ श्रीहती गांव/डाकघर वाया सोलकुची, जिला कामरूप, असम | लाभार्थियों का संगठन | 27,500/- | 27,500/- |
| 12. | अताभवकुमारी सोसाइटी डवलपमैंट-एसोसिएशन, डाकघर, श्रुतपा, जिला बारपेटा असम | -वही- | 27,500/- | 10,000/- |
| 13. | उत्तरपूर्वी प्रभावित क्षेत्र विकास सोसाइटी, डाकघर एवं ग्राम बाम घकीय खोवा जिला जोरहा, असम | -वही- | 27,500/- | 10,000/- |
| 14. | नकुची नभनगरन उथीभर्द, गांव नकुची जिला बारपेटी, असम | -वही- | 27,500/- | |
| 15. | बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति नूरनगर, वाया हैबारगांव, जिला नागाव असम | वाटशैड प्रबंध योजना | 4,39,212/- | - |
| 16. | देशभक्त ग्रामीण विकास, भक्तर डाबा बाजार नालीगांव बारपेटा, असम | समन्वित ग्रामीण विकास | 1,00,027/- | 57,463/- |
| 17. | बारखेतरी उन्नदन समिति पो.ओ. मुकालामाओ, जिला - नालवारी | डवाकरा | 2,55,000/- | - |
| 18. | मोरीगांव जन कल्याण समिति पो.ओ. मोरीगांव जिला नौगांव, असम | जे.आर.वाई | 4,02,000/- | 4,02,000/- |
| 19. | हेल्प फार कॉमन पिपल समिति, गांव-गुमामारा पो.ओ.जलगुरी, जिला-मोरीगांव असम | जे.आर.वाई. | 3,08,200/- | 3,08,200/- |
| 20. | ऑल इंडिया रूरल महिला अपलिफ्टमेंट एसोसिएसन, लंका गांव, पो.ओ.लंका, जिला नौगांव, असम | केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | 1,01,200 | 1,00,200/- |
| 21. | बोलोमा यावा विकास केन्द्र, पो.ओ. बोलोमा, वाया टियोक, जिला - जोरहाट, असम | -वही- | 1,13,850/- | - |
| 22. | स्वैच्छिक स्वास्थ्य एसोसिएशन असम, लखीमी पथ, आर.जी. बारौम रोड, गुवाहाटी, जिला - गुवाहाटी, असम | केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | 2,20,000/- | 2,20,000/- |
| 23. | ऑल इंडिया सेंटर फॉर अरबन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, बाकाखाल, जिला-गुवाहाटी, असम | त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम | 2,76,200/- | 1,43,900/ |
| 24. | अंचालिक ग्राम उन्नयन परिषद् पो.ओ. - जैनिया, जिला - बारपैटा, असम | -वही- | 2,47,500/- | 1,23,750/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25. | ग्राम विकास हैबरगांव, ढिंग रोड, जिला – नौगांव, असम | त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम | 2,55,600/- | - |
| 26. | विद्या विकास केन्द्र, ऊपरी मंजिल, न्यू नटराज होटल, जी.एस.रोड, दिसपुर, गुवाहाटी | लाभार्थियों का संगठन | 2,98;200/- | 2,40,200/- |
| 27. | शान्ति सद आश्रम 'शान्तिवन' बशष्ठा, बेलतोला, गुवाहाटी | -वही- | 1,57,500/- | 1,57,500/- |
| 28. | बहुमुखी कृषि अरू समाज कल्याण समिति, छोट्टा रूपाथी, नूर नगर, हेरापत्ती, हैबरगांव, नौगांव | केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | 2,92,800/- | 2,92,800/- |
| 29. | बारतेजपुर अग्रागामी पुथीमशल कुकुमारा, कामरूप | त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम | 1,15,623/- | 1,15,623/- |
| 30. | जलुगुटी अग्रगामी महिला समिति, जलुगुटी, मोरीगांव | केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | 1,09,743/- | 1,09,743/- |
| 31. | मानव कल्याण समिति राजेश्वरपुर पार्ट – 6, काटागांव, हैलाकोंडी, कैशर | -वही- | 1,16,713/- | 59,357/- |
| 32. | जनप्रिया क्लब, बी. आनभुगिया, चारसीबाही, मोरीगांव | -वही- | 2,33,150/- | 1,18,075/- |
| 33. | ग्लोबल हेल्थ इम्यूनाईजेसन रंगालु, जामारपुर, नौगांव | त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम | 1,71,509/- | - |
| 34. | तापूलपुर ऑचलिक ग्रामदान संघद्द, कुमारीकाटा, नालाबाड़ी | लाभार्थियों का संगठन | 1,56,030/- | - |
| 35. | कुल ग्रामीण विकास परियोजनाएं देबाचारा, बारमा, नालबारी | ग्रामीण आवास | 3,38,100/- | 2,02,860/- |
| 36. | प्रणति संघ, श्रीहती, कामरूप | सीँआरएसपी | 2,49,950/- | 1,24,975/- |
| 37. | बरनीबारी युवक संघ बरनीबारी, बरनीबारी, नालबारी | -वही- | 2,29,425/- | 1,14,712/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 38. | असम गांधी स्मारक निधि<br>मारामी पाजा, उलूबारी<br>गोहाटी | डवाकरा | 2,30,000/- | 1,75,600/- |
| 39. | मानव शक्ति जागरण<br>गोपाल बाजार, नालबारी | सीआरएसपी | 2,06,240/- | - |
| 40. | चांदमारी यूथ क्लब<br>लीला छैला, करीमगुंज | -वही- | 1,57,940/- | 82,160/- |
| 41. | अम्बिकागिरी मेमोरियल ट्रस्ट<br>सिल्पुखुरी, गोहाटी | ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन | 1,25,120/- | 83,320/- |
| 42. | शैल्टर मुख्यालय छोकपोट,<br>पश्चिम गारो हिल्स, मेघालय<br>परोजैक्ट साइट: कामरूप, असम | एचडीपी | 4,29,502.50/- | - |
| 43. | -वही- | -वही- | 4,29,502.50 | - |
| 44. | -वही- | -वही- | 4,13,595/- | - |
| 45. | पर्वतापुर बोवाकटा समिति<br>मेरबिल, हारमुति,<br>लखीमपुर, असम | -वही- | 4,29,502.50/- | |
| 46. | -वही- | -वही- | 4,29,502.50/- | |
| 47. | -वही- | -वही- | 4,13,595/- | |
| 48. | मोरीगांव महिला महफिल<br>मोरीगांव, असम-5 | डीएचपी | 4,29,502.50/- | |
| 49. | -वही- | -वही- | 4,29,502.50/- | |
| 50. | -वही- | -वही- | 4,13,595/- | |
| 51. | अरूनुदया विकास समिति<br>जागीभक्तागांव, मायंग,<br>मोरीगांव-11, असम | सीआरएसपी | 2,29,425/- | - |
| 52. | ग्लोबल हैल्थ इम्युनिसेशन<br>एंडपापुलेशन कंट्रोल ओरगेनाइजेशन<br>रंगालु, जुमारपुर, नागांव,<br>असम | -वही- | 2,29,425/- | - |
| 53. | ग्राम लोक सेवा संघ<br>धमधमा, निज धमंधमा,<br>नालबारी, असम | डवाकरा | 2,42,900/- | |
| 54. | हरिजन सेवक संघ<br>किंग्सवे, दिल्ली<br>(कामरूप जिला) | लाभार्थियों का संगठन | 7,42,700/- | 4,20,000 |

**अतिक्रमण**

**1719. श्री जगमोहन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी मामले संबंधी मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, एल.एण्ड.डी.ओ. और अन्य विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की कितने हेक्टेयर सरकारी भूमि का गैरकानूनी तरीके से अतिक्रमण किया गया है। उन पर भवनों का निर्माण किया गया है;

(ख) इस कारण कितनी सरकारी परियोजनाओं और विकासात्मक कार्यों को रोक दिया गया है और इसमें कितनी धनराशि अन्तर्निहित है; और

(ग) इस प्रकार के अतिक्रमणों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलु)** : (क) भूमि तथा विकास कार्यालय की करीब 37 एकड़ भूमि तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को देखभाल और रख-रखाव के लिए अंतरित भूमि तथा विकास कार्यालय की करीब 644 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की करीब 39.8 हैक्टेयेर भूमि पर भी अतिक्रमण है। मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उपक्रम की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।

(ख) सरदार पटेल मार्ग के बगल में 6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मंजूर सामान्य पूल आवास निर्माण की योजना को अतिक्रमण के कारण रोक दिया गया है।

(ग) अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:

(1) अतिक्रमण की संभावना वाली खाली भूमि के चारों ओर तारों की बाड़ तथा चाहरदीवारी बनाई जा रही है।

(2) फील्ड अधिकरियों को चौकस रहने और अतिक्रमण करने वालों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है।

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : इससे पहले कि मैं किसी सदस्य को बोलने के लिए कहूं, कृपया मुझे सुनिए।

**[हिन्दी]**

एक मिनट सुन लें। कल सभी दलों के नेताओं की मीटिंग हुई थी और उसमें यह चर्चा हुई थी कि शून्य काल में विषयों को कैसे चुना जाए और किस सदस्य को बुलाया जाए। उस मीटिंग में तय हुआ था कि अभी जो सिस्टम है वही ठीक रहेगा। श्री अरविंद शर्मा।

**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)** : महोदय, उड़ीसा के संसद सदस्य संसद भवन के मुख्य द्वार पर धरने में बैठे हुए हैं माननीय रेल मंत्री जी यहां हैं। वह उनसे वार्ता करें ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैने श्री अरविंद कुमार शर्मा को बोलने के लिए बुलाया है।

...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, मैंने पहले ही श्री अरविंद कुमार शर्मा को बोलने के लिए बुलाया है

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कोई बात रिकार्ड में नहीं आएगी। आप बैठ जाएं। कुछ भी रिकार्ड में नहीं आएगा।

**(व्यवधान)***

**[अनुवाद]**

**श्री संतोष मोहन देव** (सिल्चर) : महोदय, हम आपके निर्णय का पालन करेंगे। कहना यह है कि उड़ीसा के लगभग 15 से 20 संसद सदस्य संसद भवन के मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। माननीय रेल मंत्री ने सभी राज्यों के प्रतिधिनियों से मुलाकात की है, हर कोई संतुष्ट है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे उन्हें अपनी सुविधानुसार बुलाएं और उनके साथ बैठक करें ...**(व्यवधान)**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** (दमदम) : उनके अनुसार क्या यह पहली बार हुआ है कि उड़ीसा की उपेक्षा की गई है ...**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : मैं संतोष मोहन देव जी से और मनोरंजन भक्त जी से आग्रह करूंगा कि लंच के समय जो सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं, हम उनसे बातचीत कर लेंगे ...**(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आपको मौका दूंगा।

**(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : रेल मंत्री ने उड़ीसा की हमेशा उपेक्षा की है। पिछले वर्ष भी रेल मंत्री ने उड़ीसा की उपेक्षा की थी।

[हिन्दी]

**डा. अरविंद शर्मा** (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जहां एक तरफ बाढ़ से त्राहि-त्राहि मची हुई, वहीं दूसरी तरफ बारिश न के बराबर हुई है। उसकी वजह से जो धान की फसल है, उस पर आने वाले समय में बहुत बुरा असर पड़ेगा। हरियाणा मे कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे राई ब्लाक में खड़ी फसल का 90 प्रतिशत हिस्सा पैडी क्राप ग्रोइंग एरिया है। उसी तरह से गोहाना क्षेत्र में 70 प्रतिशत हिस्सा पैडी क्राप ग्रोइंग एरिया है, जुलाना का 70 प्रतिशत हिस्सा पैडी क्राप ग्रोइंग एरिया है और बरोदा का सात प्रतिशत इलाका भी पैडी क्राप ग्रोइंड एरिया में है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हरियाणा सरकार को निर्देश दिया जाए कि पैडी क्राप ग्रोइंग एरिया को ज्यादा से ज्यादा बिजली की सप्लाई की जाए। कुछ ब्लाक्स में जहां इंडस्ट्रियल एरिया कवर होता है, वहां पर एस.डी.ओ., जूनियर इंजीनियर, अधिशासी इंजीनियर आदि ज्यादा से ज्यादा बिजली की सप्लाई कर रहे हैं और हमारे गरीब किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। अगर अभी पैडी क्राप ग्रोइंए एरिया में इस ग्रोइंग सीजन में ज्यादा से ज्यादा बिजली नहीं मिली तो जैसे गन्ने की फसल की हालत हुई है, वैसे ही धान की फसल को भी हानि होने वाली है, क्योंकि इस सरकार से वहां के लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रोइंग सीजन में बिजली की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा की जाए और उन अधिकारियों पर चैक रखा जाए जो बाहर से आई हुई बिजली को भी किसानों को कम देते हैं और इंडस्ट्रीज वालों को ज्यादा देते हैं।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

**श्री किशन लाल दिलेर** (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र छेरत में जो एग्रो इंडिया फैक्टरी के नाम से केन्द्र सरकार ने लाइसेंस दिया है, वह एशिया में सबसे बड़ा कट्टीघर होगा। उसमें हजारों पशु गाय आदि काटे जाएंगे और उसका मांस विदेशों को सप्लाई होगा। इस कट्टीघर से वातावरण दूषित होगा, किस्म किस्म की बीमारियां पैदा होंगी और पशुओं का अभाव भी होगा। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : महोदय, जब आप पीठासीन हैं तो किसी सदस्य का आप तक आना अनुचित है, वह नए सदस्य हैं आपको उन्हें सलाह देनी होगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : परामर्श देने के लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री किशन लाल दिलेर** : जनता आए दिन प्रदर्शन, धरना आदि देकर जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश एवं केन्द्र सरकार को ज्ञापन भिजवाती रहती है परन्तु आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : दिलेर जी, यह 377 नहीं है जो आप पढ़कर सुना रहे हैं। संक्षेप में अपनी बात कहिए।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने उनको बोलने के लिए कहा है, उनको बोलने दीजिए।

**(व्यवधान)**

**श्री किशन लाल दिलेर** : मान्यवर, अलीगढ़ में छेरत गांव में एशिया का सबसे बड़ा जो कट्टीघर बनाया जा रहा है, उस कट्टीघर में हजारों पशु रोजाना काटे जाएंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त फैक्टरी का लाइसेंस रद्द करके कट्टीघर को बंद किया जाए वरना जनपद अलीगढ़ की जनता कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाएगी। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए, मैं आपको अनुमति दूंगा। मैंने श्रीमती कृष्णा बोस को अनुमति दी है।

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**उपाध्यक्ष महोदय** : ऐसे कुछ भी सुना नहीं जा सकता।

[अनुवाद]

मैंने उन्हें अनुमति दी है। उन्हें बोलने दीजिए।

**(व्यवधान)**

**श्रीमती कृष्णा बोस** (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं माननीय सदस्यों के साथ चिल्लाने में प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकती। क्या माननीय सदस्य मुझे एक मिनट देंगे क्योंकि मैं माननीय सदस्यों के साथ चिल्लाने में प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकती?

महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा का ध्यान पश्चिम बंगाल में पेय जल के संखिया जहर बनने के कारण उत्पन्न जीवन और मृत्यु

की समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं। यह एक तात्कालिक मामला है। हम अचानक हुई मृत्यु और अचानक हुई हत्या से उत्तेजित हैं जो कुछ समय से हो रहा है। एशिया आरसेनिक नेटवर्क ने एक सर्वेक्षण कराया है जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में पेय जल की स्थिति विश्व की सबसे बड़ी विपदा है। यह एशिया आरसेनिक नेटवर्क द्वारा किए गए सर्वेक्षण का निष्कर्ष है।

अब मैं आपके माध्यम से सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगी कि संखियाकया का पता दक्षिण 24 परगना और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के छः अन्य जिलों में लगा है। इससे 37,000 वर्ग किलोमीटर और 34 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय के पर्यावरण अध्ययन स्कूल ने भी एक सर्वेक्षण किया है। उन्होंने पाया कि 200,000 लोग यह चौंकाने वाले आंकड़े हैं- संखिया जनित रोगों से पीड़ित हैं। मेरे पास बीमारियों की भयावह सूची है और मैं बाद में इसे सभा पटल पर रखना चाहूंगी ताकि माननीय मंत्री इसे देख सकें।

मैं अब उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह सरकार को तात्कालिक कार्यवाही करने को कहे ताकि लोगों को अल्पकालिक राहत मिल सके क्योंकि संखिया प्रभावित नलकूप बंद कर दिए गए हैं परंतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा दीर्घकालीन समाधान खोजने की जरूरत है ताकि अच्छा सुरक्षित पेयजल पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर वाटरशेड प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लोगों को उपलब्ध किया जा सके।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पी. उपेन्द्र।

**श्री पी. उपेन्द्र** (विजयवाड़ा) : मैं बोलने का अपना मौका डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी को दूंगा। वह इस मामले को उठाएंगे। हम दोनों ने एक ही विषय पर सूचना दी है।

**श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** (औरंगाबाद) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** (कुडप्पा) : मुझे अफसोस है कि मैं आंध्र प्रदेश में कानून तथा व्यवस्था की पूरी तरह से बिगड़ गई स्थिति से सभा को अवगत करा रहा हूं। पिछली रात श्री रामन्ना रेड्डी नाम के एक पूर्व विधायक के भाई श्री ओबुल रेड्डी।...

**श्री रूप चन्द पाल** : (हुगली) : कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न राज्य का विजय है ...**(व्यवधान)**

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : बम्बई में हुए विस्फोट का मामला इस सभा में उठाया गया था। बम्बई में हुए विस्फोट का मामला कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या यह इस सभा में नहीं उठाया गया था?

**श्री पी. उपेन्द्र** : हो सकता है कि कानून तथा व्यवस्था राज्य की समस्या है। परन्तु इसे यहां उठाने में कोई असाधारण बात नहीं है। हम बिहार के बारे में चिन्तित हैं, हम उत्तर प्रदेश के बारे में चिन्तित हैं, इनको यहां उठाना क्या गलत है? वह इसको यहां उठा सकते हैं। यह एक गंभीर मामला है ...**(व्यवधान)**

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : मैं एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या बम्बई में हुए विस्फोट का मामला इस सभा में नहीं उठाया गया था? इसी प्रकार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गोलियों से उड़ा दिया गया था ...**(व्यवधान)** पिछली रात को कोई श्री ओबुल रेड्डी और दो अन्य व्यक्तियों की हैदराबाद में नृशंस हत्या कर दी गई थी ... **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : देखिए, ला-एंड-आर्डर स्टेट का विषय है, फिर भी नॉन- कन्ट्रोवर्शियल शब्दों में अपनी बात वह दीजिए, जिससे इस तरह की बात न उठे।

**[अनुवाद]**

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : महोदय, मैं जानता हूं। मुझे पता है कि क्या राज्य का विषय है और क्या राज्य का विषय नहीं है ...**(व्यवधान)** हरिजनों और दुर्बल लोगों पर अत्याचार न केवल राज्य का विषय है अपितु वे समवर्ती विषय भी हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप ठीक कह रहे हैं।

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : बम्बई में हुए विस्फोट जैसी बातों पर भी इस सभा में चर्चा हुई थी।

**श्री बसुदेव आचार्य** : वह अलग बात है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप कृपया अपनी बात कह लीजिए।

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : पिछली रात श्री रमन्ना रेड्डी नाम के एक पूर्व विधायक के भाई श्री ओबुल रेड्डी और दो अन्य व्यक्तियों की हैदराबाद शहर में नृशंसापूर्वक हत्या कर दी गई थी। तीन दिल पहले श्री पिन्ना मनेनी बालकृष्णन, जो एक इंटक नेता था, गुडीवडा में मारे गए। एक सप्ताह पहले कृष्णा जिले में गुडीवडा के निकट छोटपल्ली नामक स्थान में दुर्बल वर्ग से सम्बन्ध रखने वाला एक कांग्रेसी मारा गया। दो सप्ताह पहले कृष्ण जिले के कोडु मंडल, वेणुगोपालपुरम में अनुसूचित जाति के तीन कांग्रेसी मारे गए। तीन सप्ताह पहले कुडप्पा जिले में चिंतालाजुदु नामक एक गांव में दो कांग्रेसी मारे गए। प्रकाशम जिले के त्रिपुरनतकम मंडल में दो कांग्रेसी मारे गए ...**(व्यवधान)**

महोदय, पांच सप्ताह पहले एक पूर्व संसद सदस्य मद्दूरू सुब्बा रेड्डी जो इस सम्मानीय सभा के सदस्य थे मारे गए थे। एक 82 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति और एक पूर्व संसद सदस्य कुरनूल जिले में नृशंसापूर्वक मारे गए थे और छः सप्ताह पूर्व प्रकाशम जिले के रेनागिपुरम नामक गांव में एक बार में ही सात कांग्रेसी मारे गए थे। आठ सप्ताह पूर्व एक पूर्व विधायक शेजा रेड्डी कुरनूल जिले में मारे गए थे ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया समाप्त कीजिए।

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : और इससे पहले एक वर्तमान संसद सदस्य श्री मागुंता सुब्बरमा रेड्डी ...**(व्यवधान)** वह मारे गए थे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप क्या चाहते हैं?

**(व्यवधान)**

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : मैं इस बात पर आ रहा हूं। मुझे स्पष्ट करने दें। कांग्रेसी सामान्य परिस्थितियों में नहीं मारे जा रहे हैं अपितु उन्हें बमों से उड़ाया जा रहा है ...**(व्यवधान)**

**जस्टिस गुमाल मल लोढा** : जो समर्थन आप उन्हें दे रहे हैं यह इसी का परिणाम है ...**(व्यवधान)**

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : अनन्तपुर जिले में एक विस्फोट हुआ था जिसमें 9 कांग्रेसी मारे गए थे ...**(व्यवधान)** यह सब क्या हो रहा है? ये विस्फोट नक्सलियों द्वारा नहीं किए गए थे। यह विस्फोट विरोधी राजनैतिक गुटों द्वारा किये गए थे जिन्हें राज्य सरकार का नीतिगत समर्थन प्राप्त था हमें क्या करना है? वे पूरी तरह से एक तरफा हैं। ईमानदार और स्पष्टवादी पुलिस अफसरों को पीछे छोड़ दिया गया है। उन्हें उचित नियुक्ति नहीं दी जा रही है ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया समाप्त कीजिए।

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : वे एक तरफा ढंग से काम कर रहे हैं और कांग्रेसियों पर झूठे मामले थोप रहे हैं ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया समाप्त कीजिए।

**(व्यवधान)**

**श्री रमेश चेन्नित्तला** (कोट्टायम) : वें अपना वक्तव्य जारी रखें ...**(व्यवधान)**

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : पुलिस निरपराध लोगों को मारी रही है। पुलिस मुठभेड़ों में लगी हुई है। अलग-अलग मुठभेड़ों में शाहुल, चलापत्ती और पांच अन्य व्यक्ति मारे गए हैं। ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया इसे एक और मिनट में समाप्त करें।

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : कुडप्पा जिले में स्थिति बहुत ही खराब है और लोग निर्दयी हो गए हैं। कानून तथा व्यवस्था का कोई पालन नहीं कर रहा है। यहां तक कि मुझे स्वयं पिछले आम चुनावो के दौरान उच्च न्यायालय के पास उसे एक मामूली निर्देश देने के लिए कहने जाना पड़ा ...**(व्यवधान)** इस बारे में यह कोई असाधारण अथवा असामान्य बात नहीं है। मैंने चुनावों के दौरान तीन विभिन्न मौकों पर उच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि उन सभी लोगों को जिन्हें स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है 24 घंटों के अंदर निर्दिष्ट कोर्ट में भेजा जाए ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया समाप्त कीजिए। या मुझे अगले सदस्य को बोलने के बुलाना पड़ेगा।

**(व्यवधान)**

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : उच्च न्यायालय के निदेश के बावजूद पुलिस ने वह नहीं किया। पेनुगोंडा नाम की एक अन्य जगह ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अब श्री कांशी राम को बुलाऊंगा। कृपया बैठ जाइए। यही सब कुछ है।

**श्री पी. उपेन्द्र** : महोदय, हम गृह मंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह स्थिति को देखें। मेरी केवल यही मांग है कि गृह मंत्रालय को . ..**(व्यवधान)**

**डा. वाई.एस. चन्द्रशेखर रेड्डी** : कल, जब एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य मंत्री को मिला तो यहां तक कि मुख्य मंत्री जी ने, मुझे विश्वास है, अपनी असमर्थता जलाई ...**(व्यवधान)**.

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए, आपने बहुत अधिक समय ले लिया है।

...**(व्यवधान)**

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : केन्द्रीय सरकार के पास वर्तमान राज्य सरकार को बर्खास्त करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं है, राज्य सरकार को तत्काल बर्खास्त करना होगा ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : बहुत हो गया है। कृपया बेठ जाइए, गृहमंत्री जी यहां नहीं हैं।

**(व्यवधान)**

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : भारत के संविधान का एक कार्य हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है। यह निश्चित रूप से पुनीत कर्तव्य है। कृपया आम आदमी के मन में विश्वास पैदा करने के लिए गृहमंत्री को वहां भेजें। कृपया गृहमंत्री को आंध्र प्रदेश राज्य में भेजने के लिए कहें। हम यह भी चाहते हैं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री कांशीराम को बुलाता हूं। कृपया उन्हें सुनिए।

**(व्यवधान)**

**डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : महोदय, किसी को मेरा उत्तर देना होगा ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपने काफी समय ले लिया है।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि वे और बोलेंगे तो कार्यवाही वृतांत में कुछ नहीं जाएगा। कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृतांत में कुछ नहीं

जाएगा। यह काफी है। आप बैठ क्यों नहीं जाते? यह ठीक बात नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : जी हां, यह आप तक है

**अपराह्न 12.20 बजे**

**इस समय डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें बैठने दें; मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**(व्यवधान)**

**श्री रेमश चेन्नित्तला** : यह एक तात्कालिक मामला है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पिछले एक हफ्ते के दौरान आंध्र प्रदेश में अनेक लोग मारे गए। यह एक बहुत गंभीर मामला है और संसदीय कार्य मंत्री को प्रतिक्रिया होनी चाहिए ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप श्री कांशी राम को बोलने की अनुमति देंगे?

**(व्यवधान)**

**श्री रमेश चेन्नित्तला** : महोदय, यह एक गंभीर मामला है। संसदीय कार्य मंत्री को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। इतने अधिक संख्या में लोग आंध्र प्रदेश में मारे जा रहे हैं। हम हर रोज आंध्र प्रदेश में कुछ कांग्रेसियों और अन्य लोगों को मारे जाने की खबरें सुनते हैं। संसदीय कार्यमंत्री यहां उपस्थित हैं और उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए ...**(व्यवधान)**

**अपराह्न 12.22 बजे**

**इस समय श्री येल्लैया नंदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए। ...(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए, मुझे भी कुछ कहने दीजिए।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा यहां बैठने वाले माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे वापस जाकर अपनी-अपनी जगह बैठ जाएं।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा यहां बैठे हुए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे वापस अपने स्थानों पर जाएं, पहले आप जगह खाली करिए तब ही मैं सरकार को निर्देश दे सकता हूं।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले आप जगह खाली करिए।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : महानुभावों, जब तक वे जगह खाली नहीं करते हैं मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी नहीं जाएगा।

**(व्यवधान)***

**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहां तक कि मंत्री जी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे स्थान खाली नहीं करते हैं।

**(व्यवधान)**

**अपराह्न 12.24 बजे**

इस समय डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, येल्लैया नंदी और अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थानों पर वापस चले गये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया उन्हें सुनिए।

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**उपाध्यक्ष महोदय** : हां, अब बोलिए।

[अनुवाद]

**ससंदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना)** : जो कुछ सभा में कहा गया है, सरकार ने उसे नोट किया है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि हम मध्याह्न भोजन के बाद अलग से इस मामले पर चर्चा करेंगे ...**(व्यवधान)**

**श्री पी. उपेन्द्र** : आपने अभी कहा है कि गृहमंत्री इस मामले की जांच कराएंगे और सभा को इसकी रिपोर्ट देंगे ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री कांशी राम** (होशियारपुर) : कल हमारी पार्टी की स्टेट बॉडी की मीटिंग होने के कारण बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन में नहीं पहुंच सके। सदन में कल हमारी पार्टी के बारें में एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू हमारी गैर-हाजिरी से डिस्कस हुआ। बहुजन समाज पार्टी की जनरल सैक्रेट्री मायावती के ऊपर जान लेवा हमला किया गया ...**(व्यवधान)**

**श्री बृज भूषण तिवारी** (डुमरियागंज) : यह मामला दुबारा सदन में क्यों उठाया जा रहा है? ...**(व्यवधान)**

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपने उनकी बात सुनी भी नहीं है। उनकी बात सुनने से पहले ही नतीजे पर पहुंच गए।

**(व्यवधान)**

**श्री कांशी राम** : मैं एक बात कहना चाहता हूं। कल इस सदन में कहा गया ...**(व्यवधान)**

**डा. मुरली मनोहर जोशी** (इलाहाबाद) : कांशीराम जी को बोलने दिया जाए।

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपनी आत कहने दीजिए

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : एक मिनट सुन लीजिए।

**श्री बृज भूषण तिवारी** : यह गलत परम्परा है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइए और उनकी बात सुन लीजिए।

**[अनुवाद]**

क्या आप मुझे सुनेंगे।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें पहले बोलने दीजिए।

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह क्या तरीका है? उन्होंने अपनी बात कही भी नहीं है और आप इस नतीजे पर पहुंच गए। पहले उन्हें बोलने दीजिए।

**श्री कांशी राम** : कल इस सदन में कहा गया कि स्टेट का मैटर इधर डिसकस नहीं होगा आज भी हमारे साथी ने कहा कि यहां स्टेट का मैटर डिसकस नहीं होगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है ..

**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह उचित नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**(व्यवधान)***

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**[हिन्दी]**

**श्री कांशी राम** : उत्तर प्रदेश का बजट इस सदन में डिसकस होकर पास होगा। इससे कोई नई परम्परा नहीं बनती है। बाकी स्टेट्स का बजट स्टेट में ही डिसकर होकर पास होता है लेकिन जिस स्टेट में राष्ट्रपति शासन हो, उस स्टेट का बजट संसद में डिसकस होकर पास होता है। इससे कोई नई परम्परा नहीं बनती है ...**(व्यवधान)**

**एक माननीय सदस्य** : यह हाउस का कस्टम है।

**श्री कांशी राम** : रमेश चन्द्र समिति की रिपोर्ट इस सदन में रखी जानी चाहिए और उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। जिस दिन देवेगौड़ा जी ने विश्वास मत प्राप्त करने के लिए हम लोगों से रिकवैस्ट की थी, हमने उसी दिन उनसे कहा था कि आप लोगों की सरकार अराजक तत्वों को रोक नहीं सकेगी। ...**(व्यवधान)** जिस सरकार में अराजक तत्वों को बढ़ावा दिया जाता हो, वहां अराजक तत्वों को रोका नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में ऐसे अराजक तत्वों को बढ़ावा देने का मामला एक सबसे बड़ा मामला है।

जो महिला तीन जून को मुख्यमंत्री बनने वाली थी, दो जून को उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ। वही आदमी जिसने पहले भी सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया था, आज भी वह सरकारी मशीनरी का उसी तरह से दुरूपयोग कर रहा है। वही अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसने मायावती के ऊपर हमला किया, वह होम मिनिस्ट्री में स्पैशल सैक्रेटरी है। होम मिनिस्ट्री की मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया जाता है। इसलिए इस रिपोर्ट को सदन में रखना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है।

कल हम यहां हाजिर नहीं थे। कल कहा गया कि यह एक नई परम्परा बन जाएगी। यह नई परम्परा नहीं है। यह पुरानी परम्परा है। उत्तर प्रदेश में अराजक तत्वों को बढ़ावा देने का मामला बहुत लम्बे अर्से से चल रहा है। इसको रोकने के लिए ही मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस मसले को इस सदन में डिसकस करना बहुत जरूरी है। मेरी पुरजोर अपील है कि रमेश चन्द्र समिति की रिपोर्ट इस सदन में रखी जाए। इस पर चर्चा कर कोई न कोई नतीजा निकलना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कल भी इस इशू पर चर्चा हुई यह भी कहा गया कि यह नई परम्परा है। क्या स्टेट्स की सारी रिपोर्ट्स यहां डिसकस होगी? ऐसा कुछ नहीं है

**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाएं मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री आचार्य कृपया बैठ जाएं।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप मुझे कुछ शब्द कहने देंगे?

**[हिन्दी]**

मैंने एज ए स्पैशल केस एलाऊ किया था क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन है। मैंने कहा था कि यह प्रीसिडैंट नहीं होगा और सभी स्टेट्स की रिपोर्ट्स यहां नही आएंगी।

केवल यह एक ऐक्सैप्शन था क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति राज्य है सैंटर इन्वाल्वड है, इसलिये इसकी रिपोर्ट को यहां पर रखा जाये। ...**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**डा. मुरली मनोहर जोशी** : यह एक महिला पर अत्याचार है और अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति पर अत्याचार है ...**(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है ...**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**प्रो. रीता वर्मा** (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण मसले की ओर खींचना चाहती हूं। यह मसला रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। माननीय रेल मंत्री जी इस सदन में बैठे हुए हैं ...**(व्यवधान)**... कृपया आप मेरी बात ध्यान से सुनें क्योंकि मैं जो मामला उठाने जा रही हूं, वह माननीय सदस्यों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है ...(व्यवधान) इसलिये कहती हूं कि आप ध्यान से सुनें।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, धनबाद में मुख्य खनन सलाहकार रेल परिषद् का कार्यालय है। यह कार्यालय अंग्रेजों के ईस्ट इंडियन रेलवे के समय से काम कर रहा है। इसका काम कोयला खदानों के ऊपर से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक्स की सुरक्षा और देखभाल करना रहा है। देशभर में करीब-करीब 500 कोयला खदानों के ऊपर से रेलवे लाईनें गुजरती हैं। यह कार्यालय उन रेलवे साईडिंग्स के 45 मीटर के दोनों तरफ जाकर अंदर पता लगाती है कि भूमिगत खनन के कारण या भूमिगत खदानों में आग के कारण रेल ट्रैक्स को कोई खतरा तो नहीं है। इस काम को करने के लिये अपनी जान को खतरे में डालकर माईन्स के अंदर जाते हैं ...**(व्यवधान)**

**अपराह्न 12.32 बजे**

**(इस समय श्री इलियास आजमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)**

**प्रो. रीता वर्मा** : एक मिनट मेरी बात तो ध्यान से सुनिये। इन तमाम कोयला खदानों के ऊपर से 60 प्रतिशत से ज्यादा यात्री ट्रेनें गुजरती हैं। अभी हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट आयी है जिसमें कहा गया है कि कई एक कोयला खदानों के ऊपर से गुजरने वाली रेलवे लाईनों को खतरा है। जैसे थापर नगर स्टेशन से शामपुर कोलियरी से गुजरती हुई ग्रांड ट्रंक कार्ड, लोयाबाद स्टेशन के करीब कनकनी कोलियरी मेन जे.सी. लाईन से राजधानी और शताब्दी एक्सप्रैस गुजरती है। इसलिये इन रेलवे लाईनों की सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। ऐसे समय में रेलवे बोर्ड मुख्य खनन सलाहकार रेल परिषद् के कार्यालय को खत्म करने की साजिश कर रहा है। दूसरी बात यह है कि बोर्ड द्वारा मार्च में इसे खत्म कर दिया गया है और जो सीनियर आफिसर्स हैं उनमें से 17 पद खाली रखे गये हैं। इससे मालूम होता है कि रेलवे बोर्ड ने इस कार्यालय को खत्म करने की ठान रखी है। ऐसी स्थिति में अगर कल इन रेलवे ट्रैक्स पर कोई बड़ी दुर्घटना हुई तो यात्रियों के जान-माल की गारंटी कौन देगा। इन दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी रेलवे के ऊपर आती है। इसलिये, मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे मुख्य खनन सलाहकार रेल परिषद कार्यालय को खत्म करने से रोकें। ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया मुझें बतायें कि किस ईश्यू को लेकर आप यहां बैठे हैं?

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरी बात तो सुनें। मुझे यही जानना है कि ये लोग क्यों बैठे हैं?

**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं जानता कि वे क्यों बैठे हैं, मैं नहीं जानता कि उनकी क्या मांग है।

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा कल का रूलिंग स्टैण्ड करता है।

**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब तक वे सभा पटल के निकट फर्श पर बैठे हैं कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**(व्यवधान)***

**उपाध्यक्ष महोदय** : शून्य काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

**(व्यवधान)**

**अपराह्न 12.36 बजे**

**इस समय श्री इलियास आजमी तथा कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।**

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अपराह्न 12.36 $^1/_4$ बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

### इंडियन वेक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव का वार्षिक प्रतिवेदन और वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1995 की धारा 619 तक की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) इंडियन वेक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन वेक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 1994-95 का वार्षि प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[गंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल टी 155/96]

(ख) (एक) भारत इम्यूनोलोजिकल्स एण्ड बायोलोजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इम्यूनोलोजिकल्स एण्ड बायोलोजिकल्स, कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल टी 156/96]

(ग) (एक) न्युक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) न्युक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 157/96]

### कृषि उपज (श्रेणीकरण ओर चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा)** : कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतगत ब्रिसल्स श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1996, जो 18 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 215 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 158/96]

### तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1996, जो 27 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 152 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 159/96)

(2) पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 257 (अ), जो 27 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उन आधारों को अधिसूचित किया गया है जिनके आधार पर किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पूर्वेक्षण अथवा खनन संचालनों के लिए प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी. 160/96]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) केरोसिन (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य निर्धारण) (संशोधन) आदेश, 1996, जो 12 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 126 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (संशोधन) आदेश, 1996 जो 12

मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 127 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 161/96]

---

(व्यवधान)

**अपराह्न 12.39 बजे**

**इस समय श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए**

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अहमदाबाद में टेलीफोन्स एक महीने से आउट आफ आर्डर हैं ...**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

महोदय, अहमदाबाद में टेलीफोन सेवाएं एक महीने से अधिक समय से खराब हो रही हैं ...**(व्यवधान)**। इसका कारण यह है कि दो एजेंसियों के बीच झगड़ा चल रहा है ...**(व्यवधान)** महोदय, कृपया मुझे अपनी बात कहने के लिए दो मिनट का समय दीजिए। ... **(व्यवधान)**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : महोदय, मेरा एक दूसरा मुद्दा है। पहले आपने शून्य काल की अनुमति दी थी इसके बाद आपने सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को देखा और अब पुनः शून्य काल पर आ रहे हैं ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : महोदय, यह शून्य काल नहीं है। शून्य काल समाप्त हो गया है

**(व्यवधान)**

**श्री रूपचन्द पाल** : मैं एक बहुत ही गंभीर मामले पर बोल रहा हूं ...**(व्यवधान)**

**अपराह्न 12.39 बजे**

**इस समय श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ आए और अपने स्थान पर वापस चले गए।**

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव लेंगे।

**अपराह्न 12.39 1/2 बजे**

**[अनुवाद]**

## समिति के लिए निर्वाचन

### दिल्ली विकास प्राधिकरण

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलु)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं,

> "कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्ययन चार वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें",

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है :

> "कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (2) (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यन चार वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

---

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम नियम 377 लेंगे

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : महोदय, उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह क्या मामला उठाना चाहते हैं?

**श्री रूप चन्द पाल** (हुगली) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, पहले हम किसी प्रक्रिया पर चलते थे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा के समक्ष नियम 377 के अधीन मामले हैं। क्या उस पर आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है?

**श्री रूप चन्द पाल** : जी हां, पहले सभा में यह परिपाटी थी कि लोगों के हित में बहुत महत्वपूर्ण मामले- जिसके लिए सूचनाएं पहले ही दी जा चुकी होती हैं। - चाहे यह शून्य काल में, चाहे नियम 377 के अंतर्गत या किसी अन्य अवसर पर मामला उठाने की बात है- सभा में उठाने की अनुमति दी जाती थी। हम देखते हैं कि अब शून्य काल और दूसरे ऐसे अवसरों का उपयोग इस प्रकार से हो रहा है कि

हमें सभा में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के नियमों को उठाने का अवसर नहीं मिलता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, यह ऐसी बात नहीं है।

**श्री रूप चन्द पाल** : महोदय, ऐसा ही है क्योंकि हम कतिपय महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते है। परन्तु हमें उन्हें उठाने का अवसर नहीं दिया गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, श्री रावत

**अपराह्न 12.41 बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले

**[हिन्दी]**

### (एक) उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र को एक आदिवासी क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता

**श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत उत्तरांजचल के 9 जिले पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। जिसमें जंगल व बर्फीले पहाड़ व ग्लेशियर स्थित हैं।

इस पर्वतीय भू-भाग में जन जीवन जंगलों पर आधारित है। कृषि योग्य भूमि कुल क्षेत्र का मात्र 3 प्रतिशत है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पहाड़ों को काट-काट कर छोटे-छोटे खेत बनाकर जो फसल होती है वह मात्र कुछ दिनों के लिए ही पूरी हो पाती है। पर्वतीय क्षेत्र की खेती पूर्णतः वर्षा पर आधारित होने से अलाभकर है।

पशुपालन यहां पर दूसरा जीवन यापन का आधार है। जो चरागाहों की कमी से काफी कठिन हो चुका है। उत्तरांचल क्षेत्र में रहने वाली अधिकांश जातियां वन जीवन पर आधारित हैं और यह पूरा ही क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र के अनेक भागों को ट्राइबल एरिया घोषित किया जा चुका है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि उत्तरांचल क्षेत्र को 'ट्राइबल एरिया' घोषित किया जाए तथा इस क्षेत्र के लोगों को वह सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो ट्राइबल एरिया में निवास करने वालो लोगों को प्रदान की जाती है।

### (दो) दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रसारित किये जाने के लिए मार्ग-निर्देश बनाए जाने की आवश्यकता

**श्री आनन्द रत्न मौर्य** (चंदौली) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दूरदर्शन द्वारा देश में अपने किसी भी केन्द्र से किसी भी चैनल पर किसी भी भाषा में व्यस्क फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी। सेंसर बोर्ड की अनुमति के बिना आयोजित कार्यक्रम या धारावाहिक का प्रदर्शन नहीं करेंगे। देश के निजी चैनलों को भी इस आदेश का पालन करने की हिदायत दी गयी है। मनोरंजन तथा विज्ञापन से संबंधित फिल्मों को सेंसर बोर्ड से 'यू' प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं को असम्मानजनक रूप में प्रस्तुत करने तथा द्विअर्थी गानों पर दिशा-निर्देश कड़ाई से लागू किए जाने चाहिए। केबल आपरेटर्स को आगाह किया गया है कि वह अपने नेटवर्क के जरिए अश्लील फिल्म न दिखाएं। अदालत ने सरकार के प्रोग्राम के संबंध में दिशा-निर्देश बनाने को कहा गया है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रोग्राम के दिशा-निर्देश शीघ्र बनाने एवं उपरोक्त आदेशों को सत्यार्थ में कार्यान्वित करें।

### (तीन) छोटा उदयपुर में बिजली की भारी कमी को पूरा करने के लिए गुजरात को और अधिक बिजली की आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता

**श्री एन.जे. राठवा** (छोटा उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में गुजरात राज्य में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर, जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, में बिजली का संकट बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग ही परेशान हैं तथा लघु उद्योग भी बंद होते जा रहे हैं और किसानों को बिजली न मिलने के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में गुजरात राज्य के लोग विद्युत की आपूर्ति सही न होने की वजह से व्याकुल हैं और वे जगह-जगह धरने दे रहे हैं।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वह गुजरात राज्य को मांग के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति दिलवाये जाने की व्यवस्था कराये।

**[अनुवाद]**

### (चार) उड़ीसा के मयूरभंज जिले के कापटीपाड़ा ब्लाक के अंतर्गत नूडाडिहा में लोगों को टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये जाने की आवश्यकता

**कुमारी सुशीला तिरिया** (मयूरभंज) : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र मयूरभंज जिले में कापटीपाड़ा खण्ड के अन्तर्गत नूडाडिहा जी.पी. में जनजाति लोगों की बहुलता है। इस गांव के अनेक लोगों ने बहुत पहले टेलीफोन कनेक्शन के लिए अपने आपको पंजीकृत कराया है परन्तु उन्हें अभी कनेक्शन मिलना है। आपात स्थिति आने पर नूडाडिहा के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पडता है क्योंकि नूडाडिहा के लोगों को उपलब्ध सबसे नजदीक का टेलीफोन 10 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। एक पृथक एक्सचेंज की भी आवश्यकता है जिससे लोगों को अपने काम में आसानी होगी।

इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नूडाडिहा के लोगों को टेलीफोन कनेक्शन की शीघ्र मंजूरी प्रदान करे और मयूरभंज जिले में बाइसिंगा और राजरंजपुर में भी तत्काल टेलीफोन एक्सचेंज लगाये।

[हिन्दी]

### (पांच) बिहार के जहानाबाद जिले में बेहतर दूरसंचार सुविधायें प्रदान किये जाने की आवश्यकता

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। जहानाबाद जिले की स्थापना 1.8.1986 को हुई। पिछड़े एवं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के कारण ही इस जिले का निर्माण हुआ। इस जिले में स्पीड पोस्ट और फैक्स सुविधा के साथ-साथ इसके कई प्रखंडों में एस.टी.डी. की सुविधा प्राप्त नहीं है।

कुर्था प्रखंड में एस.टी.डी. सुविधा 1996 में चालू करने हेतु सरकार ने आश्वासित किया था, लेकिन आज तक चालू नहीं की गई है। करपी प्रखंड में अभी तक एस.टी.डी. सुविधा प्राप्त नहीं है।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जहानाबाद जिले में स्पीड पोस्ट, फैक्स सुविधा एवं कुर्था तथा करपी प्रखंडों में एस.टी.डी सुविधा शीघ्र चालू करने की व्यवस्था की जाए।

### (छः) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में गलौली बारा नाव घाट पर एक पंटून पुल के निर्माण की आवश्यकता

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर बांदा के बीच यमुना नदी है जो मेरे संसदीय क्षेत्र में है और जहां पर चिल्ला पान्टून पुल व दादी पान्टून पुल है। वहां से प्रतिदिन हजारों लोगों का आना-जाना रहता है लेकिन बरसात में पुल टूटने के बाद बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां ओगासी नाव घाट, इछादर बिन्दौर नाव घाट तथा गलौली बारा नाव घाट है जहां पर पान्टून पुल बनना बहुत जरूरी है तथा चिल्ला घाट व दादी घाट पर यमुना नदी पर पक्का पुल बनवाने की मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं जिससे हजारों लोगों को यातायात की सुविधा प्राप्त हो सके।

**अपराह्न 12.45 बजे**

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

[अनुवाद]

### (सात) भारत को उपग्रह के माध्यम से प्रसारण की अपलिंकिंग सुविधा प्रदान किए जाने के प्रस्ताव की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता

**श्री एस. बंगारप्पा** (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय मीडिया क्षेत्र में भारत में रूपर्ट मरडोक की हाल की कथित यात्रा की खबर गर्म है। यह सर्वत्र समाचार फैला है कि न्यूजकार्प, जिसका स्वामित्व मरडोक के पास है, ने कर्नाटक में अपने टेलीविजन प्रसारण चैनल के लिए अपलिंकिंग सुविधा की स्थापना का प्रस्ताव बनाया है। हांग कांग में न्यूजकार्प में काफी पैसा लगा है और इसका विस्तृत कार्यक्षेत्र है और इसकी योजना हांगकांग का 1997 के अंत तक एक स्वतंत्र ब्रिटिश संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त हो जाने से पूर्व समय पर वहां से निकल आने का है। भारतीय मीडिया क्षेत्र- इलेक्ट्रानिक और प्रिंट ने इस प्रयास पर अपनी आशंकाएं जतलाई हैं। उनकी आशंकाएं मरडोक के प्रस्ताव जिसमें वाणिज्यिक पहलू पर काफी जोर दिया गया है और हमारे सांस्कृति मूल्य और भावनाओं के प्रति मरडोक के रुख के कीर्तिमान पर आधारित है। इसका वर्तमान चैनलों के अर्थक्षम संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। न्यूजकार्प इलेक्ट्रानिक मीडिया से शुरुआत करके अन्ततः प्रिंट मीडिया पर अपना दावा प्रस्तुत करेगा जिससे दूरदर्शन और अन्य स्वदेशी संचालन माध्यमों को अपना विस्तार करने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि अपलिंकिंग प्रस्ताव से सुरक्षा संबंधी बातें भी प्रभावित होंगी और उसमें खतरे भी होंगे।

सिंगापुर, हांगकांग और फिलिपाइन्स के विपरीत हमारी एक कठोर और विनियमति अपलिंकिंग नीति है। यद्यपि इन देशों ने अपलिंकिंग सुविधाओं को उदार बनाकर काफी मात्रा में धन अर्जित किया है, उनका अपने राष्ट्रीय हितों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने के लिए डाउन लिंकिंग सुविधाओं पर कठोर नियंत्रण है इस समय हमारी डाउनलिंकिंग सुविधाएं विनियमित नहीं हैं। अन्य देशों के उपग्रह भारत में भारत-विरोधी प्रचार प्रसारित कर रहे हैं प्रस्ताव में 8000 एकड़ से भी अधिक विस्तृत क्षेत्र लीज पर देने की बात कही गई है। यह निश्चित है कि हमारी क्रियाशील लाबी इस मामले को हमारी सांस्कृतिक और जातीय मूल्यों को दूषित करने के खतरे के रूप में उठायेगी।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करे।

[हिन्दी]

### (आठ) जौनपुरी के आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में रवाल्टा और शामिल किए जाने की आवश्यकता

**श्री मानवेन्द्र शाह** (टिहरी-गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल के जनपद उत्तरकाशी का नौगांव व पुरोला, मोरी विकास खण्ड (जबना घाटी व टोन्स घाटी) व टिहरी गढ़वाल के थत्युड़ विकास खण्ड के निवासी रवाल्टा व जौनपुरी के लोग 1953 से जनजाति की मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें भी जनजाति में सम्मिलित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्चाधिकारियों का दल, समय-समय पर इन क्षेत्रों का दौरा करता रहा है और उसने भी स्वीकार किया है कि मैदानी क्षेत्र देहरादून के अन्तर्गत लगा जौनसार बावर की तरफ जकुवा टोन्स घाटी तथा जौनपुर के आदिवासियों को जनजाति की सुविधा मिलनी चाहिए।

महोदय, 1967 में मैदानी क्षेत्र में लगे जौनसार की जनजातियों की मांग स्वीकार कर ली गई तथा हिमालय से लगा उत्तरकाशी तथा टिहरी

गढ़वाल का जौनपुर क्षेत्र सूचीबद्ध होने से रह गया। जून, 1984 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद (रवाल्टा व जौनपुरी) जनजाति में सम्मिलित करने के लिए अपनी संस्तुति केन्द्र को भेजी थी। 1989 में गृह मंत्री के अधीन गठित समिति ने भी जौनपुरी जाति को सूची में डालने की संस्तुति की, परन्तु इसका अनुमोदन नहीं हो सका। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए इन्हें तुरंत जनजाति सूची में रखा जाए।

---

**[अनुवाद]**

**अपराह्न 12.53 बजे**

## भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरंनुमोहन के बारे में सांविधिक संकल्प;

## भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक; (भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरण तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

## और

## भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक

**अध्यक्ष महोदय :** मद संख्या 7 से 10 के बारे में यह कहना है कि आज सुबह हमारी सर्व दलीय बैठक हुई थी जहां तक विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा पेश किए संशोधनों से सहमत हुए थे और सरकार ने उस पर सरकारी संशोधन लाने पर सहमत हो गई थी। इसलिए पार्टी के नेताओं का यह निर्णय है कि हम इस पर चर्चा स्थगित करेंगे ताकि सरकार कल तक इस पर उचित संशोधन लेकर आए। अतएव मैं मंत्री महोदय को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दूंगा।

**श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) :** महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं:

> "कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे में सांविधिक संकल्प, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक और भवन और अन्द सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक पर आगे चर्चा अगले दिन तक के लिए स्थगित की जाए।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न है

> 'कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे में सांविधिक संकल्प, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 और भवन और अन्य सन्निकोण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक पर आगे चर्चा अगले दिन तक के लिए स्थगित की जाए।'

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

**[अनुवाद]**

**अपराह्न 12.54 बजे**

## कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

## और

## कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम मद संख्या 11 और 12 लेते हैं,

श्री गिरधारी लाल भार्गव - उपस्थित नहीं

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा- उपस्थित नहीं

श्री राधा मोहन सिंह - उपस्थित नहीं

**जस्टिस गुमान मल लोढ़ा** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि यह मामला कृपया प्रवर समिति को सौंपा जाए। मैं ऐसा अनुरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मूल विधेयक में समान और उसी तरह के उपबंध हैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक, जो आ रहा है, में हैं तथा जिसका नाम पेंशन तथा भविष्य निधि विधेयक है। अब इसको राज्य सभा द्वारा प्रवर समिति को भेजा गया है ...**(व्यवधान)**

**श्री जी.एम. बनातवाला** (पोन्नानी) : क्या उन्होंने प्रस्ताव पेश किया है या नहीं?

**अध्यक्ष महोदय :** जी हां, वे प्रस्ताव पेश कर रहे हैं।

**श्री जी.एम. बनातवाला : क्या ऐसी बात है? मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना प्रस्ताव पेश नहीं किया है। उन्होंने प्रवर समिति की बात कही है, क्या उन्होंने प्रस्ताव पेश किया है?**

**जस्टिस गुमान मल लोढ़ा** : मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं, उनका तकनीकी प्वाइंट है। उनका तकनीकी प्वाइंट सही है। मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापि कोयला खान भविष्य नीधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 22) का निरनुमोदन करती है",

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्रदत्त अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है जिसे उन्हें इस संतुष्टि पर अत्यावश्यक मामले पर करना होता है कि इसकी तत्काल आवश्यकता है और सभा का सत्र नहीं चल रहा है। आप देखेंगे कि एक के बाद एक यह तीसरा अध्यादेश आ रहा है। पहले अध्यादेश को व्यपगत होने दिया गया। दूसरे अध्यादेश को व्यपगत होने दिया गया और अब यह तीसरा अध्यादेश विधेयक के रूप में आ रहा है ताकि यह बरकरार रहे।

महोदय, बात यह है कि जब संसद वर्ष में तीन बार समवेत होती है- आमतौर पर वर्ष में कम से कम तीन बार समवेत होती है- तब एक के बाद एक तीन अध्यादेशों को लाने की क्या आवश्यकता है। क्या यह एक गंभीर चूक कर्तव्य की उपेक्षा, संवैधानिक उल्लंघन, संवैधानिक उपबंधों की घोर उपेक्षा और उनका स्पष्ट उल्लंघन नहीं है? आमतौर पर इसका अधिकार विधानमंडल के पास है। संसद के पास इसका अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी उपबंधों पर पूरी तरह से वाद-विवाद करने के बाद- पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन करने के पश्चात इस मामले पर विचार होता है और विधेयक पारित होता है। तब यह स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। क्या यह निश्चित तथ्य है कि वे बिना किसी चर्चा के बिना किसी वाद-विवाद के बिना वार्ता किए और विचारों के आदान प्रदान के बिना इस विधि को रखना चाहते हैं। यह वस्तुतः लोकतंत्र का बिलकुल विपरीत रूप है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया और संसदीय लोकतंत्र यह अपेक्षा करता है कि विधि पर पूर्ण वाद-विवाद होना चाहिए जहां विभिन्न विचार वाले सदस्य अपनी राय व्यक्त कर सकें और अपने-अपने संशोधन पेश कर सकें। महोदय, अभी आपने देखा कि सन्निर्माण कर्मकार विधयेक के मामले में किस प्रकार संशोधन स्वीकार कर रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप इससे खुश नहीं हैं?

**जस्टिस गुमान मल लोढ़ा** : मैं इससे बहुत खुश हूं। लेकिन मेरा कहना है कि अध्यादेश को लाकर उन्होंने पहले ही नुकसान पहुंचाया है जो यदि विधेयक पहले लाया गया होता तो ऐसा नहीं होता इसलिए मैं इस विधेयक का इस आधार पर विरोध कर रहा हूं कि अध्यादेश बनाने की शक्ति का दुरूपयोग किया जा रहा है इसलिए इस अध्यादेश को स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए इसे अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।

महोदय, विधेयक का विरोध करने का मेरा दूसरा आधार यह है विधेयक और अध्यादेश एक साथ लिए गए हैं और उन पर चर्चा की गई है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस देश में कर्मकार को दी जाने वाली भविष्य निधि और पेंशन के मामले में काफी विवाद चल रहा है। हम एक विधान लाए हैं जिस पर इस सभा में विचार किया जाएगा। प्रश्न यह है कि क्या भविष्य निधि योजना को पेंशन योजना में बदला जाएगा या परिवार पेंशन उपबंध को इसके स्थान पर रखा जाएगा। इस देश में अनेक श्रमिक संघों ने इसका विरोध किया है। भारतीय मजदूर संघ ने इसका विरोध किया है। दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया है। लगभग सभी ने इसका विरोध किया है। उनका यह विचार है कि यह मजदूर का शोषण होगा। यह मजदूर के हितों के विरुद्ध होगा। इससे प्रगतिशील सामाजिक कल्याण विधान को सहायता नहीं मिलेगी। यह एक प्रतिगामी कदम होगा जो नहीं लिया जाना चाहिए। एक ओर तो वे समान न्यूनतम कार्यक्रम की बात करते हैं जिसमें वे मजदूरों, निर्धन लोगों और पददलित लोगों के उत्थान की बात करते हैं और दूसरी ओर वे पहले से विद्मान लाभों को छोड़ रहे हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि चूंकि राज्य सभा ने इसे प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा है इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर निष्पक्षता से विचार करें, मैं उनसे इसलिए इस पर विचार करने के लिए नहीं कह रहा हूं क्योकि मैंने इसे उठाया है और न ही इसलिए कि विपक्ष ने इसे उठाया है परन्तु इसलिए कि यहां बैठकर हमें सभी मामलों पर निष्पक्षता से विचार करना चाहिए।

**अपराह्न 1.00 बजे**

निष्पक्षता की यह मांग है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए जैसा कि राज्य सभा ने किया है।

अन्यथा भी जब राज्य सभा में मुख्य विधान आएगा और यदि इसे अब पारित कर दिया जाता है तो दो के बीच में विवाद छिड़ जाएगा। परस्पर विरोधी बातें होंगी और विरोधाभास की स्थिति आएगी। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इसे प्रवर समिति को भेजें और जहां तक इस अध्यादेश का संबंध है, इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

**कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह)** : मैं प्रस्ताव करती हूं: "कि कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1948 पर आगे और विचार किया जाए"

**अध्यक्ष महोदय** : सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 1.02 बजे**

**तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न तक 2.00 बजे के लिए स्थगित हुई।**

[हिन्दी]

**अपराह्न 2.06 बजे**

**मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।**

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**श्री राम नाईक** (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मैं जानकारी चाहता हूं रेल बजट की बहस रोज आगे जा रही है, आज वह शुरू होगी या नहीं होगी और कितने बजे शुरू होगी? हम लोगों को थोड़ी जानकारी मिलेगी तो हम माननीय सदस्यों को कह सकते हैं। नहीं तो एक इम्प्रैशन यह जा रहा है कि रेल बजट को जान-बूझकर आगे किया जा रहा है। फिर समय नहीं मिलेगा और इसलिए ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : जान-बूझकर तो कुछ नहीं किया जाता, लेकिन अभी इन्फोर्मेशन मुझे भी नहीं है।

**श्री राम नाईक** : इसलिए हमारा आग्रह यह रहेगा कि सदस्यों को इसकी जानकारी होना आवश्यक है कि रेल बजट कब शुरू होगा ...**(व्यवधान)**

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर) : या बारिश के कारण रेलें पोस्टपोन हो गई हैं?

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह आइटम कम्पलीट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि रेल बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी।

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : मेरा आग्रह इसलिए रहेगा कि बाद में रेल बजट पर चर्चा के लिए समय नहीं मिलेगा, जनरल बजट की चर्चा के लिए भी समय नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी और इस भूमिका में यह तय होना चाहिए कि यह विधेयक आज पूरा करके 4-5 बजे रेल बजट पर बहस शुरू होनी चाहिए ...**(व्यवधान)**

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल बजट बहुत इम्पोर्टेंड है, इसको हम लोगों को लेना चाहिए और जो भी बिजनेस हाउस के सामने आया हुआ है, उसको जल्दी-जल्दी कम्पलीट करवाकर रेल बजट को प्रायरटी देनी चाहिए, क्योंकि फिर हमको सामान्य बजट को भी डिस्कस करना है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हाउस फैसला कर ले कि इस बिल को बगैर बहस के पास करना है।

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : हमें बहुत खुशी होगी, अगर यह बिल पास हो जाएगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको तो खुशी होगी, मुझे सब की खुशी चाहिए।

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : मेरे ख्याल में सब को खुशी होगी। यह बड़ा अच्छा बिल है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री पी.सी. थामस** (मुवतुपुजा) : महोदय, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक भी बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने वही कहा।

[हिन्दी]

**अपराह्न 2.09 बजे**

## कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

## और

## कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक—जारी

[हिन्दी]

**कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक कोयला क्षेत्र में कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के प्रति इस सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक है। हमारा राष्ट्र एक कल्याणकारी राष्ट्र है। अतएव यह सरकार कोयला खानों में कार्यरत उन लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के समुचित कल्याण हेतु वचनबद्ध है।

और हमारी मंशा भी रही है कि समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों को न्याय मिल सके। संक्षिप्त रूप में कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 में कोयला खानों में कार्यरत व्यक्तियों के लाभ के लिए विभिन्न स्कीमों को निष्पादित करने हेतु व्यवस्था है। किन्तु इसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्त पेंशन स्कीम का निष्पादन किए जाने की व्यवस्था नहीं है।

इस समय एक परिवार पेंशन स्कीम लागू है जिसके अंतर्गत ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, उनके आश्रितों को परिवार पेंशन दी जाती है। कर्मचारियों की यह इच्छा है कि इस परिवार पेंशन स्कीम को एक सेवानिवृत्त पेंशन स्कीम में परिवर्तित कर दिया जाए। यह प्रस्ताव है कि अन्य बातों के अलावा, अधिवार्षिकी पेंशन, शिशु पेंशन तथा अनाक्ष्पेंशन दिए जाने संबंधी एक स्कीम निष्पादित की जाए। यह प्रस्तावित स्कीम विद्यमान परिवार पेंशन स्कीम के एवज में होगी और विद्यमान परिवार पेंशन निधि की सभी परिसंपत्तियों तथा देनदारियों को प्रस्तावित पेंश निधि को स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सरकार विद्यमान परिवार पेंशन निधि की तरह ही उसी स्तर पर निधि में अंशदान जारी रखेगी। इस प्रस्तावित पेंशन स्कीम के

प्रयोजन से भारत के समेकित निधि से किसी भी तरह आवर्ती तथा अनावर्ती रूप में कोई अतिरिक्त वित्तीय देनदारी नहीं होगी। अन्य शब्दों में प्रशासकीय तथा अंशदान शीर्षों के अंतर्गत वार्षिक देनदारी कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम के अंतर्गत स्थापित पद्धति के अनुसार जारी रहेगी। पेंशन स्कीम के प्रयोजन से कोयला खान भविष्य निधि में कर्मचारियों तथा नियोजकों के अंशदान से निधियों को परिवर्तित किए जाने की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों की वर्तमान की तरह अंशदायी भविष्य निधि में हकदारी जारी रहेगी।

सदन के सम्मुख वर्तमान विधेयक का सीमित प्रयोजन केन्द्रीय सरकार को कोयला खान पेंशन स्कीम नामक एक स्कीम निष्पादित किए जाने की शक्ति प्रदान करना है, जिसको कि निश्चित अवधि में सरकारी राजपत्र में यथावत रूप में अधिसूचित कर दिया जाएगा। चूंकि विधेयक का उद्देश्य कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों के पूर्णतः कल्याण से संबंधित है। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी वर्ग इस उपाय का हृदयंगम रूप में समर्थन करेंगे।

मैं सदन के विचारार्थ इस विधयेक को प्रस्तुत करती हूं।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 22) का निरनुमोदन करती है"

श्री बसुदेव आचार्य क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को भेजा जाए जिसमें 15 सदस्य होंगे, 10 सदस्य इस सभा के होंगे अर्थातः-

1. श्री चित्त बसु
2. श्री सुनील खान
3. श्रीमती गीता मुखर्जी
4. श्री हन्नान मोल्लाह
5. श्री सनत कुमार मंडल
6. श्री हाराधन राय
7. श्रीमती कीर्ति सिंह
8. श्री तसलीमुद्दीन
9. श्री महबूब जहेदी
10. श्री बसुदेव आचार्य

और 5 सदस्य राज्य सभा के होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक करने के लिए सदस्यों की संख्या संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी; कि समिति आगामी सत्र के पहले दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और संशोधनों के साथ लागू होंगे जैसा अध्यक्ष चाहे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संयुक्त समिति में शामिल हो और इस सभा को राज्य सभा द्वारा में संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले 5 सदस्यों के नाम भेजे"। (4)

[हिन्दी]

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : उपाध्यक्ष महोदय, कोयला खान भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1948 के अन्तर्गत पहले परिवार पेंशन देने की योजना थी और जीवन बीमा संबंधी लाभों को प्रदान किए जाने की व्यवस्था थी। सरकार अब यह निर्णय करने जा रही है कि जो कर्मचारी है, उनको अर्ध-वार्षिक पेंशन भी मिल सके, विधवा पेंशन भी मिल सके और विधुर पेंशन भी मिल सके, शिशु पेंशन मिल सके और यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चों को और जो अनाथ हो गए हैं, उनको भी भारत सरकार द्वारा इसमें पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव है। मेरा यह निवेदन है कि कई बार यह बिल सदन में आया है और पास नहीं हुआ है। भारतीय मजदूर संघ और जितने हिन्द मजदूर संघ और आई.एन.टी.यू.सी. हैं, इन सब लोगों की बराबर मांग रही है कि यह बिल शीघ्र ही पास होना चाहिए। लेकिन सरकार बार-बार आर्डिनेंस लाई, दूसरा लाई, तीसरा लाई और बराबर इसको टालती रही। मेरा अमेंडमेंट यह है कि पचास वर्ष के बाद देश के असंगठित मजदूर वर्ग की ओर ध्यान दिया गया है और पचास साल के बाद उन मजदूर तबकों की तरफ ध्यान गया है जिन्होंने बड़े-बड़े भवन बनाए हैं। संसद भवन भी जयपुर के कारीगरों ने बनाया है, राष्ट्रपति भवन भी जयपूर के कारीगरों द्वारा बना है और यदि मैं असत्य नहीं कहूं तो राष्ट्रपति भवन में जो लॉट लगी हुई है, यह भी जयपुर के कारीगरों ने बनाई है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कोयला माइन्स की बात करिए।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : मैं मजदूर की बात कर रहा हूं। कोयला माइन्स की बात तो करूंगा ही। मैं बिहार में गया हूं। बिहार का रहने वाला हूं। मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में बिहार में खानों के अन्दर प्रत्यक्षतः गया हूं। यह समझ रहे हैं कि मैं राजस्थान से आया हूं, मुझे खानों के बारे में नहीं मालूम है। ... (व्यवधान)

राजस्थानी सारे हिन्दुस्तान में हैं और कोयला बेचने का सबसे बड़ा काम राजस्थान में होता है। सुरेश एंड कम्पनी कोयले वाला है, वहां से कोयला लेकर आता है, अपनी पुरानी बस्ती में रहता है। वह सारा काम हम राजस्थान के लोग करते हैं। इसलिए मेरा मतलब है कि बिल तो ठीक भावना से लाया गया है। लेकिन इसको लाने मे जो विलंब

हुआ है, भारत के मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति और जो असंगठित मजदूर हैं, उनके लिए इसमें कोई नीति नहीं बनाई गई है। इसलिए सरकार जो यह बिल देर से लाई है, उसमें सरकार ने बहुत बड़े नुकसान की बात की है। कोयले की खानों का काम बड़ा खतरनाक काम है। उपाध्यक्ष महोदय जी, आप कोयले की खान में कभी घुसे नहीं होंगे?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं कोयले की खान में घुसा हूं, मैंने देखा है।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोयला खानों में काम करना बड़ा टेढ़ा काम है। उसके ऊपर बड़े-बड़े भवन बने हुए हैं। यदि कोयला खान धंस जाए तो बड़े-बड़े भवन भी धंस सकते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कोयले खान में काम करने वाले मजदूर और पहाड़ों में काम करने वाले मजदूरों की एक प्रकार से बड़ी विषम स्थिति है, वे अपनी जान को जोखिम में डालकर, जिसको रिस्क ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में वे यह सारा काम करते हैं। ऐसे खान मजदूरों के प्रति यह बिल है, बहुत अच्छा बिल है और सौभाग्य से मंत्री जी जो हमारी एकमात्र महिला मंत्री हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि वह बहुत ठीक बिल लाई है। लेकिन इससे जो कई मजदूर संघ जुड़े हुए हैं, वे चाहते हैं कि उन सारे मजदूर संगठनों से बातचीत कर लेनी चाहिए। चूंकि पचास साल के बाद यह बिल आया है और मजदूरों के हित के लिए बिल लाया गया है। यानि हमने तो इस देश में मजदूरों की कभी चिन्ता ही नहीं की, हमने बड़े-बड़े लोगों की चिन्ता की। इसलिए जितने भी आई. एन.टी.यू.सी., भारतीय मजदूर संघ या हिन्द मजदूर संघ या सी.आई. टी.यू. हैं, उन सबके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर जो भी इसमें सुधार आप कर सकते है, उन सुधारों को करके इस बिल को यहां पर लाएं। कहीं ऐसा नहीं हो कि अधूरे मन से आप इस बिल को यहां पर ले आएं। इसलिए इस बिल का तो मैं स्वागत करता हूं।

मैं निवेदन करता हूं कि इसमें और जो कुछ भी अमेंडमेंट मजदूरों के हितों में होने चाहिए उनको यदि सही प्रकार से करके लाया जाए तो यह सुन्दर होगा। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदया को बड़ा भारी सौभाग्य मिल रहा है और आप बिहार से आई हैं जहां पर कोयले की खाने हैं। इसलिए इसमें जो कमियां हैं उनको भी यह भली प्रकार से जानती होंगी। इसमें मजदूरों के हितों में और भी जो कुछ बढ़िया से बढ़िया हो सकता है उन सबको जोड़ कर इस बिल को लाया जाए, यही मेरी भावना है।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। सब लोगों ने थोड़ी-थोड़ी चूं-चूं के बाद मेरी बात को सुनने का जो प्रयास किया और थोड़ी बहुत गड़बड़ी वगैरह की, उसके लिए मैं उनको माफ करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, विधेयक का समर्थन करता हूं जो तीन अवसरों पर प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेने के लिए सभा के समक्ष रखा गया है। पहला अध्यादेश 5 जनवरी, 1996 को प्रख्यापित किया गया था; दूसरा अध्यादेश 26 मार्च, 1996 को प्रख्यातिप किया गया था और तीसरा अध्यादेश सरकार द्वारा प्रशासन का कार्यभार संभालने के बाद 20 जून को प्रख्यातिप किया गया था।

महोदय, मैं इस विधेयक की प्रभारी वर्तमान महिला मंत्री को बधाई देता हूं और मैं पूर्व कोयला मंत्री श्री जगदीश टाईटलर को भी अपना धन्यवाद देता हूं। एक समय 4 दिसम्बर, 1995 में उद्देश्य तथा कारण बताने वाले विवरण में श्री जगदीश टाईटलर का नाम था। पिछला वर्ष अर्थात् 1995 इस देश के कर्मकारों के लिए एक यादगार वर्ष था। श्रमिक समुदाय अर्थात औद्योगिक श्रमिक, कोयला श्रमिक आदि की बहुत अधिक समय से चली आ रही अनेक मांगों के पक्ष में विचार किया गया था और तदनुसार विधान तैयार किए गए थे भविष्य निधि, पेंशन, उपदान आदि जैसी लम्बे अर्से से चली आ रही मांगों का निपटारा कर दिया गया था। मैं कहूंगा कि उस दृष्टि से 1995 एक महत्वपूर्ण वर्ष है इस तथ्य को कोई भी स्वीकार कर सकता है।

जब भी कभी अध्यादेश लाया जाता है, इसकी अत्यावश्यकता, उपयोगिता को देखे बिना जिसके कारण अध्यादेश प्रख्यापित करने की आवश्यकता पड़ी, इस बात को जाने बिना कि इस श्रेणी के लोगों को लाभ पहुंच रहा है श्री गिरधारी लाल भार्गव और उनकी कंपनी कुछ समय से जस्टिस लोढ़ा भी उनके साथ शामिल हो गए हैं, एक नियमित तरीके से, अथवा आदत से। अथवा दृष्टिकोण से अधिकांश समय इसका निररूमोदन करते रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नियमों में एक उपबंध है और वे इसका उपयोग कर रहे हैं।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : उपाध्यक्ष महोदय, नियम पुस्तक में, इतने अधिक नियम हैं, इसमें सब कुछ है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : हमने इस आर्डीनेंस का डिसएप्रूवल किया है लेकिन हमने इस बिल का समर्थन किया है ...(व्यवधान)

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : अब आप कह रहे हैं कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : यह जो बार-बार आर्डिनेंस निकालने की प्रवृत्ति है यह ठीक नहीं है ...(व्यवधान)

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : मेरा यह मानना है कि अच्छे उद्देश्य के लिए अच्छे साधन काम में लाने चाहिए, इसलिए माननीय सदस्यों ने इस आर्डिनेंस का डिसएप्रूवल किया है ...(व्यवधान)

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : अच्छा काम जो होता है वह आर्डिनेंस में नहीं आता है।

**जस्टिस गुमान मल लोढा** : उपाध्यक्ष महोदय, जब जीरो आवर मांगते हैं तब नहीं आता है, अब देखिए यह चल रहा है।

[अनुवाद]

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** मुझे बताइए क्या मैं ठीक हूं या नहीं।

[हिन्दी]

जैसे पार्लियामेंट चल रही है, जैसे इसकी प्रोसिडिंग चल रही है

[अनुवाद]

आप किसी भी समय देख सकते हैं कि अध्यादेश मुश्किल से यहां रखा जाता है और यदि उन्हें यहां रखा जाता है तो उन्हें दुबारा भी रखा जाता है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह सही नहीं है। कृपा मुझे सुनिए।

[हिन्दी]

अगर आर्डिनेंस के खिलाफ सांविधिक संकल्प नहीं है तो सरकार सीधे विधेयक भी ला सकती है।

[अनुवाद]

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** मैं जानता हूं, लेकिन पारिपाटी क्या है?

[हिन्दी]

**उपाध्यक्ष महोदय :** हां, वह ठीक है

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** ठीक है, ठीक है।

[अनुवाद]

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** समय की कमी है। ऐसा हमारा अनुभव है। मैं यहां अपने अनुभव से बोल रहा हूं जब भी अध्यादेश लाया जाता है तो इसे कार्यसूची में प्राथमिकता मिलती है क्योंकि एक निर्धारित समय के अंदर इसको बदलना होता है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया अपनी बात पर आइए।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** मैं अपनी बात पर आ रहा हूं, मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को, जो दसवीं लोक सभा सत्र के भी सदस्य थे, याद दिलाना चाहूंगा कि यह दिसम्बर के महीने में इस सभा में पुरःस्थापित हुआ था। परन्तु शोरगुल, अशांति और अन्य दूसरे कारणों से सभा में कोई ऐसी कार्यवाही नहीं चल सकी। इसकी तात्कालिक आवश्यकता क्या थी? कामगार उग्र और बेचैन होते जा रहे थे और मांगों को उचित तरीके से पूरा करने के लिए आंदोलन हो रहा था, मांगें जायज थी और बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। उन्होंने 7 जनवरी से हड़ताल करने का नोटिस दिया था इसलिए सरकार को अच्छे आशय के साथ अध्यादेश जारी करना पड़ा। यह चुनाव का वर्ष था और सभा की बैठक नहीं हो सकी थी। अध्यादेश का समय समाप्त होने से पूर्व इसको पुनः प्रख्यापित करना था। यद्यपि चुनाव हुए थे और लोकतांत्रिक सरकार आसीन हुई फिर भी दूसरे सत्र तक कार्यसूची में एक ही मद था और वह विश्वास प्रस्ताव था। इसलिए तीसरी बार अध्यादेश प्रख्यापित करने की आश्यकता पड़ी। अतएव यह ऐसा हुआ। हम अध्यादेश के रूप में इसे लाने के लिए सरकार को दोष नहीं दे सकते।

जहां तक विधेयक की बात है यह एक बहुत सीधा विधेयक है। मैं कहूंगा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि इसमें श्रमिकों के हितों का ध्यान रखा गया है जिन्हें काफी हद तक प्रकृति को कोप सहना पड़ता है। आप कोयला खान श्रमिकों के कार्य करने की स्थिति के बारे में जानते होंगे। उन्हें खतरा बना रहता है। जो कोई भी सत्य से परिचित है, उसके मन में कोयला खान में काम करने वाले श्रमिकों के प्रति सहानुभूति होती है। वे जमीन के अन्दर जाते हैं और कोई नहीं जानता कि उन्हें क्या होगा, क्या वे सुरक्षित वापस लौटेंगे या नहीं। बहुत से मामलों में खराब खबरें भी आती हैं, इसलिए इस विधेयक का प्रयोजन बहुत ही सीमित है। यह केवल एक स्वीकृति देने वाला उपबंध है।

वर्तमान अधिनियम को कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1948 कहा जाता है। इस अधिनियम में एक उपबंध है कि भविष्य निधि योजना, परिवार पेंशन योजना आदि विरचित की जाएंगी, हालांकि यह उपबंध 1948 के शुरुआत से इस अधिनियम में विद्यमान है फिर भी परिवार पेंशन योजना 1971 तक लागू नहीं किया गया। 1971 में इस अधिनियम के संगत उपबंध के अंतर्गत पहली बार परिवार पेंशन योजना विरचित की गई थी और उसे लागू किया गया था। परन्तु उससे स्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सका। 1971 से अब तक 25 वर्ष बीत गए हैं। इस बीच सब जगह काफी परिवर्तन हुआ है।

परिवार पेंशन योजना का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। इससे कोयला खनिकों को क्या लाभ मिला है? केवल जब कोई ड्यूटी पर काम करते हुए मरता है तभी उसकी विधवा को धन संबंधी लाभ मिलता है। जब मैं इस पर चर्चा कर रहा था तब मेरी नोटिस में यह बात आई थी कि काम के दौरान मरने वाले कोयला श्रमिक की विधवा को मिलने वाला मासिक लाभ बहुत ही कम राशि 100 रुपये से 150 रुपये है। इससे अधिक नहीं है। इसलिए यह बात श्रमिक नेताओं को आंदोलित कर रही थी। यह श्रमिक श्रेणी के लोगों विशेषकर कोयला खनिकों को उद्वेलित कर रही थी। 1988 के आस पास जब जे.बी.सी.सी.आई. (ज्वाइंट बाइलेटरल कमेटी फार कोल इंडस्ट्री आफ इंडिया) उनकी मजूरी आदि पर विचार कर रहा था तो उस समय इस बात पर बल दिया गया कि परिवार पेंशन योजना से उनको कोई लाभ नहीं होगा। इसके बदले नियमित पेंशन योजना होनी चाहिए। नियमित पेंशन योजना के बारे में भी श्रम मंत्रालय ने पिछले वर्ष प्रशंसनीय काम किया है और एक अध्यादेश प्रख्यापित किया था जिससे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों को लाभ पहुंचा, कोयल उद्योग कुछ अलग तरह का है। उनके अपने विधान हैं; उनके अपने उपबंध हैं। तदनुसार कोयला खनिक भविष्य निधि बोर्ड ने यह भी सिफारिश की थी कि एक संशोधन लाया जाना चाहिए और यह संशोधन हमारे समक्ष

है जो यदि पारित किया जाता है तो उससे परिवार पेंशन योजना में संशोधन करने या उसको विरचित करने के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सकेगा। अब परिवार पेंशन योजना के स्थान पर नियमित पेंशन योजना होगी जिसे सरकार बना रही है। विधेयक का यही प्रयोजन है। इसलिए इसका विरोध करने की गुजाइश कहां है? ऐसी गुंजाइश बिलकुल न होने के कारण इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जायेगा।

जब इस तरह का अवसर आता है, जब संसद में ऐसा मौका आता है तो हमें यह लाभ मिलता है कि हम कुछ सुझाव दें कि नई योजना में इस तरह के उपबंध होने चाहिए, मैं उस पर संक्षेप में आऊंगा, 1971 में जब परिवार पेंशन योजना लागू की गई थी, लाभार्थी अथवा श्रमिक भविष्य निधि में अपने वेतन का 8.33 प्रतिशत अंशदान दिया करते थे। फिर यह बढ़कर उनके वेतन का 10 प्रतिशत हो गया। कंपनी भी बराबरी का हिस्सा 10 प्रतिशत देती थी भविष्य निधि के जरिए इस तरह जो धन एकत्रित होता था उसमें 1.1/6 प्रतिशत श्रमिकों का हिस्सा था और 1.16 प्रतिशत कंपनी का हिस्सा था।

सरकार भविष्य निधि में कुछ भी अंशदान नहीं करती है बल्कि वह परिवार पेंशन निधि में करती है जो 1971 में बना था। इसमें सरकार का अंशदान 1.23 प्रतिशत है। यह निर्णय किया गया था कि इसे 1.23 प्रतिशत के स्तर पर रखने के बजाए इसे 2 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए। वास्तव में तदनुसार बड़ी संख्या में श्रमिकों ने 2 प्रतिशत तक भी अपना अंशदान दिया। परन्तु हुआ यह कि सरकार ने इसे अनुमोदन नहीं दिया।

हमें बताया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड एक नियन्त्रक कंपनी है और इसकी सहायक कंपनियां प्रकृति से स्वायत्तशासी हैं। मैं नहीं जानता कि उन्हें किस प्रकार की स्वायत्तता मिली हुई है। सरकार उनके 2 प्रतिशत के अंशदान का अनुमोदन नहीं करती है। इसका तात्पर्य है कि 1.23 प्रतिशत का अंशदान बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने का सरकार अनुमोदन नहीं करती है। ऐसा क्यों होना चाहिए। जब श्रमिक अपने अंशदान की मात्रा बढ़ाते हैं तो सरकार और कंपनी अपने-अपने अंशदान की मात्रा क्यों नहीं बढ़ाते हैं? यह एक मुद्दा है जो मैं मंत्री महोदय के विचारार्थ रखता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया समाप्त कीजिए, ऐसे अन्य सदस्य भी हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** एक उपबंध है जिसमें कहा गया है कि इस नई योजना को लागू करने के बाद जो रह जाता है वह नई पेंशन निधि से आएगा। मैं समझता हूं कि 1100 करोड़ रुपया बिना खर्च किए पड़ा है। यह राशि साधनों के अंशदान द्वारा एकत्रित हुआ है यथा श्रमिक और कंपनियां यानि कर्मचारी और नियोजक और सरकार को जितना हो सके, बढ़ी हुई दर पर भी, अंशदान करना चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारे देश की सफलता, प्रगति और संपन्नता बिजली पर आधारित है। इस ऊर्जा के पीछे क्या है? कोयला/बिजली उद्योग का कच्चा माल कोयला है। कोयला उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? इसके लिए कच्चा माल जमीन है। इस प्रकार जमीन कोयला उद्योग के लिए कच्चा माल है और बिजली उद्योग के लिए कच्चा माल कोयला है। इस देश में उत्पन्न की जाने वाली बिजली का दो-तिहाई हिस्सा कोयले से आता है। अन्य शब्दों में जितनी कुल बिजली उत्पन्न होती है उसका लगभग दो-तिहाई हिस्सा तापीय विद्युत का होता है। इसलिए आने वाले समय में कोयला ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाएगा।

मुझे इसका एक महत्वपूर्ण पहलू याद आता है। लगभग 23 वर्ष पहले 1972-73 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मैं उन्हें याद करता हूं और उनके गतिशील नेतृत्व की भावभीनी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया था क्योंकि उन्हें कोयला खान श्रमिकों के कल्याण की चिन्ता थी। उस समय श्री मोहन कुमार मंगलम कोयला मंत्री थे।

वह कोयला और खान के प्रभारी मंत्री थे। मेरे विचार में मुख्य रूप से तीन उद्देश्य थे जिसके कारण सरकार ने ऐसा करने का निर्णय किया था। यह निर्णय था। कोयला खानों के श्रमिकों का मालिकों द्वारा किया जाने शोषण समाप्त करना। श्रमिकों का शोषण रोकना, बेहतर कार्य स्थिति प्रदान करना और श्रमिकों के हितों का ध्यान रखना मुख्य उद्देश्य थे।

उद्योगपति, कोयला खानों के निजी मालिक कोयला खानों का संचालन तब तक करते थे जब तक खानें लाभकारी होती थी। यदि उनसे लाभ नहीं मिलता था तो वे उन्हें छोड़ देते थे ...**(व्यवधान)** आज इस उद्योग के समक्ष चुनौतीपूर्ण स्थिति है। हम कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण में निहित महान उद्देश्यों को भूल रहे हैं। परन्तु आज हमने क्या किया है? हमने अपने कानूनों को बदला है और हमने अपने कानूनों को संशोधित किया है ताकि इस क्षेत्र में निजी मालिकों को आने की अनुमति दी जा सके। यदि वे विद्युत ताप संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो वे वहां जा सकते हैं और खनन कार्य करें। परन्तु यह उचित नहीं है। इसे निजी क्षेत्र को नहीं दिया जाना चाहिए। यह एक पहलू है। फिर सरकार इसे संयुक्त क्षेत्र में लाने के बारे में विचार कर रही है। तीसरा, हमें जानना चाहिए कि इसके साथ अनेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं जैसे जमीन का अधिग्रहण जमीन से बेदखल किए जाने वाले लोग, पर्यावरण आदि।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोयला उद्योग को काफी सीमा तक सरकारी क्षेत्र में काम करते रहना चाहिए क्योंकि इस उद्योग की विभिन्न प्रकार की विशिष्टताएं हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है इसके साथ श्रमिकों की परेशानियां, जमीन से बेदखल किए गए लोगों की समस्याएं, पर्यावरण की समस्याएं आदि जैसी विशिष्टताएं जुड़ी हुई हैं। आपको याद होगा कि यह पहला अवसर नहीं है जब मैं इसे उठा रहा हूं पहले भी मैंने इस प्रश्न पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की थी।

हमें अपने उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। हमें अपनी उत्पादकता बढ़ानी होगी। अपनी उत्पादकता बढ़ाते समय हमें यह भी देखना होगा कि हम प्रतिस्पर्द्धा को कायम रखें। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, मंत्री जी बिहार की हैं और बिहार का कोयला क्षेत्र में सर्वोच्च

स्थान है। पर अब वहां क्या हो रहा है? वहां उद्योग एक के बाद एक क्षीण पड़ते जा रहे हैं। बी.सी.सी.एल. रूग्ण हो गया है। सी.सी.एल. को भारी घाटा हो रहा है। यह मेरी मुख्य चिन्ता का विषय है। कोयला उद्योग सरकारी क्षेत्र में कार्य करते रहना चाहिए। पर साथ में यह लाभप्रद भी होना चाहिए। तीन वर्ष पहले यह पाया गया था कि इसका कुल घाटा 2,400 करोड़ रुपये हो गया है कोल इंडिया लिमिटेड लाभ पर चल रहा है। यह एक लाभप्रद संगठन है। इसलिए इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप देखें कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कोयला खानों में क्या हो रहा है। वहां गुंडागर्दी आदि की स्थानीय समस्याएं हैं। इनको कड़ाई के साथ रोका जाना चाहिए और प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन देना चाहिए। उत्पादकता बढ़ाई जानी चाहिए। बरबादी रोकी जानी चाहिए। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदया जी इन समस्याओं पर बोलें। जैसा मैंने पहले कहा है, वह बिहार की हैं, हमें आशा है कि कोयला उद्योग के कार्यकरण में संपूर्ण सुधार होगा।

अब मैं अपनी आखिरी बात पर आना चाहता हूं, महोदय, हमें बताया गया है कि सहायक कोल कंपनियों को स्वायत्तता मिली हुई। जब उनकी कोई गल्तियां पाई जाती थी तो वे कहते थे कि वे स्वायत्तशासी हैं और जब कोई अच्छी बात होती थी तो वे इसका श्रेय लेते थे। परन्तु साथ ही तीन-चार महीने पहले कुछ किस्म के कोयले के मूल्य को विनियमित किया गया था। परन्तु हमारे अपने राज्य में, जहां तक महानदी कोयला क्षेत्र का संबंध है, ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि हम ऐसा करना वहां के कोयला उद्योग के हित के लिए ठीक नहीं मानते हैं। इसलिए स्वभावतः प्रत्येक कंपनी की समस्याओं को जाने बिना उन्हें शास्त्री भवन से या 10 नेताजी सुभाष चन्द्र रोड, कलकत्ता से कोई चीज थोपनी नहीं चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें किसी विशेष कोयला क्षेत्र और किसी विशेष कोयला कंपनी में व्याप्त स्थिति के बारे में यथार्थवादी होना चाहिए। उन्हें इन सभी बातों में निर्णय स्वयं लेने के मामले में स्वतंत्र होना चाहिए।

इसके साथ मैं उन्हें इस विधेयक में उनकी भूमिका के लिए बधाई देना चाहूंगा। आखिर वे इस विधेयक को प्रस्तुत कर रही हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। यह उनका पहला भाषण है। यह उनका पहला विधेयक है जिसे उन्होंने पुरःस्थापित किया है। मेरी कामना है कि वह इस उद्योग को सोद्देश्यपूर्ण; प्रभावी ढंग से चलाने में सफल हों और वे ऊंचाइयों तक ले जाएं और इसमें अधिक हस्तक्षेप न हो और वह यह देखें कि इसमें सब तरह की स्थानीय गुंडागर्दी, राजनीतिक हस्तक्षेप न हो तथा इस तरह की सब बातें सख्ती से दबा दी जाएं।

[हिन्दी]

**श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** (औरंगाबाद) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदया को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मंत्री बनने के चन्द दिनों के बाद ही, वर्षों से कोयला उद्योग के मजदूरों के लिए जो विधेयक लाने की मांग चली आ रही थी, उसको यह विधेयक लाकर पूरा कर दिया। इस विधेयक से कोयला खान मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, जिस स्थिति में आज कोयला उद्योग है उस स्थिति में कोयला उद्योग को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस उद्योग पर स्टील प्लांट निर्भर करता है, पॉवर प्लांट निर्भर करता है, लेकिन आज कोयला उद्योग की हालत नाजुक है। ऐसे दौर में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किये जाने से कर्मचारियों में विश्वास जागेगा। इस विधेयक से उनकी आकांक्षाओं और आशाओं को बल मिलेगा। इस विधेयक के साथ ही में मंत्री महोदया का ध्यान कोयला उद्योग के कुछ और बिंदुओं की ओर दिलाना चाहता हूं कि कोयला उद्योग को संयुक्त बनाने के लिए जो वजन के आधार कोयले पर रायल्टी दी जाती है और उसमें समय-समय पर कीमत बढ़ने पर जो संशोधन करना पड़ता है, वजन के आधार पर रायल्टी बढ़ाने की मांग की जाने लगती है तो महोदय वह रायल्टी कीमत के आधार पर होनी चाहिए, यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। यह कोयला उद्योग को सशक्त बनाने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से कर्मचारियों को जो लाभ मिलेगा और हड़ताल के बाद जो यह विधेयक लाया गया, इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि सर्वसम्मित से यह सदन इसको पारित करेगा।

**श्री बसुदेव आचार्य** : कोयला मंत्री जी सदन में जो कोयला खान भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक लाई हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको लाने में पूर्व सरकार का कंट्रीब्यूशन है लेकिन कोयला खान मजदूरों की भविष्यनिधि के बारे में, उनकी पेंशन संबंधी विधेयक का इतिहास बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। वर्ष 1984 में तमाम कोयला खदान से संबंधित ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत के उपरांत एक करार हुआ था, जिसके तहत यह निश्चित हुआ था कि दो फीसदी मजदूरों का वेतन और दो फीसदी एम्पलायर्स या प्रबंधन का कंट्रब्यूशन मिलाकर एक पेंशन फंड बनाया जाएगा लेकिन पेंशन फंड से संबंधित एग्रीमेंट को 1989 साल तक लागू नहीं किया गया। मजदूरों की तनख्वाह से पैसा काटना तो शुरू हो गया लेकिन 1989 साल तक प्रबंधकों ने अपना दो परसेंट हिस्सा, जो करार के मुताबिक देना तय हुआ था, नहीं दिया जिसके कारण मजदूरों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार हड़ताल करनी पड़ी।

**अपराह्न 2.51 बजे।**

**(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)**

वर्ष 1984 में तमाम कोयला खान मजदूर यूनियनों और प्रबंधकों के बीच जो एन.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. ए-3 एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक काम नहीं हुआ, उस एग्रीमेंट को लागू नहीं किया गया जिससे मजदूरों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार हड़ताल करनी पड़ी। उसके बाद, मजदूर होकर सरकार को एक ड्राफ्ट स्कीम बनानी पड़ी, जिसे बाद में सर्कुलेट किया गया। उसमें कुछ इनेबलिंग प्रोवीजन थे, मैं चाहता हूं कि सरकार यहां वादा करे कि उस ड्राफ्ट स्कीम को

जो उस समय सर्कुलेट हुई थी, तमाम मजदूर यूनियनों से बातचीत करके रिवाइज करेंगे तो अच्छी बात है लेकिन जो पुरानी ड्राफ्ट स्कीम है, जिसका हमारी सीटू यूनियन और हिन्द मजदूर सभा ने मिलकर विरोध किया था, अकेले हड़ताल की थी और वह हड़ताल बहुत सक्सेसफुल रही थी लेकिन इसके बावजूद कि कुछ दूसरी यूनियनों ने भी उसका विरोध किया था तथा हड़ताल सक्सेसफुल रही थी, आज तक उसे लागू नहीं किया गया।

कोयला खदानों से संबंधित मजदूरों की ट्रेड यूनियनों और खान प्रबंधकों के बीच उस समय हुई मीटिंग में जो निर्णय हुए, उस समिति के मिनिट्स में आपके सामने कोट करना चाहता हूं-

[अनुवाद]

> "ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने पेंशन के मामले के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को विस्तार से स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि एन.सी.डब्ल्यू.ए. III में यह सहमति हुई थी कि एक सेवानिवृत्त लाभ पेंशन स्कीम बनाई जाए जिसमें कामगारों और प्रबंधकों का प्रति माह मजूरी का दो प्रतिशत अंशदान होगा तथा कुल 4 प्रतिशत तदनुसार कामगारों की मजूरी से 4 प्रतिशत की कटौती । अप्रैल, 1989 से आरम्भ हुई...

तदुपरान्त यह निर्णय किया गया कि यह स्कीम कोयला खान भविष्य निधि संगठन के तत्वाधान के अंतर्गत तैयार की जाएगी जिसमें परिवार पेंशन निधि के अंतर्गत जमा राशि और कोयला उद्योग के कर्मकारों द्वारा दिए गए 2 प्रतिशत के अंशदान को ध्यान रखकर वर्तमान परिवार पेंशन को सेवानिवृत्ति पेंशन में बदला जाएगा। परिवार पेंशन स्कीम को दिए जाने वाले 4 प्रतिशत अंशदान में से पेंशन निधि को नियमित धन दिया जाएगा; दो प्रतिशत कर्मचारियों से और एक वार्षिक वृद्धि दी जाएगी जिसे इस उद्देश्य के लिए 1.7.96 से समझौता ज्ञापन में शामिल किया गया है।

महोदय, जो ड्राफ्ट स्कीम ट्रेड यूनियनों में बांटी गई थी वह उस समझौते में पूरी तरह से अलग थी जो एन.सी.डब्ल्यू-IV के अंतर्गत 1989 में हुआ था। उसमें हमारा प्रयोजन दिया हुआ है। हमने ड्राफ्ट स्कीम में पाया कि तनख्वाह का 1.16 प्रतिशत सदस्य से होगा और 1.16 प्रतिशत नियोजक से होगा।

[हिन्दी]

यह ड्राफ्ट स्कीम है। इसका हम विरोध करते हैं। हमारा कहना है कि जो एग्रीमेंट 1984 में हुआ था और 1989 में एन.सी.डब्ल्यू.ए. -111 के मुताबिक जो दो फीसदी रिडक्शन शुरू हुआ था उसको नई ड्राफ्ट स्कीम बनाकर इनको इनकार्पोरेट करना चाहिए और रिवाइज करना चाहिए।

दूसरा, जो फैमिली पेंशन स्कीम है और उसमें जो टोटल एकुमुलेटेड अमाउंट है वह कुल 880 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

समूचा धन पेंशन फंड को अंतरित किया जाना चाहिए परन्तु यह पेंशन स्कीम में नहीं दिया हुआ है।

[हिन्दी]

यह जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम है उसमें लिखा गया है- 'केन्द्रीय सरकार प्रस्तावित निधि में संसद द्वारा, विधि द्वारा, इस निमित किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात ऐसी राशिं का संक्षय कर सकेगी। तथापि यह प्रस्ताव है कि यह रकम कुटुम्ब पेंशन निधि में अभिदाय के विद्यमान स्तर पर होगी। केन्द्रीय सरकार प्रस्तावित पेंशन निधि के प्रशासन की संपूर्ण लागत वहन करेगी। यह अनुमान है कि 28.42 करोड़ रुपये तक इसके कुल वार्षिक आवृति व्यय पेंशन निधि में सरकार के अभिदाय के प्रति और पेंशन निधि के प्रशासन की लागत पूरी करने के लिए अन्तर्विष्ट होगा।' उसका क्या होगा? 880 करोड़ रुपया, जो जमा हुआ है वह तो मजदूरों का पैसा है। यह ड्राफ्ट स्कीम में नहीं है।

[अनुवाद]

समूचा धन पेंशन निधि को अंतरित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

वह ड्राफ्ट स्कीम में रहना चाहिए। उसको रखना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, उसको सर्कुलेट करना चाहिए और ड्राफ्ट स्कीम बनाने से पहले जो तमाम ट्रेड यूनियन है, उनके साथ बातचीत करके ड्राफ्ट स्कीम बनानी चाहिए। लेकिन यह नहीं हुआ। जो जे.बी.सी.सी.आई. है, यह कोल वर्कस व मैनेजमेंट की पर्मानेंट बॉडी है।

[अनुवाद]

जे.बी.सी.सी.आई. की बैठक अक्सर होती रहती है, परन्तु जब यह ड्राफ्ट स्कीम परिचालित किया गया था तो जे.बी.सी.सी.आई ने ड्राफ्ट स्कीम को अनुमेदित नहीं किया था और जे.बी.सी.सी.आई के अनुमोदन के बिना ड्राफ्ट स्कीम ट्रेड यूनियनों में परिचालित किया गया था और हमने इसका विरोध किया था। केवल हमारी ट्रेड यूनियन 'सीटू' ने उसका विरोध किया। ड्राफ्ट स्कीम को जे.बी.सी.आई. की स्वीकृति मिलनी चाहिए थी परन्तु इसे परिचालित करने से पूर्व ऐसा नहीं किया गया।

**अपराह्न 3.00 बजे**

**मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि वह ड्राफ्ट स्कीम तैयार करे, उस पर यहां चर्चा कराए और तब अंततः उसे पुनरिक्षित कराए। यह विधेयक का भाग नहीं है यह एनएबलिंग विधेयक है। विधेयक में जो उपबंध दिए गए हैं उन्हें पुनरीक्षित किया जाए।**

[हिन्दी]

मेरा कहना यह है कि इसमें तो ज्यादा बोलने के लिए नहीं है। जो हम लोग इसके बारे में जानते हैं, कोयला मजदूर के बारे में जानते हैं, वही कह रहे हैं।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : आपकी पार्टी का एक और सदस्य है जो बोलना चाहता है। कृपया कुछ बातें उसके लिए भी छोड़ें।

[हिन्दी]

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : अभी तो सर, मैंने शुरू ही किया है और अभी से समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। मुझे अभी और थोड़ा समय दीजिए। इस पर श्री पाणिग्रही से 45 मिनट बोले हैं। हमें तो कम से कम आधा घंटा दिया जाए।

जो पेंशनेबल ईयर है वह 1971 को कट ईयर मानना पड़ेगा, यह हमारा इस प्रविडेंट फंड स्कीम में सुझाव है।

[अनुवाद]

कट-आफ ईयर 1971 है। इस वर्ष पहली बार कोयला खानों का राष्ट्रीय करण किया गया था। इसके बाद 1973 में कोकिंग कोल खानों और फिर नॉन-कोकिंग कोल खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

[हिन्दी]

यह तो पेंशन स्कीम है। जिस पेंशन स्कीम की चर्चा चल रही है, दूसरे उद्योगों के लिए जो पेंशन स्कीम बनाई है जिसका बहुत भारी विरोध हो रहा है कि यह कम्पलसरी क्यों हो।

[अनुवाद]

यह आपशनल होना चाहिए न कि कम्पलसरी।

[हिन्दी]

जो मजदूर चाहेंगे, वे ज्वाइन करेंगे, नहीं चाहेंगे ज्वाइन नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

कुछ राष्ट्रीकृत संगठन हैं, नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन.सी.डी.सी. एक राष्ट्रीयकृत कोल कंपनी है, दि कोल बोर्ड एक दूसरा ऐसा संगठन है, इन दो संगठनों को कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिला दिया गया था। मेरा सुझाव है कि एन.सी.डी.सी. और कोल बोर्ड के कर्मचारियों को भी मिला दिया जाए यदि वे चाहें तो एक ट्रस्टी बोर्ड है।

[हिन्दी]

पेंशन का एक ट्रस्टी बोर्ड है। इसमें सब सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, लेकिन दो ट्रेड यूनियनों सी.आई.टी.यू. और एच.एम.एस. को नहीं रखा गया है। इनको क्यों नहीं रखा गया है, इसके कारण मालूम नहीं है। इन दोनों ट्रेड यूनियनों का कोई प्रतिनिधि इस ट्रस्टी बोर्ड में नहीं है।

हम उम्मीद करेंगे कि जो ट्रस्टी बोर्ड है उसमें सभी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को रखा जाए। जो जे.वी.सी.सी.आई. के मैम्बर हैं उन सभी को रखा जाए। खाली इंटक को नहीं और खाली आईटक को नहीं या केवल बी.एम.एस. को नहीं। यू.टी.यू.सी. वगैरह सबको रखा जाए।

सभापति महोदय, दूसरी जो इस प्राविडेंट फंड में कमी है वह यह है कि कम से कम 10 साल की उसकी सर्विस होनी चाहिए, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

कोयला श्रमिकों में 'सीटू' के बहुत बड़ी संख्या में समर्थक हैं। एच.एम.एस. का भी बहुत अधिक प्रभाव है। इसके बावजूद उनके प्रतिनिधि ट्रस्टी बोर्ड में नहीं हैं। प्रस्तावित स्कीम के अनुसार यदि कोई श्रमिक 18 वर्ष की सेवा के अंदर किसी दुर्घटना में मरता है या अपंग हो जाता है तो उसे इस स्कीम से कोई लाभ नहीं मिलेगा।

[हिन्दी]

हम चाहते हैं कि इसको भी रिवाइस करें। 10 साल के पहले अगर डेथ हो जाती है ...**(व्यवधान)**

**श्री रमेन्द्र कुमार** (बेगूसराय) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी हम बिल पर बात कर रहे हैं जबकि माननीय सदस्य स्कीम की चर्चा कर रहे हैं। स्कीम सर्कुलेट नहीं हुई है और मैं समझता हूं कि स्कीम पर चर्चा करना प्रीमेच्योर है। इसलिए पहले आप स्कीम सर्कुलेट कीजिये। अभी बिल पर चर्चा होने दीजिए, स्कीम पर चर्चा नहीं होने दीजिए। ...**(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** : बिल पर चर्चा करने का नहीं है ...**(व्यवधान)** हम अपना सुझाव दे रहे हैं। पहले स्कीम सर्कुलेट किया गया था।

[अनुवाद]

**श्री रमेन्द्र कुमार** : यह स्कीम अभी परिचालित नहीं की गई है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : स्कीम परिचालित की गई है। मेरे पास ड्राफ्ट स्कीम की एक कापी है जो जनवरी के महीने में परिचालित की गई है।

**जस्टिस गुमान मल लोढ़ा** : यह स्कीम अधिनियम का एक भाग बना दिया जाना चाहिए न कि अधीनस्थ विधान या न स्वविवेक पर छोड़ा जाना चाहिए। इस स्कीम को विधयेक का भाग बना दिया जाना चाहिए ताकि हम संशोधन ला सकें।

**श्री बसुदेव आचार्य** : हां, यदि यह विधेयक का अंग बन जाता है तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं।

**सभापति महोदय** : श्री आचार्य, आपने अपनी बात कह दी है। आप चाहते हैं कि यह स्कीम विधेयक का भाग बनें और आप ऐसा कह सकते हैं। कृपया बोलते समय अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

**(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** : सरकार को स्कीम की स्वीकृति के लिए सभा में आना होगा।

**सभापति महोदय** : कृपया माननीय सदस्यों को उत्तर न दें। आपने जो कहना है वह कहिए।

**[हिन्दी]**

**श्री बसुदेव आचार्य** : दूसरा मुद्दा है कि एन.सी.डब्ल्यू, ए-5 हाल ही में लागू हुआ। ढाई साल इंजतार करने के बाद, संघर्ष करने के बाद, हड़ताल करने के बाद एन.सी.डब्ल्यू ए-5 हाल ही में लागू हुआ ...**(व्यवधान)** असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। आपके महानदी कोल फील्ड में नहीं होता है लेकिन पी.सी.सी.एल, सी.सी.एल, ई. सी. एल. में होता है ...**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : श्री आचार्य, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें। आपने प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है।

**[हिन्दी]**

**श्री बसुदेव आचार्य** : ऐसा नहीं है, क्योंकि कोयला खदान के मजदूरों को ढाई साल तक इंतजार करना पड़ा?

**[अनुवाद]**

एक मजूरी करार की अवधि की समाप्ति के पूर्व अगला करार नहीं किया जाता है।

**[हिन्दी]**

यह तो दूसरे उद्योग में नहीं होता है, स्कीम में नहीं होता है, भेल में नहीं होता, कोयला खान मजदूरों के साथ यह बर्ताव नहीं होता है?

हम यह पूछना चाहते हैं कि क्यों कोयला खदान के मजदूरों के साथ, जो कि आठ लाख हैं। कहीं-कहीं तो 10 लाख कोयला खदान के मजदूर हैं, ऐसा बर्ताव हो रहा है? आज कोयला खदान में काम करने वाली महिलाओं के साथ क्यों ऐसा बर्ताव हो रहा है। ...(व्यवधान) माफिया हम जानते हैं। हम उस पर बोलेंगे। ...**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : इस विधेयक के लिए आवंटित समय 1 घंटा है और यह 1 घंटा समाप्त हो गया है मैं आपको बोलने से रोकना नहीं चाहता हूं पर इस बात का ध्यान रखें कि इस विधेयक पर बोलने के लिए अन्य सदस्य भी हैं।

**[हिन्दी]**

सब बोलेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरा संक्षिप्त में बोलिये।

**श्री बसुदेव आचार्य** : लेकिन जो जजेस का बिल था, इसके लिए भी एक घंटा था। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिस बिल पर बोल रहे हैं उसमें 8 लाख से ज्यादा मजदूर हैं।

जिस बिल के साथ इतने मजदूरों का स्वार्थ जुड़ा हुआ है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।

आज कोयला खदान मजदूरों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। . ..**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे उन्हें बोलने दें : श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही कृपया उन्हें बोलने दें। श्री बसुदेव आचार्य, अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

**[हिन्दी]**

**श्री बसुदेव आचार्य** : हम चाहते हैं कि जो स्कीम बने, वह ठीक से बने। इसलिए हमने अमेंडमेंट भी दिया है। हमने जाइंट सलैक्ट कमेटी का सुझाव दिया है। हमने दस साल तक इंतजार किया। सन् 1989 से डिसकशन शुरू हुआ, 1984 में इसका ऐग्रीमेंट हुआ था। इतने दिन लाखों कोयला मजदूरों ने इंतजार किया। यदि एक-दो महीने और इंतजार करके अच्छा बिल लाएं तो उनके साथ न्याय हो सकेगा। हमारा सुझाव है कि आज इस बिल को पारित न किया जाए। पहले इसे देखें, स्कीम फाईनलाइज करें। हम भी डिस्कस करेंगे। हमारा जो सुझाव है, उसे आप इनकार्पोरेट करें। जैसे कल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल के अच्छे-अच्छे सुझाव उन्होंने मान लिए। उसके बाद सब इसका समर्थन करेंगे। हम विरोध नहीं करते लेकिन इसमें जो खामियां हैं, उनको देखना पड़ेगा। जो नई ड्राफ्ट स्कीम बनेगी, उसे देखना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ड्राफ्ट स्कीम बनने से पहले इसकी खामियों को हटाकर, रिवाइज करके अच्छी स्कीम बनाएं। दूसरे उद्योगों में जो पेंशन स्कीम लागू है, उसी के मुताबिक इसमें भी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। आज कोयला खान मजदूरों की जो समस्या है, उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा।

यही कहत हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**सभापति महोदय** : कृपया संक्षेप में बोलिए।

**श्री आर.एल.पी. वर्मा** (कोडरमा) : सभापति महोदय, हमारे मित्रों ने काफी ज्यादा समय लिया है लेकिन मैं संक्षेप में बोलूंगा।

कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1996 को यहां लाया गया है, यह कामगारों के लिए आंशिक सहयोग कहा जा सकता है। बसुदेव आचार्य जी ने अभी बताया कि यह विधेयक अभी भी कम्प्रीहैनसिव नहीं है। उसमें बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनसे मजदूरों के साथ न्याय नहीं होता है। इसमें और बातें भी जोड़नी चाहिए। जहां तक मजदूरों की सर्विस कंडीशन वगैरह के बिल की बात है, देखा जाए तो आज भी आठ लाख से ज्यादा मजदूर

संकटग्रस्त हैं। इतने वर्षों के कार्य के बाद भी 50 प्रतिशत मजदूरों को मकान नहीं मिले हैं, उनके लिए दवा की ठीक व्यवस्था नहीं है। जहां तक पेंशन की बात है, वह पैसा कर्मचारी से ही कंट्रीब्यूशन लेकर उसकी भविष्य-निधि में जमा कर दिया जाएगा। लेकिन जीवन की जो सुविधाएं होनी चाहिए, उनका अभाव है यदि वह बीमारी से ग्रसित होता है तो प्रोवीजन 9:4:3 अंदर उसको नौकरी मिल सकती है।

दूसरी सर्विस करने वाले लोगों के रिटायरमेंट होने के बाद गारंटी के साथ उनके किसी आश्रित को नौकरी मिल सकती है। खान मजदूरों के साथ अभी तक यह गारंटी नहीं है। मरने के बाद ही प्रोवीजन 9:4:2 के अन्दर केवल उसकी गारंटी होती है, लेकिन यह भी कानूनन कोई प्रावधान नहीं है, यह केवल कम्पनी का अपना प्रोवीजन बना हुआ है, यह परम्परा से चल रहा है।

जहां तक पेंशन का सवाल है, एम्पलाई पेंशन स्कीम अच्छी है। अभी तक जो 9000 करोड़ रुपये के लगभग भारत सरकार के पब्लिक एकाउंट में जमा है, इस मनी का, इस फंड को, इस कोष को इस पेंशन स्कीम फंड में डाल देना चाहिए ताकि उससे मिलने वाला फायदा, उससे मिलने वाली आय, इंटरैस्ट जो कहीं से लिया जाएगा, इसमें जोड़कर मजदूरों को अधिक लाभ दिलाया जा सके। पेंशन की सुविधा फैमिली पेंशन, ब्लाक की पेंशन, पूर्ण विकलांगता की पेंशन, अनाथ बच्चों की पेंशन, विधुर या विधवा की पेंशन सभी बातें इसमें शामिल की गई हैं, लेकिन मैंने देखा है कि समय पर उनको पैसा नहीं मिलता है।

अभी भी जो सी.एम.पी.एफ. धनबाद में है, जिससे एम्पलाइज की, खान मजदूरों की समय पर पैसा निकालने में जूती घिस जाती है, लेकिन पैसा पेंशन फंड से नहीं निकलता है। वहां पर इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि उनको पेंशन लेने में काफी कठिनाई होती है, फिर भी इसमें ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं बनाया गया है। इसमें टाइम बाउंड प्रोवीजन होना चाहिए कि इतने समय में अगर मजदूरों को पेंशन नहीं मिलती है तो ऐसी हालत में जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोवीजन की इसमें लैकिंग है, जिस पर सरकार को फिर से विचार करने की जरूरत है और इसमें और भी प्रावधान जोड़ने की जरूरत है। अभी तो आपने '35. के सब-सैक्शन '2' के अन्तर्गत केवल एक ऐसा प्रोवीजन बनाया है, जिसका केवल सरकार को ही ज्यादा लाभ हो सकता है। क्योंकि जो इतनी भारी संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन तो मिलकर जमा हो जाता है और उस पर वर्तमान में जो रेट ऑफ इंटरैस्ट है, उसमें से 5.5 परसेंट इस फंड को मिलेगा, जबकि बैंकों और दूसरी जगहों में 11 परसेंट इंटरैस्ट का प्रोवीजन है। इस प्रकार से मजदूरों को अभी भी इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। हमने देखा है, बी.सी.सी.एल. और सी.सी.एल. हमारे क्षेत्र में भी हैं, उन लोगों को इसमें बहुत कठिनाई होती रहती है और उनको उचित न्याय नहीं मिलता है। देखने में पेंशन स्कीम बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यावहारिक जमीन पर जो ट्रांसलेट होता है, वह बहुत ही कठिनाई के साथ होता है। इसलिए इसमें भी प्रोवीजन और जोड़ने की आवश्यकता है।

मजदूरों का मंथली पेंशन पेमेंट जो होता है, वह कम से कम 1.25 परसेंट टोटल मजदूरों का उसमें जमा होना चाहिए। बहुत से मजदूर संगठनों ने कहा है, भारतीय मजदूर संघ ने इस पर बहुत ही जोर दिया है कि मजदूरों के न्याय के लिए इन प्रावधानों को इसमें जोड़ना चाहिए। जहां तक सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि जो मजदूरों का टोटल जमा होगा, उसका $1^2/_3$ प्रतिशत सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, प्रत्येक मजदूर जितना जमा करेगा, उसके इस अंश को यह कंपनी जमा करेगी और इस प्रकार से 42 करोड़ रुपये से ऊपर कंट्रीब्यूशन सरकार की ओर से होगा।

इस फंड से जो भी व्यवस्था होगी, प्रशासकीय व्यवस्था भी सरकार करेगी, यह अच्छी बात है। लेकिन इन प्रावधानों में कई कठिनाइयां हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। जहां तक वेटेज अवधि का सवाल है, उसे दो साल के बजाए पांच साल करना चाहिए। इसमें कंटेजेंसी फंड को भी शामिल किया गया है। जो भी पीड़ित हो, उसको वह तुरंत मिलना चाहिए। देखा जाता है कि कोई मजदूर बीमार है और वह मर जाता है, लेकिन पैसा उसे नहीं मिलता है इसलिए इसकी भी गारंटी की व्यवस्था होना चाहिए। सी.बी.टी के निर्णयानुसार जितना भी करोड़ों रुपया जमा है, उसे नई इम्प्लाय जपेंशन फंड योजना में शीघ्र ट्रांसफर करना चाहिए।

इन सुधारों के अलावा भी यहां पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने दृष्टिकोणों को रखा है और कहा है कि एक काम्प्रीहैंसिव बिल बनाया जाए, तो वह बनाना चाहिए।

पिछली 20 तारीख को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और 'टाइम्स आफ इंडिया' समाचार पत्रों में एक समाचार छपा है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बंगाल के सांसदों को कोल इंडिया ने कहा है कि हमारे कोल मिनिस्टर ने ऐसा निर्देश दिया है कि जितने भी डी.ओ. हों, ये मेरे ही निर्देश से होंगे। मै। जैसा कहूंगी उसे ही मिलना चाहिए। उन्होंने 42 लोगों के नाम की लिस्ट भी दी है। अगर वाकई में ऐसा है तो इसमें एक नई तरह की बंगलिंग होगी। अभी भी कोल इंडिया को 52 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। जब यह प्राइवेट थी तो लोगों ने इससे बहुत कमाया था। अगर डी.ओ. सिस्टम सरकार के सहारे चलेगा तो फिर घोटालों के किस्से हमारे सामने आएंगे। इसलिए जो समाचार पत्रों में छपा है, मंत्री जी उसके बारे में भी सदन को बताएं। अखबारों में तो बहुत विस्तार से आया है, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन यदि यह सत्य है तो कोल इंडिया में बड़े स्कैंडल का श्रीगणेश होने वाला है। इस तरह से जो बंगलिंग का सृजन होगा, इनसे बचना होगा। इस उद्योग को बचाने के लिए जो भी अधिकारी शामिल हों, उनको दंडित किया जाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है और बताया जता है कि कोयले का इतना बड़ा भंडार है, लेकिन नीचे पत्थर जमा कर दिए जाते हैं और गलत रिपोर्ट देकर पैसा बनाने का काम होता है। यही कोल कम्पनी जब निजी क्षेत्र में थी, तो खदानों के मालिकों के पास अकूत सम्पत्ति जमा थी। आज यह सरकारी क्षेत्र में है, तो इतना बड़ा संगठन होते हुए भी कोल इंडिया

घाटे में जा रहा है। यदि समय रहते इसमें कड़ाई नहीं बरती गई तो यह दिवालिया कम्पनी घोषित कर दी जाएगी।

अभी कोल इंडिया ने 112 करोड़ रुपये की योजना बनाई है। जहां तक रेलवे से ढुलाई का सवाल आता है, तो एक ट्रक से वहां पहुंचा जा सकता है, लेकिन होता यह है कि एक ट्रक से कोयले को उतारा जाता है और फिर दूसरे ठेकेदार के द्वारा उसको पहुंचाया जाता है, इस तरह से चार-पांच जगहों पर उतारा जाता है। इससे भी घाटा होता है। इस दिशा में मंत्री महोदया से मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कड़ाई बरतें और एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे भ्रष्टाचार न हो। अगर भ्रष्टाचार पनपेगा तो हमारी नई मंत्री जी के लिए भी यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। किस्सा कहा गया या कहानी कही गई, मैं इस पर एक सुझाव देना चाहूंगा, यह बहुत ही गम्भीर मसला है, इस पर सब लोगों का ध्यान जाना चाहिए।

**श्री दत्ता मेघे** (रामटेक) : सभापति जी, आज जो कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1948 यहां पर लेकर आए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। बहुत दिन से जो कोयला खान मजदूर थे, जिनकी संख्या लगभग आठ से दस लाख थी, वे जिस क्षेत्र में काम करते हैं, सभी कामगार यूनियन की यह मांग थी कि उनको पेंशन स्कीम का फायदा मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक उन लोगों को फायदा नहीं मिला है। अभी तो यहां पर कहा गया है कि इसमें 28.42 करोड़ रुपऐ का जो खर्चा है, वह तो सरकार स्वयं करने वाली है और इसका जो मैमोरेंडम बनने जा रहा है, उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि यह सरकार खास तौर से जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके बारे में सोचने वाली है, ऐसा मैं मानता हूं और उस दृष्टि से यह जो मैमोरेंडम बनने जा रहा है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मैमोरेंडम को बनाने के पहले सरकार को मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे चर्चा करके फाइनल ड्राफ्ट बनाना चाहिए। यह बिल अभी पास होना चाहिए। पहले ही बहुत विलंब हो गया है, इसके लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया और वहां आंदोलन हुआ और उसके बहुत सालों के बाद यहां पर यह बिल आया है, इसलिए यह बिल तो आज पास होना चाहिए। लेकिन यह जो ड्राफ्ट आप बनाने जा रहे हैं, उसमें सभी मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करके ही आपको अंतिम स्वरूप देना चाहिए। यह बिल मजदूर के हित के लिए है, उसकी भलाई के लिए है, उनकी मांग थी, इसलिए मैं इसको सपोर्ट करता हूं।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : मक्खन मत लगाओ।

**श्री दत्ता मेघे** : जो सही है, वही बोल रहा हूं। आप भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं। इससे सरकार को मदद मिलेगी।

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : कोयले की दलाली में हाथ भी काले होते हैं ...**(व्यवधान)**

**श्री दत्ता मेघे** : वही बता रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जिस रामटेक क्षेत्र से मैं स्वयं चुनकर आया हूं, वहां महाराष्ट्र में विदर्भ एरिया है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहां पर कोयले की बहुत अच्छी खान है। लोकर लोगों को तो आप ज्यादा नौकरी नहीं देते, बाहर के लोग वहां ज्यादा आते हैं और जिन लोगों की जमीनें आपने खदान के लिए ली हैं, दो एकड़ या चार एकड़ या दस एकड़ जमीन आपने खदान के लिए ली है, उनको भी आज आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। हमारा जो क्षेत्र है, वहां की खदानों में पिछले साल 84 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है और कोयला जमीनं के रुपर आजू-बाजू में है और उस सबको आपने आइडेंटीफाई किया है। लेकिन वह काम आप क्यों नहीं शुरू करते? मुझे मालूम है। आपके विभाग द्वारा खदान का सर्वे करके जो खदान का काम शुरू करने वाले हैं, उसमें समय क्यों लगा रहे हैं? यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा कोयला है। वहां पर एम.ई.सी.डी. का कोई प्रोजेक्ट आ रहा था, खदान के पास जब कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो उसमें बहुत अच्छा काम होता है, इस दृष्टि से भी आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन कोयले में आज जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस दिन बिल आया था, उस दिन भी मैंने कहा था कि इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। आज आप पावर्स सैन्ट्रलाइज करेंगे, आपके पास लोग आएंगे और आप बदनाम होंगे। अभी इस सरकार ने कहा कि मंत्री महोदय के पास जो विशेष पावर्स हैं, वे नहीं लेनी चाहिए। आप लेंगे तो थुंगन साहब की जो हालत हुई, मेरी भी हुई, यह हालत आपकी भी हो सकती है। उस दृष्टि से आपके जो कोयले के लाइसेंस बनाने वाले लोग हैं, उनको बहुत अधिकार नहीं देने चाहिए। जो भी आपका डिपार्टमेंटल काम है, वह करें, उसमें जो अधिकारी लोग हैं वे बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, उसकी बहुत शिकायतें आती हैं। हमारे यहां तो रोज पेपर में विस्तार में सब बातें आती हैं।

लेकिन इसकी कहीं इंकवायरी नहीं होती है। हमने पिछले वक्त भी पत्र लिख कर मंत्री महोदय को दिया लेकिन उसके बारे में अधिकारी कहते हैं हम जाकर सब ठीक करेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हमारे सामने जब ये लोग ऐसी बात करते हैं तो इसमें आप जरूर ख्याल कीजिए। यह कोटा सिस्टम और यहां सेंट्रलाइज करके आप जो परमिट इशु करेंगे, उसमें आपका जो भी सिस्टम है उसको आपको ज्यादा कड़ाई से देखना चाहिए। आपके पास तो पूरी इनफोरमेशन नहीं आएगी लेकिन गलत लोग आकर आपसे और परमिट ले जाएंगे। वहां पर भ्रष्टाचार होगा और उसमें अधिकारी लोगों का बहुत बड़ा हाथ होगा।

मैं यह कह रहा था कि जहां की खदानें बहुत अच्छी हैं वहां लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जिनके पास 10 एकड़ जमीन है उनको आप नौकरी दे रहे हैं और जिनके पास 2-3 एकड़ जमीन है, अगर आपके पास पोटेंशल है तो उनको आप नौकरी क्यों नहीं देते हैं, उनको आप रोजगार दीजिए। आपने कुछ रूल बनाए हैं, वह रूल ऐसे बनाए हैं कि वहां के लोगों को आप नहीं लेते हैं और बाहर के लोगों को लेते हैं। यह जो नया एम्प्लॉयमेंट है यह आगे चल कर बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट होने वाला है। क्योंकि कोयले की जरूरत है, जहां कोयला बहुत अच्छा निकलता है उस क्षेत्र के अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जो आपकी प्रोफिटेबल कम्पनी है, उन पर ध्यान देना चाहिए। जो अच्छे अधिकारी हैं, अच्छा काम करते हैं, जो

प्रोफिट लाते हैं उनके लिए भी कोई इन्सेटिव स्कीम निकालनी चाहिए और खुलेआम जो भ्रष्टाचार करते हैं उनकी जरूर इंकवायरी करनी चाहिए। जो भी सांसद या जो भी आदमी आपको डिटेल देते हैं उसके बारे में इंकवायरी करनी चाहिए और वह सांसद को बताना चाहिए कि यह-यह काम आपने किया है। हम लोग पत्र लिखते रहते हैं, यहां भी कुछ अधिकारी लोग बैठते हैं, वे कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता है। हमको लैटर के उत्तर भी नहीं आते हैं। इसलिए जिस क्षेत्र में कोयला होता है वहां बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। हम देख रहे हैं कि दिन-दहाड़े भ्रष्टाचार हो रहा है और वहां के जो मजदूर हैं जो वहां रात-दिन काम करते हैं उनके लिए यह स्कीम है इसलिए इसको जल्दी से जल्दी आपको ड्राफ्ट बना कर लागू करना चाहिए, यह मेरी आपसे मांग है। इसमें जो भी कठिनाइयां हैं उनको दूर करना चाहिए।

इस बिल के अंदर आपने कहा है कि हम ड्राफ्ट बनाएंगे। हम भी तो उस क्षेत्र के सांसद हैं, इसलिए इसमें हमारा कहना यह है कि इसमें जो भी रूचि लेना चाहते हैं जब आप ड्राफ्ट बनाएंगे तो उनका भी ध्यान रखें। हमारे पास भी सब एम्पलायज आते हैं, सब यूनियन के लोग आते हैं तो हम भी आपको कुछ सजेशंस देंगे और हम जो सजेशंस देंगे आप उन पर भी ध्यान दीजिए।

यह जो आप पेंशन का बिल लाए हैं इसका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। अब मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

**श्री रमेन्द्र कुमार :** सभापति जी, मुझे आज इस बिल पर बोलते हुए इस सदन में बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं कोयला मजदूरों को पेंशन मिले इसकी लड़ाई सदन के बाहर भी लड़ता रहा हूं और आज सदन में भी इसकी वकालत कर रहा हूं, इसके बारे में बोल रहा हूं इसीलिए मुझे प्रसन्नता है। मैं श्रीमती कांति सिंह का स्वागत करता हूं तथा उन्हें धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कोयला मजदूरों का पेंशन बिल उन्होंने ही पेश किया है। जैसे यह बोल रही थी, स्टेटमेंट दे रही थी, वक्तव्य दे रही थीं, इससे मुझे यह अंदाज लगा कि आप मुकाबला करने के लिए काफी तैयार होकर आई हैं, यह अच्छी बात है और आगे भी आप इसी तरह से तैयार रहेंगी ऐसा मेरा विश्वास है।

सभापति जी, कोयला मजदूर करीब पिछले 15 वर्षों से पेंशन मिले, उसे कोई बेनिफिट मिले, इसके लिए लड़ रहे हैं। दो बेनिफिट तो हिन्दुस्तान के सभी मजदूरों को, सभी कर्मचारियों को मिल रहा है। कहीं पेंशन है ग्रेचुअटी है, कहीं पी.एफ. है तो पेंशन नहीं है। इस देश में मजदूर आंदोलन थर्ड बेनिफिट के लिए लड़ रहा है। भारत सरकार अभी तक थर्ड बेनिफिट देने के लिए तैयार नहीं हुई है, यह लड़ाई जारी है। हम कोयला खदान में थर्ड बेनिफिट की भी लड़ाई लड़ते रहे और इसका अपना एक इतिहास है। उसके बाद हम लोगों ने कोयला खदान में एक अलग से पेंशन स्कीम की बात की, जिसकी चर्चा थोड़ी बहुत वक्ताओं ने की है। महोदय, बहुत समय पहले मजदूरों के केन्द्रीय संगठन और ट्रेड यूनियन ने कोयला मजदूरों के लिए समझौता किया था।

दो परसेंट कोयला मजदूर देगा और दो परसेंट कोल-इंडिया देगी। लेकिन कोल-इंडिया ने दो परसेंट नहीं दिया। उपाध्यक्ष जी, 1.4.89 से कोयला मजदूर अपनी तनख्वाह से पेंशन के लिए दो परसेंट कटाते रहे। यह कोई जरूरी नहीं था। जो कटाना चाहे वह कटाए, जो न कटाना चाहे वह न कटाए। अभी माननीय सदस्य बासुदेव आचार्य जी सीटू के बारे में बोल रहे थे। सीटू के जो सदस्य थे उन्होंने अपनी तनख्वाह से दो परसेंट नहीं कटाया। उपाध्यक्ष जी, हमारी लड़ाई जारी है। पिछले साल हमने दो परसेंट कोल इंडिया से नहीं लिया लेकिन हमने कोल इंडिया से पिछले साल एक एक्स्ट्रा इन्क्रीमेंट ली है। वह दो परसेंट के बराबर तो नहीं है लेकिन 1.8 परसेंट के लगभग बैठती है। हम दो परसेंट के लिए कोल-इंडिया से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमने घुमा-फिराकर दो परसेंट कोल-इंडिया से लिया। दो परसेंट मजदूर का और दो परसेंट कोल-इंडिया का तथा फैमिली पेंशन स्कीम में जितना रुपया है इन तीनों को मिलाकर एक फंड बनाया जाएगा। बासुदेव आचार्य जी कह रहे थे कि जो फंड है वह वेस्ट नहीं होगा। इस बिल में लिखा हुआ है कि वह वेस्ट हो जाएगा। फैमिली पेंशन स्कीम में जो रुपया है वह सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। नयी स्कीम के लिए जो मूल बिंदु हैं उनके बारे में हमारे साथियों ने सुझाव दिया है और उसके लिए हम भी कहना चाहेंगे कि नयी स्कीम के बारे में इस बिल में मांग है।

भारत सरकार को यह शक्ति दी जा रही है कि इस बिल के अन्तर्गत वह कोयला मजदूरों के लिए एक पेंशन स्कीम लाए और भारत सरकार के गजट में उसे प्रकाशित करें। कोयला माइन्स का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसने उसे पास किया है। लेकिन हमारा उसमें कुछ मतभेद है। इसलिए मैं भारत सरकार के कोयला मंत्री से कहना चाहूंगा कि गजट में प्रकाशित करने से पहले जो केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन है उनके नेताओं को बुलाकर आप इस संबंध में उनसे पहले बात करें और आम सहमति के आधार पर ही आप इस स्कीम को स्वीकार करें।

दूसरा सुझाव यह है कि पी.एफ. में जो रुपए जमा होते हैं उसमें 12 परसेंट ब्याज मिलता है। लेकिन पेंशन स्कीम में जो रुपए जमा होंगे उसमें कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। मेरी जानकारी के अनुसार अभी जो 8 परसेंट ब्याज दिया जाता है उसे 12 परसेंट करें, यानि ब्याज की वही दर होनी चाहिए जो प्रोविडेंट फंड में है। इस तरह से कोयला मजदूरों की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए हमारी यह मांग है कि 8 परसेंट के बदले 12 परसेंट ब्याज की दर जो पूरे हिंदुस्तान में है वही दर फैमिली पेंशन फंड में सरकार दे।

तीसरा सुझाव यह है कि हर तीन-चार साल में कोयला मजदूर की तनख्वाह में वृद्धि होती है। सरकार उसे अभी 1600 रुपए देती है। इसमें संशोधन करके 1600 के बजाए 5000 रुपए कर दे।

एक बार फिर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार जल्द से जल्द स्कीम लाए। हम लोगों की दिलचस्पी इस स्कीम में है कि उसका क्या स्वरूप होगा, कैसे मिलेगी? इसलिए इस तरह की स्कीम भारत सरकार जल्द से जल्द लाए। और जब

कोयला मजदूरों को पैसा मिलेगा, तभी उनको फायदा होगा। यह कब से लागू होगा, क्या जब सरकार गजट में प्रकाशित करेगी? कोयला मजदूरों का पैसा 1.4.79 से कट रहा है, क्या यह उसी दिन से लागू होगा या बाद में लागू होगी? इसके बारे में विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदया को शायद इसकी जानकारी नहीं है लेकिन यह बिन्दु भी महत्व का है जिस पर मतभेद हो सकता है।

सभापति महोदय, मेरा गत 32 सालों से कोयला क्षेत्र से संबंध रहा है। चाहे राज्य कोई भी हो, जिसने कोयला छुआ, उसका हाथ काला हो गया। मैं चाहता हूं कि अपना मुंह तो काला न करे। कोयले के बारे में बराबर अखबारों में चर्चा चलती रही है और चल रही है क्योंकि कोयले में ही डायमंड मिलता है और सभी लोग इसमें अपना नाक और हाथ लगा रहे हैं। सन् 1971 में दो फेज में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ और अब राष्ट्रीयकरण करने के लिये आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे लोगों को दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिन बातों को लेकर हमने देश में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था, फिर अराष्ट्रीयकरण करके प्राईवेट हाथों में दे रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है। मैं उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन इस बात की चर्चा अवश्य करना चाहता हूं कि कोल इंडिया में इसके प्रॉफिट के लिये आगे बढ़ने का स्कोप है। यदि आप सख्ती से लायेंगे, कारगर उपाय करेंगे, फिजूलखर्ची को रोकेंगे तो हो सकता है।

सभापति महोदय, हमारे देश में कोयले की डिमांड ज्यादा है। कोयला खदानों के लिये मारा-मारी हो रही है। डी.ओ. के लिये पैसा देते हैं, कमीशन देते हैं। इसके बाद भी पूरे देश में कानपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, भोपाल, दुर्गापुर, मद्रास, बंगलौर और मुम्बई में कोल इंडिया ने रीजनल सेल्ज आफिस खोले हुये हैं। ये किसलिये खोले हुये हैं? मैंने कोल इंडिया से बात की है। उनका कहना है कि उनका कोयला नहीं बिकता। लेकिन यहां तो कोयले के लिये मारा-मारी हो रही है, और आप कहते हैं कि कोयला नहीं बिकता, इसलिये ये रीजनल सेल्ज आफिस खोले हुये हैं। मेरा अनुरोध है कि कृपया इन सेल्ज सैंटर्स को बंद करें क्योंकि इनमें कोई काम नहीं है। करोड़ों रुपये का खर्चा है और आमदनी कोई नहीं है। न तो कोयला बेचने का काम करते हैं और न ही न बिके हुये कोयले का राष्ट्रीयकरण का काम करते हैं बल्कि ऐशोआराम करते हैं। इसलिये एक अनुरोध है कि कोल इंडिया कोयले का जो दाम बढ़ाना चाहते हैं, मंत्री जी को इन फिजूलखर्चियों पर रोक लगानी होगी। दूसरी बात यह है कि मंत्री जी मेरी ओर देख रही हैं। यह सही है कि हमारे बाल पक गये हैं लेकिन पब्लिक सैक्टर का यह कहना है कि जो अतिथि-गृह बने हुये हैं . ..**(व्यवधान)** आप तो पुराने सदस्य हैं। हम पहली बार चुनकर आये हैं। हमें 32 वर्षों का अनुभव प्राप्त है।

**सभापति महोदय** : आप अपनी बात कहिये।

**श्री रमेन्द्र कुमार** : सभापति महोदय, मैं तो अतिथि-गृह में कभी गया नहीं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि पूरे देश में ये गैस्ट हाउस क्यों खोले हुये हैं? इसका क्या उद्देश्य है? मेरा कोयला क्षेत्र का 32 साल का अनुभव है, मुंह तो छोड़ो हाथ तक काला नहीं हुआ है ...**(व्यवधान)** अगर हम सब की पोल खोल दें तो आप सब भाग जायेंगे।

सभापति जी, पटना की बात लीजिए। बिहार के मुख्य मंत्री ने विधानसभ में कहा था कि वे सबसे ईमानदार आदमी हैं। उनके नाम एक मकान था जिसके बारे में मैंने उनको कहा कि जितना कोल इंडिया आपके मकान का भाड़ा देता है, वही मकान यदि आप हमें लिख दें तो हम रिजाइन कर देंगे। 44-45 हजार रुपये का 50 हजार रुपये कोल इंडिया मकान का भाड़ा देती है। कुछ ऐसे मकानों को गैस्ट हाउस के रूप में ले लिया है जिनमें आज तक एक गैस्ट भी नहीं रहा है और मालिक ही उस मकान में रहते हैं। कोल इंडिया गैस्ट हाउस के नाम पर पैसे देता है और साढ़े सात लाख रुपये इनकी सजावट पर खर्च करता है। इस तरह की बातें देश के दूसरे शहरों में भी होती हैं। दिल्ली में भी होती हैं। 8-10 मकान भाड़े पर लिये हैं ...**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : ठीक है। आपने उसका उल्लेख कर दिया है। अब खत्म कीजिए।

**(व्यवधान)**

**श्री रमेन्द्र कुमार** : सभापति महोदय मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि मजदूरों की जो पेंशन स्कीम आई है, उसमें भारत सरकार एक पैसा भी नहीं दे रही है। सारे पैसे कोयला मजदूर के हैं और जब कोयला मजदूरों ने यह मांग की कि भारत सरकार भी इसमें पैसा लगाए तो भारत सरकार ने कहा कि इसमें सरकार पैसा नहीं लगाएगी। मजदूरों को देने के लिए भारत सरकार के पास पैसे नहीं, मगर बड़े-बड़े शहरों में ऐशो-आराम करने के लिए, फिजूलखर्ची करने के लिए पैसे हैं। इसलिए कृपया उसको रोकिए। मैं मंत्री जी को कोयला मजदूरों की ओर से कहना चाहता हूं, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से कहना चाहता हूं कि कोयला उद्योग के लिए, कोल इंडिया की बढ़ोतरी के लिए, इसकी मजबूती और विकास के लिए, मजदूरों की भलाई के लिए हम आपका समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**[अनुवाद]**

**श्री पी. उपेन्द्र** (विजयवाड़ा) : महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। इस लोक सभा मे अनेक सदस्य आए हैं। उन्हें पिछली बेंचें अलाट की गई हैं। जब वे अपना पहला भाषण देते हैं तो आप उन्हें थोड़ा आगे आने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। यह हमारे लिए अच्छा होगा, अन्यथा उनकी बात सुनने के लिए हमें अपनी गर्दन पीछे मोड़नी पड़ती है। संभवतः उन्हें नियमों के बारे में जानकारी नहीं होगी। इसलिए आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं।

**[हिन्दी]**

**सभापति महोदय** : हाराधन जी, अगर आप आगे आना चाहते हैं तो आगे आकर बोल सकते हैं। उपेन्द्र जी ने बैंक बेंचर को फ्रंट बेंचर कर दिया है।

**श्री हाराधन राय (आसनसोल)** : सभापति महोदय, आज मैंने बंगाली में बोलने के लिए नोटिस दिया है इसलिए मैं बंगाली में बोलूंगा।

**सभापति महोदय** : आप थोड़ा इंतजार करें। बंगाली से हिन्दी में इंटरप्रटेशन होगा।

**श्री हाराधन राय** : सभापति जी, मैं हिन्दी में बोलूं?

**सभापति महोदय** : अच्छा, हिन्दी में बोलें।

**श्री हाराधन राय** : सभापति महोदय, 50 साल से हम कोयला उद्योग से जुड़े हुए हैं और हम जहां से जीतकर आए हैं, वह कोयला खानों का एरिया भी है।

**सभापति महोदय** : हाराधन जी, अगर आप बंगाली में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। उसका हिन्दी में तर्जुमा होगा। आप अपनी मातृभाषा में बोलिए।

**[अनुवाद]**

***श्री हाराधन राय** : महोदय, मैं आज बंगाली में बोलूंगा। इसके लिए मैंने पहले सूचना दी है।

**सभापति महोदय** : कृपया एक मिनट सुनिए, बंगाली भाषा का भाषान्तर होगा।

**श्री हाराधन राय** : महोदय, मेरा 50 वर्षों से अधिक समय से कोयला श्रमिकों का साथ रहा है। मैं उस क्षेत्र मे रहा हूं और मैंने देखा है कि किस प्रकार कोयला खान मालिक श्रमिकों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें किस प्रकार नीचा देखना पड़ता है। मैंने ट्रेड यूनयिनों में भाग लिया है। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण ऐसे ही नहीं हुआ है परन्तु इसके पीछे श्रमिकों का एक लम्बा संघर्ष और त्याग रहा है। उन्हें अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। परन्तु आखिर सरकार को खानों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने श्रमिकों पर किए गए अत्याचारों को देखा है। मालिकों ने जमीन और कोयला हड़प लिया था जिसकी वजह से देश को भारी नुकसान हुआ मेरे विचार में इस विधेयक में जो प्रस्तुत किया गया है, अनेक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि जब पहले कांग्रेस सरकार इसे लाई थी तब श्रमिकों ने इस विधेयक का विरोध किया था, 19 दिसम्बर, 1995 को इस विधेयक का विरोध करने के लिए एक दिन की हड़ताल हुई थी, यद्यपि कुछ ट्रेड यूनियनों ने इसमें भाग नहीं लिया था फिर भी हम उनके साथ हैं, हम धरना पर बैठे थे और हमने उसका विरोध किया था न केवल एक बार परन्तु अनेक बार उन्होंने हड़ताल की। मेरी इसके बारे में पहली आपत्ति यह है ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : आपको बंगाली में बोलने का अधिकार है, कृपया बोलिए।

**श्री हाराधन राय** : अच्छा मैं बोल रहा हूं। ये श्रमिक इस पेंशन फंड के लिए आज ही नहीं लड़ रहे हैं अपितु उनका संघर्ष पुराना है राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी बार हुए कोयला समझौता में यह निर्णय लिया गया था कि तीसरा लाभ उन्हें दिया जाएगा और 2 प्रतिशत उनके वेतन से लिया जाएगा और 2 प्रतिशत सरकार से। इस प्रकार 4 प्रतिशत का फंड बनाया जाएगा जिसकी देख रेख न्यासी बोर्ड करेगा, इसके लिए नियम और विनियम बनाए जाऐंगे। परन्तु यह दुख की बात है कि कांग्रेस की सरकार ने जिसने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे ... **(व्यवधान)**

**एक माननीय सदस्य** : क्यों कांग्रेसी सरकार?

**श्री हाराधन राय** : ही हां, उस समय वहां कांग्रेसी सरकार थी . ..**(व्यवधान)** इसलिए जिस समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे उसका उन्होंने पालन नहीं किया। तत्कालीन श्रम मंत्री ने बहुत कोशिश की थी और बाद में वह कोयला मंत्री भी बने थे। जिस सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और बाद में इसे क्रियान्वित नहीं किया था उन्हें श्रमिकों के सामने अपनी विश्वसनीयता खोनी पड़ी चौथी राष्ट्रीय मजूरी समझौते में भी यह बात दोहरायी गई कि 2 प्रतिशत की कटौती की जाएगी और 2 प्रतिशत जमा किए जाऐंगे परन्तु यह भी नहीं चला। यह जरूरी है कि श्रमिकों और यूनियनों के साथ भारत सरकार का जो समझौता हुआ था उसे लागू किया जाए, जैसा कि वक्ता ने अभी कहा था कि सीटू 2 प्रतिशत की कटौती का विरोध करती है- मैं नहीं जानता कि उन्हें यह सूचना कहां से मिली। कोल इंडिया के सभी श्रमिकों ने अपने वेतन का 2 प्रतिशत जमा कराया है क्योंकि तीसरे लाभ के रूप में यह उनके हित में होगा और यह निर्णय लिया गया कि 2 प्रतिशत उनके द्वारा और 2 प्रतिशत सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। परन्तु सरकार ने इसका पालन नहीं किया। अब जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें कहा गया है कि पहले ही एक न्यासी बोर्ड है परन्तु उसमें यूनियनों का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसको इसमें नहीं लिया जाएगा। कोयला खान भविष्य निधि के बारे में मेरी सूचना है कि पेंशन और अन्य लाभों के कारण 50,000 करोड़ रुपये इस निधि में जमा हैं, यदि सरकार इस राशि की प्रतिपूर्ति सही ढंग से करती है तो इतना अधिक धन इस निधि में जमा नहीं हो सकता। कुछ श्रमिकों की मौतें खानों में हुई हैं, कुछ अपंग हुए हैं, कुछ घायल हुए हैं और कुछ जले हैं, उनकी भविष्य निधि अथवा पेंशन के रूप में जो यह 50,000 करोड़ रुपया जमा था उसे नए विधेयक में जमा करने का अधिकार सरकार को किसने दिया। यह धन ब्याज समेत प्रतिपूर्ति के रूप में दे दिया जाना था परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया। और मैं जानता हूं ...**(व्यवधान)** मैं यह कहना चाहता हूं। महोदय, जो यह 50,000 करोड़ रुपया जमा किया गया था वह श्रमिकों का धन है। यह धन श्रमिकों ने जमा किया था और मैं जानता हूं कि हजारों श्रमिक जो सेवानिवृत्त हो गए थे, इतने वर्षों से सरकार और कंपनी के सामने धरने पर बैठे थे, परन्तु उन्हें पैसा नहीं मिला, वे और उनके परिवार भूखों मर रहे हैं और यह तथ्य है, मैं वर्तमान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। चूकि कोल खान भविष्य निधि एक मित्र संगठन है इसलिए मैंने अनेक बार पत्र लिखे और इसका मामला संसद में भी उठाया। संभवतः इसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों को भुगतान हुआ

* मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है परन्तु अभी हजारों ऐसे हैं जिन्हें भुगतान नहीं हुआ है, अभी भी 50,000 करोड़ रुपया जमा है परन्तु यह श्रमिकों को नहीं मिला है और वे मर रहे हैं, वे मरते हैं परन्तु उन्हें कोई परिवार पेंशन नहीं दी जाती और वे रिटायर होते हैं परन्तु उनके लिए कोई पेंशन नहीं है- यह एक स्थिति है।

**सभापति महोदय** : हाराधान बाबू, कृपया संक्षेप में बोलिए।

**श्री हाराधन राय** : मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं एक बैकबेंचर हूं ...**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : हर एक को बोलने का अवसर देना है।

**श्री हाराधन राय** : सरकार बिना खर्च किए लाभ कमाना चाहती थी। श्रमिकों की वेतन वृद्धि को पेंशन स्कीम में जमा किया गया था और श्रमिकों के धन को पेंशन के रूप में दिया जा रहा है यह श्रमिकों का धन था, कोल इंडिया का कोई अंशदान नहीं था। मुझे बताया जा रहा था कि आपकी वेतनवृद्धि पेंशन के रूप में जाएगी परन्तु कोल इंडिया अथवा कोल कंपनियों का कोई अंशदान नहीं है। जिन्हें 1.7. 1995 को नौकरी में रखा गया था उन्हें एक वेतनवृद्धि दी गई थी और दूसरी ओर पेंशन फंड में उनके अंशदान के रूप में इसकी कटौती की गई थी। इस तिथि के बाद जो आये उन्हें यह वेतनवृद्धि नहीं मिल रही है और इसलिए उनके ही वेतन से राशि की कटौती करके उन्हें अंशदान करना होता है, इसलिए वे अपने बजट से राशि कटौती करके जमा कर रहे हैं। यह सरकार अपनी इच्छानुसार पेंशन स्कीम लागू करना चाहती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह धन वहां 40 वर्ष तक रहेगा, जैसा कि श्री बसुदेव आचार्य ने बताया है। एक खास अवधि के पश्चात उन्हें धन नहीं मिलेगा। इसलिए धन लगभग 40 वर्ष तक रहेगा और ब्याज की दर 8 प्रतिशत होगी। यदि कोई व्यक्ति बैंक के पास सावधि में यह राशि रखता है तो 5 वर्ष में यह दुगनी हो जाएगी। डाकघर में भी यदि वे धन इंदिरा विकास पत्र अथवा किसान विकास पत्र के रूप में जमा रखते हैं तो यह राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। मेरे विचार में श्रमिकों के प्रति यह अन्याय होगा जिन्हें 40 वर्ष तक उनके जमा पर 8 प्रतिशत ब्याज दिया जायेगा। इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि कोई श्रमिक मरता है तो उसकी पत्नी या बच्चों को पेंशन दी जाएगी। परन्तु यदि उसका पत्नी पुनः विवाह करती है तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। जबकि यदि आदमी पुनः विवाह करता है तो उसकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी यह जारी रहेगी। यह कितनी अजीब बात है, यदि औरत पुनः विवाह करती है तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी परन्तु यदि आदमी अपनी औरत के मरने के बाद पुनः विवाह करता है तो उसे पेंशन मिलेगी। यहां तक यदि पुत्री का विवाह होता है तो उसे मिलने वाली पेंशन बंद हो जाएगी, जबकि यह लड़के को 25 वर्ष की उम्र तक मिलती रहेगी।

महोदय, इस विधेयक की स्कीम नौकरशाहों अथवा संबंधित सरकारी तंत्र द्वारा बनाई जाएगी वे पहले ही दो बार अपनी विश्वसनीयता खो बैठे हैं जब उन्होंने राष्ट्रीय मजूरी समझौते का पालन नहीं किया और श्रमिकों को तीसरे लाभ के रूप में पेंशन नहीं दिया।

**सभापति महोदय** : हाराधान बाबू, आपने काफी समय ले लिया है, कृपया संक्षेप मे बोलिए।

**श्री हाराधन राय** : महोदय, केवल 4-5 मिनट और

**सभापति महोदय** : 5 मिनट नहीं केवल 2 मिनट।

**अपराह्न 4.00 बजे**

**श्री हाराधन राय** : ये लोग स्कीम बनाएंगे परन्तु न तो श्रमिक, न तो ट्रेड यूनियन नेता और यहां तक इस सभा को भी इसकी जानकारी नहीं होगी। तब भी हम उन्हें पूरा अधिकार देंगे कि जो भी स्कीम वे बनाऐंगे वह सभी कोयला खान श्रमिकों पर लागू होगा। यह ऐसा नहीं चलेगा। स्कीम सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा करके बनायी जाए और यदि आवश्यक हुआ तो संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाए। स्कीम के नाम पर क्या किया जा रहा है केवल श्रमिकों की बरबादी लाई जा रही है। हमारी कोयला मंत्री महोदया महिला हैं और यह बताया जाए कि वहां महिला श्रमिकों के साथ कोल इंडिया किस प्रकार व्यवहार कर रहा है। राष्ट्रीयकरण के समय ई.सी.एल. में लगभग 30,000 महिला श्रमिक थे और अब यह संख्या कम होकर 9,000 रह गई है और उन्हें सेवा से निकाला जा रहा है। आमतौर पर ये श्रमिक अ.जा. और अ. जनजाति के हैं और इनकी छंटनी की जा रही है। राष्ट्रीय मजूरी समझौता (5) के अनुसार यह कहा गया है कि महिलाओं को रोजगार नहीं मिलेगा चाहे वे आश्रित क्यों न हों। इसके लिए उन्हें मासिक वृद्धि के रूप में 2000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। हम महिला वर्ष मनाते हैं। हम संसद, विधानसभा और पंचायतों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने की बात करते हैं और वहां बिना सोचे-समझे महिला श्रमिकों की छंटनी की जा रही है। उन्हें नौकरी छोड़ने तथा यह स्थान किसी नामांकित पुरुष को देने के लिए कहा जा रहा है महोदय, केवल दो मिनट और

**सभापति महोदय** : यह दो मिनट आपको इसलिए मिले हैं क्योंकि आप महिलाओं की बात उठा रहे हैं न कि किसी दूसरी बात के लिए मिले हैं ...**(व्यवधान)**

**श्री हाराधन राय** : दूसरी बात यह है कि कोल इंडिया अनुपस्थितता की नीति अपना रहा है, ऐसा उन लोगों के साथ किया जा रहा है जिनके पास रहने के लिए स्वच्छ वातावरण नहीं है कोई मकान पेयजल नहीं है, लाखों कोयला श्रमिक झुग्गियों में रहते हैं, वे खानों के अंदर जाते है, उनके लिए सुरक्षा संबंधी कानून नहीं हैं, वे लगभग बरबाद हो गए हैं उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। अनुपस्थितता के नाम पर हजारों श्रमिकों विशेषकर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पुरुष श्रमिकों को नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है और उन्हें कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जा रही है। उनके रिक्त स्थान में कोई नहीं रखा जा रहा है। मैं इस संबंध में संबंधित मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा अंतिम बिंदु यह है कि कोयला कुल ऊर्जा के दो-तिहाई भाग का स्रोत है, देश में कोयले का भंडार अगले 150 वर्षों तक के लिए है। लगभग 14-15 अन्य स्रोत भी हैं।

लेकिन भारत सरकार विशेषकर कोल इंडिया हर जगह बड़े अवैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य कर रही है। इसके परिणामस्वरूप खानें आग पकड़ रही हैं और आग को बुझाने के लिए कोई उपाय नहीं है। इसलिए सरकार कोयला खानों को बंद कर रही है। देश के कोयला संसाधन जल रहे हैं और उसके साथ जमीन, गांव खतरे में है इसलिए यह जरूरी है कि कोयला खानें बंद न की जाएं बल्कि कड़े सुरक्षोपाय लेकर, स्थिरीकरण, जमीन सुधार आदि के द्वारा उन्हें चालू रखना चाहिए। परंतु हमें खानों को बंद नहीं करना चाहिए, खानों को बंद करने का मतलब देश की और ग्रामीण जीवन की बरबादी है। ऐसा नहीं चल सकता। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

**अपराह्न 4.05 बजे**

**(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई)**

**[हिन्दी]**

**श्री बसन्त सिंह खालसा** (रोपड़) : मैडम चेयरमैन, यह जो कोल माइन्स प्राविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्राविजन्स (अमेंडमेंट) बिल 1948 को अमेंड करने के लिए बिल लाया गया है और इसमें जो फेमिली पेंशन की अमेंडमेंट लाई गई है, इसके लिए मैं सरकार की इस कोशिश की प्रशंसा करता हूं और हमारी पार्टी ने शुरू से ही कहा था कि बेशक हम अपोजीशन में है, लेकिन अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी, तो हम उसकी मदद करेंगे। यह बहुत अच्छा काम इस सरकार ने किया है।

यह जो कोयला खदानों के मजदूर हैं इनके लिए इस प्रकार की सहूलियतें होना चाहिए क्योंकि यह सबसे मुश्किल काम है। वैसे लेबर तो सभी क्षेत्रों में मुश्किल में रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल काम कोयला खदान की लेबर करती है। सबसे पहली जो इम्पौटेंट बात है वह यह है कि इसकी जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है। कोयला खदान ही मजदूर की जिंदगी की जानलेवा बन जाती है। बहुधा कोयला खदानों में आग लग जाती है और उसमें मजदूर जल कर मर जाते हैं। बहुत दफा कोयला खदानों की छत या दीवार गिर जाती है, जिनके नीचे आकर मजदूर दब जाते हैं कई दफा इन खदानों में पानी भर जाता है जो कि इन मजदूरों की मौत का कारण बन जाता है।

इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि कोयला खदानें पाल्यूशन बहुत पैदा करती हैं जिसके कारण कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों को टी.बी. की बीमारी हो जाती है। चूंकि इनका परिवार भी इनके साथ रहता है इसलिए इनके साथ-साथ यह बीमारी इनके परिवार के अन्य लोगों को भी हो जाती है क्योंकि कोयला खदान के आसपास ही इनकी झुग्गियां होती हैं। इस प्रकार से पूरे परिवार को टी.बी. हो जाती है और यही उसके परिवार की मौत का कारण बनती है। इसलिए इन लोगों को रहने की और अन्य बातों की अच्छी सहूलियतें दी जाएं, इसके लिए सरकार यह बिल लाई है। इसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि ये जिन जगहों में रहते हैं वहा मकान नहीं होते हैं, सिर्फ झुग्गियां ही होती हैं जिनमें पानी आता है, ये अंधेरे एवं कीचड़ में होती हैं, जिसके कारण इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इनको सर्दियों में सर्दी सताती है और गर्मियों में गर्मी सताती है। इस प्रकार से इनको रहने के लिए कोई सहूलियतं नहीं है। इसलिए इनको रहने के लिए मकान बनाकर देना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिने कोयला खदानों में काम करने वाले वर्कर हैं, वे वर्कर खेतों में भी काम करते हैं। हमारे यहां जो वर्कर खेतों में काम करते हैं, वे भी बिहार से ही आते हैं और जो कोयला खानों में वर्कर काम करते हैं वे भी बिहार से ही आते हैं, मगर हमारे यहां पंजाब में जाकर वे वर्कर चावल और गन्ने की बुवाई करते हैं।

इसकी जो पैदावार करते हैं उसमें पंजाब कामन पूल है। हम 60 से 70 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा टन कॉमन पूल में देता है। पैदावार के लिए भी यही बात है। मजदूर वह भी हैं और यह भी हैं। वे भी बिहार से आये हैं और ये भी बिहार से आये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी इतनी मुश्किल से कोयला पैदा होता है वहां इस कोयले से देश के वर्कर्स के लिए बहबूदी हो सकती है। इसकी जो सप्लाई है, वह भी उसी तरीके से होनी चाहिए, उसी इंट्रस्ट से होनी चाहिए।

पंजाब में दो थर्मल प्लांट हैं। दोनों थर्मल प्लांटों में कोयले की मांग होती है। इसके लिए पीछे अखबारों में भी बहुत आया है। हमने एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है कि दो थर्मल प्लांट हैं जिससे बिजली पैदा होती है लेकिन आज बिजली पैदा नहीं हो रही है, वहां संकट पैदा हो रहे हैं। जो किसान हैं, वे सड़कों पर बैठे हैं जिसकी वजह से पैदावार उतनी नहीं हुई और हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ। टारगेट पूरा न होने के कारण हम उतना धान और चावल नहीं दे सकेंगे।

सभापति जी, यह बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि चावल की सबसे ज्यादा पैदावार पंजाब में होती है। तीसरा, सरकार को वर्कर की सहूलियत के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यह सोसायटी का सबसे कमजोर वर्ग है। इसमें ज्यादातर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। जिनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, सैंट्रल गवर्नमेंट ने और इसी सदन ने ज्यादा रियायतें दी हैं। कई किस्म की रिजर्वेशन भी की हैं। हम जो नुमांइदे यहां आते हैं, वे भी उसी रिजर्वेशन के जरिये आते हैं और हमें पता है कि जो वर्कर खेत में काम करता है, कोयला खान में काम करता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उनकी बैकग्राउंड बहुत कमजोर होती है। वे बहुत गरीब होते हैं। वह अपने बाल-बच्चों की परवरिश अपने साधनों से नहीं कर सकते। इसलिए मेरी बात यह है कि जो वर्कर है, जो कि आमतौर पर शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स से ताल्लुक रखता है, उसकी बहबूदी के लिए सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चूंकि समय बहुत थोड़ा है और अभी रेलवे बजट आने वाला है। हम

भी रेलवे की बात करेंगे, कोयले की बात करेंगे, वैगनों की बात करेंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी बहबूदी के लिए, उनकी सेहत के लिए उनको अस्पताल मुहैय्या कराने चाहिए उनके कल्याण के लिए, उनको मकान देने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। उनका जो प्राविडेंट फंड है, उसमें सरकार को ज्यादा हिस्सा डालना चाहिए ताकि मरने के बाद उनके बाल-बच्चों को सहुलियतें मिल सकें। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि यह फैमिली बिल है और इसमें फैमिली के लिए कई प्रोविजन डाले हैं।

मैं सरकार को इस बात पर बधाई देना चाहता हूं क्योंकि कल जो कंस्ट्रक्शन बिल आया था, जार्ज फर्नाडीज साहब ने उनके लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें की हैं। सरकार ने उन अमेंडमेंट को मानकर नया बिल लाने की कोशिश, की, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। अच्छा है कि सरकार वर्कर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। अंत में मैं यह कहकर बैठना चाहता हूं कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और यह बिल पास होना चाहिए।

**प्रो. रासा सिंह रावत** : सभापति जी, मैं कोयला भविष्य निधि प्रकीर्ण (संशोधन) 1996 का स्वागत करता हूं और मैं यह अपेक्षा करता हूं कि अगर सरकार की नीति इस मामले में ठीक रही, नीयत भी ठीक रही तो नियति भी ठीक रहेगी। ऐसा मैं मानकर चलता हूं क्योंकि यह श्रमिकों से संबंधित है। कोयला खान में 8 लाख से ज्यादा काम करने वाले श्रमिक हैं। आप सभी जानते हैं कि देश में आर्थिक विकास का मूल आधार ऊर्जा है और 60 प्रतिशत ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है।

हमें सही रूप में कोयला प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है कि कोयले की खदानों में काम करने वाले श्रमिक निश्चिंत रहें। यदि वे अपने भविष्य के बारे में, अपनी सुविधाओं के बारे में, कल्याण के बारे में निश्चिंत रहेंगे, चिंतारहित रहेंगे तो वे खदानों में लगन से काम करेंगे, चाहे वह खुदाई का काम हो, लदान का काम हो या कोई और काम हो। इसलिए यह कल्याणकारी शासन का दायित्व है कि वह श्रमिकों के कल्याण के लिए और उनके जीवन की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के कदम उठाए। इसलिए मैं कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1996 का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एकबात की चेतावनी देना चाहता हूं कि वर्तमान में कोयला उद्योग में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, सरकारी नीति की कमजोरी है, भ्रष्ट प्रशासन है, अफसरों की तानाशाही है- इन चार बुराइयों के होते हुए यह जो पेंशन वाला विधेयक है, जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, मजदूरों का हित मांग रहे हैं, उसकी क्रियान्विती भली प्रकार से हो सकेगी या नहीं, यह देखना सरकार का नैतिक दायित्व है, कोयला मंत्रालय का प्राथमिक दायित्व है और मंत्री महोदय का विशेष दायित्व है। वे संवेदनशील हैं, महिलाएं वैसे भी संवेदनशील होती हैं। इन सारे तत्वों से पेंशन स्कीम लक्वाग्रस्त न हो जाए इसलिए भ्रष्ट अफसरशाही, सरकारी नीति की कमजोरी, कोयला उद्योगों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अफसरों की तानाशाही- इन चारों बुराइयों से इसे बचाना पड़ेगा।

आज हमारे देश के स्टील प्लांट, पावर प्लांट या थर्मल प्लांट जो ऊर्जा पैदा करने वाले हैं, वे सब कोयले से संचालित होते हैं। लगभग 60 प्रतिशत ऊर्जा हमें कोयले से प्राप्त होती है। इसलिए इन कारखानों का भविष्य जो कोयले पर निर्भर है तो कोयला भी समय पर अधिकाधिक उपलब्ध हो।

अभी पंजाब के सांसद कह रहे थे कि वहां के सारे थर्मल पावर स्टेशन बंद हैं, कोयले की सप्लाई नहीं हो रही है। हमारे राजस्थान में भी समय पर कोयला नहीं आता है। कभी कोयला है तो वैगन नहीं है और वैगन है तो कोयला नहीं है। परिणाम यह होता है कि सही समय पर कोयला नहीं पहुंचने से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए जहां हम श्रमिकों के बारे में ध्यान दें, उनके कल्याण के बारे में ध्यान दें वहां हमें कोयले की ढुलाई वगैरह के बारे में भी ध्यान देना चाहिए ताकि वहां कोयले के ढेर इकट्ठे न हों और वह पड़ा-पड़ा चोरी का शिकार न हो जाए या दूसरे कामों में न चला जाए। श्रमिकों का कल्याण भी इसी बात में निहित है कि वहां पर जो कोयला खुदाई होकर आ रहा है, वह सही समय पर सारे देश के विभिन्न भागों में, जहां जैसी आवश्यकता हो, उसके अनुसार पहुंच सके।

पेंशन के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि वैसे यह बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन 'देर आयद दुरूस्त आयद' और चाहे कई अध्यादेश लाने पड़ें और मैं ऐसा मानता हूं कि यदि जनवरी में आठ लाख कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिक हड़ताल की धमकी नहीं देते तो शायद सरकार, चाहे पहले वाली सरकार होती या अब जो सरकार आई है, के कानों पर जूं रेंगने वाली नहीं थी। कोयला श्रमिकों ने संगठित होकर जब हड़ताल की धमकी दी तब सरकार ने आश्वस्त किया कि हम आपकी पेंशन के लिए विधेयक लाएंगे। इसलिए 1948 में कोयला खानों के लिए जो कानून लागू था, जिसमें कुटुम्ब पेंशन स्कीम, भविष्य निधि स्कीम, निक्षेप बीमा स्कीम और बोनस स्कीम आदि थी, लगभग 948 यूनिटस पर यह लागू थी, 31 मार्च, 1996 तक 8,13 लाख कोयला मजदूर इस अधिनियम के अंतर्गत आते थे। लेकिन अब उनका जो प्रोवीडेंट फंड है, वह आप इस पेंशन योजना में स्थानांतरित कर रहे हैं, जैसा भविष्य निधि नियासी बोर्ड ने भी निर्णय किया है। हम मंत्री महोदया से जानना चाहते हैं कि भविष्य निधि नियासी बोर्ड में कोयला श्रमिकों के विभिन्न संगठनों के, चाहे वह भारतीय मजदूर संघ हो अथवा अन्य संगठन, उन सबके प्रतिनिधि हैं या नहीं।

जो श्रमिकों के कल्याण की बात को भली प्रकार से सोच सकें। इसके साथ-साथ अभी जैसा कि आपने स्वयं स्वीकार किया है कि बिल अधूरा लाए हैं, क्योंकि इसकी द्वितीय अनुसूची धारा '3 (ङ)' है इसमें यह बातें आई हैं, जिसके लिए कोयला खान कुटुम्ब पेंशन स्कीम में उपबंध किया जाना है और आपने वे लगभग 12 बातें गिनाई हैं। बारह बातों के लिए उपबंध तो अभी किया जाना है, वह बात बातें कौन सी हैं, अगर वह इस बिल के साथ में आ जाती तो सारा बिल काम्प्रीहेंसिव हो जाता।

मान्यवर जेना साहब, कोयला खानों से पहले जब एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट जजेज के बिल के बारे में इतने घंटे बहस हो सकती है तो आठ लाख श्रमिकों के बारे में यहां बहस करने से या यहां पर विचार-विमर्श करने से आप क्यों कतरा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बिल अधूरा लाये हैं और इसके लिए आप दोषी हैं। अगर यह बिल आप पूरा लाते तो ठीक होता। यह पेंशन योजना कैसे लागू होगी, जिसका हम स्वागत कर रहे हैं, इसको इसमें बताते। यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। यह 12 बिन्दु कौन से हैं, इन बिन्दुओं के बारे में अगर कोई स्पष्टीकरण कर दिया जाता तो यह उत्तम रहता, नहीं तो 'आधा तीतर और आधा बटेर' वाली स्थिति हो गई है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कोयला खानों में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अभी एक वर्ष पहले बिहार के अंदर भयंकर कोयला खान दुर्घटना हुई थी, नदी का पानी खान में घुस गया था और सैंकड़ों श्रमिक खानों में काम करते हुए दबकर मर गये थे। उन श्रमिकों के बारे में क्या सोचा है, जो भी इस प्रकार की दुर्घटनाओं से ग्रसित होकर अनायास ही अकाल काल के शिकार हो जाते हैं, मौत के शिकार हो जाते हैं? चाहे उनको एक साल का समय हुआ हो और चाहे 10 साल, 15 साल या 33 साल का समय खुदाई का काम करते हुए हो गया हो, ऐसे श्रमिकों के लिए आपने इसमें क्या प्रावधान किया है? यह प्रावधान भी इसमें होना चाहिए। भले ही उसका प्रोविडेंट फंड कटने ही लगा हो, भले ही वह अस्थाई रूप से काम कर रहा हो, लेकिन जब इस प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटना के वे शिकार हो जाते हैं तो उस समय में उस श्रमिक के भविष्य की कल्याण की क्या योजना है, उसके बारे में भी बताएं तो ज्यादा उचित रहेगा?

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारे श्रमिकों के लिए आप पेंशन की योजना तो लागू कर रहे हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में वह खान के अंदर काम करते हैं, वहां लाइट की व्यवस्था है या नहीं, वहां वातानुकूलन की स्थिति है या नहीं, वहां पेयजल की व्यवस्था है या नहीं, वहां सेफ्टी मैजर्स की व्यवस्था है या नहीं, जो लेटेस्ट टैक्निक आई है, जिस टैक्निक में उन मजदूरों का दम नहीं घुटे, उसका प्रयोग वहां हुआ है या नहीं, ताकि वह विषैली गैसों का शिकार नहीं हो, वहां भली प्रकार से उसकी कार्यक्षमता के ऊपर भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े, वह सारी सुविधाएं हैं या नहीं।

कोयला खानों के पास जहां श्रमिकों के बच्चे, पत्नी वगैरह रहते हैं, उनके लिए वहां पर पर्यावरण कैसा है, वहां का वातावरण उचित है या नहीं। ...(व्यवधान) जो मजदूरों के घरवाले, उनक बेटे बहुएं रहते हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूं, उनके पढ़ने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके ईलाज की व्यवस्था, उनकी और भी सुख-सुविधा की व्यवस्था उन कालोनियों में है या नहीं। इसके बारे में भी जो यह कल्याण से सम्बन्धित मामले हैं, इसमें पेंशन का हम प्रावधान कर रहे हैं। पेंशन भी इस सरकार के लिए तो 'हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा आए' वाली कहावत चरितार्थ करती है। सारा पैसा तो मजदूरों के प्रोविडेंट फंड का था। प्रोविडेंट फंड की करोड़ों रुपये की राशि तो आपने पेंशन के लिए लगा दी, आखिर सरकार अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर रही है? इसमें सरकार का भी तो कुछ दायित्व होना चाहिए। आज अगर एक कर्मचारी रिटायर होता ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : प्रो. रासा सिंह रावत कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

**प्रो. रासा सिंह रावत** : मैं एक मिनट के लिए आपका संरक्षण चाहूंगा।

आज अगर एक श्रमिक सेवानिवृत होता और मान लीजिए उसको दो लाख या चार लाख रुपया प्रोविडेंट फंड मिलता। उसको वह बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखता, इन्दिरा विकास पत्र या किसान जमा योजना में डाल देता तो उसका ब्याज उसको कितना मिलता है, वह ब्याज उसकी पेंशन से बढ़कर है क्या? उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जो उसकी विधवा के लिए और उसके अनाथ बच्चों के लिए प्रावधान किया है, इसका मैं स्वागत करता हूं।

वास्तव में कई ऐसे श्रमिक होंगे, लेकिन उनको लालफीताशाही में नहीं फंसाया जाय, ताकि उसके घरवाले चक्कर काटते रहें कि हमारे पिताजी कोयले की खान में काम करते थे और वह मौत के शिकार हो गए, उनकी पेंशन के लिए यह कागज लाओ, और वे बच्चे दर-दर की ठोकरें खाते रहते हैं। जैसे सरकारी विभागों में कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं तो उसी दिन उनके हाथों में पेंशन के कागजात और अन्य सुविधाएं दे दी जाती हैं, उसी तरह से कोयला खान में काम करने वाले श्रमिक जिस दिन सेवानिवृत्त हों, अगर वे पेंशन के हकदार हैं, तो उसी दिन उनके हाथों में भी पेंशन के कागजात, पी.एफ. और अन्य सुविधाएं मिल जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

---

**अपराह्न 4.27 बजे**

## सभा का कार्य

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : इससे पहले माननीय सदस्य श्री चित्त बसु बोलें मैं एक घोषणा करूंगी। कार्य मंत्रणा समिति ने आज निम्नलिखित निर्णय किया है :

> "इस महीने की 25 तारीख से लेकर लेखानुदान के पारित होने तक कोई शून्य काल नहीं होगा ;
>
> लेखानुदान के पारित होने तक किसी भी दिन मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा;

शुक्रवार 26 जुलाई, 1996 को गैर सरकारी सदस्यों का कोई कार्य नहीं होगा। कार्य मंत्रणा समिति इसके लिए वैकल्पिक तिथि के बारे में अलग से निर्णय करेगी;

रेल बजट पर वाद विवाद आज और कल होगा;

सभी की बैठक आज और कल देर रात तक होगी और वाद विवाद पूरा किया जायेगा। रेल मंत्री 26 तारीख को मध्याह्न 12 बजे उत्तर देंगे। आज और कल रात सदस्यों को रात्रिभोज दिया जाएगा; और

इस सप्ताह के लिए निर्धारित आधे घंटे की चर्चा तथा ध्यानाकर्षण आस्थगित किए जाते हैं।",

---

**अपराह्न 4.27 बजे**

## कोयला खान भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

## और

## कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक—जारी

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक का समर्थन करते हुए मैं सरकार का तथा विशेषकर कोयला विभाग के प्रभारी मंत्री का ध्यान निम्नलिखित सुझावों की ओर दिलाना चाहूंगा।

विधेयक का तत्व बिल्कुल स्पष्ट, विशिष्ट और निर्दिष्ट है।

**[हिन्दी]**

**रेल मंत्री (श्री रामविलास पासवान)** : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि यह डिनर सिर्फ माननीय सदस्यों के लिए नहीं, स्टाफ और प्रेस वालों के लिए भी है।

**[अनुवाद]**

**श्री चित्त बसु** : विधेयक का आशय वर्तमान पेंशन योजना में संशोधन करके पेंशन योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार को प्राधिकार देना है जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी, और मैं विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का कथन से उद्धृत करूंगाः

(1) अधिवर्षिता पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन, स्थायी निःशक्तता पेंशन, विधवा या विधुर पेंशन, बालक पेंशन और अनाथ पेंशन;

(2) विद्यमान कुटुंब पेंशन निधि जैसी अभिदाय के लगभग उसी पैटर्न पर एक पेंशन निधि का सृजन, जो कर्मकारों द्वारा स्वेच्छा से सहमत अतिरिक्त अभिदायों और विद्यमान कुटुंब पेंशन निधि के पास उपलब्ध अधिशेष से अनुपूरित होगी;

(3) विद्यमान कुटुंब पेंशन निधि की समस्त आस्तियों और दायित्वों का प्रस्तावित पेंशन निधि को अंतरण।

यह विधेयक के तीन विशिष्ट उद्देश्य हैं। इस संबंध में वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है:

> "वर्तमान में केन्द्रीय सरकार प्रत्येक कर्मचारी की उपलब्धियों के 1-2/3 प्रतिशत की दर से अभिदाय करती है। केन्द्रीय सरकार कुटुंब पेंशन निधि के प्रशासन की संपूर्ण लागत भी वहन कर रही है..."

महोदया, इसके अंतर्गत हमारे देश में लगभग आठ लाख कोयला श्रमिक आते हैं, अनेक माननीय सदस्यों ने, जो वस्तुतः ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पहले ही सुझाव दिया है कि यह योजना उन्हें स्वीकार्य है, चूंकि यह योजना वर्तमान योजना की तुलना में व्यापक है तथा इसके अंतर्गत विभिन्न पहलू आते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस योजना के ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ उचित परामर्श करके अंतिम रूप देना चाहिए।

मैं आपका ध्यान विधेयक की ओर दिलाना चाहूंगा। विधेयक में कोई नियम बनाने वाला प्रावधान नहीं है। इसलिए, जो कोई भी योजना सरकार बनाती है उसे स्वतः ही स्वीकार कर लिया जाएगा और इस सभा को योजना के विभिन्न पहलुओं पर कोई राय देने का अवसर नहीं मिलेगा। इस प्रकार मुझे यह आलोचना करनी पड़ रही है कि यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, यह ऐसा विधेयक है जो पेंशन की मात्रा का उपबंध करती है और यह नौकरशाह पर छोड़ी जा रही है; केन्द्रीय सरकार को यह योजना तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इस योजना को अन्तिम योजना के रूप में लिया जाएगा, मैं महसूस करता हूं कि इस सभा को अथवा संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन को यह चर्चा करने की गुंजाइश, अधिकार अथवा अवसर नहीं है कि क्या यह योजना श्रमिकों के लिए शतप्रतिशत उपयुक्त है या नहीं। यदि उसमें नियम बनाने का प्रावधान होता कि योजना को उसका भाग बना दिया जाता- यद्यपि यह स्वीकार्य नहीं होता- तो इस पर इस सभा में चर्चा होती यदि इस सभा के सदस्य पर्याप्त रूप से चौकन्ने होते जब वे इसे लाते। इसलिए यह इस दृष्टिकोण से पर्याप्त रूप से लोकतांत्रिक नहीं है।

दूसरा, सरकार की घोषित नीति, मेरा मतलब है यूनाईटिड फ्रंट की घोषित नीति प्रशासन को चलाने में श्रमिकों को शामिल करने की है। दूसरे शब्दों में हम सब यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि न केवल शाप स्तर पर अपितु बोर्ड स्तर और शीर्ष स्तर पर भी प्रबध में श्रमिक की भागीदारी हो। यहां पर प्रश्न नहीं उठता। यहां मैं अन्य सदस्यों के साथ यह चाहता हूं कि आप व्यापक रूप से पेंशन योजना तैयार करें और उसे अंतिम रूप दें जो कि स्वीकार्य है तथा प्रंशसनीय है। परन्तु योजना की विषय-वस्तु उसके विभिन्न पहलुओं पर सलाह ली जानी है और सरकार सहमति से इस मामले में संगठित श्रम संघ आंदोलन के साथ अंतिम रूप से इसको लेगी।

यदि सरकार इन सुझावों को स्वीकार नहीं करती है। तो मैं समझता हूं कि प्रबंध में श्रमिकों को शामिल करने के सरकार की प्रतिबद्धता का मूल सिद्धांत विफल हो जाएगा और यह मेरे जैसे और अन्य सदस्यों के लिए भारी चिन्ता का विषय होगा। अतएव, इस योजना को संगठित श्रमिक संघ आंदोलन के साथ चर्चा करके तैयार किया जाना चाहिए और अन्तिम तौर पर लिया जाना चाहिए। यदि वह 'प्रक्रिया यहां अपनाई जाती है तो सभा अपने अधिकार से वंचित हो जाएगी और उसके पास योजना के लाभ और हानि अथवा योजना की कमजोरियां और अच्छी बातें अथवा कमियों के बारे में चर्चा करने का अधिकार नहीं होगा।

अतएव मेरा विनम्रतापूर्व सरकार से अनुरोध है कि वह सुझाव को स्वीकार करे और योजना को अन्तिम रूप दे।

इस संबंध में विधेयक पर बोलने का लाभ उठाते हुए मैं उद्योग के समक्ष आने वाली मूल समस्याओं पर संक्षेप में बोलना चाहूंगा। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है यह पता चला है कि बीरभूम जिले में, बांकुरा जिले में और पुरूलिया जिले में नई कोयला खानें खोलने के लिए सरकार के पास कुछ प्रस्ताव लंबित पड़े हैं। परन्तु इन नई खानों को खोलने के लिए कोई प्रभावी अथवा विशिष्ट कदम नहीं उठाए गए हैं और उसके लिए आधारभूत सुविधाओं को तत्काल प्रदान करना पड़ेगा ताकि नई खान योजनाएं अविलम्ब चालू की जा सकें। द्रुत औद्योगिकीकरण करने का पश्चिम बंगाल सरकार का अपना कार्यक्रम है। औद्योगिकीकरण के कार्य में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण कारक है और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की औद्योगिकीकरण नीति का और लाभ तभी उठाया जा सकता है जब यथाशीघ्र नई खानें चालू की जा सकें, मैं समझता कि सरकार के ध्यान में यह बात आएगी।

महोदय, पश्चिम बंगाल में और विशेषकर देश के पूर्वोत्तर भाग मे अवैध रूप से खनन कार्य चल रहा है जिससे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है और इससे भ्रष्टाचार पनप रहा है जिसमें अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इसलिए अवैध खनन कार्य तत्काल रोका जाना चाहिए और इसके लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

यह भारी चिन्ता का विषय है कि सरकार कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने पर विचार कर रही है। महोदया, मैं इसे विनाशकारी कदम कहूंगा और यह नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए सरकार को अपने विचार बदलना चाहिए यदि संयुक्त मोर्चा यह निर्णय करता है कि राष्टीय कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण समाप्त कर दिया जाए तो उसे ऐसा करने से बचना चाहिए। समर्थन देने वाली पार्टी के नाते मैं चाहूंगा कि संयुक्त मोर्चा सरकार कोयला उद्योग का निजीकरण करने के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदले।

मैं अब अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मुझे आशा है कि सरकार सभा में अनेक सदस्यों विशेषकर मेरी और अन्य की तरह, जो ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में लगे हुए हैं, दिए गए सुझाव स्वीकार करेगी और अन्ततः इस पेंशन योजना के बारे में निर्णय करेगी जो कि देश में लाखों कोयला श्रमिकों को लाभदायक होगा। ...(**व्यवधान**)

**सभापति महोदय** : अच्छा अब समय नष्ट मत करो। श्री वी. गणेशन।

**श्री वी. गणेशन** (चिदंबरम) : मैं डी.एम.के. पार्टी की तरफ से कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबध (संशोधन) विधेयक, 1996 का समर्थन करता हूं।

यह लोक सभा में मेरा पहला भाषण है इसलिए मैं डा. कलैगनर के प्रति अपना आदर व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा हमेशा समर्थन किया और इस सम्मानीय सभा के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे अवसर दिया।

इस विधेयक का आशय कोयला खान भविष्य निधि के अभिदाताओं को व्यापक लाभ प्रदान करने हेतु एक उपयुक्त पेंशन योजना बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिकार देना है। इसका आशय केन्द्रीय सरकार को कोयला श्रमिकों के लिए अधिवार्षिकी पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन, स्थायी पूर्ण निःशक्तता पेंशन, विधवा अथवा विधुर पेंशन, बाल पेंशन और अनाथ पेंशन बनाना है।

इस प्रयोजन के लिए विधेयक का आशय वर्तमान कुटुम्ब पेंशन फंड जिसमें श्रमिकों द्वारा स्वेच्छा से मंजूर अतिरिक्त अंशदान होगा और वर्तमान कुटुम्ब पेंशन निधि के पास अतिरिक्त उपलब्ध धन के योगदान से एक पेंशन फंड बनाना है।

मैं कोयला खान श्रमिकों की दयनीय दशा को बताना चाहूंगा कोयला खान श्रमिक समाज का सबसे अधिक उपेक्षित वर्ग है। अनेक कानूनों के बावजूद और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अनेक संस्थागत व्यवस्था करने के बावजूद इस संबंध में उपलब्धियां बहुत नगण्य रही हैं।

जहां तक कोयला खान श्रमिकों के लिए आवास सुविधाओं का संबंध है, हमें अभी श्रमिकों को 100 प्रतिशत मकान देने हैं। उनका एक खतरनाक व्यवसाय है और जब तक युद्ध स्तर पर उनकी मकान की मूल आवश्यकता को पूरा नहीं किया जाता है, उनके दुखों का अंत नहीं हो सकता। मैं सरकार को यह जोर देकर कहना चाहूंगा कि वह चालू योजना में सभी कोयला खान श्रमिकों को 100 प्रतिशत आवास सुनिश्चित करे। नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन के श्रमिकों को 1998 तक 100 प्रतिशत मकान देने के लिए उन्हें विशेष योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

कोयला खानों में काम की स्थिति सदैव स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं पैदा करती हैं। सभी कोयला खान श्रमिकों को विशेष चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाना चाहिए। यह कोयला खान संगठनों द्वारा उन्हें उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त होना चाहिए ताकि श्रमिकों को परामर्श के लिए अपना डाक्टर चुनने की स्वतंत्रता हो जो कि आमतौर पर दूसरों को उपलब्ध होती है। सभी कोयला खान

परिसरों में सुसज्जित अस्पताल होने चाहिए जहां न्यूमोकोनियोसिस नामक खतरनाक बीमारी का जो अक्सर कोयला खनिकों को होती है, बहुत ही शुरू में निदान हो सके।

यद्यपि कोयला खान श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कोयला खान परिसरों में शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, मैं शैक्षिक संस्थानों को चलाने हेतु राज्य सरकारों को विशेष सहायता देने के लिए मंत्रीजी को जोर देकर कहना चाहूंगा इससे कोयला खान श्रमिकों के बच्चों में शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार काफी सीमा तक किया जा सकेगा।

महोदय, मैं अनुभव करता हूं कि नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन प्राधिकारियों द्वारा कोयला खान श्रमिकों पर किए जा रहे कुछ अन्याय की ओर ध्यान दिलाना मेरा परम कर्तव्य है।

नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन ने बहुत पहले अपनी गतिविधियों के लिए जमीन खरीदी थी। तथापि, नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन के अधिकारियों की ज्यादती के कारण मुआवजा उन लोगों को अभी नहीं मिला है जिनकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन के अधिकारियों ने अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार किया है जब उन्होंने प्रत्येक उस परिवार के एक सदस्य को एन.एल. सी में रोजगार नहीं दिया है जिनकी जमीन अधिग्रहीत कर ली गई है। इन बातों पर सहमति हो गई थी और एन.एल.सी. के अधिकरी आश्वासन को पूरा करने में असफल रहे हैं जिससे लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा है। मंत्री महोदय को तत्काल इसे देखना चाहिए और समस्या को हल करने के लिए एन.एल.सी. के अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए कहना चाहिए।

नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन में सुरक्षा का मानदंड बहुत ही गिरा हुआ है। सुरक्षा स्तरों के न होने से दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह एन.एल.सी. में सुरक्षा के गिरह हुए मानदंडों की जांच कराने के आदेश दें। मेरे पास रिपोर्ट हैं कि नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन में कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों की जो प्रकृति श्रमिक विरोधी हैं, पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार एन.एल.सी. में सुरक्षा स्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक कृतिक बल बनाए और वह निर्धन श्रमिकों के हित में सुरक्षा मानदंडों में सुधार करने के लिए उपायों की सिफारिश करे।

नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन में कदाचार बहुत अधिक बढ़ गए हैं। मेरे पास ऐसी रिपोर्टें हैं कि नैमित्तिक श्रमिकों को रोजगार में रखा जाता है और जब स्थायी पद रिक्त होते हैं तो नैमितिक कर्मचारी सोसाइटी से उन्हें भरा नहीं जाता है, नैमितिक कर्मचारियों से स्थायी रिक्तियों को भरने में अत्यधिक विलंब किया जाता है। अधिकारी अत्यधिक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इसे रोकना होगा। जब तक यह नहीं किया जाता है। आप कोई सा कानून लायें, ऐसे उपाय निश्चित तौर पर विफल होंगे।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए ठोस उपाय ले और इसका श्रमिकों के हितों के साथ मेल बिठाएं।

कोयला मंत्रालय में हमारे राज्य मंत्री श्रमिकों के समक्ष आने वाली समस्याओं को जानने के लिए नेवेली लिगनाईट कारपोरेशन का दौरा करें। मुझे आशा है कि इस संबंध में आगे कार्यवाही की जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

**सभापति महोदय** : मैं अब डा. जयन्त रंगपी को बोलने के लिए बुला रही हूं। वह यहां नहीं है।

मुझे आशा है कि जार्ज फर्नान्डीज संक्षेप में अपना वक्तव्य देंगे।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** (नालन्दा) : मैं एक लंबा वक्तव्य नहीं दूंगा।

**[हिन्दी]**

अध्यक्ष जी, इस विधेयक की एक-आध बात को छोड़कर सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है और इस सरकार का अभिनन्दन किया है। लेकिन इस विधेयक में सरकार का अभिनंदन करने जैसी कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही है। सभी सदस्य जो बोले हैं उन्हें अगर कुछ अभिनंदन करने लायक दिखा है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेता नरसिंह राव का अभिनंदन करना चाहिए था। क्योंकि यह विधेयक आज का नहीं है बल्कि पांच जनवरी को एक आर्डिनेंस के द्वारा अमल में लाया गया। अगर माननीय सदस्यों ने इसे पूरा पढ़ा होता तो इसमें देखा होता कि स्टेटमेंट ऑफ औब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में बताया है कि यह आर्डिनेंस के तौर पर पांच जनवरी को प्रोमोलगेट किया था और क्योंकि पास नहीं हुआ तो दुबारा 26 मार्च को किया गया। दूसरी बार भी जब पास नहीं हुआ तो 20 जून को फिर किया गया। इसलिए अध्यक्ष जी, यह विधेयक कांग्रेस सरकार का विधेयक है। संयुक्त मोर्चा की सरकार तो केवल अपने वचन की पूर्ति कर रही है। नरसिंह राव ने उन्हें कहा था कि हमने जो भी शुरू किया है आपको उसे आगे बढ़ाना होगा। इसलिए इस सरकार की आर्थिक नीति, इस सरकार का बजट और यह विधेयक भी उसी का द्योतक है। इसलिए अगर अभिनंदन करना है तो हमें कांग्रेस पार्टी का, उसके नेता का करना चाहिए। मुझे तो इसमें तारीफ करने लायक कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस विधेयक में कहा जा रहा है कि कई नयी पैंशन्स लाई जा रही है। इसके सैक्शन पांच में तीन (ई) को हटाकर जो नया सैक्शन जोड़ा गया है उसमें कहा गया है।

**[अनुवाद]**

(क) किसी कोयला खान या किसी ऐसे वर्ग की कोयला खानों में जिस पर यह अधिनियिम लागू होता है, नियोजित व्यक्तियों को अधिवार्षिता, पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन या स्थायीपूर्ण निःशक्तता पेंशन, और (ख) युवा ऐसे कर्मचारियों के हिताधिकारियों को संदेय विधवा या विधुर पेंशन बालक पेंशन या अनाथ पेंशन और जीवन बीमा प्रसुविधाएं।

[हिन्दी]

तो अनेक लोगों को शायद लगे कि पहले एक पेंशन मिलती थी अब कई पेंशन मिलेगी। मरे हुए लोगों को, अनाथ को, उनकी पत्नी को भी पेंशन मिलेगी। इस तरह से कांग्रेस सरकार लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो गयी है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। इस सरकार ने अगर पेंशन देनी है तो सरकार के पास पैसा कहां है। आप क्या दे रहे हो, यह ठीक है, लेकिन आपको बताना चाहिए कि पैसा कहां से आया, आप पैसे कहां से लाए। कौन से नये पैसे आप लाए कि इतनी सारी पेंशन अगले महीने से या पांच जनवरी से देना शुरू किया।

आपने आर्डिनेंस की आवश्यकता महसूस की तो मैं यह मानकर चल रहा हूं कि इसका अमल भी शुरू हुआ है। अगर अमल शुरू हुआ है तो यह स्कीम सदन के सामने आनी चाहिए थी। लेकिन पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। जिन्होंने बिल तैयार किया था वे तो सत्ता में नहीं हैं लेकिन संयुक्त मोर्चा सरकार को तो इस स्कीम को बताना चाहिए था। पहले बताया गया था और अब माना जा रहा है कि एक या दो स्कीम के चलते करोड़ों-अरबों रुपया कर्मचारियों के घरों में जाने वाला था। अब एक दर्जन स्कीमों के बाद तो कितने खरबों रुपए जाने वाले हैं। सरकार को बताना चाहिए था कि वह यह पैसा कहां से ला रही है। किस-किस खाते से वह पैसा आ रहा है, यह इसमें होना चाहिए था।

सभापति महोदया, पैसा लाने का जो अनैक्शर है, वह देखिये। पैरा-ई का सब पैरा-2:

[अनुवाद]

"धारा 3 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पेंशन स्कीम विरचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र एक पेंशन निधि स्थापित की जाएगी जिसमें प्रत्येक ऐसे कर्मचारी के संबंध में, जो पेंशन स्कीम का सदस्य है, समय-समय पर निम्नलिखित का संदाय किया जाएगा,-

(क) नियोजक के अभिदाय और कर्मचारी के अभिदाय के रूप में धारा 10 ग की उपधारा (1) के अधीन निधि में संदेय रकम के एक चौथाई से अनधिक ऐसी राशियां जो पेंशन स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं।"

[हिन्दी]

अब आप पुराना देख लीजिये

[अनुवाद]

(क) धारा 10घ की उपधारा (1) के अधीन नियोजन अभिदाय तथा कर्मचारी-अभिदाय के रूप में संदेय रकम की चौथाई से अनधिक ऐसे प्रभाग का संदाय किया जाएगा जो उक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए; और

[हिन्दी]

पैसा तो वही है। इसके आगे क्या करेंगे और इसके खाते है :

[अनुवाद]

"ऐसी राशियां जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त संसद द्वारा विधि द्वारा सम्यक विनियोग के पश्चात् विनिर्दिष्ट करे"

[हिन्दी]

तो पुराना भी देख लीजिये।

[अनुवाद]

(ख) धारा 10घ की उपधारा (1) के अधीन नियोजक-अभिदाय में से खंड (क) के अनुसरण में संदेय रकम और उस उपधारा के अधीन ऐसे कर्मचारी के बारे में नियोजक-अभिदाय के सोलहवें भाग के बराबर रकम के योग से अन्यून ऐसी राशियों का संदाय किया जाएगा,

[हिन्दी]

और यहां आगे इस प्रकार है :

[अनुवाद]

"कुटुम्ब पेंशन निधि की शुद्ध आस्तियां जो पेंशन निधि की स्थापना के ठीक पूर्व विद्यमान हों।

[हिन्दी]

तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। यह उनका पैसा है। हमारे लायक मित्र बसुदेव जी ने तो कह दिया कि 880 करोड़ रुपया पड़ा है। लेकिन यह पैसा उनका ही है और वह ट्रांसफर कर रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है और आखिरी जुमला है।

[अनुवाद]

"कोई अन्य अभिदाय जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से पेंशननिधि में किया जाए"

[हिन्दी]

अब इसमें इतना सब कुछ लिखने के बाद फाईनेंनशियल मैमोरेंडम में देखिये। ये कहते हैं:

[अनुवाद]

"विद्यमान कुटुंब पेंशननिधि की शुद्ध आस्तियों को प्रस्तावित पेंशन निधि के समग्र में अंतरित करने का प्रस्ताव है।"

[हिन्दी]

तो इन्होंने जो पहले इसमें लिखा है, वही है। आगे जाकर कहते है:

[अनुवाद]

> "विधेयक के खंड 5 द्वारा प्रस्थापित नई धारा 3ङ की उपधारा (2) का खंड (ख) केन्द्रीय सरकार के अभिदाय की लिए उपबन्ध करता है। केन्द्रीय सरकार प्रस्तावित पेंशन निधि में संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् ऐसी राशियों का संदाय कर सकेगी।"

[हिन्दी]

यानि जहां 1/16 था, उसको आपने यहां पर बिना आंकड़ा देकर लिख दिया मगर उसके अगले वाक्य में लिखाः

[अनुवाद]

तथापि यह प्रस्ताव है कि यह रकम कुटुंब निधि में अभिदाय के विद्यमान स्तर पर होगी।

[हिन्दी]

यानि 1/16 दिखाकर तारीफ कर रहे हैं जबकि अब कांग्रेस की सरकार है ही नहीं और कांग्रेस के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या मिला?

सभापति महोदया, मुझे परेशानी यह है कि ये लोग सारे देश को मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिये बहुत कुछ हो रहा है जबकि असलियत में कुछ भी नहीं हो रहा है। यह मेरी शिकायत है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** (विशाखापत्तनम) : इसमें गलती क्या है? यदि यह ठीक है, तो आपको इस पर प्रसन्न होना चाहिए ... **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : कृपया समय नष्ट न कीजिए। हमें शीघ्र ही रेलवे बजट पर चर्चा करनी है।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : इस विधेयक के द्वारा न केवल पेंशन का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है अपितु 1,000 करोड़ की राशि भी पहले व्यय नहीं की जा सकी थी, अब खर्च करने के लिए उपलब्ध की जा रही है।

[हिन्दी]

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : वर्ना वे खा लेते हैं।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : नहीं ऐसा नहीं।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : आपने जो बताया कि 880 करोड़ या 1000 करोड़ रुपया है, वह तो कर्मचारियों का पहले ही से है। यह स्कीम होने पर उनका ही रहेगा।

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन है।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : यह तो उन लोगों का है।

[अनुवाद]

**श्री सत्य देव सिंह** (बलरामपुर) : आप मंत्री जी की ओर से क्यों बोल रहे हैं?

[हिन्दी]

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : मुझे आपने कहा कि बहुत लंबा बोलेंगे।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : मैंने कहा था संक्षेप में बोलिए न कि लंबा वक्तव्य दीजिए।

[हिन्दी]

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** : मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मुझे यही बताना था कि किसी स्कीम में तारीफ करने लायक कुछ नहीं है। अगर कहीं एकाध स्थान पर अधिक पैसा सरकार की तरफ से आना है तो वह इस कानून के अंतर्गत हमें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला। मगर एक बात के बारे में मैं सरकार से बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि असल जो कानून है, उसमें इनका जो पेंशन फंड और दूसरे फंड होते थें, उस रकम पर 5.5 प्रतिशत ब्याज मिलता था। 1971 में एक कानून बनाया गया था 5.5 प्रतिशत ब्याज देने के लिए। मुझे नहीं मालूम आगे सरकार उसको 8 प्रतिशत तक ले गई हो, लेकिन जो कानून हमने देखा है, उसमें आज तक 5.5 प्रतिशत ब्याज नजर आ रहा है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बाकी बातें छोड़ दीजिए। कर्मचारियों का जो पैसा है, उसमें मालिकों का जो पैसा आता है और सरकार का अगर उसमें कोई कंट्रीब्यूशन हो तो वह सरकार के कंट्रीब्यूशन की जो रकम है, उसको सरकार के पास रहने मत दीजिए। यह जो संशोधन लाए हैं, यह 5.5 प्रतिशत ब्याज का नहीं है, लेकिन जिस कानून का संशोधन कर रहे हैं, उसमें 5.5 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष है। सेकेंड शेड्यूल में 5.5 प्रतिशत ब्याज है जिसे अमेंड कर रहे हैं। अगर 5.5 प्रतिशत ब्याज इसमें हो तो फिर आने वाले नये शेड्यूल में ये कह रहे हैं कि–

[अनुवाद]

> "वह रीति जिसमें पेंशन निधि के लेखे रखे जाएंगे और विनिधान के ऐसे ढंग के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, पेंशन निधि के धन का विनिधान किया जाएगा।"

[हिन्दी]

अभी तक सेन्ट्रल गवर्नमेंट का इसमें जो डिटर्मिनेशन था, वह 5.5 प्रतिशत था। कर्मचारियों की लूट हो रही है। सरकार ने उसमें क्या पाया या क्या नहीं पाया, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हमें कर्मचारियों की लूट करने का अधिकार नहीं है। उनके पैसे का बाजार में जो सबसे अधिक ब्याज मिल सकता है वह उनको मिलना चाहिए चूंकि वह रकम उनकी पेंशन के तौर पर उनके घर में जाएगी। अगर वह नहीं करेंगे और अधिकार लें तो अगली बार वह 5.5 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत भी लिखेंगे। पहले तो इन्होंने 5.5 प्रतिशत लिखा था लेकिन अब नहीं लिखा। इन्होंने सोचा होगा कि कौन लिखे, इससे तो सदन में हंगामा हो जाएगा। इसलिए इसको न लिखना अच्छा समय। फिर अमेरिका और यूरोप में 4 प्रतिशत तक ब्याज मिलता है और चूंकि हिन्दुस्तान में भी अमरीकीकरण हो रहा है, इसलिए 5.5 प्रतिशत ब्याज देना ठीक है। पता नहीं इस विधेयक को बनाते समय इनका क्या इरादा था, लेकिन हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि जमा रकम पर ब्याज 5 प्रतिशत न हो, 8 प्रतिशत न हो, बल्कि अधिक से अधिक ब्याज जिस सुरक्षित खाते में मिलता है जिसमें सरकार की गारंटी होती है, या सरकारी बोण्ड्स में ये पैसा जाए। कर्मचारियों को किसी भी रूप से मदद करने की स्थिति में आप नहीं हो, लेकिन उन्हीं के पैसे के ब्याज से उनकी जेब में चार पैसे ज्यादा जाएं, यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : आपका बहुत धन्यवाद। अब मंत्री महोदया श्रीमती कांति सिंह उत्तर देंगी।

**श्री सत्य देव सिंह** : सभापति महोदय, मैंने अपना नाम दिया है।

**सभापति महोदय** : नाम बहुत हैं। परन्तु हर कोई रेलवे बजट पर बोलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा है।

**श्री सत्य सिंह देव** : जहां तक रेलवे बजट पर चर्चा करने का सवाल है, महोदया हमें बताया गया है कि सभा रात को देर तक बैठेगी और मंत्री महोदया ने अति कृपा की है ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : परन्तु आपमें से अधिकांश इस पर बोलना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

**श्री सत्यदेव सिंह** : मेरा विरोध इस बात पर है। कल श्रमिक से संबंधित एक विधेयक आया था।

**अपराह्न 5.00 बजे**

जो विधेयक पुरःस्थापित किया गया है वह श्रमिक से संबंधित है। हम सब श्रमिक से संबंधित हैं। लेकिन जब हम यथार्थ बातों पर आते हैं तो बचने की कोशिश करते हैं ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : यह ऐसे नहीं चल सकता क्योंकि रेलवे बजट पर चर्चा शुरू होनी है, मैंने पहले ही मंत्री महोदय को बुलाया है

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री सत्यदेव सिंह** : सभापति महोदया, मेरा आपसे यह सबमिशन है कि आप 5-5 मिनट बोलने का मौका दीजिए। श्रीमती कांति सिंह हमारी मंत्री हैं, यह बतायेंगी क्योंकि कोयले का मामला बहुत साफ है। कोयले की दलाली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। एक अमूल्य सम्पत्ति का मामला है ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : हमने इसके लिए पहले ही तीन घंटे ले लिये हैं।

...(व्यवधान)

**श्री सत्य सिंह देव** : मंत्री महोदय द्वारा उत्तर देने से पूर्व हम 15 मिनट और ले लें। इसमें क्या गलत बात है?

**सभापति महोदय** : यह सही और गलत का प्रश्न नहीं है, यह रेलवे बजट पर चर्चा करने का प्रश्न है।

...(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : हम ऐसा नहीं कर सकते। यह संभव नहीं है।

[हिन्दी]

**कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह)** : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्यों ने प्रस्तावित पेंशन योजना के संबंध में जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, उसके लिए मैं आभारी हूं और जो सारे सुझाव दिये गये हैं, वे मेरे ध्यान में हमेशा रहेंगे और उनके मुताबिक कार्य करने के लिए भी मैं हमेशा तत्पर रहूंगी।

जैसा कि हमारे माननीय सांसद श्री बासुदेव आचार्य जी ने कहा तो उस पर मेरा कहना यह है कि मजदूर संघों और मजदूर कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ इस स्कीम को तैयार किये जाने में सलाह ली जा रही है। कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड द्वारा केवल कार्यकारी दस्तावेज ही विचार-विमर्श के लिए प्रचालित किये गये हैं। इस स्कीम को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। परिवार पेंशन निधि की सम्पूर्ण राशि, जो 1995 में मात्र लगभग एक हजार करोड़ रुपये थी, उसे पेंशन स्कीम में अंतरित कर दिया जायेगा।

माननीय सांसद ने कहा कि इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाए तो सभापति महोदया, उस पर मेरा कहना यह है कि यह इसलिए भी आवश्यक नहीं है क्योंकि अधिनियम में संशोधन के द्वारा केवल केन्द्रीय सरकार को यह

अधिकार दिया जा रहा है कि वह एक पेंशन फंड का गठन कर सके। स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करने का गलत परिणाम होगा क्योंकि तीसरा अध्यादेश 20.8.96 को लैप्स हो जाएगा। संसद के सत्र के दौरान एक और अध्यादेश पुनः जारी नहीं किया जा सकता है। इससे कोयला मजदूरों में असंतोष होगा एवं हड़ताल होने पर देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। विधेयक इंट्रोड्यूस करने की सारी प्रक्रिया फिर से आरम्भ करनी होगी।

माननीय सांसद श्री लोढ़ा जी ने कहा था कि अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अध्यादेश को कोयला खान के कर्मचारियों को आश्वस्त करने के लिए लाया गया था कि सरकार उनकी अनुशंसा पर विचार करते हुए एक नई स्कीम तैयार कर रही है। कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम दोनों अलग-अलग अधिनियम हैं। अतः पेंशन स्कीम को उपरोक्त दोनों अधिनियमों के अंतर्गत अलग-अलग करना पड़ेगा। पारिवारिक पेंशन योजना का प्रशासकीय व्यय भारत सरकार वहन करती है। प्रस्तावित पेंशन योजना का प्रशासकीय व्यय भी भार सरकार ही वहन करेगी। पारिवारिक पेंशन योजना में भारत सरकार का जितना योगदान है उतना ही प्रस्तावित पेंशन योजना में भी रहेगा वर्तमान पारिवारिक पेंशन येाजना से कर्मचारियों को बहुत कम लाभ मिलता है इसलिए इसकी फंड की कोर्पस की राशि बढ़ती जा रही है। नई प्रस्तावित पेंशन योजना में इसी राशि से कर्मचारियों को कई लाभ मिलेंगे। जो कि एक संतुलित सस्टेनेबल ढंग से किया जायेगा। 1.4.91 से डेढ प्रतिशत ब्याज मिल रहा है और इसलिए मैं चाहूंगी कि इस बिल को पास किया जाए।

माननीय सांसद श्री वर्मा जी ने कुछ पेपर की कटिंग्स के बारे में यहां सदन में बोला है।

इस संबंध में, मेरा कहना है कि अखबारों में जो समाचार निकला है, वह बिल्कुल निराधार है बल्कि मैंने सख्त निर्देश दिये हैं कि कोयले के वितरण में कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए। यदि कोल इंडिया लिमिटेड ने एक भी आदमी को गलत ढंग से कोयले का आवंटन किया तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। जो स्वार्थी तत्व कोल इंडिया लिमिटेड से गलत लाभ उठाना चाहते हैं, वे ही अनर्गल समाचार छपवा रहे हैं। हम अपने काम से सभी को दिखाएंगे कि यह आरोप तो बिल्कुल गलत है ही बल्कि हम किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिये कृतसंकल्प हैं।

अंत में, हमारे ऊपर जो आरोप लगाये जाते हैं, उनके संबंध में मुझे एक गजल याद आती है-

लज्जते गम बढ़ा दीजिए,
मेरा दामन बहुत साफ है,
कोई तोहमत लगा दीजिए।

**श्री सत्यदेव सिंह** : सभापति जी, यद्यपि आपने मुझे पहले बोलने का अवसर नहीं दिया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इससे पहले तीन आर्डिनेंस पिछली सरकार से लेकर, दसवीं लोक सभा से लेकर ग्यारहवीं लोक सभा तक निकाले जा चुके हैं ...**(व्यवधान)** आप क्यों उतावले हो रहे हैं, मैं अखबार की बात काट करने नहीं जा रहा हूं। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि हिन्दुस्तान टाइम्स में जो समाचार छपा है, वह गलत है। जब इससे पहले तीन आर्डिनेंस जारी हो चुके हैं, इस बार इन्होंने यह बिल जल्दी में लाने का काम किया है, अधूरा बिल सदन में लाया गया है, उसके बारे में इन्होंने कहा कि टाइम लैप्स हुआ है, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार खान मजदूरों से संबंधित स्कीम को कब तक लागू करेगी ...**(व्यवधान)** क्या इसके लिये कोई टाइम-फ्रेम है, इतनी मदद तो आप कीजिए क्योंकि यह कोयला खान मजदूरों से संबंधित प्रश्न है। सरकार को सदन में कमिट करना चाहिए, बताना चाहिए कि कितने दिनों में इस बिल की मंशा को पूरी कर दिया जाएगा, कब तक मजदूरों को इस स्कीम का लाभ मिल जाएगा और इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा ...**(व्यवधान)** मैं मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि कब तक इस बिल को लागू कर दिया जाएगा। ...**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : नहीं, नहीं हमें नियमों का पालन करना है। कृपया बैठ जाइए।

**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात कह दी है।

**श्री सत्यदेव सिंह** : मैंने अपनी बात कह दी है। अब मंत्री महोदय एक सैकंड के लिए उत्तर दें।

**सभापति महोदय** : यह मंत्री महोदय के विवेक पर है। इसके अतिरिक्त जस्टिस गुमान मल लोढ़ा अब बोलेंगे ...**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री सत्यदेव सिंह** : कोई जबर्दस्ती नहीं हो रही है, जबर्दस्ती तो कोयला बांटने में हो रही है, कुछ लोगों को कोयला दिया जा रहा है ...**(व्यवधान)**

अधिकारियों को दबाया जा रहा है ...**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : लोढ़ा जी कृपया आरम्भ कीजिए।

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**सभापति महोदय** : आप बैठिए। टाइम लूज मत कीजिए।

**श्री सत्य पाल जैन** (चंडीगढ़) : सभापति जी, अभी बसन्त सिंह खालसा जी ने बहुत महत्वपूर्ण पाइंट रेज किया था कि पंजाब में

कोयला नहीं जा रहा है जिसके कारण वहां दो थर्मल प्लांट बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं ...**(व्यवधान)** हम चाहते हैं कि वहां कोयला जाए ...**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय :** मेरे विचार में मंत्री महोदय उन सब बातों को नोट करेंगे जो कहे गए हैं और वह उन माननीय सदस्यों को बुलायेंगी जो ऐसे ठोस बातें उठाते हैं इसलिए कोई समस्या नहीं है।

**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय :** वह ऐसा करेंगी।

**[हिन्दी]**

**श्रीमती कान्ति सिंह :** सभापति जी, मैं पहले ही बता चुकी हूं कि जितने माननीय सदस्यों ने यहां अपने सुझाव दिए हैं, अगर वे मुझसे आकर मिलना चाहें तो मैं हमेशा उनसे मिलने को तैयार हूं और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करूंगी। जहां तक पंजाब में कोयले के बारे में कहा गया है, वहां जो कमी थी, अब वह कमी नहीं होगी। . ..**(व्यवधान)**

**जस्टिस गुमान मल लोढा** (पाली) : माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्यादेश इसलिए लाया गया था क्योंकि इसकी अत्यधि आवश्यकता और एमर्जेंसी थी। यह ठीक है कि मजदूरों की ओर से इस बारे में आन्दोलन किया जा रहा था और सरकार लगातार मजदूरों के हितों की अनदेखी कर, इस मामले में विलम्ब कर रही थी।

सर्वप्रथम 5 जनवरी, 1996 को यह ऑर्डिनेंस लाया गया और आज जब हम यहां पर बहस कर रहे हैं तो इसके बीच में तीन बार ऑर्डिनेंस को रिपीट किया गया तथा प्रयास किया गया कि बिल लाएं। लेकिन मुख्य तौर पर पेंशन स्कीन को लाने का है। जो मजदूर, श्रमिक को लाभ होने वाला है वह इस एक्ट के आने से नहीं होगा। एक्ट एक अनेबलिंग प्रोविजन है, अधिकार देने वाला कानून है। लेकिन 5 जनवरी, 1996 से लेकर आज तक छह महीने तक लगातार इस स्कीम को क्यों नहीं बनाया गया? इस स्कीम को क्यों नहीं लागू किया गया? जब ऑर्डिनेंस लाने में इतनी जल्दी की गई तो उसका तार्किक फल यह होना चाहिए था कि स्कीम लागू करके श्रमिकों, कामगारों व मजदूरों को इस पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाता। लेकिन वस्तुस्थिति यह है, अभी इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पेंशन स्कीन को लाने के लिए बैठकें चल रही हैं। यह स्वीकृति सदन के सामने की है कि 8.13 लाख मजदूरों को फायदा देने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। लेकिन एक भी मजदूर, एक भी श्रमिक या एक भी कामगार को आज तक इसका लाभ नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल दिखावा मात्र है। वास्तव में सरकार की नीयत, मंशा व लगन शून्य है और उसने किसी भी प्रकार से मजदूर को फायदा कराने का प्रयास नहीं किया। अतः यह ऑर्डिनेंस मैकिंग पावर का मिसयूज करके भी श्रमिकों को लाभ नहीं होना तथा सांसदों को अपने अधिकार से वंचित करके संविधान का खून करना, संविधान की धारा 123 का दुरूपयोग करना, मैं समझता हूं कि यह अत्यंत आपत्तिजनक है। यदि इसका लाभ मिल जाता तो मैं इस पर आपत्ति नहीं करता। क्योंकि श्रमिकों को लाभ हो जाता है तो सांसदों को उस पर विचार रखने का अवसर मिला या नहीं मिला, लेकिन कम से कम श्रमिकों को तो लाभ होता। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऑर्डिनेंस मैकिंग पावर का मिसयूज व एब्यूज किया गया है और श्रमिकों को भी इसका लाभ नहीं मिला। यह ऑर्डिनेंस जो लाया गया है उसका कोई औचित्य नहीं था।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें डेलिगेटड लैजिस्लेशन के पावर स्कीम बनाने के लिए दिए गए, लेकिन नियम नहीं बनाए गए। इसका अर्थ यह हुआ कि डेलिगेटेड लैजिस्लेशन जो भी बनेगा, प्रोविडेंट फंड स्कीम जो बनेगी, जो वास्तविक कानून होगा वह सदन के सामने नहीं आएगा। यदि कोई नियम बनता है तो जनरल प्रोविडेंट एक्ट के अनुसार उसको सदन के पटल पर रखना पड़ता है। यह सदन का अधिकार है कि वह नियमों में परिवर्तन, संवर्द्धन या संशोधन करे, उनको बदल दे या उनको समाप्त कर दे। लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि सरकार की इसमें क्या मंशा है तथा संसद के सदस्यों को इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है? जो वास्तविक स्कीम मजदूरों के हित के लिए बनाई जाएगी उस स्कीम पर सदन विचार नहीं कर सके, यह धारणा सरकार ने क्यों रखी है। इसका क्या कारण है? क्या इसके पीछे कोई बदनीयती है? क्या इसके पीछे संसद में इसकी छानबीन न हो, सांसदों को इस पर विचार करने का अवसर न मिले, यह नीयत है?

यदि यह नीयत है, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह लोकतंत्र, जनतंत्र और जम्हूरियत के खिलाफ है। यह पार्लियमेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। यह संविधान के खिलाफ है। यह हमारे बिजनैस रूल्स और जितनी भी पद्धति बनी हुई है उसके खिलाफ है और इसलिए अब भी समय है, सरकार को चाहिए कि आज चाहे इस बिल को पास कर दिया जाए, मैं आर्डिनेंस का विरोध नहीं करना चाहता क्योंकि इसका लाभ श्रमिकों को, मजदूरों को जल्दी से जल्दी मिले, इसमें हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर सरकार विचार करे और विचार करे कि इसकी जो स्कीम बनाई जाए, उसको सदन के पटल पर रखे क्योंकि सदन के पटल पर रखने से सांसदों को विचार करने का अवसर मिलता है। यदि उसमें कोई परिवर्तन, संशोधन करना चाहे, तो सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय, इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है और वह यह है कि सरकार की ओर से एक्ट में तो धारा पांच में लिख दिया गया है।

**[अनुवाद]**

> "......जो केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट करे।"

[हिन्दी]

अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई रकम स्पेसीफाई की गई है, क्योंकि अब तो हमारा बजट भी आ चुका है। बजट के प्रावधान भी हमारे सामने हैं।

[अनुवाद]

"... जो केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट करे।"

[हिन्दी]

सरकार यह बताए कि क्या कोई रकम जो पेंशन में दी जाएगी, उसका प्रावधान किया है? एम्पलाईज के कंट्रीब्यूशन की रकम जो पड़ी रहेगी उसका ब्याज और इसमें यदि सरकार भागीदार बनना चाहती है, तो उसको बजट में प्रावधान करना चाहिए। इसमें वर्ड 'में' यूज करने से काम नहीं चलेगा। यदि इसमें 'शैल' होता, तो यह माना जाता कि पेंशन की रकम मिलेगी। उससे ऐसा प्रकट होता कि आपकी प्रतिबद्धता मजदूरों के प्रति है, लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग में "मे" यूज किया गया है। इसमें बड़ी चतुरता से मजदूरों के अधिकार को सरकार के डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ दिया गया है। यदि सरकार की इच्छा हो, तो ऐसा होगा। यानी मजदूरों की नियति, मजदूरों का भविष्य, मजदूरों की पेंशन सरकार की कृपा पर, सरकार की दया पर रहेगी। यह जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और उसकी विचारधारा के अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए जैसे हम कहते हैं, वैसे सदन में लाए और बताए कि पेंशन की इतनी रकम मजदूर को, हर श्रमिक को मिलेगी और वह सरकार के फंड में से, लेबर डिपार्टमेंट के फंड में से मिलेगी, कहां से मिलेगी, यह भी स्पेसिफाई होना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अंदर एक बात और महत्वपूर्ण है। मुझे यह बताया गया है चूंकि सरकार की तरफ से यह स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन जो कुछ भी अब तक हुआ है उसके बारे में यह औथेंटिक समाचार मिला है कि यह जो पेंशन फंड होगा, इसके बारे में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर बी.एम.पी.एफ. बोर्ड आफ ट्रस्टीज ने स्कीम का प्रारूप बनाने हेतु एक समिति का गठन किया जिसके सदस्य के रूप में सर्वश्री एस.के.राय, श्री आर.के. जिन इंटक प्रतिनिधि, श्री बी.के.राय बी.एम.एस. प्रतिनिधि, श्री मोहन झा एटक प्रतिनिधि के साथ प्रबन्धन की ओर से निर्देशक कार्मिक, बी.एम. पी.एफ. कमिश्नर एवं श्री अशोक मेहता निर्देशक कार्मिक एच.सी. एल. को नियुक्त किया गया। निरन्तर चर्चा के बाद पेंशन स्कीम की वर्तमान स्थिति के अंदर बैठक दिनांक 16-4-96 के पश्चात क्या करना है, यह बताया गया है। यह सरकार की ओर से प्रयास होने के बाद में एक स्कीम बनकर आई है।

इसके अंदर मैं कहना चाहता हूं और पूंछना चाहता हूं। कालम नं. छः में लिखा है, जो प्रोविडेंट फंड है उसमें लिखा है कि फैमिली पेंशन में जाने के लिए 1.1/6 परसेंट राशि का कामगारों द्वारा बिना सीलिंग के, तीसरा फैमिली पेंशन में जाने के लिए 1.67 परसेंट राशि सरकार द्वारा सीलिंग सहित, इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाये। उसमें लिखा है कि इस सीलिंग को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के समक्ष करने का निर्णय लिया गया है जो राशि कामगारों द्वारा कटती है, वह योग्य व्यक्ति के अनुरूप काटी जायेगी। कालम नं. पांच में लिखा है कि एक अतिरिक्त इनक्रीमेंट मिलेगा जो कि योग्य व्यक्ति को प्रबन्धक द्वारा दिया जायेगा। जो पेंशन फंड में जमा किया जायेगा और जिसकी मद 6 है चूंकि 2 परसेंट राशि अतिरिक्त इनक्रीमेंट के लिए प्रबन्धक के पास जमा है, अतः 12 परसेंट ब्याज सहित पेंशन फंड में प्रबंधक द्वारा जमा कराया जाता है।

मैं सरकार की ओर से यह कमिटमेंट चाहूंगा कि इसमें जो 12 परसेंट का उल्लेख है, जो सरकार ने, ट्रेड यूनियन के रिप्रजेंटेटिव ने, लेबर डिपार्टमेंट के आफिसर्स ने, कोल कम्पनी के आफिसर्स ने मिलकर तय किया है इस 12 परसेंट को कम नहीं किया जायेगा। आज पी.पी.एफ. की रकम पर भी 12 परसेंट ब्याज मिलता है। यह रकम श्रमिकों के, कामगारों की गाढ़े पसीने की कमाई से कटती है और उसके बराबर रकम एम्पलायर देता है। लेकिन उस रकम से ऊपर भी कामगारों को, श्रमिकों को ब्याज से कई वर्षों तक वंचित रखा जाये, यह पूर्णतया अन्याय होगा, उनका शोषण होगा।

मैं चाहूंगा कि सरकार स्पष्ट करे कि यह जो बैठक हुई और जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया, उस बैठक की कार्यवाही के साथ पेंशन स्कीम के ऊपर 12 परसेंट ब्याज, जो भी रकम जमा है, उसके ऊपर दिया जायेगा 12 परसेंट ब्याज देने के लिए सरकार को कुछ भी नहीं करना पड़ता। यदि उस समय वह पी.पी.एफ. एकाउंट खोल दें और पी.पी.एफ. एकाउंट में जो रकम जमा है, बैंक उस पर 12 परसेंट ब्याज देगा। अतः मैं समझता हूं कि 12 परसेंट ब्याज देने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसके अंदर जो स्कीम बनाई गयी है, उस स्कीम के अनुकूल सारी कार्यवाही की जाये। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोल इंडिया में जो भ्रष्टाचार है, कोल इंडिया को स्कैम या स्कैंडल्स का बहुत बड़ा अड्डा कहा जा सकता है। जिस अड्डे के अंदर 52 करोड़ रुपये का घाटा है। कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि कितने करोड़ रुपये का गेस्ट हाउस के अंदर खर्च होता है और खान मजदूर जो कि खंदक में काम करता है, अपने जीवन को दांव पर लगाता है। वहां कभी आग लग जाती है, कभी छत ढह जाती है, जिसमें उसका परिवार समाप्त हो जाता है, उसके गाढ़े पसीने की कमाई इस प्रकार से गेस्ट हाउस में गुलछर्रे उड़ाकर उड़ाई जाये और यहां पर यह कहा जाता है कि हम सख्त से सख्त कदम उठायेंगे। यह कहां तक ठीक है। श्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम देख रहे हैं, हम देखेंगे और उन्होंने देखा और स्वयं स्वीकार किया कि अगर मैं एक रुपया भेजता हूं तो उसमें से 85 पैसे सत्ता के दलाल खा लेते हैं, लूट लेते हैं, हजम कर जाते हैं।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपने जो यह कहा कि कोयले की दलाली में हाथ काला, इसके लिए आपने जो गजल सुनाई, उसके जवाब में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि :

कोयले की कोठरी में कैसा बी सयाना जाये,
एक लीक काजल की लागी रे लागी।

इसी प्रकार से आप चाहेंगे, आप बचकर रहिये। मझे याद है कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उस समय यहां एक मंत्री थे। उन मंत्री ने यहां पर आकर और एक-एक वैगन लोड करवाए। इस तरह से कोल इंडिया की तरफ से लाखों रुपये लेकर वे हर बार चले जाते हैं। उनका हवाला कांड में नाम आया है। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहूंगा। वे दिवंगत आत्मा हैं लेकिन कोल इंडिया में कितना भारी करप्शन होता है, यह करप्शन का अड्डा है।

यह स्कैम का अड्डा है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, इसलिए इसको इरैडीकेट करने के लिए बहुत साहस चाहिए। आज जिस प्रकार से प्रयास हो रहा है, उसमें मुझे इस साहस की पूरी कमी नजर आती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां आर्डिनेंस के विरोध करने का जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसको प्रैस नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि यह बिल पारित कर दिया जाए। लेकिन बिल पारित करने से काम नहीं चलेगा। पेंशन स्कीम इसकी आत्मा है इसलिए इसको पूर्णरूप से श्रमिकों के हित के लिंए बनाया जाए और सदन के पटल पर रखा जाए। हमें विचार करने का अवसर दिया जाए ताकि विभिन्न प्रकार के मत-मतांतर यहां पर आ सकें और श्रमिकों के रिप्रैजैनटेटिव उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को तो वापिस लेता हूं लेकिन इस बिल को पारित करने के लिए निवेदन करता हूं।

यह बिल श्रमिकों, मजदूरों, कामगारों के कल्याण के लिए है। सरकार इसका इस रूप में पालन करेगी, हालांकि इसकी आशा नहीं है लेकिन निराशा भी नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, खासकर महिला मंत्री महोदया को एक अवसर देने के लिए मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य को सांविधिक संकल्प वापस लेने की अनुमति है?

**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां,

**[हिन्दी]**

**जस्टिस गुमान मल लोढा** : यह बिल श्रमिकों, मजदूरों, कामगारों के कल्याण के लिए है। सरकार इसका इस रूप में पालन करेगी, हालांकि इसकी आशा नहीं है लेकिन निराश भी नहीं होना चाहिए। मंत्री जी, खासकर महिला मंत्री महोदया को एक अवसर देने के लिए मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**संकल्प सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।**

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : श्री बासुदेव आचार्य उपस्थित नहीं हैं। चूंकि उन्होंने अपना संशोधन पहले ही पेश कर दिया है, मैं संशोधन संख्या 4 सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

**संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न है :

"कि कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1948 में और संशोधम करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकत हुआ।**

**[हिन्दी]**

**श्रीमती कांति सिंह** : जैसा कि हमारे माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि कोयले की कोठरी में जो जाता है वह काला हो जाता है, उस पर मैं एक बात कहना चाहती हूं।

मैं वो आईना हूं जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं जो काले हैं वे काले ही दिखेंगे

मगर आईना हमेशा साफ और ट्रांसपेरेंट होता है।

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए**

**सभापति महोदय** : श्री राजीव प्रताप रूडी यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं उनके संशोधन नहीं ले रही हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 से 10 विधेयक का अंग बने",

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड 5 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**श्रीमती कांति सिंह** : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए",

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

**अपराह्न 5.31 बजे**

## रेल बजट 1996-97—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (रेल)*- 1996-97

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : अब हम मद संख्या 13 और 14-1996-97 के लिए रेल बजट और लेखानुदानों की मांगें (रेल) लेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

**सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत गई वाली वर्ष 1996-97 के लिए लेखानुदानों की मांगें (रेलवे)**
**(......के लिए कार्य सूची के अनुसार......)**

| मांग की सं. | मांग का नाम | सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई लेखानुदान की मांगों की राशि (लोक सभा द्वारा 11 मार्च 1996 को पहले से ही स्वीकृत की गई राशियों सहित) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | रु. |
| 1. | रेलवे बोर्ड | 11,52,44,000 |
| 2. | विविध व्यय (सामान्य) | 59,90,04,000 |
| 3. | रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं | 414,00,74,000 |
| 4. | रेलपथ और निर्माण कार्यों से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण | 853,68,07,000 |
| 5. | रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण | 594,71,90 |
| 6. | सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण | 884,72,16,000 |
| 7. | संयंत्र और उपकरों की मरम्मत और अनुरक्षण | 454,44,55,000 |
| 8. | परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर | 729,80,31,000 |
| 9. | परिचालन व्यय-यातायात | 1682,74,99,000 |
| 10. | परिचालन व्यय-ईंधन | 2001,80,42,000 |
| 11. | कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं | 333,56,76,000 |
| 12. | विविध संचालन व्यय | 427,26,42,000 |
| 13. | भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ | 1180,98,26,000 |
| 14. | निधियों में विनियोग | 3538,00,00,000 |
| 15. | सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन | 12,76,16,000 |
| 16. | परिसंपित्तयां-खरीद, निर्माण और बदलाव | |
| | राजस्व | |
| | **अन्य व्यय** | 22,50,00,000 |
| | पूंजी | 4050,95,18,000 |
| | रेलवे निधियां | 2365,95,32,000 |
| | जोड़ | 19619,33,72,000 |

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

**[हिन्दी]**

**श्री राम नाईक** : सभापति महोदया, कल ही लोकमान्य तिलक जी की जयन्ती थी और लोकमान्य तिलक जी को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता था। राम विलास जी,

**अपराह्न 5.31 बजे**

**(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)**

आपके संदर्भ में मैं यह कहूं कि आपने जिस प्रकार का रेल का अर्थ संकल्प पेश किया है, उससे आप रेल यात्रियों के असंतोष के जनक बन गए हैं।

वैसे हमें संयुक्त मोर्चा की सरकार से बहुत आशा नहीं थी, नहीं है, लेकिन आप जैसे रेल मंत्री बने, आपसे जरूर कुछ अपेक्षाएं थी और ऐसा लगता था कि कोई नया रास्ता, कोई नई बातें आप अपने संकल्प में, रेल-बजट में लाएंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कोई भी नई बात, कोई भी नई सोच, कोई भी नया तरीका आपने निकाला नहीं है। उस भूमिका में हमारी जो अपेक्षाएं आपसे थी, उस पर आपने पानी फेर दिया है। आपका पूरा बजट मैंने तफसील में जाकर पढ़ा और यदि एक वाक्य में आपके बजट के बारे में कहना है तो आपका रेल-बजट जो लगता है, वह उसी पुराने रेल ट्रैक पर चल रहा है, वही पुरानी रेल की गाड़ी है, वही पुराना रेल का इंजन भी है, केवल मोटरमैन बदल गया है और इसलिए कोई नई योजना आपकी इसमें दिखाई नहीं देती है, ऐसा आपका बजट है।

आपका बजट इंडियन रेल्वेज का, भारतीय रेल का बजट होना चाहिए था, लेकिन जैसा आपने यहां पर रेल-बजट प्रस्तुत किया और माननीय सदस्यों से आपको जो प्रतिसाद मिल रहा था, उस पर आपके ख्याल में आया होगा कि रेल-बजट भारतीय रेल-बजट नहीं रहा।

आप बिहार से आते हैं, इसलिए वह बिहार का रेल-बजट था, प्रधानमंत्री कर्नाटक से आते हैं, इसलिए वह कर्नाटक का रेल-बजट था, आंध्र प्रदेश का बजट था, वित्त मंत्री तमिलनाडु से आते हैं, इसलिए वह तमिलनाडु का बजट था, लेकिन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कोई विशेष योजनाएं आपके इस बजट में नहीं थी। ...**(व्यवधान)** आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको जब मौका मिलेगा, तब आप आगे आकर बोलिएगा। आपका बजट इस प्रकार का रहा है।

आपने नई गाड़ियों की कुछ घोषणा की है, जहां-जहां नई गाड़ियां शुरू हो रही हैं, वहां स्वाभाविक रूप से उनको खुशी होगी और उस खुशी में हम लोग भी सम्मिलित होते हैं। यह जो 9-10 गाड़ियां शुरू कर दी और 9-10 गाड़ियां शुरू करने के बाद आपने जो सर्वेज के बारे में घोषणा की है कि आप नई रेल के बारे में सर्वे करने का विचार करेंगे।

यह वाक्य कई जगह पर है। कई जगह पर आपने यह लिखा है कि जो सर्वे अद्यतन किये गये हैं, उन पर हम विचार करेंगे। इस तरह से आपने अपने रेल बजट भाषण में केवल नए सर्वे कराने और अद्यतन सर्वे कराने की ही बात कही है। मुझे लगता है कि यह बजट खोखला है। जो प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए हैं, उनको पूरा करने की बात न करके, केवल लॉलीपाप दिखाया गया है कि हम आपके लिए यह कर हैं या वह कर रहे हैं।

यह ठीक है कि आपने कुछ नई रेलगाड़ियां शुरू की हैं। लेकिन जनता की यह मांग नहीं है कि आप राजधानी एक्सप्रेस शुरू करें या सुपरफास्ट शुरू करें। आपने ऐसी कुछ गाड़ियां लम्बे अंतर वाली शुरू की हैं। आम आदमी जो पैसेंजर ट्रेन से जाता है, रेल की सबसे बड़ी समस्या उसके लिए है। आपने और आपके पूर्व के रेल मंत्री जोकि कांग्रेस सरकार के थे, उन्होंने कई यात्री गाड़ियों को कैंसिल किया था आपने हावड़ा दिल्ली जनता गाड़ी फिर शुरू की है। मेरे जैसे महाराष्ट्र से आने वाले सदस्य को भी लगेगा कि थोड़ा बंगाल से रिश्ता जुड़ेगा। लेकिन 400-500 किलोमीटर तक जिल लोगों को जाना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए कोई नई यात्री गाड़ी आपने शुरू नहीं की। 400-500 किलोमीटर तक के सफर के लिए लोगों को मजबूरी में बस से जाना पड़ता है और उसमें उनको अधिक किराया देना पड़ता है। इसलिए आपने यह नई पद्धति निकाली है कि शार्ट डिस्टेंस की गाड़ियों की व्यवस्था जो है, वही रहेगी। इससे आम आदमी को रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए जाकर ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए इसको दृष्टि में रखते हुए आपको यात्री गाड़ियाँ दुबारा शुरू करने पर विचार करना चाहिए।

एक्सीडेंट्स की बात होती है, अनमैंड लेवल क्रासिंग की भी बात होती है। हम लोग भी अनमैंड लेवल क्रासिंग पर चर्चा करते हैं। आपने बताया है कि देश में लगभग 25000 अनमैंड लेवल क्रासिंग हैं, यानि जो बिना गेट के हैं और कोई आदमी भी नहीं है। आपने अपने रेल बजट भाषण में कहा है कि हम प्रयास करें कि आगे इस प्रकार का कोई अनमैंड लेवल क्रासिंग न हो। आपने 25000 अनमैंड लेवल क्रासिंग को कम करने की बात तो की नहीं, नए नहीं बनायेंगे, यह कह रहे हैं। जब नई रेल लाइन नहीं डालनी और नए मार्ग ही नहीं हैं तो कैसे नए अनमैंड लेवल क्रासिंग बनेंगे। अगर 25000 अनमैंड लेवल क्रासिंग कम करने की बात की होती, तो एक्सीडेंट भी कम होते और गाड़ियां भी समय पर चलती। मेरा सुझाव है कि आप तीन साल का ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लें, जिसमें इन 25000 अनमैंड लेवल क्रासिंग पर आदमी हों। इससे कई लोगों को काम लिगा और उसके साथ ही साथ एक्सीडेट भी कम होंगे और गाड़ियां भी समय पर चलेंगी।

सभापति जी, आठवीं पंचवर्षीय योजना का यह अंतिम वर्ष है। इस वार्षिक योजना में आपको 8130 करोड़ रुपये मिलेंगे, इस प्रकार की आपने कल्पना की है। मेरा यह कहना है कि सारी रेल योजना को देखते हुए यह राशि बहुत कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। आपने यह भी कहा है कि आपको 1270 करोड़ रुपये की बजटरी सपोर्ट की आवश्यकता है और वह समय पर मिलेगी। इस प्रकार की आशा और कल्पना आपने रखी है। आपने यह भी कहा था कि वित्त मंत्री इसे कुछ और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं।

उन्होंने मीठे-मीठे शब्दों में हंसते-हसंते कह दिया कि नहीं होगा। इसलिए सदन की ओर से आपको अधिक समर्थन मिला। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि इस साल के लिए यह जो बजटरी सपोर्ट है, वह कम से कम 3000 करोड़ तक का होना चाहिए। इस प्रकार की भूमिका में कैबिनेट में सरकार के साथ चर्चा करें और जब वह हो जाएगा तभी आप कोई नई योजनाएं हाथ में ले सकते हैं।

मुझे रेलवे कनसलटेटिव कमेटी ने दो साल पहले फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन रेलवे अर्थात् रेलवे की क्या दशा है, इसका अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था और उसका मैं संयोजक था। संयोजक होने के नाते हमने उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद हमारे ख्याल में जो आया है, वह मैं सदन के सामने

रखना चाहता हूं। पांचवीं योजना में जो बजटरी सपोर्ट मिला था, वह 75 प्रतिशत था, फिर छठीं योजना में 58 प्रतिशत हो गया, यानि कम हो गया। फिर सातवीं योजना में 42 प्रतिशत यानि और कम हो गया और आठवीं योजना अब जो चल रही है, उसमें 19.8 प्रतिशत यानि 20 प्रतिशत समझ लीजिए, तो 75 प्रतिशत से 20 प्रतिशत रह गया। इतनी जब कमी होती है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। इस तरह से आपको कोई पैसा देने वाला नहीं है और जब तक आपको अधिक पैसा नहीं मिलेगा, तब तक रेल में कोई सुधार होने वाला नहीं है। बजट को लम्बा रखने के लिए आप पेज पर पेज बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह जो सरकार की सोच है, प्लानिंग कमीशन की सोच है, वह सोच गलत है। यदि हम नए-नए इंफास्ट्रक्चर चाहते हैं, यदि नोर्थ ईस्टर्न में जाना चाहते हैं और जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस तरह से कमर्शियल विचार करके कैसे चलेगा? इसलिए सरकार को इस बारे में अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है जहां पर नए ट्रैक की बात आती है, नए कैपिटल एक्सपेंडीचर की बात आती है, वह सारा का सारा आपको प्लानिंग कमीशन से जनरल बजट से सपोर्ट के तौर पर आना चाहिए। इस प्रकार का आग्रह आपको रखना चाहिए और जो गाड़ियां बन गई हैं, जो ट्रैक बन गए हैं, उनको कमर्शियल लैवल पर चला सकते हैं। उसमें मुनाफा कैसे हो, अधिक एफिशिएन्सी कैसे आए, यह देखा जा सकता है लेकिन जब तक आप बजटरी सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं करेंगे तो आपने कितनी भी कोशिश की हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए यह बजटरी सपोर्ट कम से कम पचास प्रतिशत तक आना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पैसे कम हैं, इसके लिए एक नई कल्पना तीन-चार साल पहले रेल मंत्रालय द्वारा रखी जा रही है और वह बोल्ट स्कीम अर्थात् बिल्ट ऑन लीज ट्रांसफर है। अब रेल के बारे में मैं भी थोड़ा-बहुत जानता हूं और आप भी जानते हैं लेकिन रेल के बारे में मैं आपको वारनिंग देना चाहता हूं कि यह बोल्ट स्कीम के लिए इस प्रकार के आवश्यक प्रस्ताव नहीं आऐंगे क्योंकि मुनाफे में नहीं हैं और जो बात मुनाफे में नहीं है, वह कौन करने के लिए जाएगा? केवल मैं ही कहता हूं, ऐसा नहीं है। मेरे महाराष्ट्र में पिछले समय पर जो बोल्ट स्कीम ली गई थी, उसमें 500 करोड़ रुपए आएंगे, इस प्रकार की आपने अपेक्षा रखी है और महाराष्ट्र में दिवावसई और दिवापनवै, वोरीवल्ली-विरार, इस प्रकार की तीन योजनाएं बोल्ट स्कीम में लेने का फैसला हुआ था। टेंडर फ्लोट हुए और दिवावसई और दिवापनवै के लिए एक भी टेंडर नहीं आया और वोरीवली सैक्टर जो है, उसके लिए एक टेंडर आया। लेकिन मुझे विश्वास है कि वह टेंडर भी फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली योग्य नहीं होगा। इसलिए आप कहेंगे कि बोल्ट स्कीम में हम लेना चाहते हैं। और फिर कोई ऑफर नहीं आएगी और फिर दो साल उसमें और बिताओ। मुझे ऐसा लगता है जहां तक फाइनेंस का सवाल है, आपको फाइनेंशियल प्रूडेंस कि पैसा कहां से आ सकता है, इसके बारे में विचार करना चाहिए और इसलिए बोल्ट स्कीम के अन्दर कोई भी योजना मत लीजिए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

मैं मुम्बई से आता हूं और मंत्री जी भी मुम्बई आए थे। इस सदन में कई दफा मैट्रोपोलिटन प्रोजैक्ट के बारे में कहा गया है। जब यह बात कही जाती है तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं समझ सकता हूं कि आपको सभी बातों के बारे में जानकारी तुरन्त नहीं हो सकती है। जब मैंने आपके बजट भाषण को पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके अधिकारियों ने इस बात को देखा है या नहीं। पृष्ठ 28 पर बजट भाषण में जो मैट्रोपोलिटन प्रोजैक्ट के बारे में कहा गया है, उसकी अंतिम लाइन को मैं पढ़ रहा हूं -

[अनुवाद]

> "चूंकि मुंबई शहर उपनगरीय यात्रियों के 50 प्रतिशत से अधिक बोझ ढोती है, इसलिए प्लान हैड एम टी पी योजना बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा मुम्बई के लिए निर्धारित किया गया है"

[हिन्दी]

मतलब यह कि सारे उपनगरीय शहरों के जो यात्री हैं, उसका पचास प्रतिशत मुम्बई में है और इसलिए आप मैट्रोपोलिटन प्रोजैक्ट का जो प्रावधान है, उसको पचास प्रतिशत आप मुम्बई के लिए दे रहे हैं। इस प्रकार का आपका कहना है, लेकिन मेरे विचार से आपका यह कहना बहुत गलत है। सारे हिन्दुस्तान में रोज एक करोड़ दस लाख यात्री प्रवास करते हैं। और इसमें से 55 लाख यात्री मुम्बई में हैं। केवल मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है। सारे हिन्दुस्तान के बजट में से पचास प्रतिशत देना है, ऐसा आपने जो भाषण में कहा है, उसका अर्थ यह हुआ।

महोदय, मेरे पास सबर्बन पैसेंजर्स की कुल संख्या है। मुम्बई के लिए जो आपने 50 प्रतिशत एमटीपी में देने की बात कही है, यह कितना गलत है, इसको आप देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलकत्ता में 19 लाख पैसेंजर्स हैं और इनके लिए बजट में आपने 55 करोड़ 47 लाख रुपए दिए हैं, जबकि कलकत्ता के यात्रियों की संख्या 19 लाख है। इसी प्रकार मद्रास के लिए आपने 40 करोड़ 60 लाख रुपए बजट में दिए हैं, जब कि मद्रास के यात्रियों की संख्या पांच लाख है। मतलब यह कि कलकत्ता और मद्रास के यात्रियों की संख्या 24 लाख है तथा इन दोनों के लिए आपने बजट में 96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुम्बई में यात्रियों की संख्या 55 लाख है, तो उनके लिए आपने एमटीपी में 29 करोड़ रुपए बजट में रखा है। यह किसने आपको अंकगणित सिखाया है। मैं इस बारे में आपको दोष नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इस प्रकार नहीं सोच सकते हैं। लेकिन जिस किसी ने भी आपको इस प्रकार की जानकारी दी है, वह बहुत ही गलत है और सदन को मिसगाइड करने वाली है। आपने यह भी कहा है कि कुछ व्यवस्थायें आप अनुपूरक बजट में भी करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन विषयों को लेकर आपको गहराई से अध्ययन करना होगा।

मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं। मुम्बई में एक स्क्वेयर मीटर में दस लोग खड़े होकर प्रवास करते हैं। मैं चाहता हूं

कि आप इस स्थिति को आकर देखें। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं, जब यह स्थति होगी तो मुम्बई के लोग क्या कहेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गए-साल छोटे-छोटे कारणों से मुम्बई के सवर्धन पैसेंजर्स में रॉयट्स हो गए हैं। जब केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार की स्थिति होगी तो क्या यह जले पर नमक छिड़कने की बात नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आपको इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए और मैट्रोपोलिटन प्रोजैक्टस के साथ न्याय करना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि तीनों ही मैट्रोपोलिटन शहर देश को बड़े पैमान पर कर देते हैं, सम्पत्ति देते हैं। वहां पर उद्योग है, व्यापार है और जो यात्री उद्योग और व्यापार के लिए यात्रा करते हैं, उनके साथ आपको न्याय करना चाहिए। एक बात यह भी है कि उद्योग और व्यापार के लिए जो यात्रा करते हैं तथा जो टूरिस्ट के तौर पर यात्रा करते हैं, उनमें अन्तर होता है। इसलिए इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं। इस साल के बजट और गए साल के बजट में कोई अन्तर नहीं है। गए-साल में तीन प्रोजैक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक प्रोजैक्ट है-बोरिवैली क्वाड्रुपली प्रोजैक्ट, इस प्रोजैक्ट के लिए आपने 317 करोड़ रुपए का गए-साल बजट में प्रावधान किया था, लेकिन एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। आपने दिखाया है कि इस प्रोजैक्ट के लिए कोई विशेष काम नहीं हुआ है। इसी प्रकार से दिवा-वसाई प्रोजैक्ट है, इसके लिए भी 90 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन इसमें भी कोई रुपया खर्च नहीं किया गया है।

दिवा पनवेल का 52 करोड़ है, उसमें भी कोई खर्च नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह जो बजट हमें यहां दिया है उसे पढ़ने के बाद गए साल की और आज की स्थिति में कोई फर्क नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख कर कई उपनगरीय स्टेशनों के बारे में इसमें आधुनिकीकरण का प्रोजेक्ट है, उसमें भी कोई खर्च नहीं हुआ हे। ये जो सारे फीगर्स वहां के रेलवे ने, जनरल मैनेजर्स ने दिए हैं वे मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का आपको गहराई से ख्याल करना चाहिए।

महोदय, सुरेश कलमाड़ी जी इस समय यहां नहीं हैं, अगर वह होते तो अच्छा होता। उन्होंने एक्शन प्लान मुंबई 2001, इस प्रकार से जब वह रेल मंत्री थे तो उस समय उन्होंने एक पुस्तक ऑफिशियली पब्लिश की थी। उसमें उन्होंने कहा कि 2001 तक यदि मुंबई को कोई न्याय देना है तो इसके लिए 11,900 करोड़ लगेंगे, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मंत्री बदल गए हैं, इसलिए आपको भी इस पर विचार करना चाहिए। आखिर रेल मंत्रालय द्वारा बनाई हुई यह किताब है। इसमें जो प्रोजेक्ट्स है। उनका और आपका बजट कोई तालमेल नहीं खाता है, इस भूमिका से आपको देखना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है।

मैं आपको एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और वह धन्यवाद इसलिए है कि दो सौ मीटर तक आपने दूसरे वर्ग का किराया नहीं बढ़ाया है और इसके साथ ही साथ उपनगरीय रेल का किराया भी आपने नहीं बढ़ाया है। इसलिए हम लोगों को एक राहत की सांस मिली है लेकिन राहत की सांस केवल इस बात में है कि ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा लेकिन जो भीड़ है उसको आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, किस प्रकार से सुविधा दे सकते हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। यदि यह नहीं हुआ तो फिर वही बात होगी कि गाड़ी कुछ समय के लिए लेट हो गई। फिर उसमें गड़बड़ पैदा होती है, दंगे होते हैं।

[अनुवाद]

उपनगरीय रेल सेवा बंद होने के कगार पर है।

[हिन्दी]

इसलिए यह ब्रिंलक ऑफ कोलेप्स पर है तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और मुंबई के लिए जो भी योजनाएं आपने इस बजट में दिखाई है वे कम से कम दो साल में पूरी हों, इस प्रकार का एक चित्र आपको रखना चाहिए और उसके अनुसार आपको काम करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं।

आपने कुछ नये जोंस की भी घोषणा की है। जहां-जहां नये जोंस बने, वहां के नागरिकों को, वहां के लोगों को अच्छा लगा होगा लेकिन मुंबई की उपनगरीय रेल के लिए स्वतंत्र जोन होना चाहिए। उसके लिए कोंकण रेलवे कार्पोरेशन जैसी इनडिपेंडैंट ऑटोनोमस बाडी होने चाहिए। यह वहां के यात्रियों की, एम.पीज की तथा सरकार की सब की मांग है और जो आप विश्व बैंक से पैसे लेने जा रहे हैं उन्होंने भी एक कंडीशन रखी है कि आपको एक अलग जोन बनाना चाहिए, इस बारे में एक शब्द भी नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक आप स्वायत्त निगम नहीं बनाते हैं तब तक आपके लिए यह काम सुधारना मुश्किल है। उसके लिए जितने पैसे चाहिए, मुंबई इस काम के लिए एक ऐसा शहर है, जैसे आप बांड्स इशु करते हैं। तो वहां लोग आगे आकर पैसा दे सकते हैं और पैसे की कमी नहीं हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मेरा यह आग्रह रहेगा कि मुंबई के लिए आपको स्वायत्त निगम उपनगरीय रेलवे के लिए बनाना चाहिए।

आपने माल किराए में 10 प्रतिशत वृद्धि की है। यह जो आपने वृद्धि की है इसका सारा बोझ ग्राहक पर ही पड़ने वाला है। अब कौन से ग्राहक पर यह बोझ पड़ने वाला है, यह बोझ सामान्य आदमी पर पड़ने वाला है इससे आप भी सहमत होंगे। इसमें मुझे लगता है कि कोई मतभेद होने का कारण नहीं है। लेकिन यह बहुत भारी बोझ है इसलिए आपको कुछ मात्रा में केन्द्र सरकार से जनरल बजट में से बजटरी सपोर्ट लेकर कम से कम 10 परसेंट में से 5 परसेंट कम करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है, नहीं तो लोगों पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा।

इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि यह जो आपने दस परसेंट माल भाड़े पर वृद्धि की है वह आपको पांच परसेंट तक करनी चाहिए।

आपने उसमें से जो जोन-वाइज चीजें है। जैस अनाज, फूट है, शक्कर है, कैरोसीन है, ऐसे कई आइटमों को इससे मुक्त किया है। यह बात आपने बहुत अच्छी की है। मैंने दोपहर में भी आपको बताया कि फूट और सब्जियों को आपने एग्जम्प्ट किया है। लेकिन हमारे सरोदे जी जो जलगांव से आते हैं, वहां पर केला बड़े पैमान पर होता है और रेलवे के 50-60 वैगन्स रोज वहां से जाते हैं। केले रैक्स के रैक्स वहां से जाते हैं। लेकिन केले को फूट में रेलवे वाले नहीं मानते हैं। इसलिए इस बात का आप ख्याल कीजिए कि यह फूट में क्यों इन्क्लूड नहीं होता है। केले को आम आदमी खाता है, इसलिए केले का फल जो है उसको भी आप फूट में, वैजिटेबल में मानकर 10 परसेंट किराया जो बढ़ाया गया है उसमें छूट दें।

जब तक आपके पास अधिक पैसा नहीं आता है तब तक आप कुछ ज्यादा कर पाऐंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। मेरा पहला सुझाव जिसे आप अपनाऐंगे तो आपको जितना धन आप चाहें प्राप्त हो सकता है। पांच साल से उसकी चर्चा चल रही है। रेलवे के पास चार महानगरों मुम्बई, छेनई, कलकत्ता और दिल्ली में जितनी फालतू जमीन पड़ी है, अगर वह उस जमीन का व्यावसायीकरण कर ले तो अकेले मुम्बई से प्राप्त धन का जो अंदाजा है वह 20 हजार करोड़ रुपए है। उस फालतू भूमि का रेलवे योग्य उपयोग करे तो उसे छेनई, कलकत्ता और दिल्ली से बहुत बड़ी मात्रा में धन-प्राप्ति हो सकती है।

**श्री मेजर सिंह उबोक** (तरनतारन) : कलकत्ता का नाम भी बदलकर बोलिए।

**श्री राम नईक** : जब कलकत्ता वाले तय करेंगे तब लेंगे।

चार साल से कैबिनेट में यह बात चल रही है। शरद पवार जी यहां पर आज नहीं हैं। शरद पवार जी के पास जब यह बात आई तो उस समय वे डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने भी कहा कि डिफेंस के पास भी काफी भूमि फालतू पड़ी हुई है। दूसरे मिनिस्टरों ने भी कहा कि उनके महकमे के पास भी काफी भूमि फालतू पड़ी हुई है। इस तरह के जमीन घोटाले की तरफ न जाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे के पास इन चार महानगरों में जो फालतू जमीन पड़ी हुई है अगर वे उसका सदुपयोग करें तो दो-चार साल का रेलवे बजट पूरा करने के लिए पैसा मिल सकता है। लेकिन इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए।

पारदर्शिता के साथ अगर आप इस फालतू जमीन का उपयोग करेंगे तो आपको जितना धन बजट के लिए चाहिए, प्राप्त हो सकता है।

आपने कोंकण रेलवे कोरपोरेशन के लिए बजट भाषण में भी कहा है और इसमें कोंकण रेलवे के बारे में पेज 29 पर आपने कहा है।

**[अनुवाद]**

> "इस विषय में योजना आयोग एवं वित्त मंत्रालय के सहयोग की विशेष अपेक्षा है जिससे कोंकण रेलवे कारपोरेशन की इसके निर्माण के अन्तिम क्षणों की संसाधन संबंधी कठिनाइयां सुलझ सकें।"

**[हिन्दी]**

कोंकण रेलवे के पास चाहे इतना धन नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोंकण रेलवे की मदद करने के लिए मुम्बई शहर में और साथ ही साथ कोंकण के जो नगरीय सहकारी बैंक्स हैं, उन्होंने आपको पत्र लिखा है।

**अपराह्न 6.00 बजे**

कोंकण नागरिक सहकारी बैंक ने आपको चार जुलाई को पत्र लिखा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आपके पास कई पत्र आते होंगे। वे कभी-कभी इधर-उधर हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है

**[अनुवाद]**

मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "हमारी एसोसिएशन कोंकण क्षेत्र में 31 नगरीय सहकारी बैंकों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे सदस्य बैंक और अन्य सहकारी बैंक इन बांडों में 180 करोड़ रुपये की राशि निवेश करना चाहते हैं और कर सकते हैं। फिर भी बैंक विनियम अधिनियम की धारा 24 के अनुसार पूंजी निवेश के लिए इन बैंकों पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। बैंक केवल अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने धन निवेश कर सकते हैं।

**[हिन्दी]**

अभी एप्रूव्ड सिक्योरिटेज करना फाइनान्स मिनिस्ट्री के हाथ में है। फाइनान्स मिनिस्ट्री को दूसरा कुछ काम नहीं करना है। यहां प्रभु जी हैं। और कई लोग मुम्बई के कोआपरेटिव बैंकों से जुड़े हुए हैं ...**(व्यवधान)** हम कोंकण रेलवे की बात कर रहे हैं।

**[अनुवाद]**

**श्री निर्मल कांति चटर्जी** (दमदम) : मैं कहना चाहूंगा कि न केवल रेलवे में अपितु दूसरी बातों में भी यह आपूर्ति है जो अनेक मामले में मांग पैदा करती है। तथ्य यह है कि मुम्बई में उपनगरीय मंत्रियों की संख्या अंशतः इसलिए इस कारण से अधिक है क्योंकि बम्बई में रेल सेवाएं कलकत्ता की तुलना में बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं।

चूंकि आपने कलकत्ता का उल्लेख किया है इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप सहायता करेंगे और इस बात को समझेंगे मैंने रेलवे प्राधिकारियों को भी बोला है। कलकत्ता और मुम्बई के बीच तुलना नगरीय क्षेत्रों में सड़क की विद्यमानता के रूप में भी होनी चाहिए कलकत्ता में केवल 6 प्रतिशत सड़क हैं जबकि बम्बई में 16 प्रतिशत है ...**(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : यह 18 प्रतिशत है।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : इसलिए कलकत्ता में भूमिगत मेट्रो सेवा की आवश्यकता मुम्बई की तुलना में अधिक है। मुझे विश्वास है आप इस बात को समझेंगे मैं ये बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

**श्री राम नाईक** : कलकत्ता को क्यों दिया, उस पर मेरी कोई नाराजगी नहीं है। आप ऐसी गलतफहमी में मत रहें। मेरा कहना यह है कि कलकत्ता से ज्यादा आबादी जिन शहरों की है, उनको न्याय मिलना चाहिए। कलकत्ता को ज्यादा क्यों दिया, ऐसा मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने यह कहा कि कलकत्ता को जो न्याय मिलता है, वह मुम्बई को भी मिले। रेलवे मिनिस्टर के भाषण में जो गलत बात है, मैंने उसका उल्लेख किया। कलकत्ता के लोग मैट्रो में बैठकर जाते हैं। हमने मैट्रो देखी है और उसका आनन्द भी लिया है। उसमें एनाउंसमेंट होती है कि अब दूसरा स्टेशन आने वाला है, राइट साइड में प्लेटफार्म है, लैफ्ट साइड में प्लेटफार्म है। कलकत्ता में राइट साइड प्लेटफार्म पर आप उतर सकते हैं लेकिन मुम्बई में उतर नहीं सकते हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : हमारी कमेटी ने तो मुम्बई में मैट्रो रेल बनाने के लिये रिकमैंड किया है।

[अनुवाद]

**श्री राम नाईक** : श्री बसुदेव आचार्य उस ग्रुप के संयोजक थे, प्रश्न यह है कि इसको कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

इसलिये मैं आग्रह कर रहा हूं। कोंकण के सहकारी बैंकों की 100 करोड़ के बोंडस देने की ऑफर है। आप यदि इस प्रकार की सुविधा देते हैं। तो मुम्बई शहर में अलग-अलग कोआपरेटिव बैंक दो से ढाई सौ करोड़ डिपाजिट के तौर पर दे सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको निर्णय करना होगा।

इस भूमिका में मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी सुझाव मैंने रखे हैं, उन पर आप विचार करें। हमारा काम केवल टीका-टिप्पणी करना नहीं है। आपको अधिक पैसा कैसे मिले, मैंने इसकी आपको जानकारी दी है। उस जानकारी का और उन सुझावों का उपयोग करते हुए अगर कुछ लोगों को राहत मिलती है तो बजट पर चर्चा करना अधिक सार्थक होगा। हमने फ्यूटाइल एक्सरसाइज की, इस प्रकार की भावना हमारे और यात्रियों के मन में तथा देश की नागरिकों के मन में पैदा न हो। इसी अपेक्षा के साथ मुझे विश्वास है कि मैंने जो कुछ कहा, आप उस पर विचार करेंगे। आप जो बातें तुरन्त कर सकते हैं, उसको आप उत्तर देते समय कहें। बाकी के सवालों पर परस्पर विचार करके रास्ता निकाल सकते हैं। इन शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

**श्री पी. उपेन्द्र** (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं रेल मंत्री जी को उनके लोकप्रिय बजट के लिए बधाई देना चाहता हूं। वह एक अच्छे जनसंपर्क व्यक्ति हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और बात पर कार्यवाही करते हैं। इसलिए उन्होंने **'ताली बजाओ'** बजट प्रस्तुत किया है और अभी भी बजट प्रस्तुत करने के बाद अनेक मांग मानकर सदस्यों को प्रसन्न कर रहे हैं।

महोदय, रेलवे एक बहुत अच्छा संगठन है और इसने पिछले कुछ वर्षों में अपनी अच्छी साख बनाई है। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रेलवे अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है और राष्ट्रव्यापी सेवा कर रही है और देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रही है। मैं 16 लाख रेल कर्मचारियों और अधिकारियों की उनकी मेहतनभरी सेवा के लिए प्रशंसा करना चाहता हूं। यही मैं एक के बाद एक आने वाले मंत्रियों के लिए भी कहना चाहता हूं जिनमें से कुछ ने अपने कुशल नेतृत्व से योगदान दिया है और कुछ ने संगठन के कार्यकरण में बिना हस्तक्षेप किए अपना योगदान दिया है।

महोदय, कुछ समय पहले यह द्विविधा व्यक्त की गई थी कि क्या एक पृथक रेल बजट का होना बहुत जरूरी है। 1924 में जब एककोर्थ समिति ने यह सिफारिश की थी कि रेल वित्त को आम वित्त से अलग किया जाये तो रेल बजट अलग से बनाना आवश्यक हो गया था। आज, मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रतिवर्ष पृथक बजट बनाना आवश्यक है- और रेल मंत्री अपने कमरे में दिखावा करते हुए बैग लेकर आएं या उसे अंतिम रूप दें- जबकि बजट में कोई भी सिफारिश, कोई भी प्रस्ताव गोपनीय नहीं रहा है। आम बजट के मामले में इसका कुछ औचित्य है क्योंकि यदि लोगों को प्रस्तावों के बारे में जल्दी पता चल जाए तो माल को जमा करके रखा जा सकता है। परंतु यहां यदि कोई दो महीने पहले टिकट खरीदता है तो किराया बढ़ने की स्थिति में उसे दोनों टिकटों का अन्तर देना पड़ेगा। इसलिए मैं पृथक रेल बजट और इन बातों का कोई औचित्य नहीं देखता। कुछ समय बाद इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

रेलवे के कार्यकरण में कुछ अच्छी बातें हैं। एक है- टच वुड- हम पिछले वर्षों की तुलना में रेलवे में दुर्घटनाओं को कम करने में सफल रहे हैं आज वे आधी रह गई हैं। यह एक अच्छा कार्यनिष्पादन है जिसे बनाये रखा जाना चाहिए। वैगनों के टर्न राउण्ड में सुधार हुआ है। रेलवे के कार्यकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रतिदिन प्रति वैगन किलोमीटर टन भार की ढुलाई है यह रेलवे के अच्छे कार्यनिष्पादन का सूचक है। यह 1981 में 986 टन किलोमीटर था जो 1994-95 में दोगुना होकर 1590 हो गया है। जहां तक रेलवे के माल यातायात का संबंध है, यह एक अच्छा कार्यनिष्पादन है। इसी प्रकार संचालन अनुपात जो कि कुल आय के संचालन व्यय का प्रतिशत है, 81 प्रतिशत पर बना हुआ है। यह भी एक अच्छी बात है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

महोदय, रेल मंत्री जी ने कुछ नए जोन और कुछ नए खण्ड भी बनाने का जिक्र किया है। निश्चय ही बंगलौर से पुणे, पुणे से हाजीपुर

की बातें होती हैं और जहां परिचालन आवश्यकताओं की मांग है वहां नए जोन बनाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

केवल नए जोन बनाने की मांग को मानते हुए नए जोन बनाए गए तो प्रत्येक जोन पर आपको 200 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेगा। रेलवे का बहुमूल्य धन इसमें बरबाद हो जाएगा। इसलिए नए जोन बनाने का मानदंड परिचालन आवश्यकता होनी चाहिए और कुछ नहीं। इस पर भी निर्णय किया जाना चाहिए।

रेल मंत्री ने कुछ नई रेलगाड़ियां चलाने और चल रही परियोजनाओं को कुछ आवंटन करने की घोषणा की है। रेलवे की यह नीति होनी चाहिए कि वह चल रही परियोजनाओं को पूरा करे। मैं उस पर कुछ देर बाद आऊंगा, यदि चल रही परियोजनाओं के लिए कम संसाधन आवंटित किए जाते हैं, यदि उन्हें 10 वर्ष या 15 वर्ष तक लंबित रखा जाता है तो वे कभी भी पूरी नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त उनकी लागत बढ़ जाएगी और इस बीच यातायात की भी ढुलाई न सकेगी।

रेल मंत्री महोदय ने विकलांग लोगों आदि को कुछ रियायतें देने की घोषणा की है। इसका मैं स्वागत करता हूं। बजट प्रस्तावों से रेल मंत्री को वित्त वर्ष के शेष आठ महीनों में अतिरिक्त 927 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसका तात्पर्य है कि पूर्व वर्ष में 1,390 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह कोई कम राशि नहीं है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कह सकते हैं कि इसका लगभग 0.3 प्रतिशत प्रभाव पड़ सकता है। हम सभी जानते हैं। कि इस बात में दम नहीं है। अन्ततः इससे मूल्यों में वृद्धि होगी। विशेषकर जब सभी वस्तुओं के मामले में माल भाड़े की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो वस्तुओं के मूल्यों में निश्चित रूप से उस प्रतिशत तक या उससे अधिक वृद्धि होगी। इसलिए मैं इस तर्क को नहीं मानता कि इसका बहुत कम असर होगा। यानी किराया बढ़ने से मंहगाई नहीं होती है परन्तु माल भाड़े की दरों में वृद्धि करने से निश्चित ही मंहगाई बढ़ेगी और उससे मूल्य वृद्धि होगी। लेकिन एक बात है। किरायों में वृद्धि का औचित्य हो सकता है। परन्तु हम देख रहे हैं कि सेवाओं में प्रतिदिन गिरावट आ रही है। रेलगाड़ियों की गति कम हो रही है। रेलों में आराम कम हो रहा है और सेवा में गिरावट आ रही है। यदि आप रेलगाड़ियां और स्टेशनों पर दी जाने वाली तदनुरूपी सुविधाओं को देखें तो पाऐंगे कि किरायों में वृद्धि का औचित्य नहीं है।

रेल मंत्री अथवा उनके अधिकारियों ने एक या दो जादू की छड़ी घुमाई है। मैं केवल 2 उदाहरण देता हूं। माल भाड़ा पर की वृद्धि के संबंध में रेल मंत्री ने कुछ रियायतें दी हैं रेल मंत्री ने फल/सब्जियां आदि को इससे निकाल दिया है। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार माल भाड़ा की दरें बढ़ाने के लिए शब्दों के जाल का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि माल भाड़े के दर जो वृद्धि की गई है वह कुछ वस्तुओं के पार्सल पर लागू नहीं होगी। परन्तु साथ ही रेल मंत्री ने कहा "पार्सल दरों को युक्तिसंगत बनाना"

उदाहरण के लिए फल और सब्जियों को लीजिए। रेल मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें छोड़ दिया गया है। परन्तु फल और सब्जियां आमतौर पर पार्सल में ले जाए जाते है। बल्कि में नहीं केवल प्याज, आलू, केला और आम के मामले में ऐसा नहीं होता। इनको रेक में ले जाया जाता है और बाकी सबको पार्सल से ले जाया जाता है। निश्चित रूप से इस रियायत से बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा लेकिन छोटे व्यापारियों को जो पार्सल से भेजते हैं निश्चित रूप से अधिक देना पड़ेगा। माल भाड़े में जो भी रियायतों की घोषणा की जाती है वह पार्सल दरों को युक्तिसंगत बनाने के नाम पर निष्प्रभावी हो जाती है। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार अधिकारी एक बात करते हैं और ताली बजाओ- ताली बजाओ कहते हैं और जब सदस्य को पता चलता है- तो वह पाता है कि कुछ और ही बात होने जा रही है **...(व्यवधान)**

मैं एक और उदाहरण दूंगा। रेल मंत्री ने एक रेलगाड़ी सिकन्दराबाद-गंटूर-वास्को- डी-गामा चलाने की घोषणा की है। कोष्ठक में उन्होंने कहा है "यह आमान परिवर्तन के बाद होगा।" यह तो एक बाद की तिथि डाली गई चेक है और परमात्मा जानता है कि आमान परिवर्तन का कार्य कब पूरा होगा और वह इतने पहले ऐसी रेलगाडी की घोषणा क्यों कर रहे हैं? जब तक तालियां बजाते, हमारी नजर कोष्ठकों पर पड़ी तो हमारा उत्साह जाता रहा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आप उन्हें कहें कि कोष्ठक वाला भाग पहले क्रियान्वित करें।

**श्री पी. उपेन्द्र** : इस प्रकार आरम्भ में ही लाभों को निष्प्रभावी कर दिया जाता है।

अनेक नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। यह अच्छा है। जब श्री ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री थे तो उन्होंने इस कहावत का पालन किया कि 'जहां इच्छा शान्ति है वहां रेलवे है जहां इच्छा शक्ति नहीं है वहां सर्वे है'। क्योंकि कार्य पूरा नहीं होता है, कोई नई लाइनों का निर्माण नहीं होता है।

जब जनता अथवा संसद सदस्य आवाज उठाते हैं तो उसके बाद पुनः सर्वे होता है यथा उन्हें संतुष्ट करने के लिए सर्वे का आर्डर दिया जाता है और हम लोग भोले-भाले होते हैं। हम इन बातों से संतुष्ट हो जाते हैं।

**रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : जब कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है तो क्या रेल लाइनें आदि बिछाना संभव है?

**श्री पी. उपेन्द्र** : मैं आपको यह बात बता रहा हूं। जब आपके पास कोई संसाधन नहीं होता है आप यह कह कर संसद सदस्यों और जनता को खुश कर सकते हैं कि आपने सर्वे करने का आर्डर दिया है। इतना ही काफी है **...(व्यवधान)**

इन बातों को कहने के बाद मैं कुछ मूलभूत समस्याओं पर बोलूंगा जिनसे रेलवे प्रभावित हो रही है। जिन छोटी बातों की हम मांग कर रहे हैं उनसे ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। रेवले को सदैव

दीर्घकालीन नीति और अल्पकालीन कार्य योजना अपनानी चाहिए लेकिन यह नहीं है। यह एक बात है, रेलवे का विकास बढ़ता हुआ यातायात और आर्थिक उदारीकरण नीति के अनुरूप नहीं हुआ है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यातायात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 1951-52 और 1994-95 के बीच यात्री यातायात तीन गुना बढ़ा है और यह वृद्धि बिना किसी सुविधा को बढ़ाए बिना हुई है। नेटवर्क में मामूली वृद्धि हुई है और माल यातायात भी बढ़ा है। यह 1950-51 में लगभग 73 मिलियन टन था, 1994-95 में यह 365 मिलियन टन था। इसमें कई गुना वृद्धि हुई है। यह वृद्धि लगभग पांच गुना हुई है। रेलवे लाईन में तदनुरूपी वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है? 1950-51 में पहली योजना के आरम्भ में इस देश में 53,596 रूट किलोमीटर था। आज 62,660 रूट किलोमीटर है। 45 वर्षों में केवल 8000 किलोमीटर लाईन ही जोड़ी जा सकी है जबकि यात्री यातायात में तीन गुना और माल यातायात में पांच गुना वृद्धि हुई है। लेकिन सिस्टम में केवल 8000 किलोमीटर लाईन की हुई है।

चल स्टाक की क्या स्थिति है? 1960-61 में कुल वैगल 13,07,000 थे। आज यह 2,91,000 है। वे कह सकते हैं अब आठ पहियों वाले बड़े वैगन हैं आदि, वे इसका औचित्य बता सकते हैं। उन्होने चार पहियों वाले वैगनों के रूप में आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। वे अब यह नहीं बताते कि ये चार पहियों वाले अथवा आठ पहियों वाले वैगन हैं ...**(व्यवधान)**

जहां तक सवारी डिब्बों की बात है, उनकी संख्या आज 1992-93 की तुलना में कम है, 1992-93 में 30, 298 सवारी डिब्बे थे और आज उनकी संख्या कम होकर 30,036 रह गई है, सवारी डिब्बे कम हैं। माल डिब्बे कम हैं। स्टाफ की क्या स्थिति है? यह 1985-86 से 16,00,000 ही है, 10 वर्षों से वृद्धि के बावजूद स्टाफ की संख्या में एक की भी वृद्धि नहीं हुई है। निश्चय ही वे कह सकते हैं कि उत्पादकता में वृद्धि हुई है और रेलवे वर्तमान आदान से ही अधिक यातायात को ढो रहा है। लेकिन मैं इस सिस्टम को प्रहार करना ही कहूंगा, नियोजकों को अधिक काम करने पर लगाया जा रहा है। वे दिन और रात काम कर रहे हैं और इस बढ़े हुए यातायात को उसी संख्या में कर्मचारी निबटा रहे हैं जबकि उनकी संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा।

दूसरी बात यह है कि जो यातायात रेलवे को ले जाने के लिए दिया जाता है उसे वह पूरा करने में असमर्थ है। यह दूसरा प्वाइंट उन्हें नोट करना है। यातायात में वृद्धि हुई है। उन्हें और अधिक यातायात ले जाना है। जब उन्हें यातायात दिया जा रहा है वे उसे ले जाने में असमर्थ हैं। वे अपना यातायात लक्ष्य कम कर रहे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक जो भी लक्ष्य वे प्राप्त करना चाहते थे, उन्होनें उसे लाखों टन कम कर दिया है, इस समय क्या हो रहा है? 1991-96 के दौरान छः वर्षों की अवधि में माल यातायात 23 प्रतिशत से कम था। यह माल यातायात की वृद्धि है। 1996-97 में वे 20 मिलियन टन अधिक माल की ढुलाई करना चाहते थे अर्थात जो चालू वर्ष से कम है। अब इस्पात, सीमेंट और उर्वरक सड़क यातायात से जाने लगा है।

अब ये सड़क यातायात से भेजे जा रहे हैं। पहले रेल से जो यातायात जाता था वह अब सड़क से जाने लगा है। इसके अलावा कन्टेनर यातायात बहुत बढ़ रहा है। पर कृपया आप माल को देखे जो कन्टेनरों से ले जाया जा रहा है। वे उस को ले जा रहे हैं जिसे वैगनों से ले जाया जाना है क्योंकि वैगन उपलब्ध नहीं हैं। यदि आप स्वयं जाकर दे तो पाएंगे कि इस्पात उत्पाद, सीमेंट और ऐसे अन्य माल आज कन्टेनरों से ले जाये जा रहे हैं। बढ़ते हुए यातायात से निबटने के लिए रेलवे की क्षमता अपर्याप्त है।

पत्तनों से माल को लाने-ले जाने में एक बड़ी रूकावट है। इसको भी ध्यान में रखना होगा, आयात और निर्यात में वृद्धि के परिणामास्वरूप पत्तनों के निकट काफी भीड़ भाड़ है और रेलवे पत्तनों से यातायात को लाने-ले जाने में असमर्थ है। 1995 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में 'इंडियाः ट्रांसपोर्ट सैक्टर-लांग टर्म इश्युस' शीर्षक के अंतर्गत इस तथ्य का उल्लेख किया गया है, इसके लेखक हैं एबर्ट बर्न्स और अन्य, मैं इसे उद्धृत करना चाहूंगा।

> "परिवहन सिस्टम को तथा विद्युत क्षेत्र की क्षमता में कमी भारत के संपूर्ण आर्थिक विकास में एक रूकावट का काम करती है।"

रेलवे 1960 की डिजाइन की अधिक डीजल खपत वाली अक्षम डीजल इंजनों का उपयोग करने के कारण बढ़ते हुए यातायात से निबटने के लिए पूरी तरह से लैस नहीं है। अनावश्यक कार्यशाला और डिपु, जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा रहा है, अप्रचलित वैगन जिनमें से अनेक 28 टन एक्सल लोड वाले हैं, प्रमुख मार्गो का धीमी गति से विद्युतीकरण और धीमी गति से आधुनिकीकरण ऐसे अवरोध हैं जिनमें रेलवे कार्य कर रही है। बजट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि रेलवे किस प्रकार शताब्दी के अंत तक इस यातायात से निबटने के लिए अपने को तैयार कर रही है। वे 20 मिलियन टन से अधिक का यातायात दिखा रहे हैं। परन्तु सिस्टम की क्षमता बढ़ाने के लिए वे क्या कर रहे हैं? यह न तो उनके भाजपा से और न उनके बजट दस्तावेज से पता चलता है।

हमें सड़क से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा को भी ध्यान में रखना है, भारत में 1950 के दशक में रेल आधारित अर्थव्यवस्था थी और आज यहां सड़क आधारित अर्थव्यवस्था है। आज टन किलोमीटर के रूप में अन्तर-नगरीय माल यातायात का 60 प्रतिशत रेलवे द्वारा वहन होता है। यात्री यातायात का अस्सी प्रतिशत सड़क मार्ग द्वारा होता है, प्रयोक्ता की प्राथमिकता अब सड़क द्वारा ढुलाई के पक्ष में है यद्यपि यह मंहगी पड़ती है।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने रेलवे और सड़क के बीच एक आदर्श विभाजन का प्रस्ताव किया है। रेलवे को लम्बी दूरी के माल यातायात का 75 प्रतिशत भाग वहन करना है और शेष मार्ग सड़क ने वहन करना है परन्तु रेलवे और सड़क के हिस्से का भाग विपरीत दिशा में हो गया है। आज सड़कों से जितनी आशा थी उससे अधिक माल यातायात ले जाया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : भारत को रेलवे के रूप में, रेलवे के आधार पर विकास नहीं करना चाहिए परन्तु अमरीकी अनुभव के रूप में, फोर्ड मोटर कारों के आधार पर विकास करना चाहिए। आज दृष्टिकोण बदल गया है और आप इसका विरोध नहीं कर रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री पी. उपेन्द्र** : जब आप बोलेंगे तब ऐसा करना, अभी मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

रेलवे को यात्री यातायात में भारी आय से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसा लम्बी दूरी के यात्रा यातायात में नहीं हो रहा है। ऐसा उपनगरीय यातायात में नहीं हो रहा है। उपनगरीय यातायात में मुम्बई में लाभ हो रहा है यद्यपि निःसंदेह मद्रास और कलकत्ता में उन्हें घांटा हो रहा है। उन्हें कम दूरी के यात्री यातायात में बहुत अधिक घाटा हो रहा है और उसी क्षेत्र में वे रियायतें दे रहे हैं। यह विरोधाभास क्षेत्र में वे रियायतें दे रहे हैं। यह विरोधाभास की स्थिति है। एक ओर तो वे चाहते हैं कि कम दूरी का यातायात सड़क मार्ग से जाए तो दूसरी ओर वे कम दूरी के यातायात को रियायतें दे रहे हैं। यह दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकती। वास्तव में, मैं महसूस करता हूं कि सड़क मार्ग के विकास के लिए अधिक कार्य करना चाहिए ताकि कम दूरी का यातायात सड़क मार्ग को जाए। रेलवे बल्क यातायात ले जाएगा जो सड़क मार्ग से जा रहा है और इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। राजस्व के रूप में भी यह अधिक आय अर्जित करने वाला यातायात है जो सड़क मार्ग को जा रहा है।

अब मैं योजना आबंटन पर आऊंगा, जैसा कि श्री राम नायक ने बताया है कि पहली योजना में कुल योजना परिव्यय का 22.10 प्रतिशत परिवहन क्षेत्र में व्यय किया गया और 11.50 प्रतिशत रेलवे में व्यय किया गया, आठवीं योजना में यह समूचे परिवहन क्षेत्र के लिए कम होकर 12.43 प्रतिशत हो गया तथा रेलवे के लिए 6.27 प्रतिशत हो गया, समग्र योजना में ही वे रेलवे और परिवहन क्षेत्र का मार्ग कम कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप रेलवे आठवीं योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका है, यह एक प्वाइंट है जो हमें देखना है।

जैसा कि उन्होने बताया है कि 1986-87 में बजट समर्थन 51.10 प्रतिशत था। यह कम होकर 15 प्रतिशत रह गया है, किसी को इस बारे में चिन्ता नहीं है, न तो योजना आयोग और न तो वित्त मंत्रालय इस बारे में चिन्तित है। हम आपकी मांग का पूरा समर्थन करते हैं कि यदि रेलवे को उसके पास आने वाले यातायात को ले जाना है तो रेलवे के लिए बजट समर्थन में वृद्धि की जानी चाहिए।

आपके यहां रेलवे वित्त निगम है। आपने बांड आरम्भ किया है परन्तु इस पर कोई धन नहीं लगा रहा है। कोई भी इन बांड को नहीं खरीद रहा है, सिवाए बजट समर्थन के कोई संसाधन कैसे जुटाएगा? आपके अपने आवंटन में कोई गलती है। जिन क्षेत्रों में आपने अधिक आवंटन करना है वहां आपने आवंटन कम कर दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में आपने नई लाईनों का नवीनीकरण, पुल का निर्माण, विधुतीकरण और कार्यशालाओं के लिए आवंटन कम कर दिया है।

**श्री राम नाईक** : आप हमें बताएं कि किस क्षेत्र में उन्होंने आवंटन बढ़ाया है।

**श्री पी. उपेन्द्र** : उन्होंने केवल दो या तीन क्षेत्रों में आवंटन में वृद्धि की है जैसे रेल मार्गों की सुविधाओं को पुनः उपलब्ध करना, कम्प्यूटरीकरण आदि। केवल दो अथवा तीन मदों को छोड़कर, सभी अन्य कार्यों के लिए जो रेलवे को कुशल बनाने के लिए आवश्यक है, उन्होने पिछले वर्ष की तुलना में आवंटन कम कर दिया है। यह कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, यह स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है।

पिछले 3 या 4 वर्षों के दौरान किराया अथवा माल भाड़े में वृद्धि करके 5,000 करोड़ रूपये जुटा कर भी आप अभी अतिरिक्त बजट समर्थन के द्वारा संसाधन जुटा रहे हैं।

कुछ विवादास्पद पूंजी निवेश भी किया गया है। उदाहरण के लिए एकल लाइन नीति जिसका मैंने पहले भी विरोध किया था। स्थाई समिति ने भी जिसके श्री सोमनाथ चटर्जी चेयरमैन के, इस पर टिप्पणी की थी, यदि आपके पास संसाधन है तब आप समूचे रेल मार्ग का आमान परिवर्तन कर सकते हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु जब आपके पास संसाधन हैं जिन्हें आपको विधुतीकरण, पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनों पर लाइनों के दोहरीकरण, क्षमता बढ़ाने पर, आधुनिकीकरण पर, कम्प्यूटरीकरण आदि पर खर्च करना है, उन्हें आप आमान परिवर्तन पर खर्च कर रहे हो जो नितांत आवश्यक नहीं है, आप उन्हें कुछ स्थानों पर खर्च कर सकते हो जहां ट्रैंजिट समस्याएं हैं और जहां रूकावटें हैं, आप कुछ सैक्शन को बड़ी लाइन में बदल सकते हैं। विश्व के दूसरे भागों में छोटी लाइनें उतनी ही कुशलता से कार्य कर रही हैं। जितनी बड़ी लाइनें कर रही हैं। बहुत से योरूपीय देश में छोटी लाइनें बड़ी लाइनों की तुलना में काफी कुशलता से काम दे रही हैं। तब फिर आमान परिवर्तन पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है?

आपके पूर्ववर्ती ने, ठीक पिछले पूर्ववर्ती नहीं, बल्कि जिन्होंने यह नीति अपनाई है, उन्होंने रेलवे के साथ अच्छा नहीं किया है। यह योजना आयोग की स्वीकृति के बिना किया गया था। दस हजार किलोमीटर रेल मार्ग को बड़ी लाईन में बदला जाना था। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। एक और तो आपके पास संसाधन नहीं हैं और दूसरी ओर आप 10 हजार किलोमीटर रेल लाईन को एक साथ बड़ी लाईन में बदलना चाहते हैं। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है।

वस्तुतः आपको वैकल्पिक मार्ग लेना होगा। यहां तक कि दोहरीकरण के कार्य में भी चुनाव करना पड़ेगा। एक और लाईन बिछाने के स्थान पर आपको दूसरी लाइन लेनी होगी, आपको वैकल्पिक मार्ग लेना होगा, आपको दोहरीकरण के बजाए वैकल्पिक मार्ग अपनाना होगा।

मैं अब सामाजिक दायित्व पर कहना चाहूंगा। हर दिन रेलवे यह कहती रहती है कि वह सामाजिक दायित्व पूरा कर रही है। अब यह 1482 करोड रूपये है, वे कह सकते हैं कि वे आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर ले जा रहे हैं और उन्हें कोचिंग सेवाओं आदि में घाटा

हो रहा है। पहले आप कहा करते थे कि आपको उपनगरीय यातायात में घाटा हो रहा है। अब आपको मुम्बई उपनगरीय यातायात में लाभ मिल रहा है। आपको केवल कम दूरी के यात्री यातायात में घाटा हो रहा है। आपको इस पहलु पर भी विचार करना होगा।

मैं अब अलाभकर ब्रांच लाइनों पर आऊंगा। आप उन्हें बंद नहीं कर सके हैं, कोई भी राज्य सरकार राजनैतिक कोण से अलाभकर ब्रांच लाइन को बंद करने के लिए रियायत नहीं होगी, मैं सुझाव दूंगा कि आप उस सीमा तक उनकी प्रतिपूर्ति कीजिए। आप वह धन उन्हें उन राज्यों में सड़क और राजमार्गों के सुधार करने के लिए दीजिए, यह एक अच्छा प्रस्ताव होगा ताकि कम दूरी का सड़क यातायात अधिक कुशलता के साथ ले जाया जा सके, राज्य यहां अपने सड़क नेटवर्क और राष्ट्रीय नेटवर्क में सुधार ला सकते हैं। आपको यह बातें देखनी होंगी।

अब मैं प्रथम श्रेणी पर आता हूं। आपने इसे क्यों रखा हुआ है? आप प्रथम श्रेणी के डिब्बों का निर्माण क्यों कर रहे हैं। इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपकी एक ही श्रेणी है। आपके पास वातानुकूलित शयन शायिकाएं हैं इनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है।

**श्री बासुदेव आचार्य** : इनका निर्माण नहीं किया जाता है।

**श्री पी. उपेन्द्र** : जो भी है। यह अभी भी वहां हैं। आपको इनका प्रयोग पूरी तरहं से बंद करना चाहिए।

आपकी कार्यशालाएं उत्पादन कार्य कर रही हैं ऐसा क्यों हो रहा है? उनका मुख्य कार्य रेलों का रख-रखाव और मरम्मत है। वे रख रखाव की ओर ध्यान न देकर उत्पादन गतिविधियों के लगे हुए हैं। यह काम निजी क्षेत्र में हो सकता है। कार्यशालाओं में जो भी उत्पादन होता है वह जो आप बाजार से खरीदते हैं उसकी तुलना में प्रतियोगी नहीं है, इन कार्यशालाओं में उत्पादन कार्य क्यों होना चाहिए? आपको चित्तरंजन कारखाना, इंटेग्रल कोच फैक्टरी और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स को रेलवे से अलग करना है।

आप उनका पृथक निगम बना सकते हैं और उन्हें वाणिज्यिक आधार पर चलाएं ताकि उन्हें विदेशों अथवा अन्य संयुक्त क्षेत्र के निगमों से तकनीकी सहायता मिल सके।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : परन्तु उनकी आलोचना मत करिए। वे अच्छा काम कर रहे हैं।

**श्री पी. उपेन्द्र** : नहीं, नहीं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। वे अच्छा काम कर रहे हैं परन्तु इन संगठनों पर रेलवे बोर्ड का शिकंजा क्यों होना चाहिए? यही मैं कर रहा हूं।

रेलवे ने पंद्रह वर्षों के लिए एक निगमित योजना तैयार की थी, उसका क्या हुआ, इसको काफी चर्चा के बाद तैयार किया गया था। आज उसकी कोई चर्चा नहीं करता है कितने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य किया गया है? इसके लिए क्या नीतियां बनाई गई हैं? इसके बारे में कोई चिन्ता नहीं करता है।

अनेक समितियां - डा. एन. एम. नानजुदप्पा समिति, प्रकाश टंडन समिति, पोलूज समिति आदि नियुक्त की गई थी। इन समितियों की सिफारिशों का क्या हुआ? उनको कहां तक कार्यान्वित किया गया है? इन रिपोर्टों के दिए गए अच्छे सुझावों को कार्यविन्त क्यों नहीं किया गया है?

निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है? आपको वह भी परिभाषित करना है, एक ओर तो आप आई. टी. डी. सी. में निवेश कम करने जा रहे हैं, आप निजी क्षेत्र को होटल दे रहे हैं, अब आप विभागीय रेलवे खानपान निगम आरम्भ करना चाहते हैं यह सब क्या है? सरकार की तरफ से कोई नीति होनी चाहिए। आप होटल नहीं चलाते हैं तो आपने भारी व्यव वाला रेलवे खान-पान निगम चलाया हुआ है? आप किस प्रकार का भोजन सप्लाई करते हैं? आप इसे अपने हाथ में लेने के बजाए इसका निजीकरण क्यों नहीं करते हैं? आप होटल चलाते हैं? आपका पुरी, रांची और अन्य स्थानों में होटल हैं।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : विश्व बैंक ने आपसे कब संम्पर्क किया था?

**श्री पी. उपेन्द्र** : उन्होंने नहीं किया था, अब आप समान न्यूनतम कार्यक्रम के बाद नहीं बोल सकते हैं।

अब में रेलों को समय पर चलाए जाने की बात करता हूं मंत्री महोदय ... **(व्यवधान)** अनेक महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां समय से पीछे चल रही हैं, हमें समय-समय पर यह देखने के लिए चैकिंग करनी चाहिए कि क्या लंबी दूरी की महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां समय पर चल रही हैं।

सुविधाओं के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। यात्री सुविधाओं के लिए आंबटन कम है। आप किसी भी स्टेशन जाइए, बहुत से स्टेशन ब्रिटिश युग के बने हुए हैं, न इमारत अथवा न प्लेटफार्म के ऊपर का शैल्टर, बैंच अथवा प्लेटफार्म अथवा प्लेटफार्म कवर कुछ भी नहीं बदला है। कुछ स्टेशनों में प्लेटफार्म कवर है परन्तु वहां पीने का पानी नही हैं। आप प्लेटफार्म स्टेशन और बुकिंग काउंटर की हालत देख रहे हैं। वे सब ब्रिटिश युग के हैं। आधिकांश स्टेशनों में कुछ भी नहीं किया गया है। 7,000 स्टेशनों में से 6,000 स्टेशन अभी पुरानी स्थिति में हैं। इनमें कोई भी नया नहीं जोड़ा गया है। आपने यह भी देखना है कि इन स्टेशनों की हालत सुधरे रोशनी की उचित व्यवस्था हो। रेलगाड़ियों में और स्टेशनों में भी पेय जल उपलब्ध किया जाए।

अंतिम बात कहने से पहले मैं कर्मचारियों के कल्याण के विषय में बोलना चाहूंगा। रेल अभिसमय समिति का सदस्य होने के नाते मैं कर्मचारियों की अनेक कालोनियों में गया हूं हमने वहां कर्मचारियों के क्वार्टरों की दयनीय दशा देखी है। वहां बिल्कुल भी रख रखाव नहीं है। कर्मचारियों के लिए और क्वार्टरों का निर्माण नहीं हुआ है। अस्पताल तो अच्छे हैं परन्तु वहां डाक्टर नहीं हैं। उपकरण नहीं हैं। इसलिए आपको कर्मचारियों की सुविधाओं की ओर ध्यान देना होगा। हमने रेलवे में औद्योगिक सम्बन्ध और रेलवे में कर्मचारियों के लिए

कल्याण पर रिपोर्ट की है, यह एक अच्छी रिपोर्ट है। कृपया इसे पढ़िए। उसमें हमने लिखा है कि कर्मचारियों के लिए सुविधाओं में सुधार किया जाए और हमने यह भी सुझाव दिया है कि रेलवे में और अधिक संख्या में चल अस्पताल होने चाहिए क्योंकि रेलवे कर्मचारी अनेक स्टेशनों में काम करते हैं और वे अस्पताल की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक केन्द्रीय स्थान में नहीं आ सकते हैं। इसलिए हमें रेल कर्मचारियों के लाभार्थ अधिक संख्या में चल औषधालय चलाने चाहिए। उनकी कालोनियों में अधिक संख्या में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है क्योंकि उनके यहां शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं।

प्रबंधन में श्रमिकों की कोई भागीदारी नहीं होती है। आपके पूर्ववर्ती ने रेलवे यूनियन के नेताओं को महाप्रबंधकों की बैठक में बुलाया था। यह अच्छी शुरूआत है। आपको उनसे अच्छे सुझाव मिल सकते हैं। कारपोरेट एन्टरप्राइज ग्रुप काम नहीं कर रहा है, इसकी कोई बैठक नहीं होती है कुछ समय पहले मैंने पदोन्नत किए जाने वाले अधिकारियों की बात कही थी, 12,000 अधिकारियों में से 9,000 अधिकारी श्रेणी दो के हैं और उनके मामले में ध्यान नहीं दिया गया है। रेल अभिसमय समिति की विशिष्ट सिफारिशों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि रेलवे बोर्ड इस श्रेणी के पूरी तरह से विरूद्ध है। आप उनसे कहें और देखें कि उनके साथ न्याय हो।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं अपने राज्य की कुछ मांगों के बारे में कहने के लिए दो मिनट लूंगा क्योंकि अभी मैने आम बातों पर बोला है। मेरे निर्वाचन होगी विजयवाड़ा के बारे में अनेक बातों पर सहमति हुई थी और महाप्रबंधक ने उसकी घोषणा की थी ... **(व्यवधान)** ... निश्चय ही इस पर महाप्रबंधक और रेलवे बोर्ड के बीच बातचीत हो सकती है परन्तु कुछ भी कार्यान्वित नहीं किया गया। इसलिए मैं इसे आपके ध्यान में ला रहा हूं तो आप कृपया देखें कि उन्हें कार्यान्वित किया जाए, मैं अन्तर्सत्रावधि में वहां आने का निमंत्रण देता हूं ताकि आप उन सुविधाओं का शुभारंभ कर सकें। आपने आंध्र प्रदेश के संसद सदस्यों को अपनी मांगे एक साथ रखे जाने को कहा है और आपको चार या पांच मांगे बताने को कहा है। मैं उन पांच अथवा छः मांगो को यहां रख रहा हूं।

हम हैदराबाद के लिए राजधानी एक्सप्रैस चाहते हैं। हैदराबाद के लिए कोई राजधानी एक्सप्रैस नहीं है। हर राज्य की राजधानी के यहां राजधानी एक्सप्रैस जाती है। इसलिए हैदराबाद के लिए भी एक राजधानी एक्सप्रैस चलाई जानी चाहिए।

नई दिल्ली और विशाखापत्तनम के बीच एक सुपरफास्ट ट्रेन चला करती थी जिसे रद्द कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि विशाखापत्तनम से नई दिल्ली के लिए सुपरफास्ट रेलगाड़ी पुनः आरम्भ की जाए।

हम विशाखापत्तनम से बंगलौर के लिए एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाई जाए। कृपया देखे कि इसे कार्यान्वित किया जाए। यह एक बहुत लोकप्रिय रेलगाड़ी होगी।

हम चाहते हैं कि मद्रास से उपनगरीय सेवाएं जो इस समय सुलेरपेट तक हैं। बढ़ाकर कुछ किलोमीटर दूर नेल्लौर तक कर दी जाएं, कृपया इसका विस्तार कीजिए।

हम चाहते हैं कि मद्रास से बम्बई जाने वाली जनता एक्सप्रैस जो रासलसीमा क्षेत्र से होकर जाती है पुनः चलाई जाए। यह पहले बंद कर दी गई थी। आपने समर्थन देने वाली पार्टी की बात मानकर हाबड़ा-दिल्ली रेलगाडी पुनः आरम्भ की है, हम भी आपका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए आपको यह रेलगाड़ी पुनः चलानी चाहिए ... **(व्यवधान) श्री सोमनाथ चटर्जी :** कुछ ज्यादती की गई थी जो अब ठीक कर दी गई है।

**श्री पी. उपेन्द्र :** मैं वही बात कह रहा हूं। तिरूपति-पकाल-कटपरी आमान परिवर्तन के लिए केवल एक करोड़ रूपये दिया गया है जबकि इसके लिए 55 करोड़ रूपये की जरूरत है। क्या इस को पूरा करने में 55 वर्ष लगेंगे? इसलिए कृपया इस आबंटन को भी बढ़ाइए। इसी प्रकार आपने सिकन्दराबाद - द्रोणाचलम आमान परिवर्तन के लिए 10 करोड़ रूपये दिए हैं जबकि इस कार्य के लिए 102 करोड़ रूपये की आवश्यकता है। कृपया इस भाग को भी देखिए, गुन्टूर डिवीजन बनाने के लिए आपने केवल 25 लाख रूपये दिए हैं जबकि 13 करोड़ रूपये की आवश्यकता है, पेडापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद खण्ड के लिए जो कि 177 किलोमीटर लम्बा है, के लिए 2.19 करोड़ रूपया अब तक व्यय किया गया है। इसलिए इस आबंटन में वृद्धि की जाए, विजयवाडा और विशाखापत्तनम के बीच विद्युतीकरण का कार्य बहुत धीमा है और जब तक यह नहीं किया जाता है, मद्रास कलकत्ता मार्ग का पूरी तरह से विद्युतीकरण नहीं हो सकता। इस कारण से कलकत्ता और मद्रास के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और साथ में आंध्र प्रदेश के लोगों को भी परेशानी हो रही है। इसलिए कृपया देखें कि विद्युतीकरण का काम पूरा हो जाए।

मेरी आखिरी मांग है कि वालटेयर डिवीजन को दक्षिण मध्य रेलवे में अंतरित कर दिया जाए, यह अभी दक्षिण पूर्वी रेलवे में है संचालन और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इसे दक्षिण मध्य रेलवे में शामिल किया जाना चाहिए ताकि लोग प्रशासनिक मामलों के लिए कलकत्ता जाने के बजाए हैदराबाद जाएं।

मैं पुनः आपको अच्छा रेल बजट लाने के लिए बधाई देता हूं, मुझे आशा है आप रेलवे की प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे, हम आपके साथ सहयोग करेंगे और देखेंगे कि यह संगठन सबल होता चला जाए जिसके साथ मेरा 25 वर्षों का साथ है। मैं चाहता हूं कि यह बढ़े और हम समय-समय पर रचनात्मक सुझाव देंगे और यह देखेंगे कि रेलवे फले फूले।

**श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** (औरंगाबाद) **:** सभापति महोदय, अभी जो लोग बोल रहे हैं, ...**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय :** उसे छोड़िए, आपको जो कहना है वह कहिए।

**श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :** ठीक है, हम थोड़ी देर में उस पर आ रहे हैं। आप लोगो को रेल बजट खराब लग रहा है। गरीबों के लिए,

शोषितों के लिए पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, 90 प्रतिशत लोगों के लिए जब रेल बजट बनाया गया तो आपको खराब लग रहा है। रेल बजट में द्वितीय श्रेणी का भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है ...**(व्यवधान)** आपके सोचने का नजरिया गलत है। आप सिर्फ मुट्ठीभर लोगों के लिए सोचते हैं। यदि आप गरीबों के लिए सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यह बजट बहुत अच्छा है। ... **(व्यवधान)**

**वैद्य दाऊ दयाल जोशी** (कोटा) : गरीब द्वितीय श्रेणी में यात्रा करता हैं। एक्सप्रैस गाड़ी में एक या दो डिब्बे द्वितीय श्रेणी के होते हैं। कभी द्वितीय श्रेणी में जाकर देखिए, लोग शौचालयों में बैठे रहते हैं। ... **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : जब आपकी बारी आएगी तब बोलिए।

...**(व्यवधान)**

**श्री अनिल बसु** (आरामबाग) : आपको इस सीट पर बैठने का कोई हक नहीं है, ऐसा आपका राज है। ... **(व्यवधान)**

**श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : संयुक्त मोर्चे की कांग्रेस समर्थित सरकार जब गरीबों की बात करती है तो इनको बहुत कड़वा लगता है। इन्होंने आलोचना की कि यह बजट बिहार के लिए है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी जमाने में बिहार इस देश की राजधानी हुआ करता था और अगली पंक्ति में रहता था। देश का 45 प्रतिशत खनिज पदार्थ बिहार में पाया जाता है। बिहार को आपने पीछे रखा हुआ था। आज बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार के 45 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। जब बिहार के लिए कुछ दिया गया तो आपको कड़वा लग रहा है। यह नहीं चलेगा। ... **(व्यवधान)** इसकें आप जिम्मेदार हैं। जो सिर्फ 10 प्रतिशत की बात करते हैं, ... **(व्यवधान)** जो यह आरोप लगा रहे हैं कि यह बिहार का बजट है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तीन सौ से अधिक आरक्षण वाले सभी स्टेशनों को कम्प्यूटर की व्यवस्था देना क्या बिहार का बजट है? 16 नई गाड़ियों को चलाया गया, क्या यह सिर्फ बिहार के लिए है? आप देखिए, इसमें सभी राज्यों को शामिल किया गया है। कोंकण रेलवे को इसी वर्ष चालू करने जा रहे हैं, क्या यह बिहार के लिए है? ... **(व्यवधान)**

**श्री कड़िया मुण्डा** (खूंटी) : आपको पता है कि यह कोंकण रेलवे लाइन कब से बन रही है? ... **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री ऑस्कर फर्नान्डीज** (उदीपी) : कोंकण रेलवे के बारे में माननीय सदस्य की क्या आपत्ति है?

**[हिन्दी]**

**सभापति महोदय** : टोका-टाकी करने का कोई सवाल नहीं है। उनको जो कहना है, कहने दीजिए। जब आपकी बारी आएगी तो आप भी कहिए।

**(व्यवधान)**

**श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : वह इसी वर्ष चालू करने जा रहे हैं और मैं कहना चाहता हूं कि जो जोनल आफिस बनाए जा रहे हैं, उनमें से एक बिहार में बनाया गया है। यह जोनल आफिस पहले सोनपुर, बिहार में था। उस जोनल आफिस को किसी जमाने में, जवाहर लाल जी के जमाने में गोरखपुर लाया गया था। यह बिहार में गया तो कोई अतिरिक्त मेहरबानी नहीं की। मैं कह रहा हूं कि यह बजट गरीबों, दलितों और शोषितों के लिए, 90 प्रतिशत लोगों को लिए है। इसमें कोई अतिरिक्त भार हमने गरीबों पर नहीं डाला हैं, हमने द्वितीय श्रेणी में कोई भाड़ा नहीं बढ़ाया है।

**[अनुवाद]**

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**[हिन्दी]**

**श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : सभापति महोदय, भाजपा के लोग इसलिए नाराज है क्योंकि इतना लोकप्रिय बजट पेश किया गया है। इस लोकप्रिय बजट से ये लोग हताश हो रहे हैं और यह इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं।

**[अनुवाद]**

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**सभापति महोदय** : आप किस नियम के अंतर्गत इसे उठा रहे हैं?

**श्री अनंत कुमार** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 356 के अंतर्गत है जिसमें कहा गया है :

> "अध्यक्ष, ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपने प्रतर्कों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतर्कों को उकता देने वाली पुनरूक्ति करता रहे।"

**सभापति महोदय** : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैं इससे इंकार करता हूं। श्री सिंह आप जारी रख सकते हैं।

**[हिन्दी]**

**श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** (औरंगाबाद) : यह बजट उपेक्षित क्षेत्रों को तरजीह देने के लिए बना है। इसमें 643 किलोमीटर लाइन का विधुतीकरण किया जा रहा है, लाइनों का दोहरीकरण किया जा रहा है, छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा रहा है। माननीय सदस्य उपेन्द्र जी ने कहा कि छोटी लाईन को बड़ी लाइन में बदलने की क्या जरूरत है। छोटी लाइन से देश के लोगों का बहुत समय बर्बाद होता है, छोटी लाईन की गाड़ियां बहुत धीमी गति से चलती है। आज का जो दौर है, इसमें सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइम में परिवर्तित किया जाना चाहिए, यह सरकार ने बहुत अच्छा किया है। ... **(व्यवधान)**

**श्री एस. पी. जायसवाल** : पासवान जी उत्तर देने के लिए कमजोर नहीं हैं, आप कोई नई बात कहिए। ... **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : यह गलत है।

**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

आप इस तरह से रूकावट नहीं डाल सकते हैं।

**श्री सैयद मसूदल हुसैन** (मुर्शिदाबाद) : चेयरमैन साहब भी अपनी रूलिंग देने में कमजोर नहीं है। ... **(व्यवधान)**

**श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं, इन्होंने आरोप लगाया कि पांच पर्यटक स्थलों से निजी क्षेत्र में गाडियां चलाई जानी हैं। बोधगया अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। गया में पिंडदान होता है। पूर्वज लोग वहां पेड़ पर रहते हैं। अगर वहां पिडदान करने नहीं जाइएगा, तो वहां पर वह पेड़ पर इन्तजार करते रहते हैं कि अब आयेंगे, अब आयेंगे, उनको शाति नहीं मिलती है। बोधगया से कोई नई गाड़ी नहीं चलाई गई है। मैं मंत्री महोदय का धयान इस ओर आकर्षित करता हूं कि बोधगया से दिल्ली के लिए, गया से कलकत्ता के लिए एक नई रेलगाड़ी आप चालू करें।

दूसरी बात में अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र औरंगाबाद बिहार में पड़ता है। वह रेल मुख्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है। वह एक पिछड़ा हुआ और उग्रवाद से ग्रसित इलाका है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि औरंगाबाद जिले को जाखिर से गढ़वा तक जोड़ने के लिए एक नई रेल लाइन बनाएं, ज़िससे मेरा जिला भी मुख्यालय से जुड़ेगा और वहां उग्रवाद की समस्या का भी खात्मा होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए डेहरी-आनसोन से बरवाड़ी तक रेलगाड़ी चलाई जाए। डेहरी-आनसोन में कम्प्यूटर से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। पटना से गया तक की मुख्य रेल लाइन है। गया से पटना और पटना से गया पर्यटक आते-जाते हैं। लेकिन इस लाइन का दोहरीकरण सिर्फ पटना से परसाबाजार तक रखा गया है। मेरी मांग है कि तुरंत पटना से गया तक रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाए। अनुजारायन, खेसर और रफीगंज में एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रोकने का प्रबंध किया जाए। साथ ही साथ दरभंगा से कटिया बड़ी रेल लाइन है, उसमें मुजफ्फरपुर से सीतामढी तक नई रेल लाइन का सर्वे हो चुका है, इसके लिए जल्द पैसा दें।

आपने दलितों, शोषितों और गरीबों के लिए, जो कि इस देश के 90 फीसदी लोग हैं, अच्छा बजट बनाया है, उसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

**[अनुवाद]**

**श्री बसुदेव आचार्य** : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि हमने पहली बार 1996-97 के रेल बजट में वह बातें पाई हैं जिनके लिए हम अनेक वर्षों से मांग करते आए हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े है, अगम्य हैं, जो रेल लाईन से जुड़े नहीं हैं परन्तु जिन्हें जोड़ा जाना चाहिए। मंत्री ने उन्हें रेल लाईन से जोड़ा है। यह पिछले रेल बजटों से अलग है मैं उन्हें बधाई देता हूं। कि उन्होंने कम दूरी के द्वितीय श्रेणी के निर्धन यात्रियों को बख्सा है। पिछले वर्ष जब द्वितीय श्रेणी और उपनगरीय यात्रियों के लिए किराए बढ़ाए गए के ... **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**वैद्य दाऊ दयाल जोशी** : कम दूरी तक यात्रा करने वाले कितने यात्री होते हैं और दूसरी श्रेणी में डिब्बे ही कितने होते हैं ... **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री बसु देव आचार्य** : मुझे बोलने दें। आपको उपनगरीय रेल गाड़ियों के यात्रियों की प्रतिशतता के बारे में पता नहीं है आपको उपनगरीय रेलों से यात्रा करने वाले यात्रियों की प्रतिशतता के बारे में कोई आइडिया नहीं है। यह लम्बी दरी के यात्रियों की प्रतिशतता से बहुत अधिक है और इन यात्रियों को बख्शा गया है। मंत्री महोदय ने इन यात्रियों की कठिनाइयों को महसूस किया है क्योंकि उसे बहुत ही कठिन स्थिति में यात्रा करनी पड़ती है उसे बहुत पुराने डिब्बों में यात्रा करनी होती है जिनमें शौचालय की सुविधाएं नहीं होती हैं, शटर नहीं होते हैं तथा कोई भी सुविधाएं नहीं होती हैं, पिछले वर्ष भी मैंने इन यात्रियों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया था।

वर्षा के दिनों में लोकल रेलगाड़ियों में यात्री बैठ नही पाते हैं जिससे वे वर्षा से बच सकें, सर्दियों में ठंडी हवा से बच नहीं पाते हैं, और गरमियों में गर्म हवा से बच नहीं पाते हैं, मैं उन्हें पुनः बधाई दूंगा कि उन्होंने यात्रियों को बख्शा है। मैं उनसे अनुरोध करुंगा कि वह इस पर विचार करें और देखें कि यात्री सेवाओं मे कैसे सुधार लाया जा सकता है। इसमें गुजाइश है। मैं नहीं समझता कि उन पुराने यात्री डिब्बों को बदलने की गुंजाइश नहीं है। भारतीय रेलवे में इस समय 36 प्रतिशत यात्री डिब्बे पुराने हो गए हैं और उनका अभी प्रयोग हो रहा है इस वर्ष उन्होंने यात्री डिब्बे 1400 से बढ़ाकर 1600 खरीदने की योजना बनाई है। इसके बावजूद भारतीय रेलवे में 30-36 प्रतिशत पुराने यात्री डिब्बे होंगे उन्हें भविष्य में योजना बनानी है क्योंकि हमारे पास क्षमता है। हमारे देश में दो उत्पादन इकाई हैं एक आई. सी. एफ. है और दूसरा आर. सी. एफ. उनकी प्रतिवर्ष 2000 यात्री डिब्बे का निर्माण करने की क्षमता है। वे कम पूंजी निवेश करके 2000 यात्री डिब्बे बना सकते हैं। धीरे-धीरे पुराने यात्री डिब्बों को बदला जा सकता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह भविष्य के लिए योजना बनाएं और धीरे-धीरे उन पुराने डिब्बों को बदलें।

महोदय, मुझे कुछ आशा थी क्योंकि पिछले वर्ष रेलवे बजट पर बोलते समय मैंने वही सुझाव दिए थे जो श्री उपेन्द्र ने यहां कहे थे रेलवे के साथ क्या समस्या है? जब हम अतिरिक्त रेलगाड़ी अथवा अतिरिक्त सेवाओं की मांग करते हैं तो उत्तर होता है कि संसाधन की कमी है और धन नहीं है। नई रेलगाड़ियां चलाने, क्षमता और उनका उनका उपयोग बढ़ाने के लिए धन कहां से आएगा।

पिछले वर्ष, रेल बजट पर भाग लेते समय मैंने सुझाव दिया था कि रेलवे की परिवहन योजना में बदलाव लाया जाना चाहिए 1989 में माल यातायात 230 बिलियन टन किलोमीटर था, 1996-97 में माल यातायात 283 बिलियन टन किलोमीटर था, माल यातायात की वृद्धि को देखिए। 1989-90 में यह 3.6 प्रतिशत था; 1990-91 में यह 2.6 प्रतिशत था; 1991-92 में यह बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो गया फिर यह कम होकर 0.8 प्रतिशत हो गया और 1994-95 में वृद्धि का प्रतिशत केवल शून्य पर आ गया। क्या कोई गुंजाइश नहीं है? गुंजाइश है।

**अपराहन 7.00 बजे**

**(श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए)**

मैं एक उदाहरण दूंगा, रेलवे में बल्क में ले जाने वाला मद कोयला है। यदि मैं सही हूं तो यह 65 प्रतिशत तक है, कोल इंडिया और उसकी सहायक कम्पनियों ने पिछले वर्ष 275 मिलियन टन कोयला उत्पादित किया है, रेलवे क्या ढुलाई कर रही है? रेलवे 180 मिलियन टन कोयले की ढुलाई कर रही है जबकि सड़क क्षेत्र में दें 100 मिलियन टन कोयला है, रेलवे प्रतिवर्ष 6,885 करोड़ रुपये राजस्व के रुप में गंवा रहा है, प्रत्येक वर्ष रेलवे को कोयला गंतव्य विपरीत स्थान को ले जाने में 6,888 करोड़ रुपये की हानि हो रही है।

यह क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है ताकि रेलवे माल ले जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माल ले जाने के लिए वैगनों का बेड़ा पर्याप्त है। क्या यह सच है कि वैगन के बेडे में कमी आई है, 1992-93 में यह 3 लाख से अधिक था और पिछले वर्ष यह कम होकर 2,91,000 रह गया है और इस वर्ष यह और कम हो सकता हे, मेरे पास आंकडे नहीं हैं मैं नहीं जानता कि रेलवे के पास आंकड़े हैं या नहीं क्योंकि रेलवे 5-6 महीने के अन्दर लेखों को अन्तिम रूप नहीं दे सकता है, रेलवे के साथ यह कठिनाई है। रेलवे के लेखों को अन्तिम रूप देने में लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। तब भी रेलवे ने 25,000 वैगन खरीदने की योजना बनाई है। इस के बावजूद वैगनों की कमी रहेगी और अभी है, चालू वर्ष के लिए लक्षित माल यातायात ले जाने के लिए रेलवे को कम से कम 50,000 वैगनों की जरूरत है। हमने पिछले वर्ष के बजट की आलोचना की थी। जब रेलवे ने 18,000 वैगनों को खरीदने की योजना बनाई थी तो हमने रेल्वे मंत्रालय की आलोचना की थी। परन्तु अन्ततः बजट पारित हो गया था, अचानक 1 महीने के बाद यह संख्या कम होकर 12,000 रह गयी।

पश्चिम बंगाल के संसद सदस्य वैगन निर्माण इकाइयों के बारे में वास्तव में चिन्तित हैं ये इकाइयां अधिकांशतः पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, ये 80 प्रतिशत वैगनों का निर्माण कर रहे हैं और वैगन निर्माण में 60,000 श्रमिक प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं और 60,000 श्रमिक सहायक और छोटी इकाईयों में कार्यरत हैं, दोनों को मिलाकर आंकड़े 1,20,000 आते हैं क्या आप जानते हैं कि पहले तरीका क्या था? तरीका यह था कि रेलवे वैगन इंडिया को क्रयादेश दिया करता था और वे उन्हें सदस्य इकाईयों मे वितरित कर दिया करते थे, अचानक यह तरीका बदल दिया गया, हम नहीं जानते कि यह क्यों बदल दिया गया, वैगन इंडिया का निर्णय मंत्रिमंडल का था, परन्तु जब यह तरीका बदला जा रहा है इसमें मंत्रिमंडल की स्वीकृति नहीं ली गई। स्थाई समिति ने भी उस निर्णय की आलोचना की थी।

हम चाहते हैं कि वैगन इंडिया को क्रयादेश देने का पुराना तरीका बहाल किया जाए और वैगन इंडिया को उन्हें वितरित करना चाहिए। यह सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र के वैगन निर्मात्री इकाइयों का मिला जुला रूप है, पहले, रेलवे आदान निःशुल्क सप्लाई किया करता था, अचानक अक्टूबर 1995 में रेलवे ने यह नीति भी बदल दी कि अब वे इन आदानों की निःशुल्क सप्लाई नहीं किया करेंगे। राज्य सभा की एक समिति ने, जिसने खरीद कार्यक्रम की जांच की थी, यह स्पष्ट हम से सिफारिश की कि आदान निःशुल्क सप्लाई करने का पुराना तरीका बहाल किया जाना चाहिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह वैगनों की खरीद और वैगन निर्मात्री इकाईयों को क्रयादेश देने के सबंध में राज्य सभा की समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करे।

महोदय, अब मैं सामग्रियों के बल्क हैंडलिंग के प्रश्न पर आऊंगा। आप जानते हैं कि रेलवे का क्या उत्तर था। उनका उत्तर थ कि यातायात नहीं दिया जा रहा है। हमारा उनको यह कहना है कि हम आप को यातायात देंगे। वे उद्योगों को भी यातायात लेने दें।

यह कम नहीं है। आज कितनी रेल लाईनें हैं। हमारे देश में 19 लाख ट्रैक्स हैं। प्रति वर्ष कितने ट्रैक्स बनाए बनाए जा रहे हैं। लगभग 1 लाख ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। कितने वैगन बनाए जा रहे हैं? पिछले वर्ष केवल 19,000 वैगनों का निर्माण किया गया था। पिछले वर्ष के पहले के वर्ष में केवल 12,000 वैगनों का निर्माण किया गया था। इस वर्ष मंत्री महोदय ने इसे बढाकर 25,000 वैगन कर दिया है। यह भी पर्याप्त नहीं है।

**सभापति महोदय** : कृप्या समाप्त कीजिए।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, मैंने अभी शुरू किया है।

**सभापति महोदय** : नहीं, आपने अभी शुरू नहीं किया है। आपने सायं 6.53 शुरू किया है

**श्री बसुदेव आचार्य** : मैनें केवल 10 मिनट ही बोला है,

**सभापति महोदय** : मैं आपके साथ तर्क नहीं कर रहा हूं। यदि आप नहीं चाहतें कि आपकी पार्टी का कोई अन्य सदस्य बोले तो आप जारी रख सकते हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : इतने अधिक सदस्य आज रात और कल बोलेंगे ... (व्यवधान)

**सभापति महोदय** : कोई तर्क न कीजिए। श्री आचार्य आप जारी रख सकते हैं।

**डा. असीम बाला** (नवद्वीप) : महोदय, इस पर हर कोई सदस्य बोलेगा।

**सभापति महोदय** : मैंने इसके लिए समय निश्चित नहीं किया है, कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिए समय निर्धारित किया है। हम

समय से पीछे हैं। इसलिए इसमें सहयोग दीजिए। श्री आचार्य आप इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, यह चर्चा केवल आठ घंटे तक सीमित समिति नहीं होगी।

**सभापति महोदय** : मै नहीं जानता, आपके पार्टी के सदस्य भी कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य थे

...**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : कृप्या आप उन्हें तंग मत कीजिए, आप उनके बोलने के समय को कम कर रहे हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : हम यह क्यों कह रहे हैं कि रेलवे को अधिक यातायात ले जाना चाहिए? यह विपरीत होना चाहिए अर्थात 75 प्रतिशत यातायात द्वारा। रेलवे को भी लाभ होगा, उसे अधिक राजस्व मिलेगा और हमें कम पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना। पड़ेगा। यदि रेलवे 75 प्रतिशत माल यातायात ले जाए तो हम एक वर्ष में 16,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं

मैं पूरा भरा हुआ रेक और वैगन भार पर बोलना चाहूगां। यह नीति भी बदली जानी चाहिए कि छोटे निर्माता अथवा जो एक वैगन चाहते हैं उन्हें वैगन नहीं मिलेगा। उन्हें केवल पूरा रेक मिलेगा। इससे भी समस्या पैदा हो गई है और इस कारण से कम यातायात है। इसलिए मैं अभी महोदय से अपील करना चाहूंगा कि रेलवे की परिवहन नीति और योजना में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए।

महोदय, सुरक्षा और समय की पाबन्दी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष भी मैंने गाड़ियों के पटरी से उत्तर जाने के मामलों में वृद्वि का जिक्र किया था। गाडियों के पटरी से उत्तर जाने के कारण कितने घंटों की बरबादी होती हैं। 19990-91 में 5,291 घंटे बरबाद हुए: 1992-93 में 5,117 घंटे और 1994-95 में 4,118 घंटे बरबाद हुए, यह यदि यह कम है रेलवे इसका हिसाब नहीं रखती है।

गाड़ियों के पटरियों से उतरने के कारण वित्तीय हानि होती है क्योंकि रेलगाडियों को अन्य मार्गों पे जाना जड़ता है। रास्ता बंद होने के कारण कुछ रेलगडियों और माल रेलगडियों को कैंसल करना पड़ता है। ऐसे कुछ जोन हैं, कुछ ऐसे ऐक्शन हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र और लाईनें हैं जो रेलगाड़ियों के पटारियों से उतरने वाले जोन कहलाते हैं अथवा जहां रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने वाले जोन कहलाते हैं अथवा जहां रेल गाड़ियों के पटरी से उतरने की सदैव आशंका बनी रहती है, ऐसं स्थानों में यदि रेलगाड़ी पटरी से नहीं उतरती है तो हमे आश्चर्य होता है कि यहां गाड़ी पटरी से नहीं उतरती है, परन्तु इसे रोका जा सकता है

उसको कैसे रोका जा सकता है। इसको क्षेत्र वार रेललाइनों को बदलने से रोका जा सकता है। मैं जानता हूं कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे में ही, जो भारतीय रेलवे को 35 प्रतिशत राजस्व दे रहा है, 1,800 किलोमीटर ऐसी रेल लाइनें हैं जो पुरानी हैं। उन्हें तुरन्त बदले जाने की आवश्यकता है आद्रा से मिदनापुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल लाइन है जिसका विद्युतीकरण किया जा रहा है और मंत्री महोदय ने इसके लिए 10 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं। यह भी पर्याप्त नहीं हैं। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। आद्रा-बाकुरा- विष्णुपुर का विद्युतीकरण करने के लिए कम से कम 15 करोड़ से 20 करोड़ रूपये की चाहिए, आपको येह जानकर आश्चर्य होगा कि यह पटरी 50 वर्ष पुरानी है। आपकी क्षमता कैसी बढ़ सकती हैं? गाड़ियों को पटरियों से उतरने को कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए आपको सभी पुरानी पटरियों को बदलने के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। वर्ष 1988 में रेलवे सुधार समिति अर्थात बी.डी. पांडे समिति ने इसकी सिफारिश की थी। उस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पटरी को बदलने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए।

महोदय, पिछले वर्ष एक गम्भीर रेल दुर्घटना हुई थी। इस सभा में हमने फिरोजाबाद दुर्घटना की चर्चा की थी जिसमें 425 यात्री मारे गए थे, हमें आश्वासन दिया गया था कि रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन आवटंन किया जाएगा। रेल संबंधी सथायी समिति ने इस पहलू पर विचार किया था और सिफारिश की थी कि पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिए: रेलवे की सिगनल व्यवस्था और दूर संचार प्रणाली के लिए पर्याप्त धनरशि उपलब्ध की जानी चाहिए जो सुरक्षित रेल प्रचालन के लिए बहुत आवश्यक है,

महोदय, इस वर्ष कितनी घनराशि का आवंटन किया गया है? पिछले वर्ष सिगनल व्यवस्था और दूर संचार प्रणाली के लिए यह 227. 09 करोड़ रूपये था: फरवरी में जब लेखानुदान प्रस्तुत किया गया था तो यह 280.89 करोड़ रूपये था और चालू बजट में यह कम होकर 256.89 करोड़ रूपये हो गया यह धनराशि सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में फाइलिंग मार्क से फाइलिंग मार्क देने और सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों में ट्रेक सरकिट देने के लिए प्रर्याप्त नहीं है। यह आश्वासन रेल बजट पर वाद विवाद का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री जैसे व्यक्ति ने सभा में दिया था क्योंकि वह समय न केवल भारत के प्रधान मंत्री थे अपितु उन्होंने आश्वासन दिया था कि सिगनल व्यवस्था और दूर संचार प्रणाली: पर सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और जंकशनों ने ट्रेक, सरकिट देने और फाइलिंग मार्क से फाडलिंग मार्क देने के लिए पर्याप्त धन दिया जाएगा। इलाहाबाद डिवीजन और विशेष फिरोजाबाद स्टेशन के लिए धन राशि उपलब्ध की गई थी, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया, उसको कार्यान्वित नहीं किया गया और इसके कारण वहां गंभीर रेल दुर्घटना हुई जिसमें 425 यात्रियों को जान से हाथ धोना पड़ा।

मैंने युवा रेल मंत्री को पिछली प्रवृति से अलग होकर कार्य करने के लिए बधाई दी है, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मैं श्री पी उपेन्द्र से सहमत दूं। पिछले वर्ष भी ... **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : आपने पहले ही 20 मिनट ले लिए हैं। मैं आपको सचेत करना चाहता था। कृपया अपना वक्तव्य जारी रखिए।

**डा. असीम बाला** : महोदय, वह रेल बजट पर चर्चा में हमेशा 45 मिनट बोलते हैं ...**(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** : यह मेरा विशेष अधिकार है, सभी सभापति और उपाध्यक्ष मुझे बोलने के लिए हमेशा 50 से 55 मिनट देते थे। मैं फालतू बाते नहीं बोल रहा हूं ... **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : आप केवल प्वाइंटस क्यों नहीं देते हैं?

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, आप मेरा ध्यान बंटा रहे हैं। मैं एक महत्वपूर्ण प्वाइंट पर बोल रहा हूं, हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। रेलवे सिर्फ रेलवे के लिए नहीं है, रेलवे के बिना कोई आर्थिक विकास नहीं हो सकता।

महोदय, श्री पी. उपेन्द और मैं रेल अभी समय समिति के सदस्य थे। हमने सभी लंबित परियोजनाओं की जांच की और सिफारिश की कि एक बार परियोजना को स्वीकृति मिल जाती है तो इसे निर्धारित समय के अंदर पूरा कर देना चाहिए।

नई रेल लाईनों के लिए कितनी घनराशि आंबंटित की गई है? नई रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य क्या है? यह केवल 91 किलोमीटर है। नई लाइनों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है। नई रेल लाइनों के लिए आबंटन केवल 220.55 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष 181.71 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। हमारी प्राथमिकता रेलवे नेटवर्क का विस्तार करना होना चाहिए। हमारी उपलब्धियां क्या रही हैं? यह केवल 8000 या 9000 किलोमीटर है। स्वतंन्त्रता प्राप्ति के पूर्व हमें 53,000 किलोमीटर रेल लाइन मिली थी। अब पिछले 15 वर्षों में हमारी उपलब्धि केवल 8000 या 9000 किलोमीटर की है। जब तक आप अधिक धन आबंटित नही करते हैं हम अगरतला के लिए नई रेल लाईन कैसे बिछा सकते हैं? आपने केवल 1 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं, एक करोड़ रुपये एकलाखी - बालूर घाट के लिए, एक करोड़ रुपये दीफा-तामलक के लिए और एक करोड़ रुपये हावडा-आक्टा लाइन के लिए, जिसका जिक्र हलाल मोल्लाह ने किया है, आबंटित किए हैं। आपने बांकुश-दामोदर नदी रेल लाईन के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण रेलवे लाईन है, केवल 3 लाख रुपये आबंटित किए हैं। हो सकता हे कि यह निजी रेल लाईन हो। इसका इस वर्ष राष्ट्रीयकरण किया जाना है। तीन वर्ष का समय समाप्त होने से पूर्व इसको अपने अधिकार में लेकर इसका राष्ट्रीयकरण करना है। इसको बड़ी लाईन में बदलना है और दामोदर नदी पर पुल बनाकर इसे तारकेश्वर तक जोड़ना है। आपने पुल के निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये से अधिक राशि आबंटित किया है।

हम यूनी-गेज के विरुद्ध नही हैं श्री उपेन्द्र यूनी-गेज के विरुद्ध नहीं है। मैंने पिछले वर्ष श्री सी. के. जाफर शरीफ को कहा था कि यूनी-गेज परियोजना के लिए उनका सपना एक, सपना ही बनकर रह जाएगा। मैंने कहा था कि यह रुपया रहेगा।

हमारी रेलवे की एक प्रणाली कभी नहीं रहेगी। रेलवे की दो प्रणाली या तीन प्रणाली रहेगी यथा बड़ी लाईन छोटी लाईन और संकरी लाईन। हमने छोटी लाईन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या किया है? क्या आपने छोटी लाईन प्रणाली के रेल लाईनो को बदलने के लिए एक पैसा भी खर्च किया है? माल रेलगाड़ियों की औसत गति क्या है? यह केवल 23 किलोमीटर है। रेल लाईनों को बदलने से इसकी गति बढ़ाई जा सकती है। मंत्री महोदय ने दो या तीन 6000 तीन फेज वाले इंजनों का जिक्र किया है। हमने इसका तीव्र विरोध किया है। मैंने भी इसका तीव्र विरोध किया है। हमें तीन फेज वाले 6000 अश्वशक्ति के विद्युतचालित इंजनों की जरूरत नहीं है यद्यपि इसकी तकनीक अद्यतन है परन्तु हमारी भारतीय रेलवे निर्माणी इकाईयां 5000 अश्वशक्ति का इंजन बना सकती हैं। शायद ऐसा तकनीकी के कारण हो।

जब में स्थायी समिति की उपसमिति के संयोजक के रूप में वहां गया था तो मुझे एक इंजन का उद्घाटन करने का अवसर मिला। मैंने देखा कि किस प्रकार श्रमिक उत्पादन करते है। और वे लक्ष्य से भी आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी सीधी-सादी मांग है कि वे यूनियन चाहते हैं। इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी कोई यूनियन नहीं है। उत्पादन इकाइयों की कोई यूनियन नहीं हैं। उनकी कोई मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है और वे ऐसे श्रमिक है जिन्होंने इंजन का निर्माण किया है और लक्ष्य से आगे बढ़ गए हैं। आप उन्हें 110 इंजनों का निर्माण करने के लिए कहेंगे तो वे 115 इंजनों का निर्माण करेंगे जब आप उन्हें 110 इंजन बाने के लिए कहेंगे तो वे 130 इंजन बनाएंगे। इन श्रमिकों को अपनी यूनियन बनाने के उचित अधिकार से वंचित किया जा रहा है उनकी कोई यूनियन नही है, मैं नही जानता कि इसमें क्या कठिनाईयां हैं।

इसलिए प्राथमिकता रेल लाईनों के विस्तार को दी जानी चाहिए। रेलवे केवल रेलवे के लिए नहीं है। वह बजट समर्थन के रूप में और अधिक धनराशि के आबंटन के लिए योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को संतुष्ट नहीं कर सके हैं रेलवे केवल रेलवे के लिए नहीं है अपितु वह पूरे देश के लिए भी है। यदि आपके पास रेलवे नहीं है तो आप आर्थिक विकास नहीं कर सकते। यदि आपके पास रेलवे नहीं हैं तो आपको कोई उपलब्धि नहीं होगी आर्थिक प्रगति, आद्योगिकीकरण नहीं होगी और विकास दर भी कम होगी

महोदय, मंत्री जी अनेक नई रेलगाड़ियां चलाई हैं, यद्यपि अधिकांश रेलगाडियां बहाल की गई रेलगाड़ियां हैं और उन्हें बदला गया है, रामपुरहाट और हावड़ा के बीच जो यात्री गाड़ी चलती है उसके स्थान पर एक नई एक्सप्रैस गाड़ी चलाई जाएगी, कृपया इस यात्री गाड़ी को मत हटाइये क्योंकि इस पर लोगों को काफी रोष है। हम हमेशा एक ही प्रकार का उत्तर पाते हैं कि यह पहले ही अधिकतम सीमा पार कर गई है, 85 प्रतिशत अधिकतम सीमा से अधिक है, मैं नहीं जानता कि यह क्षमता बढ़ाई जा सकती है, हावड़ा-पंसकुरा लाईन अधिकतम सीमा को पार कर गई है। यह मांग की जा रही है कि हावड़ा और पंसकुरा के बीच लाईनों की संख्या तीन से चार की जाए और पंसकुरा और खड़गपुर के बीच दो से तीन की जाए। परन्तु हमें कहा गया है कि उस काम के किए धन की कमी है तो किस प्रकार हमें अतिरिक्त रेलगाड़ी मिल सकती है? मैं कहता आया हूं कि उस काम के लिए एक भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी कोटसिला-पुरुलिया मीटर गेज लाईन को बड़ी लाईन में बदला गया है जो मेरे जिले में 35 किलोमीटर जाती है। हमारे देश के 15 पिछड़े जिलों में एक पुरुलिया है पुरुलिया-कोटसिला लाईन को नैरो गेज से बड़ी लाईन में बदला गया है। लेकिन केवल एक ही रेलगाड़ी चलाई गई है।

**[हिन्दी]**

**श्री सत्यदेव सिंह** : आप कैसे कहते हैं कि यह बैक वर्ड है? वहां पर तो शस्त्रों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : वह आपने करवाया है।

**[अनुवाद]**

पुरुलिया-कोटसिला रेलगाड़ी कोई नई रेलगाड़ी नहीं है। केवल एक ही गाड़ी बढ़ाई है ... **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : अब आप समाप्त कीजिए।

**श्री बसुदेव आचार्य** : मेरी मांग है कि हटिया से हावड़ा के बीच एक एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाई जाए। पुरुलिया से हावड़ा तक केवल एक ही एक्सप्रैस रेलगाड़ी है जो छः घंटे से अधिक समय लेती है।**(व्यवधान)** पिछले चार अथवा पांच वर्षा से एक ही लाईन है मैं एक यात्री रेलगाड़ी चलवाने के लिए प्रयासरत था। रेलवे ने इसका भारी विरोध किया, उनका कहना था कि यात्री रेलगाड़ी चलाने से माल यातायात के आवागमन में बाधा पड़ेगी। अन्ततः रेलवे रेल लाईन का सुधार करके एक यात्री रेलगाड़ी चलाने पर सहमत हो गया। धनबाद और टाटानगर के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय एक्स प्रैस रेलगाड़ी सुवर्ण रेरवा एक्सपैस चलाई गई लो बिहार में कोयला नगर को मेरे नगर से जोड़ती है यद्यपि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरती है। परन्तु धनबाद और टाटानगर के बीच केवल एक ही रेलगाड़ी है। **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : अब आपने समाप्त करना है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : मैं पांच मिनट मे समाप्त कर रहा हूं।

**सभापति महोदय** : आपने पहले ही आधे घंटे से ज्यादा समय ले लिया है। दुर्भाग्य से मैं आपको उतना समय नही दे सकता।

...**(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** : अभी वहां केवल एक ही एक्सप्रेस रेलगाड़ी चल रही है। रेलवे धनबादःआद्रा-पुरुलिया-टाटानगर के बीच एक और यात्री रेलगाड़ी क्यों नही चलाती है? यह लाइन आर्थिक रूप से सक्षम हो सकती है वे अचानक ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आय की आंतरिक दर 12 प्रतिशत से कम है इसलिए यह अर्थिक रूप से सक्षम नही होगी। इसके लिए यात्री मांग कर रहे हैं आसनसोल और बर्दवान के बीच पहला मेनलाईन इलेक्ट्रिक मल्टिपुल यूनिट आरम्भ किया गया था। तब फिर मेरे होम में अर्थात पुरुलिया-आद्रा-आसनसोलल में दूसरा मेनलाईन इलेक्ट्रिक मल्टिपुल यूनिट आरम्भ किया गया। इस दूसरे यूनिट का उद्‌घाटन पिछले आम चुनावों से पूर्व भूतपूर्व रेल मंत्री श्री सुरेश कलमाड़ी ने किया था, मैनलाईन इलैक्ट्रिक मल्टिपुल युनिट्स को उनके रख-रखाव के लिए टिकियापड़ा लाया जाता है हम जानते हैं कि रेलवे किस प्रकार यात्री रेकों का रख-रखाव कर रहा है, मैं श्री उपेन्द्र से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि कार्यशालाओं में चल स्टाक का निर्माण नहीं होना चाहिए। जब तक वे चल स्टाक का निर्माण नहीं करेंगे, हमारे कार्यशालाओं की क्षमता नहीं बढ़ेगी हमारे यहां बहुत अच्छे कार्य शालाएं है।

**श्री पी. उपेन्द्र.** : मैंने केवल यह कहा था कि वे रख-रखाव की उपेक्षा कर रहे हैं और निर्माण कार्य में लगे हुए हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : सवारी डिब्बों के रख-रखाव के साथ-साथ वे निर्माण कार्य भी करके अपनी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं।

महोदय, खड़गपुर कार्यशाला में बहुत अच्छे पुश-पुल डी. एम. यू. का निर्माण हो रहा है। समस्तीपुर कार्यशाला वैगनों का निर्माण कर रहा है। हमने यह भी सुझाव दिया है कि रेलवे कार्ययशाला की क्षमता का उपयोग चल स्टाक का निर्माण करने में तथा सवारी डिब्बों और माल डिब्बों को बनाने में किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है मैंने सुझाव दिया था और मैं नहीं जानता कि रेलवे इसे क्यों नही मान रहा है, आज रख-रखाव टिकियापाड़ा में किया जा रहा है जो आद्रा-आसनसोल खण्ड से 100 किलोमीटर दूर है। मैंने सुझाव दिया था मेन लाईन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स के रख-खखाव की सुविधा आसनसोल में बनाई जा सकती है। वे इससे सहमत हो गए थे और उन्होंने उसके लिए आसनसोल में धन आबंटित किया था, परन्तु यह पूर्वी रेलवे के लिए था।

दक्षिण पूर्वी रलवे के लिए रख-रखाव की सुविधा आद्रा और ओकारा में बनाई जा सकती है जहां मूलभूत सुविधाएं हैं, भाप के इंजनों का प्रयोग बंद हो रहा है। और शेड़ भी हटाए जा रहे हैं। उन मूलभूल सुविधाओं का उपयोग कुछ अधिक खर्च करके किया जा सकता है। यह सुविधा बनाई जा सकती है और रख-रखाव का काम किया जा सकता है। अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध हो सकती है और अधिक संख्या में मैनलाईन इलैक्ट्रिक मल्टिपुल यूनिट्स को जो लोकप्रिय हो गए हैं - पारंपरिक सवारी डिब्बों के स्थान पर लगाया जा सकता है। आज हमारे पास कम संख्या में सवारी डिब्बे हैं। हम इन पारंपरिक सवारी डिब्बों के सथान पर अधिक संख्या में मैन लाईन इलैक्ट्रिक मल्टिपुल यूनिट्स ला सकते हैं।

महोदय, आप उन यात्रियों की कठिनाईयों के बारे में कल्पना कर सकते हैं जो आसनसोल से टाटानगर बिना टॉयलट के सफर करते हैं इन दो स्टैशनों के बीच की दूरी कितनी है? यह 250 किलोमीटर है, आप कल्पना करें कि बिना टॉयलट के 250 किलोमीटर सफर करना कितना कठिन है। इसका कारण यह है कि सारा रख-रखाव टिकिया पाड़ा में किया जा सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वे रख-रखाव सुविधा अद्रा और अनारा में बनाए ताकि अधिक सेवाएं उपलब्ध हो सके।

मंत्री महोदय ने बताया है कि औद्योगिक संबध बहुत अच्छे हैं। हम इसकी मांग कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चो सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रमों में भी आपने बताया है कि यूनियनों को मान्यता देने से पहले गुप्त मतदान का तरीका अपनाया जायेगा, मंत्री महोदय पहले श्रम मंत्री रह चुके हैं और वह रेलवे की भी समस्याएं जानते हैं रेलवे में गुप्त मतदान का तरीका अपनाया जाना चाहिए, यहां अनेक मान्यता

प्राप्त यूनियनें हैं दो परिसंध भी हैं एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ हैं, रेलवे प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन हे, रेलवे बोर्ड में भी रेलवे बोर्ड स्टाफ एसोसिएशन हैं, ये सब मान्यता प्राप्त हैं, इनका एक महासंघ है जो श्रमिकों की सभी श्रेणियों के लिए एक आवरणा का कार्य करता है परन्तु उसे यह सुविधा नहीं मिली हुई हैं, 1979 से पहले उन्हें वार्ता करने की सुविधा मिली हुई थी। 1977 में जब जनता दल की सरकार सत्ता में आई तो उन्हें यह अधिकार मिला था। लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को भी 1973 में यह अधिकार मिला था। आप वार्ता करने का अधिकार उन्हें बहाल क्यों नहीं करते हैं ताकि वे वार्ता कर सकें और बैठकों में हिस्सा ले सकें?

**श्री पी. उपेन्द्र** : आप एक यूनियन की मांग कीजिए।

**श्री बसुदेव आचार्य** : हम भारतीय रेलवे में एक यूनियन के पक्ष में हैं। इसका निर्माण गुप्त मतदान द्वारा किया जा सकता है

**सभापति म्होदय** : श्री आचार्य, कृपया अब समाप्त कीजिए।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, मैंने अनेक बार उनसे कहा है कि मान्यता प्रदान करने की नीति की एक बार समीक्षा की जाए।

**सभापति महोदय** : क्या आप अब समापत करेंगे? आप 30 मिनट से अधिक समय तक बोले हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : दो परिसंघ क्यों होने चाहिए? ... **(व्यवधान)** तीन परिसंघ होने चाहिए ... **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : श्री आचार्य, ऐसा नहीं चलेगा। कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री बसुदवे आचार्य** : महोदय, 1989 से बड़ी संख्या में रनिंग स्टाफ को सेवा से बर्खास्त कर दिया था 1990 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उनमें से कुछ को बहाल किया गया था। परन्तु पूर्व रेलवे मे किसी को बहाल नहीं किया गया। उन रनिंग स्टाफ के मामले में जिन्हें केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश से बहाल किया जाना था, आदेशों को कार्यन्वित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय** : श्री आचार्य, कृपया अब समाप्त कीजिए।

**श्री बसुदेव आचार्य** : इसलिए रनिंग स्टाफ को, हिन्हें 1981 में बर्खास्त कर दिया गया था, उच्चतम न्यायालय के निर्णय तक इंतजार करना पड़ेगा। जब आपने उत्तर रेलवे के रनिंग स्टाफ को वापस काम पर रख दिया है तो आप पूर्व रेलवे के रनिंग स्टाफ को वापस क्यों नहीं ले सकते हैं? वे भूखों मर रहे हैं और उनमें से कुछ मर गए हैं।

**सभापति महोदय** : यदि सदस्य अपने समय पर टिके नहीं रहते हैं तो काई भी सभा परनियंत्रण नहीं रख सकता। कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री बसुदेव आचार्य** : मैं समाप्त कर रहा हूं। आप मुझे अपनी बात खत्म नहीं करने दे रहे हैं।

**सभापति महोदय** : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आप सभा की विवशता समझते हैं। हम आज रात और कल भी देर तक बैठ रहें हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय मैं जानता हूं कि मैं वरिष्ठ सदस्य हूं और इसलिए यदि आप मुझे अपनी बता समाप्त करने के लिए कहते हैं तो मैं समाप्त करुंगा।

**सभापति महोदय** : यह आपका अन्तिम वाक्य होना चाहिए।

**श्री बसुदेव आचार्य** : यह मेरा अन्तिम वाक्य हो सकता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह सब बातों को देखें परिवहन नीति में व्यापक परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि लोगों और देश की आवश्यकताओं की झलक उसमें दिखाई दे। ...**(व्यवधान)**

**श्री वी. एम. सुधीरन** (अलेप्पी) : महोदय, प्रतीक्षा सूची में बहुत अधिक संख्या में लोगों के नाम हैं, इसलिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे समय सीमा का पालन करें।

**सभापति महोदय** : अब मैं श्री प्रकाश परांजपे को बुलाता हूं श्री प्रकाश, आपके दल को 12 मिनट का समय दिया गया है।

**(व्यवधान)**

**श्री अनिल बसु** (आराम बाग) : महोदय, पार्टी लाइन पर समय सीमा की रोक कैसी, रेलवे से संबंधित मामले पार्टी लाईन से ऊपर हैं। अप पार्टी लाइन पर समय सीमा क्यों लगा रहे हैं?

**सभापति महोदय** : कृपया सभा का समय बरबाद मत कीजिए। मैंने प्रकाश परांजपे को बुलाया हैं और उसे बोलने दें। मैंने इस पर अभी निर्णय नहीं लिया है। कार्य मंत्रण्य समिति ने इसे निधारित किया है। आपके सदस्य कार्य मंत्रणा समिति में भी हैं।

**श्री अनिल बसु** : महोदय, वह सभा के सदस्य हैं, अतएव वह केवल 'मेरे सदस्य' नहीं हो सकतेः वह आपके भी सदस्य हैं,

**सभापति महोदय** : वह हर एक के सदस्य हैं हमें कार्य मंत्रणा समिति द्वारा बनाए गई कार्यक्रम पर टिके रहना है, श्री प्रकाश पराजये।

**श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे** (ठाणे) : सभापति महोदय, आज मैं पहली बार इस सम्मानीय सभा में बोल रहा हूं मैं उस निर्वाचनक्षेत्र का हूं जहां मुम्बई से ठाणे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, मैं उसी निर्वाचन क्षेत्र का हूं जो हिन्दुस्तान में दूसरा बससे बड़ा है तथा जिसमें 28 लााख के आस-पास लोग रहते हैं वहां की 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या उपनगरीय रेलगाड़ियों से यात्रा करती है, मैं यहां न तो रेल मंत्री जी की और न रेल प्रशासन की आलोचना कर रहा हूं अपितु मतदाताओं की भावनाओं, उनकी कठिनाइयों और उनकी मांगों को रख रहा हूं, क्योंकि बजट से पूर्व उन्होंने उपनगरीय रेल गाड़ियों की समस्याओं को समझने के लिए मुम्बई की यात्रा की थी। परन्तु मुझे दुख है कि उन्होंने अपने ऋण में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं हुआ है जो मुम्बई की बैठक में उठाया गया था। मैं रेल मंत्री महोदय से अनुरोध

कर रहा हूं कि जो भी मांग में रख रहा हूं वे अपने वक्तव्य में उसका उत्तर आर दें।

मैं जानता हूं कि मुझे रोजमर्रा की कठिनाइयों की मांगों को नहीं उठाना चाहिए परन्तु मुझे ऐसी मांगें उठानी हैं जिनके लिए नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है, मैं पहली मांग ठाणे - बेलापुर रेलवे के वारे मकं उठा रहा हूं सी आई डी सी ओ ने 90 करोड रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया है, उस रेलगाड़ी के माल की ढुलाई हो रही है परन्तु अब तक यात्री सेवा आरम्भ नहीं हुई है। उत्पादन शुल्क और बिक्री कर से मिलने वाले राजस्व में से 20 प्रतिशत इस स्थान से मिलता है। हजारों श्रमिक, विद्यार्थी और सरकारी कर्मचारी न्यू मुम्बई जाना चाहते हैं और अभी भी यात्री सेवा शुरु नहीं हुई है। मुझे आशा है कि अपने भाषण में रेल मंत्री महोदय उस तिथि की घोषणा करेंगे जब से यात्री सेवा आरम्भ होगी।

दूसरा, रेलवे प्रधिकारियों नें दीना में ठाणें निगम क्षेत्र में 42 एकड़ जमीन का आरक्षण करने की मांग की है। मैं रेलवे प्राधिकारियों को सुझाव दूंगा कि एक बड़ा दीवा टर्मिनस बनाया जाए ताकि उपनगरीय रेलगाड़ियों में भार कम हो सके। दीवा ऐसा जंकशन है कि उापको सी आई. डी.सी. ओ. के आधार पर टर्मिनस का निर्माण करना चाहिए। सी. आई. डी. सी. ओ. अपनी सहायता वाली स्कीम से रेलवे स्टेशन और स्टेशनों का निर्माण कर रहा है।

जो भी सुझाव मैं यहां दे रहा हूं उसको अमल करने पर रेलवे को उन पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और रेलवे को इससे आय होगी, मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं। वे अधिक से अधिक संख्या में रेलगड़ियां चलाने की मांग कर रहे हैं परन्तु कोई भी उन्हें ठोस सुझाव नहीं दे रहा है कि बिना ऋण लिए रेलवे कैसे अपनी आय को बढ़ा सकती है।

महोदय, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमारे मंत्रालय को जहां भी संभव हो वहां सी आई डी सी. ओ के आधार पर रेलवे स्टेशनों का निर्माण आरम्भ करना चाहिए। इसमें वह वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए एअर स्पेस का प्रयोग कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह शीघ्र ही परीक्षण के आधार पर मुम्बरा-डोम्बीवली रेल लिंक बनाने के लिए प्राधिकारियों से कहे। रेलवे प्राधिकारी वास्तुशिल्पकारों को प्रतिस्पर्धा में उतरने और अपने प्लान दे देने के लिए कहेगी और फिर निजी पूंजी नियोजक को समूची परियोजना बेच देगी जहां रेलवे बिना धनराशि खर्च किए एक अच्छा रेलवे स्टेशन का निर्माण करेगी और रेलवे स्टेशन पर वाणिज्यिक हिस्सा बेचकर अच्छा धन कमा सकती है। मैं रेलवे प्रधिकारियों को एक विचार दे रहा हूं कि चर्च गेट से बांद्रा और वी. टी से ठाणे और अन्य मेट्रो तक एयर स्पेस को बेचकर आप करोडों रूपयों में भारी राशि अर्जित कर सकते हैं। विदेशों में तो एअर स्पेस बिकने लगे हैं। मैं मंत्री महोदय और संबंधित प्रधिकारियों से कहूंगा कि वे मेरे सुझाव पर विचार करें। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है रेलवे लाईनों पर एअर स्पेस को बेचकर करोड़ो रूपये की आय होगी और मुझे विश्वास है कि यदि यह धन प्राप्त होता है तो रेल प्रधिकारी नई रेल लाईनें बिछाने के लिए लोगों की सभी मांगें मान सकेंगे। जब तब हम अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटायेंगे, कोइं भी मांग पूरी नहीं की जा सकती। अन्ततः हमें देखना है। कि हम कैसे रेलवे की आय बढ़ा सकते हैं। मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि चर्चगेट से बांद्रा और वी. टी. टर्मिनल से ठाणे और अन्य मेट्रो तक एयर स्पेस को बेचकर हजारों करोड़ रूपया अर्जित किया जा सकता है।

मंत्री महोदय यह देखने के लिए बम्बई गये थे कि वहां डबल डेकर रेलवे आरम्भ हो। करजाट से वी. टी. और कसरा से वी. टी. तक डबल डेकर को चलाने से निश्चित रूप से रेलवे पर रेल मार्ग के जमघट के होने का भार कम हो सकेगा, मैं नहीं जानता कि आपने इस योजना पर विचार क्यों नहीं किया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व रेलवे की जो प्रगति थी वह प्रत्येक वर्ष 561 किलोमीटर रेल लाईन बिछाने की थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह दर मुश्किल से 162 किलोमीटर प्रति वर्ष रह गई है। परन्तु मैं इसकी आलोचना नहीं करना चाहता। धन की कमी के कारण अधिक प्रगति करना संभव नहीं हुआ है। आश्चर्य है कि 1995-96 के बजट के लिए 1945 में निर्मित पुरानी लाइनों के स्थान पर नई रेल लाइनें बिछाने के लिए 203 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया था और इस वर्ष 1996-97 में मुश्किल से 150 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है जो कि बहुत कम राशि है, मुश्किल से 100 किलोमीटर रेलवे लाइनों का निर्माण किया जायेगा। इसलिए हमें सभी लोगों की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करने के लिए आय वाले अधिक संसाधन जुटाने होंगे।

अन्ति जो.कम महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे राज्य में रेलवे सुरक्षा बल को दिए जाने वाले वेतन की प्रतिपूर्ति करने के लिए 28 करोड़ लंबित पड़े हैं। यह मांग 1979 से है और आज की तारीख में रेलवे अधिकारियों ने वह धनराशि देनी है, मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मुझे प्रसन्नता होगी यदि वे यथाशीघ्र इस धन राशि को मंजूरी दें। जैसा कि हमारे वरिष्ठ संसद सदस्य ने कहा है कि आपने आश्वासन दिया है कि एक पृथक उपनगरीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी जो उपनगरीय रेलगाड़ी के यात्रियों की समस्याओं का समाधान करेगी। परन्तु जो भी समस्याएं मैने उठाई हैं वे उनके लिए नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि जो भी बातें मैनें उठाई हैं उससे रेलवे की आय बढ़ेगी और यदि आय बढ़ती है तो रेलवे को बेहतर सुविधाएं दी जा सकेंगी।

मैं रेलमंत्री को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि उपनगरी रेल यात्रियों के मासिक पस और टिकटों के किराए में वृद्धि नहीं की है।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन बातों को ध्यान में रखेंगे जो मैनें उठाई हैं और उनका अनुकूल उत्तर देंगे और ठाणे से बेलापुर तक यात्री रेलगाड़ी चलाने की तिथि की घोषणा करेंगे।

**श्री भक्त चरण दास** (कालाहांडी) : सभापति महोदय, जैसा कि मेरे साथी ने कहा है कि रेलवे को अपना आधारभूत संरचना विकसित

करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय किस प्रकार 927 करोड़ रूपये का घाटा पूरा करेंगे। वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है और न कोई आश्वासन दिया है। इसलिए घाटे को पूरा करने का भार रेलवे पर है। यह निश्चित है कि रेलवे को अपनी संपत्ति का उपयोग करके अपना धन जुटाना पड़ेगा। जैसा कि मेरे साथी ने कहा है महानगरीय क्षेत्रों में एअरस्पेस को बेचा जा सकता है या किराए पर दिया जा सकता है। रेलवे के पास सारे देश में जमीन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेरे विचार में मंत्री महोदय वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उस जमीन का उपयोग कर सकते हैं और वह कुछ सीमा तक घाटे को पूरा करने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। रेल मंत्री जी के लिए धन का प्रबंध करना निश्चित रूप से श्रमसाध्य होगा।

अब मैं रेलवे की कुछ समस्याओं की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कपूरथला कारखाने का जिक्र किया है जो अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा है लेकिन मंत्री महोदय ने इसके कारण नहीं बताए हैं। कपूरथला कारखाना एक प्रसिद्ध कारखाना है और इसकी अपनी प्रतिष्ठा है और इसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला है। इसलिए कारणों का पता लगाया जाना चाहिए और इस कारखाने को कार्यकुशल बनाया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने रेल गाड़ियों में अनेक सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बोला है, परन्तु जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों रेलगाड़ियों विशेषकर पुरानी रेलगाड़ियों, उनके सवारी डिब्बों जिनका उपयोग निर्धन लोग कर रहे हैं, का सम्बध है उनकी बहुत ही खराब हालत हो रही है। उनकी टॉयलटों की दशा बहुत ही खराब है और पूरा सवारी डिब्बा आदमियों के बैठने लायक नहीं है, इसी तरह की हजारों रेलगाड़ियां हैं और गांवों में निर्धन लोगों को उसके कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पडता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस हीन अवस्था की ओर दिलाना चाहूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि विभिन्न रेलगाड़ियों में ऐसे सवारी डिब्बों को शीघ्र बदला जाए।

मंत्री महोदय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पर जोर दिया है जिसके लिए मैं निश्चित रूंप से उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर ध्यान दिया है और इसे रेलवे मानचित्र में शामिल किया है।

अपने भाषण में उन्होंने बताया है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमने केवल 8000 किलोमीटर रेल लाइनें बिछाई हैं। ब्रिटिश शासन काल के दौरान 94 वर्षों में हमने लगभग 54,696 किलोमीटर रेल लाईने बिछाई हैं। उनके और हमारे बीच क्या अंतर है। अनेक अंतर हैं और कई बातों का अध्ययन किया जाना है और रेलवे को स्वयं अधिक से अधिक रेलवे लाईन बिछानी चाहिए। अन्यथा, देश के कोने-कोने में पिछड़े क्षेत्रों को, विकसित क्षेत्रों से जोड़ा नहीं जा सकेगा। रेलवे के विकास की प्रक्रिया के साथ देश का विशेषकर गांवों का विकास हो सकेगा। देश में 5 लाख गांव हैं। उनका विकास नहीं हो सकता उन क्षेत्रों का जिनके पास संसाधन हैं जिनके पास खनिज विक्षेप हैं और प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बिना रेल लाइनों के विकास नहीं हो सकता। उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं किया जा सकता।

मंत्री महोदय ने मेरे क्षेत्र में रेल लाईन के लिए । करोड़ रूपये दिए हैं। देश में पिछड़े क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए। तत्कालीन योजना आयोग ने उस लाईन का अनुमोदन किया था और यह चालू परियोजना है। परन्तु हमें इस बात की हैरानी है कि पिछले 5 वर्षों में । किलोमीटर रेलवे लाईन भी नहीं बिछी है। मेरे जिले कालाहांडी में खनिज संसाधनों की भरमार है। वहां बाक्साइट-एल्यूमिना सयंत्र लगाया जाना चाहिए। परन्तु यह वहां नहीं लगाया गया है और उस जिले के बाक्साइट का उपयोग नहीं हो सका है।

कम से कम भविष्य में एक ऐल्युमीना संयत्र लगाया जाना चाहिए क्योंकि यहां विश्व में उत्तम कोटि का बाक्साइट मिलता है।

इन्द्रावती विद्युत परियोजना पर काम चल रहा है। दो वर्ष बाद यहा 600 मेगावाट बिजली पैदा होयी और दो वर्ष बाद इससे 250 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। हम बड़ी मात्रा में चावल की दुलाई कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रेनाइट की अनेक खानें वहां पर हैं। इसलिए यह अर्थिक रूप से लाभप्रद भी होगा। मुझे यह कहते हुए दुख है कि रेल मंत्री महोदय ने कहा है कि यह वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद नहीं है। वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद स्थानों को रेलगाड़ी नहीं जाती है। यह रेल लाईन सबसे अधिक उपेक्षित है।

मंत्री महोदय ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक जोन बनाया है। यदि वह कल रेल मंत्री नहीं होते हैं तो उस जोन की उपेक्षा की जाएगी। उस जोनल कार्यालय की उपेक्षा की जाएगी। तब मंत्री महोदय की कितनी असमंजसपूर्ण हो जाएगी। वह मेरे बड़े भाई की तरह हैं और वह दलितों के नेता हैं। इसलिए मैं महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस रेलवे लाईन की ओर कम से कम इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ध्यान दें ... **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : कृपया अब समाप्त कीजिए।

**श्री भक्त चरण दास** : अभी छः मिनट नहीं होने वाले हैं।

**सभापति महोदय** : आपका समय समाप्त हो गया है।

**श्री भक्त चरण दास** : नहीं, मैंने अभी जरा सा बोला है।

**सभापति महोदय** : परन्तु आपने अपना समय ले लिया है।

**श्री भक्त चरण दास** : कृपया मुझे और समय दीजिए।

**सभापति महोदय** : मैने पहले ही आपको दो मिनट फालतू दे दिए हैं।

**श्री भक्त चरण दास** : रेलवे ने रेलगाड़ी बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इस रेलगाड़ी का नाम है सम्बलपुर - हावड़ा एक्सप्रैस। उन्होंने इसे रायगारा तक बढ़ाने का आश्वासन दिया था। ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि रायगारा में ईंधन परीक्षण संयत्र उपलब्ध नहीं था। इसे टिटलागढ़ तक बढ़ाया गया था। तदनुपरान्त रेलवे ने आश्वासन दिया था कि इसे रायगारा तक बढ़ाया जाएगा। आठ महीने पहले रेलवे ने कोरापुट जिले के लोगों को, कालाहांडी जिले के लोगों को आश्वासन दिया था कि इस रेलगाड़ी को रायगारा तब बढ़ाया जाएगा।

जब प्रधान मंत्री ने कोरापुट रेल लाईन का उदघाटन किया था तो यह कहा गया था कि यह रेलगाड़ी कोरापूट तब बढ़ाई जाएगी क्योंकि प्रधान मंत्री उस लाईन का उद्घाटन करेंगे। परन्तु उस लाईन का उद्घाटन करने के बाद भी कोरापुट – रायगारा लाईन को रायगारा तक नहीं बढ़ाया गया है। कुछ दिन पूर्व भूख हड़ताल हुई थी। एक स्वतंत्रता सेनानी वहां भूख हड़ताल पर बैठा था। मुझे उससे हड़ताल वापस लेने के लिए अनुरोध करना पड़ा मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा। उन्होंने 13 रेलगाडियां बढ़ाई हैं। इस रेलगाड़ी को भी बढाया जा सकता था।

बाल्टायर से दिल्ली चलने वाले समता एक्सप्रैस के बारे में भी एक बात करनी है। इस मार्ग पर केवल एक रेलगाड़ी चलती है और यह समता एक्सप्रेस है। यह सप्ताह में तीन बार चलती है और इसे नियमित करने की आवश्यकता है। यह आय अर्जित करने वाली रेलगाड़ी है। यह हमेशा पूरी भरी रहती है। ऐसी लम्बी दूरी की गाड़ी में भोजनयान या बातानुकूलित डिब्बा नहीं है, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उस रेलगाड़ी में बातानुकूलित डिब्बा और एक भोजन यान लगाएं और इसको नियमित करके सप्ताह में सात दिन चलाएं ... **(व्यवधान)**

मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। कुछ विषय हैं। मुझे कई बातों पर बोलना है परन्तु आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं। मुझे आशा है कि अन्य माननीय सदस्य दूस पर भी बोलेंगे।

मेरा मंत्री महोदय से केवल एक अनुरोध है। सबको खुश करके रेलवे का विकास नहीं हो सकता।

महोदय सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने भी रेलगाड़ी के पटरी पर से उतरने की बात की है, रेलवे के अनुसार रेल दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण रेल गाड़ी का पटरी से उतरना है। इसका उचित रूप से अध्ययन नहीं किया जा रहा है। यद्यपि रेलवे प्राधिकारियों ने इसका अनेक बार अध्ययन किया है। इस पहलू पर जोर नहीं दिया जा रहा है।

हमें कारणों का अध्ययन करना चाहिए चाहे यह लकड़ी के स्लीपर हों, सड़ी हुई लकड़ी के स्लीपर हों जो कि हमें ठेकेदारों से मिलती हैं अथवा कास्ट आयरन स्लीपर हों अथवा काली काटन मिट्टी हो जो हमारे देश में उपलब्ध है। यदि कारण स्पष्ट हैं तो इस कठिनाई पर क्यों नहीं काबू पाया जा सकता है? हमें रेलगाडी के पटरी पर उतरने की घटनाओं को रोकना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि वह इस पहलू पर अधिक जोर दें।

मैं इस बजट का समर्थन करता हूं चाहे समता पार्टी में मेरे साथी इसका समर्थन न करें क्योंकि मेरे नेता श्री पासवान रेल मंत्री हैं। वह दलितों के भी नेता हैं। मैं प्रधान मंत्री जी श्री देवे गौडा का समर्थन करता हूं। मैं इस आशय से बजट का समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह अपना सारा समय और ऊर्जा इस देश की जनता के आशाओं के अनुरूप बनने में लगायें।

मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

**सभापित महोदय** : माननीय सदस्यों, हमें यह निर्णय करना है कि हम कब तक बैठेंगे। क्या रात के 9.30 बजे तक या 10 बजे तक बैठें?

**कुछ माननीय सदस्य** : हम रात के 10 बजे तक बैठ सकते हैं।

**सभापति महोदय** : मैं इसे मानता हूं कि यह सभा रात के 10 बजे तक बैठेगी।

**[हिन्दी]**

**श्री राम विलास पासवान** : सभापति जी, एक सूचना है। रात के 10 बजे तक हम सब लोग बैठे हैं इसलिए खाने की व्यवस्था नहीं है। एम पीज़ और प्रेस के साथियां के लिए खाने की व्यवस्था रूम नं. 70 में है और स्टाफ के लिए रूम नं. 73 में है। खाना आठ बजे शुरू हो जाएगा। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार खाने के लिए जाते रहें स्टाफ के लिए खाना साढ़े आठ बजे शुरू होगा।

**श्री सत्यदेव सिंह** : सभापति जी, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया और आपने पहले ही टोक दिया ...**(व्यवधान)** मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरे नम्बर पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि माननीय श्री राम विलास पासवान जी हमारे पुराने मित्र हैं। उनसे हम कुछ शिकवा-शिकायत भी करेंगे और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे। मैं माननीय राम विलास पासवान जी को, जो कि रेल मंत्री हैं, इस सम्मोहिनी बजट को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह बजट उस प्रकार से है जैसे एक अच्छा नृत्य होता है। एक अच्छे नृत्य में भाव है, भंगिमा है, लालित्य है और सम्मोहन है। आपने राजनैतिक बजट दिया है।

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** (पूर्णिया) : नृत्य की जानकारी तो आप लोगों को है।

**श्री सत्यदेव सिंह** : यह मैं आपके नृत्य की प्रशंसा कर रहा हूं। मैं तो आपके रंगमंच का दर्शक हूं ...**(व्यवधान)** यदि आप मुझे बोलने दें तो मैं बोलूं।

**सभापति महोदय** : आप बोलने दें।

**श्री सत्यदेव सिंह** : सभापति जी, माननीय मंत्री जी बहुत समय तक जहां मैं हूं वहां रहे हैं। पहले भी उन कुर्सियों पर बैठे थे, आज फिर बैठे हैं। इस बार माननीय मंत्री जी ने बड़े मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। यह सामान्य मंत्रालय नहीं है, देश के जन-जीवन से जुड़ा हुआ है। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने तथा भारत की विविधता को ये रेलें एक स्थान पर जोड़ने का काम करती हैं।

इसलिए आपने मंत्री बनने पर कड़ी पुरजोर घोषणा की थी कि अभी तक रेलें अमीर और अमीरी के इलाके का ही पोषण करती थी और आपका यह प्रयास और प्रयत्न होगा कि अब रेल का विस्तार, रेल की दिशा कुछ गरीबों को भी छुए, उन क्षेत्रों की तरफ भी इसका

ध्यान जाए जो आज तक उपेक्षित रहे हैं। लेकिन उस कुर्सी की माया ही ऐसी है, बैठते ही विचार परिवर्तित हो जाते हैं, क्रांति शान्त हो जाती है। इस तरफ के आपके उद्घोष मौन हो जाते हैं।

दूसरी बड़ी भारी घोषणा की थी। आपने कहा था, जब आप गरीबों की तरफ चलेंगे, मैं इसका विरोध नहीं करता कि आप शताब्दी चेयर कार में ऑडियो-वीडियो की सुविधा बढ़ाएं, मैं इस बात का भी विरोधी नहीं हूं कि नई तकनीकी से आप राजधानी में यह प्रयोग करें कि बम्बई और दिल्ली के बीच में जो राजधानी चले, उसमें आप यात्रियों को टेलीफोन सुविधा दें। लेकिन आपको प्राथमिकताएं तो तय करनी पड़ेंगी। आपकी वरीयता किधर होगी? आपके विकास का जो दृष्टिकोण होगा, जो डायरैक्शन होगी, वह कहां रहेगी? ऑडियो वीडियो तक ही सीमित रखेंगे या आपने जो वायदा किया था, उस तरफ भी चलेंगे। आपके बजट में बहुत कुछ ढूंढने पर भी नहीं मिलता। मैं आपकी कठिनाइयों को पहचानता हूं। आप इस बात से पहले भी चिंतित थे। रेल में वेतन आयोग लागू होगा। बिजली के दाम आप लोगों ने ही बढ़ाए हैं, सोच-समझकर बढ़ाए हैं, बजट से पहले बढ़ाए हैं। प्रोप्रायटी की बात आपने सोची है या नहीं लेकिन डेढ़ सौ करोड़ रुपये तो आपको भी देने पड़ेंगे और आप उसे देने वाले नहीं हैं, हमारी सबकी खाल से खींचने वाले हैं।

इस देश के अंदर भारी संख्या में अनमैन्ड रेलवे क्रासिंग्स है वहां चौकीदार नहीं रहते। भीषण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आपने उन दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा करते समय कहा कि हम सब पर चौकीदार की नियुक्ति करेंगे। एक आशा जगी थी। अगर आपने नहीं कहा तो अब कह दीजिए। ...(व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान** : मैंने यह नहीं कहा था कि सब पर करेंगे, मैंने यह कहा था कि 24-25 हजार स्टेशनों पर अनमैन्ड क्रॉसिंग्स है। उनको करने के लिए कम से कम 5 से 7 लाख रुपये लगते हैं। इतना तो किसी रेल मंत्री के लिए संभव नहीं है। हमने कहा था कि जो संवेदनशील हैं और जहां-जहां घटनाएं घटती हैं, उनको प्रायरिटी के आधार पर करने का काम करेंगे। मैं अभी भी माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जहां-जहां आपकी इस तरह की शिकायतें हैं, आप हमको लाकर दीजिए। हम उसे प्रायरिटी बेसेस पर करने का काम करेंगे।

**श्री सत्यदेव सिंह** : आपने यह आश्वासन दिया लेकिन आपने अति उत्साह में जो बयान दिया था, यह उससे थोड़ा हटकर है। हम आपको जरूर बताएंगे। रेल दुर्घटनाएं तो हर अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग पर संभावित होती हैं। नहीं होनी चाहिए, लेकिन है। आपकी कठिनाई भी है कि शायद आप इतना बड़ा काम इकट्ठा नहीं कर सकते। इस तरफ भी आपका ध्यान जाए इसलिए मैंने इस बात को आपके सामने निवेदन किया।

रेल आज इस देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उपक्रम है लेकिन इसकी उत्पादकता, इसकी कार्यक्षमता घट रही है। इस तरफ भी आपका ध्यान निश्चित रूप से गया होगा। आप इसे स्वीकार करें या नहीं लेकिन रेल के सामने यह सामान्य बात नहीं है कि वह अपना परिचालन ही ठीक प्रकार से कर सके। यह हमारा सोशल स्टेट है। कोई जरूरी नहीं है कि आप व्यापारी की तरह हर मामले में मुनाफे का ही सौदा करें। इसलिए रेल को मात्र मुनाफे का उद्यम बनाने के अतिरिक्त भी सामाजिक और सोशिया-इकोनोमिक डैवलपमेंट में इसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी साझेदारी है, उसके प्रति भी हमें सचेत रहना होगा।

आपने अपने भाषण में उपेक्षित क्षेत्रों में पूर्वांचल की भी बात कही। मुझे स्मरण है कि इधर जो आपके कांग्रेस पार्टी के लोग समर्थन दे रहे हैं, उनकी सरकार में एक पूर्व प्रधानमंत्री ने सोशियो-इकोनौमिक आस्पैक्ट का अध्ययन करने के लिए पूर्वांचल के लिए के 19 सदस्यीय समिति बनाई थी। मुझे विश्वास है कि उस समिति के अध्ययन दल का प्रतिवेदन आपको जरूर प्राप्त हुआ होगा क्योंकि उन्होंने पूर्वांचल को देश के साथ ठीक प्रकार से जोड़ने के लिए उनकी आर्थिक विपन्नता को, उनके विकास के गतिरोध को समाप्त करने के लिए सर्फेस और एयर ट्रांसपोर्ट की बात कही थी।

**अपराह्न 8 बजे**

आप वहां का विस्तार करने जा रहे हैं। कितना धन आपके पास उपलब्ध होगा, वह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं राजनैतिक बजट इसलिए कह रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, यह सदन चल रहा है, रेल-बजट यहां आ चुका है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों उच्च सदन में जाकर यह घोषणा की कि वह जम्मू कश्मीर में जो इकोनोमिक पैकेज देने जा रहे हैं, उसमें रेल के लिए 2500 करोड़ रुपये की एक परियोजना ला रहे हैं और वह परियोजना ऊधमपुर से बारामूला रेल्वे लाइन की है। यह ठीक है कि मैं इस लाइन का विरोध नहीं करता, लेकिन आज यह लाइन नहीं बनने वाली है और 30 सितम्बर के बाद भी यह लाइन नहीं बनने वाली है, लेकिन आज इकोनामिक पैकेज में रेल मंत्रालय के बजट में इस रेलवे लाइन का कोई बहुत बड़ा उल्लेख नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने किसकी प्रेरणा से इस बात की घोषणा की, मै उस घोषणा का विरोधी नही हूं ... (व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान** : सभापति जी, मैं आपकी सुविधा के लिए आपकी ही बात कह रहा हूं। यह बात आपने सही कही कि इसकी इसमें घोषणा नहीं है। घोषणा इसलिए नहीं है कि यदि हम रेलवे में उसको टेक-अप करते तो रेलवे के पास जो संसाधन हैं, पता नहीं उसमें 10 साल लगते, 20 साल लगते या पता नहीं कितना समय लगता। इसलिए ऊधमपुर से लेकर बारामूला तक रेलवे लाइन को नेशनल प्रोजैक्ट में रखा गया है। वह नेशनल बजट में रखा गया है, जिससे कि वहां चार साल के अन्दर सारी रेलवे लाइन को अति लेकिन बड़े-बड़े स्कैंडल्स पिछली दसवीं लोकसभा में हुए और उसमें रेलवे ने भी उसमें अपना योगदान दिया। वह चाहे इंजन आयात करने की आवश्यकता हो, बसुदेव आचार्य जी कह रहे थे कि उस इंजन की हमें आवश्यकता नहीं है, हम पांच हजार होर्स पावर से भी काम चला

सकते हैं, ब्राउन बॉवेरी से हम इंजन लें, इस बात की कोई जरूरत नहीं है। वैगन आयात करने की बात, कोयला आयात करने की बात, यह सारी चीजें इससे जुड़ रही हैं। देश के अन्दर रेल प्रणाली के अन्दर जो भ्रष्टाचार है, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? पिछले बजट में यह बताया गया कि स्क्रैप रेल के अन्दर. रोलिंग स्टॉक का, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील का एक प्रचुर भंडार है। पिछले साल एक हजार करोड़ रुपये की बिक्री की गई, मैं अपनी जानकारी से आपको बता सकता हूं और आपके अधिकारी भी आपको इस बात से सूचित करेंगे, इन रेलों के स्क्रैप की बिक्री में एक विचित्र प्रकार का माफिया काम करता है। वे रिलोसेंज पूल कर लेते हैं कि रेल में कितने स्क्रैप का स्टाक है, क्योंकि इसकी कोई व्यावहारिक कल्पना नहीं है। कहां पर कितना स्क्रैप पड़ा हुआ है, इसका कुछ पता नहीं है। रेल लाइंस में पहले लकड़ी के स्लीपर होते थे। अब उनको निकाल दिया गया है। वे सब चोर-बाजारी में बिक गये। आज आप आर.सी.सी. स्लीपर लगा रहे हैं, जो कि तेज गति की ट्रेंस के लिए जरूरी भी हैं। लेकिन इसके पहले देश का लाखों टन का कास्ट आइरन, जो कि एक बहुमूल्य मेटिरियल है, जो आपके पास दस प्रतिशत बचा होगा, बाकी का बाजार में बिक गया, वे भी ठीक प्रकार से आपका दाम नहीं देते हैं। कुल मिलाकर रेल्वे को बहुमूल्य स्क्रैप का पूरा दाम नहीं मिलता है। मंत्री जी को चाहिए कि वे इस तरफ भी ध्यान दें।

रेल वैगंस की बात की जाती है और कहा जाता है कि आवश्यकतानुसार हमारे पास हैं। एक तरफ रोलिंग स्टाक की कमी है। समय पर, सीजन के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में माल की ढुलाई के लिए वैगंस उपलब्ध नहीं होते हैं। आप उसके लिए कई योजनाएं बना रहे हैं। आपने 'आउन युअर आउन वैगन' की बात कही है। ये सब अच्छी बाते हैं, लेकिन पूर्व मंत्री जी भी स्वीकार कर चुके हैं कि आपके वैगंस की वेटेड कैपेस्टी है, उसका बहुत नीचे उपयोग होता है। आज उद्यमी रेलों के वैगंस नहीं लेना चाहते हैं, वे सरफेस ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वैगंस समय पर नहीं मिलते हैं और वैगंस चाहिए तो उसके लिए भ्रष्टाचार करना पड़ता है, चोरी अलग होती है। चोरी का दूसरा भी रैकेट है। इस देश के अंदर करोड़ों रुपये की चोरी नियम बनाकर हो रही है। महत्वपूर्ण मानकर कम्पलीट करने का काम किया जाय। दूसरी बात जो आपने कही, मैं नहीं समझता हूं कि लमडिंग से सिल्वर और कुमारघाट से अगरतला जैसी रेल्वे लाइन कभी सम्पूर्ण हो पाती कि नहीं हो पाती। दौसा से लेकर गंगानगर तक यह सब जो एरियाज हैं, आप इसमें देखेंगे कि इस एरिया में कहीं इकोनोमिक क्राइटरीरिया का ख्याल हमने नहीं रखा है कि उससे कितनी आमदनी आने वाली है या वह प्रोजैक्ट किन लोगों के लिए है, बल्कि पिछड़ा हुआ इलाका मानकार उसको प्रायरटी के आधार पर रखने का काम हमने किया है और सारे नियमों को शिथिल करके किया है।

**श्री सत्यदेव सिंह** : धन्यवाद माननीय मंत्री जी कि आपने नियमों को शिथिल करके इन इलाकों को रेल्वे लाइन से जोड़ने का काम किया है। इसकी चर्चा तो मैंने पहले ही की है। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हैं, क्योंकि आपने यह सामान्य कार्य नहीं किया है। अगर उन क्षेत्रों को, जो अपने को उपेक्षित महसूस करते है। जो अपने को भारत की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं, उसके लिए कारण सोशियो इकोनोमिक फैक्टर्स रहे हैं, जिसमें रेलवे एक बहुत बड़ा कारण है और उस कारण को आपने दूर करने का प्रयास किया है।

लेकिन यह जो दूसरी बात है, मैं फिर इस बात को जोर देकर कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इस रेल्वे लाइन की महती आवश्यकता है, जो वहां पर आन्दोलन चलते हैं, सोशियो इकोनोमिक फैक्टर भी उसमें एक बड़ा कारण है, जिसके कारण पाकिस्तान हमारे आन्तरिक मामलों में इस तरह से खुला हस्तक्षेप करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय को आप राजनीति का हथकंडा बनाएंगे? यह बात आप रेल बजट में क्यों नहीं लाए? आप नियमों को शिथिल कर देते, चार साल में इसके लिए धन जुटाते। आखिर आप इस प्रोजैक्ट के लिए बजटरी सपोर्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? बाकी प्रोजेक्टस के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन इस प्रोजैक्ट के लिए इसलिए पैसा है कि 30 सितम्बर के अन्दर वहां चुनाव होने वाले हैं। अगर यह आपका दृष्टिकोण है तो इस दृष्टिकोण का मैं विरोध करता हूं। मैं इस प्रोजैक्ट का बिल्कुल विरोध नहीं करता, जम्मू कश्मीर में जितना भी धन जाय, जितना भी विकास हो, यह देश के व्यापक हित में होगा, इस बात में मेरा कोई विमत नहीं है।

रेल में पैसे की बड़ी कमी है और हमेशा इस बात की चर्चा होती रहती है। आज रेल्वे के अन्दर स्थिति क्या है, वैसे तो भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, रेल्वे उससे अछूती रहे, यह तो अपवाद होगा। रेल भी उसमें अपना पूरा हिस्सा निभा रही है। हमारे कांग्रेस के मित्र नाराज हो जाएंगे, ट्रांसपार्ट के लिए भी अलग से कम्पनी बनाएं, और सेंटर फार रेल्वे इंफार्मेशन अलग है। रेलवे का विस्तार और रेल्वे का आयाम कई तरफ गया है।

आज रेलवे बोर्ड उसकी कार्य प्रणाली और रेलवे बोर्ड पर पड़ने वाले बोझ पर भी अन्तर्मुखी होकर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आज रेलवे बोर्ड में जितने मेम्बर्स हैं, क्या वे काफी हैं? या रेलवे के बढ़ते हुए आयाम को देखते हुए रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन, पुर्नसंरचना की आवश्यकता है? मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं और इसलिए दिलाना चाहता हूं कि रेलवे के ऊपर अब सोशल प्रेशर भी बहुत है। लोग अपने अधिकारों के बारे में सचेत हैं। रेल प्रणाली के अन्दर जो अफसरों और कर्मचारियों के बीच में तालमेल का अभाव है, कुछ सीमा तक ब्यूरोकेसी हावी है। रेलवे में तानाशाही चलती है। बहुत से लोग यह कहते है। कि सिविल पुलिस में जितनी तानाशाही नहीं है, उससे कहीं ज्यादा तानाशाही रेलवे में है। अब इससे टकराव पैदा हो रहा है। आज रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज रेलवे एक्सीडेंट रेलवे प्रणाली का दोष नहीं देखते। आप देखते हैं कि कौन सबसे छोटा कार्यकर्ता इसमें निलम्बित हो सकता है। इस पर सारा ध्यान आपका चला जाता है। और उसका उपचार भी आप उसको निलम्बित करके कुछ लोगों को पैसा देकर कर देते हैं। ये एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरा निवेदन है कि रेलवे जो

कम्पनसेशन देता है, रेलवे के जो रिजर्व बोगी के लोग होते हैं; अगर वे हताहत होते हैं तो उनके बारे में तो आपके पास लिस्ट होती है लेकिन रेलवे गाड़ियों की छत पर बैठकर रोजगार के लिए जो लोग लुधियाना, कलकत्ता और मुम्बई जाते हैं, वे टिकट लेकर जाते हैं। वे बिना टिकट नहीं होते। वे टिकट दिखाते हैं लेकिन उनका स्थान नहीं होता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि रेलवे एक्सीडेंट के बारे में ऐसे लोगों को कम्पनसेशन देने के बारे में आप कोई योजना बनाने के बारे में सोचें।

दूसरी बात यह है कि रेलवे के अन्दर ए.सी. स्लीपर बढ़ रहे हैं, थ्री टायर स्लीपर बढ़ रहे हैं। थ्री टायर स्लीपर जितने भी आप ए.सी. के बढ़ा देंगे, ठीक रहेगा। लेकिन बहुत सी ट्रेन ऐसी हैं जो बिहार से दिल्ली और पंजाब की तरफ आती हैं, हमारे क्षेत्र से गुजरती हैं। हजारों की संख्या में लोग जान पर खेलकर पेट पालने के लिए अपना घरबार छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, सारे डिब्बे रिजर्व होते हैं और वैशाली ट्रेन के लिए तो लोग दो-दो घंटे लम्बी लाइन में टिकट लेने के लिए लगते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अनरिजर्व्ड कोचेज की संख्या बढ़ाई जाएं। सिर्फ और उसका क्लेम करना भी एक कंसोर्टियम बन गया है। लोग जुटे हुए हैं, जो लोगों पिलफ्रिज का फर्जी क्लेम भी कराते हैं। पिछली बार आपने 1994-95 के आंकड़े दिए थे, उनके अनुसार 177614 मामले रेल्वे के सामने पिलफिज के प्रस्तुत हुए थे, उसमें से 67806 का ही निपटारा किया है। जो राशि का आंकड़ा बताया है वह 25.13 करोड़ रुपये है। यह पिछले साल के आंकड़े हैं, जो रेल मंत्री के दिए हुए हैं। इस चोरी को करने के पीछे कौन लोग लगे हुए हैं, इसका पता लगाना चाहिए। बनारस का मुगलसराय चोरी के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप सिर्फ चोरी रोक दें और थोड़ी सी एफिशेंसी बढ़ा दें तो सोने की रेल बिछा सकते हैं, रेल्वे को पैसे की कमी नहीं पड़ेगी।

कहा जाता है कि रेल्वे को पूंजी की कमी है। आप पूंजी के पीछे-पीछे भाग रहे हैं। इसके लिए माल का भाड़ा भी बढ़ा रहे है।, लेकिन चोरी नहीं रोक पा रहे हैं। रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स लगा रही है, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उनकी ट्रेनिंग के बारे में, उनकी कमिटमेंट के बारे में, क्योंकि वह प्रोटेक्शन नहीं कर रही है। आज आर.पी.एफ. रेल्वे का कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रही है। जो चोरियां हो रही है। उनमें सबसे बड़ी साझेदारी उन्हीं की है। क्या आपने इस पर गहराई से विचार किया है? आखिर जो रिसोर्स क्रंच है, कैश लिक्विडिटी कम है, रेल्वे के पास पूंजी नहीं है, हम महत्वपूर्ण योजनाएं नहीं चला सकते और दूसरी तरफ इतनी बड़ी चोरियां हो रही हैं। एक तरफ चोरी कराकर क्लेम लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ रेल्वे की सम्पत्ति भी चोरी हो रही है। दूसरी आपने जी.आर.पी लगा रखी है। जी.आर.पी. और आर.पी.एफ. चाहती है कि मेरे पास रहें। रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स सिर्फ रेल्वे की सम्पत्ति की चोरी के लिए जिम्मेदार है और उसी की चोरी होती चली जा रही है। इन दोनों की कार्यप्रणाली के बीच में और इन दोनों में तारतम्य कैसे हो, क्या इस पर आप विचार करने वाले हैं?

रेल्वे का बहुत विस्तार हो रहा है। रेल सेवाएं अब कंजर्वेटिव सेवाएं नहीं रही हैं, जैसे कि पहले हुआ करती थीं। आपने कई कम्पनीज खोली हैं। राइट्स कंसोर्टियम है, देश के अंदर और बाहर अच्छा काम कर रही है। इरकान हैं, अब आप रेल ही नहीं बना रहे, सड़कें और मकान भी बना रहे हैं। आपके हाथ और पैर कई दिशाओं में फैले हुए हैं। ऐसे ही आप टेलीकम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। आई. आर.एफ.सी. है, वित्त निगम है, यह धन जुटाने में कितना सफल है, यह तो आप जानें, लेकिन यह भी रेल्वे बोर्ड की एक संस्था है। कोंकण रेल्वे एक अलग बनाई है। अब सुझाव आया है कि अर्बन रिजर्व्ड कोचेज तक सुविधा देकर गरीबों की तरफ जो हमारी चलने वाली बात है, वह पूरी नहीं होगी। डबल इंजन लगा दीजिए, कोचेज और बढ़ा दीजिए। हो सकता है कि प्लेटफार्म बड़े न हों, शैड न हों, डिब्बे थोड़े अंधेरे में खड़े हो जाएंगे लेकिन गरीबों को बैठने के लिए सुविधा मिल जाएगी।

मैं आपसे अनरिजर्व्ड कोचेज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि आप इनके बारे में सोचें जिनके बारे में कोई नहीं सोच पाता है। हम जब चुनाव लड़ते हैं, भाषण देते हैं, उस समय गरीब और गरीबी हमें बहुत दिखाई देती है। बहुत हृदय से हम बोलते हैं, बड़े अन्तरंग होकर हम बोलते हैं। हमारे आपमें से बहुत लोग हैं और आप तो दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन।

"जाके पावं न पड़े बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई।"

राम विलास जी क्या जानें कि पैर की विवाई फटने की पीर क्या होती है। लेकिन जो लोग मूक है।, जो अपनी आपसे अच्छे शब्दों में नहीं कह सकते, जो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, उनके बारे में हम विचार नहीं करते। उनके बारे में न रेलवे बजट विचार करता है, न सामान्य बजट विचार करता है और न ही संसद विचार करती है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर की कृपा से आप अच्छे बड़े मंत्रालय में हैं। 16 लाख से ज्यादा रेल कर्मी हैं और पिछले दिनों जो अवकाश ले रहे हैं, उनकी पोस्ट को आप सरेंडर करते चले जा रहे हैं। नई भर्ती बन्द है। 25-30 साल जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं, उनके बच्चों का यह अधिकार बनता है कि वे आवश्यकता पर नौकरी पाएं। इस ओर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। मुझे याद है यहां पर एक संस्था बनी है, उसका 'प्रेम' नाम है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्पलाइज इन मेनैजमेंट है। पिछले रेलवे मंत्री श्री सी.के. जाफर शरीफ जी बहुत नाराज हो गए थे। कहते थे हमने रेल वालों के लिए इतना किया, रेलवे बोर्ड की मीटिंग में हमने प्रतिनिधियों को बुलाया। क्या इतना काफी है? अगर इतना काफी है तो प्रेम चल रहा है प्रेम से, और अगर नहीं चल रहा है तो आप इसके बारे क्या करने जा रहे हैं? क्या रेलवे बजट को प्रस्तुत करते समय रियल पार्टिसिपेशन ऑफ जेनविन वर्क्स इन दि मेनेजमेंट ऑफ रेलवे है? क्या इसको बर्दाश्त करने के लिए आप मानसिकता बना चुके हैं? क्या आप तैयार हैं? या यह सिर्फ कागजों और फाइलों में बंद करके आप संतुष्ट हैं कि हमने बना दिया है। साल-दो-साल में दो चार मिनट आपने अपनी भड़ास निकाल लेंगे फिर जैसे आज अपने हमारे लिए

डिनर की व्यवस्था की है, और उसी तरह से फिर चाय की व्यवस्था हो जाएगी। हम अपने रास्ते चले जाएंगे और आप अपने रास्ते चले जाएंगे।

**श्री राम विलास पासवान** : इनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कैसे हो?

**श्री सत्यदेव सिंह** : मान्यवर, बहुत छोटी-छोटी बाते हैं, लेकिन आप उनसे पहले बात करिए। एक अन-रिकॉगनाइज्ड यूनियन का आदमी कितनी ही अच्छी बात कहे, लेकिन वह आपसे बात नहीं कर सकता है। उसको माध्यम चाहिए, उसको संसद सदस्य चाहिए और उसको रिकागनाइज्ड यूनियन चाहिए। कई बार रिकागनाइज्ड यूनियन के वैस्टेड इन्टरेस्ट होते हैं। काम्युनिस्ट पार्टी के लोग बैठे हुए, इसमें तो उनको महारथ हासिल है। वे यहां उपस्थित नहीं हैं, वह पीड़ा उनकी चली गई। बसुदेव आचार्य जी अपना भाषण देकर चले गए। ट्रांसपेंसी तो एम्पलायमेंट में बाद में आएगी, आप पहले उनसे थोड़ा बात तो कीजिए। आप उनसे बात नहीं करते हैं। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन तो जाने दीजिए, आप उनकी शक्ल को बरदाश्त नहीं कर पाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों के लिए कौन सा फोरम होगा? आप यूनियन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। पागल भी कई बार अच्छी बात कह देता है, पार्टिसिपेशन तो बहुत बड़ी बात है। मंत्री जी, इस सदन में बहुत लम्बी बहस चली है। आप पुरानी बहस को उठा लीजिए, जो धूल खा रहे हैं। उनको झाड़-पोंछ कर, अपनी ही वाणी को जरा देख लीजिए कि आपने मैनेजमेंट में मजदूर की भागीदारी पर क्या कितना कुछ कहा है और आपकी क्या धारणा थी। आज तो आप उधर बैठे हुए हैं, जहां से आप कुछ भी कर सकते हैं। इस बारे में आप एक बार सोच कर बताइए, फिर हम राय देंगे। हम राय देने के लिए तैयार हैं, आप बुलायें तो। आप पहले उनसे बातचीत करिए और कर्मचारियों से बात करिए।

**सभापति महोदय** : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री सत्यदेव सिंह** : महोदय, अभी तो मुझे अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना है। मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

मैं इस बात को कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन स्वाभाविक है कि जो भी रेल मंत्री बनता है, वह अपनी ही क्षेत्र को देखता है। रामविलास जी पुराने संस्कारों के हैं और पुरानी अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए, वे बिहार से ज्यादा आसक्त है। कर्नाटक में उनकी विवशता है और समर्थन प्राप्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपने क्या सोचा है? माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश और बिहार के तो सदियों से मधुर संबंध रहे हैं, उन संबंधों को तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए।

**श्री राम विलास पासवान** : दिल्ली से बाहर जाइएगा तो उत्तर प्रदेश होकर जाइएगा।

**श्री सत्यदेव सिंह** : यह तो आपकी मजबूरी है। आप हवा में रेल चलायेंगे, तो शायद बीच में उत्तर प्रदेश नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तो आपकी यह मजबूरी है और मजबूरी को हम व्यवस्था का नाम नहीं दे सकते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं किया है, इस बारे में आप सोचिए।

दूसरी बात, मैं कैटरिंग के बारे में कहना चाहता हूं। रेल पब्लिक रिलेशन ट्रैवलिंग-टिकट-एग्जामिनर और कैटरिंग से होता है। टीटी की भी कई समस्यायें हैं। आप उनको 3-4-5 कोचेंज दे देते हैं। कुछ हमारे जैसे सांसद जो उत्पाद मचाते हैं तो वे छोड़ कर भाग जाते हैं। खैर, यह तो हमारे और आपके बीच की बात है। लेकिन काम से कम आप उनकी सुविधायें तो बढ़ाइए। अगर ज्यादा संख्या में कोचेज रहती रहती है, तो आप उसका पता लगाइए कि उनको कितने कोचेज देते हैं। यदि ज्यादा कोचेज रहती है, तो वह कैसे इतने कोचेज देख सकता है। आप यहां एसी में बैठ कर अलीगढ़ जाइए और आपके पास सीट नम्बर नहीं है, तो कन्डक्टर आपको उपलब्ध नहीं है। कोच अटेंडेट वहां पर रहता है, वह बेचारा क्या कर सकता है। उसका यही झगड़ा पूरा नहीं होता है कि यात्रियों को बिस्तरा उपलब्ध नहीं है। इस बारे में आप सोचिए कि उसको सारे रास्ते जगना होता है और अगर सोने की व्यवस्था नहीं भी हो, तो कम से कम एक सीट तो टीटी को दें, जिस पर वह बैठ सके, लेकिन वह भी उपलब्ध नहीं है। यह तो व्यावहारिक पक्ष है, इसको तो आप देखिए। इसको नजरअन्दाज करके सिर्फ कार्य ही नहीं लिया जाना चाहिए। आप इस बड़े परिवार के मुखिया हैं और इस रेल परिवार के 18 लाख सदस्य हैं और इस 18 लाख को पांच से गुणा किया जाए, तो यह 90 लाख का परिवार हो जाता है। इस परिवार के मुखिया होने के नाते मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप इन छोटी-छोटी बातों को देखिए। बड़ी-बड़ी घोषणाओं से लाभ नहीं होगा, हमें एक-एक कदम करके आगे बढ़ाना शुरू करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे उत्साहवर्धक परिणाम हमारे सामने आयेंगे।

**श्री कल्पनाथ राय** (घोसी) : इस रेलवे के 16 लाख परिवार हैं या 18 लाख परिवार हैं।

**श्री सत्यदेव सिंह** : जनसंख्या बढ़ रही है, 18 लाख हो तो अच्छा है। आप कह रहे हैं तो मैं इसको सही मान लेता हूं।

रेलवे कैटरिंग सर्विसेज के लिए एक रेलवे कैटरिंग कार्पोरेशन की व्यवस्था है। हुझे यह पता नहीं है कि वह एग्जिस्ट करती है या नहीं, या आपने इसको लॉजिकल एन्ड पर पहुंचा दिया है और तिलांजलि समारोह हो गया है।

**श्री राम विलास पासवान** : विचाराधीन है।

**श्री सत्येदव सिंह** : अगर है, तो मेरा आपसे कहना है कि इस कार्पोरेशन को एक्टिव बनाइए और कैटरिंग की सुविधाओं पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, देवगौड़ा सरकार ने एक बड़ी अच्छी घोषणा कर दी है, हालांकि सिद्धान्तः मैं इसका विरोधी हूं। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों के डिसक्रीशनरी अधिकारों को छीन लिया जाए।

पता नहीं आपको पास देने का अधिकार बचा हुआ है या नहीं ...(**व्यवधान**) मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अंधाधुंध पास देने

की प्रवृति भी खराब है। अपने चहेतों को बिना कारण पास दिए जा रहे हैं। कमलापति जी स्वर्गीय है और इस संसार में नहीं है, गलती से मेरे मुंह से उनका नाम निकल गया। उस समय से यह परिपाटी पड़ी है। कांग्रेस के लोगों को इस मामले में बड़ी महारथ हासिल है, इससे हमारे माननीय सभापति जी भी परिचित होंगे। लेकिन इसके कारण होता क्या है, इसके कारण यह होता है कि जो जेनुइन ट्रेफिक पैसेंजर है, जो आपको पैसा देता है और अपनी जेब से जो टिकट खरीदता है उसको स्थान नहीं मिलता। इन बातों पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है।

मान्यवर, यूनिगेज की बहुत बात चली है। अभी चिदम्बरम साहब यहां नहीं हैं। उनका बजट और आपका बजट मिलता-जुलता है, शराब वही है लेकिन बोतल नयी है यह किस स्थिति में है। न्यू इकोनोमिक पालिसी, ग्लोबलाइजेशन, लिब्रलाइजेशन, इनके चहेते आप भी बन गए हैं और आज इनफ्रास्ट्रक्शन फेसिलिटी को देने में रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर आप इनफ्रास्ट्रकचरल फेसिलिटी नहीं दे सकते तो न रेलवे चल सकती है और न ही उद्योग चल सकते हैं तथा न हमारे देश के अंदर एकता के सूत्र का निर्माण किया जा सकता है। आपने थर्स्ट एरिया बनाया, यह आज का नहीं है। इलैक्ट्रीफिकेशन, गेज कनवर्जन और यूनिगेज की बात यहां बहुत आई है। अभी बासुदेव आचार्य जी कह रहे थे कि यहां पर मल्टीगेज रहेगा, मीटर भी रहेगा, नैरो भी रहेगा, ब्रोडगेज भी रहेगा। लेकिन इन प्रिंसिपल आठवीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो अगले साल से नवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने वाली है, उसमें आप क्या करेंगे? लेकिन यूनिगेज की वास्तविक आवश्यकता है और यह यूनीगेज ही रेलवे को सही प्रकार से संचालित करने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम है, इसमें पैसा कितना भी लगे। लेकिन इसके साथ-साथ आपको पुराना रोलिंग स्टाक, पुराने ट्रैक्स भी बदलने की आवश्यकता है, जब तक हम उसको नहीं बदल पाते हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला है।

मान्यवर, अभी राम नाईक जी ने बताया कि बजटरी सपोर्ट ओवर द ईयर कम होते चले गए। मेरा ख्याल है कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान से लेकर आपको बजटरी सपोर्ट ही मिला है। पांचवे प्लान में 75 परसेंट, छठे और सातवें मे 42 परसेंट और अब शायद आप 15 परसैंट के अदंर आ गए हैं। अब बजटरी सपोर्ट का क्या मतलब है, उससे आपको कितना लाभ मिलता है, क्योंकि आप रेल बजट में बार-बार माननीय वित्त मंत्री जी की तरफ मुखातिब होकर के अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति और कुछ धन की मांग कर रहे थे। मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने आपको कृतज्ञ करने का कोई अनुष्ठान शुरू किया है या नहीं किया है। ...**(व्यवधान)** अगर किया है तो फिर आप जोर से मांगिए और दबा कर मांगिए। रेल सब की है। हम भी आपकी सहायता करेंगे लेकिन जरा आप उनसे जोर से मांगिए। ...**(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : अब तो कृपा कीजिए।

**[अनुवाद]**

**श्री सत्यदेव सिंह** : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं अपनी बात पर आ रहा हूं।

**सभापति महोदय** : आपने पहले ही आधा घंटा ले लिया है।

**[हिन्दी]**

**श्री सत्यदेव सिंह** : मान्यवर, मुझे आप सिर्फ पांच मिनट का समय और दे दीजिए। मैं गोंडा जिले से आता हूं, मेरा क्षेत्र बलरामपुर है। मेरे पास माननीय माधव राव सिंधिया जी का पत्र है, जो 13 सितम्बर, 1989 का है। मैंने उनसे कुछ मांग की थी, उस मांग को आज फिर दोहराता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ कैसा सौतेला व्यवहार हो रहा है यह इससे परिलक्षित होगा। मैंने मांग की थी कि बलरामपुर तुलसीपुर के रास्ते गोंडा, गोरखुपर लाइन का आमार परिवर्तन करिए। उसके जवाब में उन्होंने लिख दिया है कि इस समय बलरामपुर और तुलसीपुर के रास्ते गोंडा, गोरखपुर थ्र मीटरग्रेज लाइन से रूट है जो उत्तर प्रदेश और असम में मीटर लाइन नेटवर्क को जोड़ता है। इस मार्ग को बड़ी लाइन में बदलने से मीटर लाइन प्रणाली में महत्वपूर्ण कनेक्शन अस्त-व्यस्त हो जाएंगे, यह उनका जवाब है। यानी आमान परिवर्तन से अस्त-व्यस्तता फैलती है, यह बात उस समय के रेल मंत्री जी ने कही।

आज आपसे मेरी फिर यह मांग है कि इस रेल लाइन को, क्योंकि यह महत्पूर्ण रेलवे लाइन है इसको आप जबल रोड तक परिवर्तित कर चुके हैं, गोंडा तक बड़ी लाइन है और यह नार्थ-ईस्ट को जोड़ने वाली है, आपके बिहार को जोड़ने वाली है, सुरक्षा की दृष्टि से भी आपको यह लाइन खोलना बहुत आवश्यक है। दूसरी मैंने मांग की थी कि मनकापुर-कटरा लाइन का आमार परिवर्तन किया जाए, यह परिवर्तन हो चुका है। उस समय उन्होंने जवाब दिया कि मनकापुर-कटरा मीटर आमान की शाखा लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण किया गया था लेकिन परियोजना को वित्तीय दृष्टि से अक्षम पाया गया, आज परिवर्तन हो गया है। उस समय मैंने मांग की थी अयोध्या में सरयू नदी पर रेल पुल की व्यवस्था की जाए। आपने अपने भाषण में क्या कहा है।

आपने अपने भाषण में क्या कहा है? आपने अपने भाषण में कहा कि सरयू नदी पर पुल निर्माण और फैजाबाद को जोड़ने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो रहा है। कहां भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं यह बात मैं नहीं समझता रहा हूं। मान्यवर, सन् 1989 में यह पुल वायवल नहीं थी लेकिन आज आपने उसको स्वीकार कर लिया। बलरामपुर-तुलसीपुर रेलवे लाइन होते हुए गोरखपुर को जो रेलवे लाइन जाती है उसके आमान परिवर्तन की मांग भी मैंने उस समय की थी लेकिन वह मांग अस्वीकार हो गयी थी। आज आपने उसे स्वीकार कर लिया।

दूसरी बात यह है कि आपने उत्तर प्रदेश की सभी लाइनों के आमान परिवर्तन के बारे में कहा था। आपने कहा था कि

टनकपुर-पीलीभीत, सीतापुर-लखनऊ का आमान परिवर्तन प्रथम चारण में आने वाले वर्षों में शुरू किया जाएगा। ये वर्ष कब शरू होंगे, समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि आपका कोई ठोस कार्यक्रम नहीं होता है। आपने धन की मांग भी इसके लिए नहीं की है। कानपुर-मथुरा-कासगंज, कासगंज-बरेली और गोंडा-गोरखपुर लाइनों को नवीं योजना अवधि में पहचान कर ली गई है। मैं उसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं। लेकिन गोंडा-गोरखपुर के लिए कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं आई है।

सन् 1977 में आप भी सांसद थे। हम सभी सत्ता-पक्ष में बैठे थे। बलरामपुर, उतरोला और खलीलाबाद की रेलवे लाइन बिछाने की बात हुई थी। सर्वे भी हो गया था। उसके बारे में आपने चर्चा नहीं की है। मैंने उस लाइन के बारे में भी इसमें कहा है।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। गोंडा रेलवे जंक्शन पर इस समय सौभाग्य से पूरे हिंदुस्तान से ट्रेनें आ रही हैं। गोंडा से बलरामपुर 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर श्रावस्ती बौद्ध तीर्थ है। जापान सरकार ने 400 करोड़ रुपए बौद्ध तीर्थों को जोड़ने के लिए दिए हैं। बड़े लोग तो चार्टर्ड-प्लेन करके पहले लखनऊ जाते हैं और फिर वहां से बौद्ध तीर्थ चले जाते हैं। लेकिन श्रीलंका और बर्मा से भारी संख्या में यात्री हमारे गोंडा जंक्शन स्टेशन पर आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने बड़े शहरों में ए.सी. रिटायरिंग रूम की व्यवस्था कर ली है तो आप हमारे यहां व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। आप वहां ए.सी. रिटायरिंग रूप बनाइये ताकि रात मे जो ट्रेनें वहां पहुंचती हैं उससे विदेश के यात्रियों को जिनसे हम बहुतायत में विदेशी मुद्रा कमाते हैं, ठीक प्रकार से तीर्थ-स्थानों की यात्रा करा सकें।

नेपाल के अदंर जनरल सेल्स एजेंट नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप जो विदेशों से यात्री वहां आते है। वे दूसरी जगह चले जाते हैं क्योंकि उनका हिंदुस्तान की रेलों में एडवांस आरक्षण नहीं होता है। इस बात को मैंने कई बार उठाया है। आपके रेलवे बोर्ड को भी लिखकर दिया है। आपके द्वारा एसेम्बली से इस बारे में रिपोर्ट भी मांगी गयी है। इसका परिणाम यह है कि हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खोते जा रहे हैं। इस देश की पहचान विदेशों में बढ़े और जो यात्री हिंदुस्तान आना चाहते हैं वे आए, इसके लिए हमारे यहां इस सुविधा का होना जरूरी है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा सौभाग्य है कि मैं माननीय रेल मंत्री जो को बहुत दिनों से जानता हूं। वे हमारे बड़े भाई हैं। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री संतोष मोहन देव** (सिल्चर) : सभापति महोदय, 16 जुलाई, 1996 का पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। मैं इससे 1980 से आगे संबद्ध रहा हूं। मैंने अपने कैरियर में अनेक बातें सुनी हैं। मैं रेलवे बोर्ड के छः चेयरमैन से मिला हूं। मैं नौ रेल मंत्रियों से मिला हूं। 1995 में एक दिन, विपक्षी नेता के नाते मुझे वर्तमान रेल मंत्री को उनके त्रिपुरा आने पर उन्हे सुनने का अवसर मिला है। उन्होंने सभा में यह कह कर हलचल मचा दी थी कि "हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को केवल जबानी सेवा देते हैं। आप इन विभिन्न राज्यों की राजधानियों विशेषकर त्रिपुरा और देश के अन्य भागों में रेल लाइनें क्यों नहीं बिछाते हैं। एक सदस्य के रूप में बैठे हुए मैंने सोचा कि यह एक ऐसा वक्तव्य होगा जो संसदीय कार्यवाही मं लिया जाएगा परन्तु सब कुछ निरर्थक गया है।

जब यह महानुभाव रेल मंत्री बने तो मैंने सिल्चर से उनका टेलीविजन पर पहला भाषण सुना। उन्होंने पुनः कहा था कि उनकी एक पहली प्राथमिकता पूर्वोत्तर राज्यों में रेल लाइन बिछाने की होगी। मैंने सोचा कि वे रेलवे बोर्ड के पास जाएंगे और रेलवे बार्ड के अधिकारी उनमें विचारों में परिवर्तन लाएंगे और वे फिर से सामान्य हो जाएंगे जैसा कि अतीत में दूसरे लोगों के साथ होता रहा है।

तब उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के संसद सदस्यों की बैठक बुलाई वहां हम सब लोग गए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर दोषारोपण नहीं करना चाहता। इस तरह की एक पुस्तिका हम सबको दी गई थी। इस पुस्तक को पढ़ते समय मैंने देखा कि रेलवे बोर्ड के अधिकारी बदले नहीं हैं यद्यपि मंत्री बदल गए हैं। उन्होंने हमें भोज दिया। मैं उन्हे बाहर ले गया और उनसे कहा कि यह बैठक किसके लिए है? आपने इतने लोगों को सुना, आपने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को सुना। आपने उनसे क्या जाना? उन्होंने कहा, "संतोष भाई" मैं एक मंत्री हूं और वे अधिकारी हैं, मुझे समय दीजिए",

मैं वापस आया और मैंने उन्हें दूसरा पत्र लिखा जिसमें मैंने उन्हें अपनी चिन्ता व्यक्त की। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे कुछ उच्च अधिकारियों के साथ बात करने का अवसर दिया। वहां मुझे- पता चला कि अमुक रेल लाईन पुस्तिका में नहीं है, अमुक लाईन नहीं बिछाई जा सकती और अमुक लाइन लाभप्रद नहीं है, सीसीए ने उसे मंजूरी नहीं दी है योजना आयोग ने उसे स्वीकृति नहीं है आदि। और इसलिए मुझे यह संकेत दिया गया है कि कुछ समय और इंतजार करो।

मैं फिर वापस आया और कुछ देर बाद आधी रात को मैंने उन्हें फोन किया उन्होंने कहा, "मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करिए," मैंने उनसे पूछा, "आप मुझसे क्या काम कराना चाहते हैं?" उन्होंने कहा, आप प्रधानमंत्रीजी और वित्तमंत्री जी से बात करिए मेरे बारे में आप चिन्ता न करें" मैं प्रधानमंत्री जी से मिला और मैंने उनसे बातें की। जब मैं प्रधानमंत्री से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए रेलवे उन पर दबाव डाल रहा है। जब मैं वित्त मंत्री जी को मिला तो उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सहायता करने के लिए अपनी सहमति जाहिर की और श्री चिदम्बरम ने कहा, "संतोष दा, मैं आपका समर्थन करूंगा। मेरी आयु 62 वर्ष की है। जब तक भारत हाकी या फुटबाल खेल में न हारे, मुझे रक्तचाप नहीं होता। लेकिन उस दिन मैं यहां बैठकर सोच रहा था कि वह क्या कहने जा रहे थे। तब वह पृष्ठ संख्या 18 पर आए, 1955 में जो कुछ कहा गया वह उनके भाषण में प्रतिबिम्बित होता है। उन्होंने कहा, "पूर्वोत्तर राज्यों के माननीय सदस्य राज्य की राजधानियों से रेल संपर्क न होने के बारे

में कह रहे हैं। सरकार ने इस स्थिति को ठीक करने का निर्णय किया है।"

उन्होंने इस दिशा में काम आरम्भ किया है और कुमारघाट से अगरतला तक नई लाइन बिछाने का कार्य, त्रिपुरा की राजधानी को रेल से जोड़ने का कार्य बजट में शामिल किया है। इस लाइन से उस क्षेत्र के लोगों की बहुत लंबे समय से चली रही मांग को पूरा किया जा सकेगा।

मैं त्रिपुरा से संसद सदस्य था और मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से इस बारे में प्रयास किया था तत्कालीन रेल मंत्री श्री सी.के. जाफर शरीफ अथवा अन्य मंत्री यही कहते थे कि यह एक दुर्गम क्षेत्र है, हम वहां काम नहीं कर सकते। हमारे लिए ऐसा करना बहुत कठिन होगा," यह मेरी लाइन लुमडिंग- सिल्चर के बारे में था जिसके बारे में मैं चाहता था कि मंत्री महोदय कार्य करें। वही तर्क दिया जा रहा है। जब यह अद्यतन किया गया तो महा प्रबंधक (रेलवे) ने मुझसे कहा कि कोंकण रेलवे पर कार्य चल रहा है, सुरंग का निर्माण हो रहा है, यही लुमडिंग-सिल्चर के मामले में क्यों नहीं किया जाता है? मैंने श्री सी. के. जाफर शरीफ से अनुरोध किया और उन्होंने इसे अद्यतन बनाने का आदेश दिया। वह तैयार था। मेरे साथी, श्री पी. उपेन्द्र ने बताया कि विलम्ब का कारण सर्वेक्षण है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इस लाईन को अद्यतन केवल 1 वर्ष पहले किया गया था और आज यह लाईन अस्तित्व में आ गई है। इसके लिए 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस राशि को एक वर्ष या दो वर्ष या तीन वर्ष या चार वर्ष में देना संभव नहीं होगा। लेकिन मैं श्री पासवान को बताना चाहूंगा कि उस दिन 16 तारीख को मुझे अवसर मिला और मैंने बराक में अपने लोगों को बताया कि "संभवतः श्री पासवान यह राशि देने वाले हैं", पार्टी का ख्याल किए बिना समूचे बराक घाटी में पटाखे छोड़कर जश्न मनाया गया। यह घाटी के लोगों की मांग थी। लुमडिंग-सिल्चर लाईन के लिए सभी दलों कांग्रेस, भा.ज.पा., मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आदि अन्य दलों की मांग थी।

करीमगंज से भी एक सदस्य हैं, मैं इस अवसर पर मंत्री महोदय और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन, जो मेरे विचार में पिछले चेयरमैन की तुलना में कुछ आशावादी हैं को हार्दिक धन्यवाद और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा। बैठक में एक मांग यह भी की गई थी कि बोगीमील पुल का निर्माण कार्य हाथ में लिया जाए। जब मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा "बोगीमील में ब्रह्मपुत्र नदी पर चौथे पुल का निर्माण कार्य आरम्भ करने का निर्णय किया गया है।" तो समूचे असम में जश्न मनाया गया।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि तिनसुखिया तक की रेल लाईन को आगे और बढ़ाया जाएगा।, उन्होंने अरूणाचल प्रदेश की एक परियोजना का उल्लेख किया और इम्फाल के लिए एक परियोजना दी। मणिपुर के मुख्य मंत्री ने कांग्रेसी मुख्य मंत्री होने के नाते एक प्रेस रिलीज जारी की, पहला अवसर है जब रेलवे बजट में मणिपुर को भारत सरकार से न्याय मिला है और मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री ने यह तर्क दिया कि कांग्रेस सरकार ने इसे पहले नहीं दिया था। इसके लिए मैं अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। संभवतः आपने एक बात देखी होगी। मैं ऐसा आदमी हूं जो न कवल मांग करता हूं परन्तु आपका साथ भी देता हूं।

पिछले दिनों जब मैं श्री चिदम्बरम से बात कर रहा था तो मैंने कहा था : कल रेल मंत्री जी ने भाषण दिया था और कहा कि वह रेल लाईन के बारे में विचार करेंगे। समाचार क्या है?" उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें संसाधान जुटाना पड़ा था। उन्होंने कहा'" यदि वे कोई खास प्वाइंट बताते हैं दादा, तो मैं शेष राशि का धन रखूंगा," सौभाग्य से आप वहां आ गए थे और कहा : हमने संसाधन जुटाने का इंतजाम किया है"

यदि ऐसी बात है तो आप हम सबकी ओर से समर्थन मिलेगा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सकारात्मक रवैया अपनाया है। मैं मंत्री महोदयजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए कहा उसका पालन किया। इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं।

इस लाइन को बनने में काफी समय लगेगा। मेरी केवल दो या तीन समस्याएं हैं। मैं सारे भारत में व्याप्त समस्याओं की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अन्य माननीय सदस्यों ने भी बोलना है।

सिल्चर लुमडिंग से छोटी लाईन और गुवाहाटी से बड़ी लाईन से जुड़ा है। दीमापुर की लाईन को तिनसुखिया तक बढ़ाया जाएगा। यह वाहनान्तरण हमारे लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा चूंकि मंत्री महोदय ने इसे बड़ी लाईन में बदलने का निर्णय कर लिया है इसलिए 10 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। पर उसे वह रातों रात नहीं कर सकते हैं।

यह मेरा प्रस्ताव नहीं है। यह रेलवे विशेषज्ञों का प्रस्ताव है। लुमडिंग से सिल्चर की ओर एक ऐसा प्वाइंट आता है जहां से कोई सुरंग नहीं है और कोई खाई नहीं है। यदि आप दूसरी लाईन से बड़ी लाईन को उस प्वाइंट तक बढ़ाते हैं तो- और यदि आप कम से कम वर्तमान लाइन नहीं लेते हैं- हमें इस पर आपित्त नहीं है- अथवा यदि उस प्वाइंट तक आमान, खाद्यान अथवा अन्य वस्तुओं को ले जाया जा सकता है और फिर उसे छोटी लाईन से सिल्चर करीमगंज, अगरतला, मिजोरम और मनीपुर की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। आज, हमारी आवश्यक वस्तुओं की लागत बहुत अधिक है। इसमें बहुत कठिनाई होती है।

कुछ दिन पहले मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को कहा था कि सिल्चर से शिलांग तक सड़क 15 दिन बंद रही। रेलवे अच्छी सेवा प्रदान करता है। मैंने महाप्रबंधक से बात की थी। उन्होंने कुछ कदम उठाए। परन्तु यदि कुछ सीमा तक बड़ी लाईन को बढ़ाया जा सकता है तो वाहनान्तरण समय बचाया जा सकेगा। क्या यह संभव है या नहीं मैं यह नहीं जानता क्योंकि मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं। यदि यह संभव नहीं है तो कृपया कुछ कदम उठाइए ताकि यात्री तथा माल

यातायात के वाहनान्तरण में बहुत अधिक समय न लगे और हमें अपनी आवश्यक वस्तुएं बिना विलम्ब के मिल सके। यह एक प्वाइंट है।

दूसरा प्वाइंट जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, वह यह है कि सिल्चर में एक रेलवे निर्माण कार्यालय था। चूंकि बड़ी लाईन का निर्माण नहीं हो रहा है इसलिए उस कार्यालय को बंद किया जा रहा था। मेरे अनुरोध पर श्री सी.के. जाफर शरीफ और श्री सुरेश कलमाड़ी ने उस कार्यालय को नहीं हटाया। इस कार्यालय का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि आपने बहुत अच्छा कहा है और प्रधानमंत्री ने भी उत्तर प्रदेश में एक सार्वजनिक सभा में कहा है कि निर्माण विकास कार्य केवल विकास कार्य पर धन व्यय करना नहीं है अपितु आधारित संरचना विकास से लोगों को रोजगार मिलेगा।

इसलिए कुल राशि लुमडिंग-सिल्चर से खर्च की जाएगी जहां निश्चित रूप से एक अच्छा संगठन एक इंजीनियरिंग कार्यालय होगा। सिल्चर में एक इंजीनियरिंग कार्यालय होना चाहिए, मैं कुछ और नहीं मांग रहा हूं। मैं केवल निर्माण कार्यालय की मांग कर रहा हूं जहां साधारण मस्टर रोल श्रमिक और अन्य लोग भी काम कर सकेंगे और वे निर्माण कार्य में भाग ले सकेंगे यही मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, बी.जे.पी. के सदस्य यहां हैं। यह बी.जे.पी. जैसे राजनीतिक दलों के लिए दुर्भाग्य की बात है। वे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पैकेज को चुनाव के साथ मिला रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों से सर्व दल बैठक की थी जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल थी। एक दूसरी पार्टी कश्मीर भी गई थी। हर कोई यह कह रहा है कि कश्मीर के लिए एक विशेष पैकेज होना चाहिए रेल मंत्री के लिए 2500 करोड़ रुपए देना एक असम्भव कार्य है। एक राष्ट्रीय योजना देने और रेलवे से अलग इस धनराशि को उपलब्ध करने से हम कठिनाई से बच रहे हैं। आप अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए इतनी अधिक मांगें कर रहे हैं। इसके साथ ही, यह कश्मीर के लोगों को यह अच्छा संदेश देगा कि भारत सरकार उनके बारे में भी चिन्तित है, यदि यह कुछ करती है तो इसका श्रेय केवल जनता पार्टी को नहीं मिलेगा बल्कि इसका श्रेय हम सबको मिलेगा।

[हिन्दी]

**श्री चमल लाल गुप्त** (ऊधमपुर) : एक तरफ आप इलैक्शन अनाउंस कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे।

[अनुवाद]

**श्री संतोष मोहन देव** : यही एक समस्या है। बी.जे.पी. चुनाव के लिए सब कुछ कर सकती है। हम सब राजनीतिक लोग हैं। हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए?

[अनुवाद]

**श्री सत्यदेव सिंह** : इस बात को मानने के लिए आपका धन्यवाद

[हिन्दी]

मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया। मैंने इस बात का मंत्री जी से निवेदन किया कि यह जो प्रोजेक्ट है, कश्मीर को देश से जोड़ने के लिए, मुख्यधारा में लाने के लिए दिया था कि महत्पवूर्ण काम है। इसका प्रिंसिपल में कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है कि 30 सितंबर तक यह रेल लाईन बनने वाली नहीं है, सर्वे पूरा होने वाला नहीं है। ढाई हजार करोड़ रुपया मिलने वाला नहीं है। अगर मिल भी गया तो यह लाईन पूरी नहीं हो सकती। यही क्या पंडित जी ने बताया था कि आज के दिन यह पैकेज अनाउंस किया जाए? इसलिए मैं इसको चुनाव से जोड़ता हूं और चुनाव का दृष्टिकोण रखकर ही इस पैकेज को अनाउंस किया गया था। माननीय राम विलास जी जो भी कहें, लेकिन वास्तविकता यह है और यह बात सही है कि जो अपके समर्थक दल हैं, वे बाहर बैठकर तो सीढ़ियों पर धरना देते हैं और यहां आपके साथ चोंच मिलाते हैं। यह अलग बात है, लेकिन वास्तविकता यह है कि

[अनुवाद]

वे दो पहलू हैं।

[हिन्दी]

**श्री चमन लाल गुप्त** : यह सुझाव देना कि कोई पैकेज के खिलाफ है, यह बिल्कुल गलत है। किसी ने पैकेज की मुखालिफत नहीं की है। हम चाहते हैं कि कश्मीर में रेल लाइन जानी चाहिए।

**अपराह्न 8.45 बजे**

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

लेकिन उसका तरीका है और सिर्फ अनाउंस कर देना और कोई प्रैक्टीकल व्यू न लेना यह कोई अच्छी बात नहीं है। खास करके जब इलैक्शन होने वाला है ...(व्यवधान)

**श्री संतोष मोहन देव** : मान लिया, 13 दिन की सरकार थी प्राइम मिनिस्टर लखनऊ गये। आप अयोध्या में राम मंदिर बनायंगे या नहीं बनायेंगे, यह अनाउंसमेंट क्यों किया, मैं उनको दोष नहीं देता।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या अयोध्या मंदिर से जुड़ा हुआ है?

[अनुवाद]

**श्री संतोष मोहन देव** : मैं श्री वाजपेयी पर दोषारोपण नहीं करता हूं। मैं उनके प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहा हूं। हर व्यक्ति चाहे वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, श्री एच.डी. देवगौड़ा हो अथवा श्री पी.वी. नरसिम्हा राव या कोई और हो, अपनी पार्टी के बारे में सोचेगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि यह गलत है। वह कह रहे हैं कि यह गलत है। आपकी 13 दिन की सरकार ने 30 वर्षों के लिए इंतजाम कर लिया है। परन्तु आपका कल्याण करे और राम आपको यहां लायें ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री सत्येदव सिंह :** मान्यवर, आप 40-45 साल से इस देश में राज्य कर रहे हैं। आपके इन सद्कर्मों से आज आपकी स्थिति हास्यास्पद हो गई है।

[अनुवाद]

**श्री संतोष मोहन देव :** महोदय, क्या आप मेरा बचाव करेंगे? मैंने उनको तंग नहीं किया है। उन्होंने 45 मिनट तक बोला है। उन्होंने कांग्रेस, घोटाला और अन्य विषयों पर बोला है। मैंने खड़े होकर उन्हें तंग नहीं किया है। ...**(व्यवधान)**

**श्री सत्य सिंह देव :** आपने घोटाला किया था। ...**(व्यवधान)**

**श्री संतोष मोहन देव :** 13 दिनों के शासन में, मध्याह्न भोजनावकाश में आपने एनरॉन का डीप काउंटर गारंटी प्रोपोजल स्वीकृत किया है। क्या यह घोटाला नहीं है?

**श्री सत्यदेव सिंह :** क्या इसे सरकार ने भी अनुमोदित नहीं किया है?

**श्री संतोष मोहन देव :** इस सरकार ने सभा में उनको विश्वास मिलने के बाद किया है। कोई भी एनरॉन के विरुद्ध नहीं है। पर आपको जल्दबाजी में क्यों करना चाहिए था? ...**(व्यवधान)** इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जो कश्मीर के लिए किया गया है वह ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ किया है और इसका स्वागत हम में से हर कोई करेगा। माननीय प्रधानमंत्री कश्मीर के लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि यह सभा, यह सरकार कश्मीर के लोगों के हितों को देख रही है, चुनाव दूसरी बात है ...**(व्यवधान)** माननीय सदस्य यहां चुनाव जीत कर आए हैं। मैं उनकी क्षमता जानता हूं वह अपनी पार्टी के लिए कुछ सीटें ले सकते हैं। आप इसके बारे में चिन्तित न हों। यह उन पर छोड़िए। परन्तु कृपया कोई संदेश देने की कोशिश न करें। वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पहले इसका स्वागत करें फिर इसकी आलोचना कर रहे हैं और फिर स्वागत कर रहे हैं। यह गलत है ...**(व्यवधान)** कृपया मुझे तंग करने के लिए दुबारा न खड़े हों। ...**(व्यवधान)**

**श्री सत्यदेव सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मामला है। वह अपने शब्दों को मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरा कथन कार्यवाही वृतांत में है और कार्यवाही वृत्तांत इस तथ्य का साक्ष्य होना चाहिए कि मैंने कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है और जम्मू और कश्मीर को किसी भी तरह से एकीकृत किया जाना चाहिए जैसा सरकार की तरफ से संभव हो सकता है। अब महोदय, वह अपना दृष्टिकोण मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। यह बहुत गलत है कृपया यह संकेत न दें कि बी.जे.पी. इसका विरोध कर रहा है। यह सच है हम इसका समर्थन कर रहे हैं।

**श्री संतोष मोहन देव :** कृपया रात के नौ बजे उत्तेजित मत होइए ...**(व्यवधान)**

**श्री सत्य देव सिंह :** मैं उत्तेजित नहीं हूं। आप हमें और देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ...**(व्यवधान)** मुझे स्पष्ट करने दें। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मैं बार-बार बात को कह रहा हूं कि यह जो ऊधमपुर से लाइन बनाने की बात थी यह परियोजना स्वागत योग्य कदम है। इसका मैंने स्वागत किया। लेकिन रेलवे बजट में मेरे क्षेत्र की लाइन नहीं आयी। जब मैंने पूछा तो इस बात का जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है कि ढाई हजार क़रोड़ रुपये रेल रिसोर्सेज से जनरेट नहीं हो सकते, इसलिए मैंने सिर्फ इस बात का विरोध किया। यह अवसर या टाइमिंग राजिनीति को ध्यान में रखते हुए आसन्न विधान सभा चुनाव जिनकी तारीख घोषित की जा चुकी है, यह देखकर प्रधानममंत्री जी ने घोषणा की है, यह मेरा आरोप है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री संतोष मोहन देव :** आज यह क्षेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। मैं कह सकता हूं कि उनकी यह सभा में कहने की हिम्मत है कि निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा पहली या दूसरी को करेगा। इसलिए वह सभा में आए और उन्होंने घोषणा की। मैं उस समय उपस्थित था जब उन्होंने ऐसा कहा। उनमें ऐसा कहने की हिम्मत है।

उन्होंने ऐसा कहा कि यह समूचे भारत के लोगों का अभिन्न अंग समझता आया है। हम सब इससे सहमत होंगे। परन्तु जो माननीय सदस्य ने कहा है वह उचित नहीं है। यह गलत संदेश भेजेगा। यह मेरे विचार हैं। वह मुझसे सहमत न हों। उन्हें पूरा अधिकार है कि वे सभा के समक्ष मेरे विचारों का खंडन करें। महोदय, क्या ऐसा है कि उन्हें सरकार और प्रधानमंत्री जी की आलोचना करने का पूरा अधिकार है और मुझे उनके भाषण की आलोचना करने का अधिकार नहीं है? यह किस प्रकार की सहिष्णुता है? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। यह ठीक नहीं है ...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप कोई दूसरा प्वाइंट उठाइए।

**श्री संतोष मोहन देव :** महोदय, मैं यह कह कर समाप्त करूंगा कि इस रेल बजट ने निश्चित रूप से एक नई दिशा दी है। यह नई परियोजनाओं का मेल है जिसमें आम आदमी पर कोई भार नहीं डाला गया है और माल की ढुलाई जो कि आवश्यक सामग्री है और जिसकी आम आदमी को जरूरत होती है, पर भार नहीं डाला गया है। इस बजट में नगर और उपनगरीय क्षेत्रों के दैनिक यात्रियों को ध्यान में रखा गया है।

मैं अपनी पार्टी, अपनी तरफ से और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की तरफ से रेल मंत्री जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं रिकॉर्ड में रखने के लिए फिर कहूंगा कि जो भी मंत्री महोदय ने किया है वह पूर्वोत्तर राज्य के लोगों द्वारा किया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि

आप हमारे सभी राज्यों में आयें ताकि हम आपका स्वागत कर सकें। निस्संदेह आपके पास धन का अभाव है। परन्तु धन की सीमा के अन्दर मुझे विश्वास है कि आप पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के साथ न्याय करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं श्री पासवान जी को धन्यवाद देता हूं और संपूर्ण बजट का समर्थन करता हूं।

**[हिन्दी]**

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** (हैदराबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने रेल बजट पर बोलने का मुझे वक्त दिया और मैं 5 मिनट में अपनी बात पूरे तौर पर रखने की कोशिश करूंगा। यह हमारे आन्ध्र प्रदेश की बदकिस्मती रही है कि वहां से कभी कोई वजीरे रेल नहीं रहा लेकिन फिर भी मैं इस रेल बजट की ताईद करता हूं और ताईद करते हुए पासवान साहब के सामने चन्द तजवीज रखूंगा क्योंकि वक्त नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश के लिये आप इस बात का खसूसन ख्याल रखें कि हैदराबाद से जयपुर, अजमेर होते हुए जो ट्रेन जाती है वह छोटी लाइन या मीटर-गेज की ट्रेन है, ब्रोडगेज नहीं है जो एक जमाने से चल रही है। यहां बारबार इस बात को कहा गया कि छोटी लाइन होने की वजह से लोगों को काफी तकलीफ है, इसे तबदील करना चाहिये। इसके अलावा, आप जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में नक्सलाइट तहरीक बहुत जोरों से चल रही है और आपने आज के अखबार में पढ़ा होगा कि उन पर पाबंदी लगा दी गई है लेकिन कई ऐसे वाकयात वहां होते हैं जिनकी वजह से लोग रेलों में सफर करने से बहुत ज्यादा घबराते हैं। उनकी हिफाजत का इंतजाम होना चाहिए ताकि वे हिफाजत से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें।

दूसरी तरफ हैदराबाद शहर बढ़ता जा रहा है लेकिन शहर के अंदर ओवरब्रिज न होने की वजह से ट्रेफिक में रूकावट आती है और घंटों ठहरना पड़ता है। इसे मैं बहुत अजीबोगरीब समझता हूं और यह तारीकी वाकया है क्योंकि 5 बरस या 7 बरस से ज्यादा का अर्सा हो रहा है, दबीरपुरा में एक ओवरब्रिज की मंजूरी दी गई थी, वह बन भी चुका लेकिन उसका इफ्तियाफ आज तक नहीं हुआ जबकि ट्रैफिक चली जाती है। आखिर क्या वजह है कि इतने बरस गुजरने के बाद भी उसका इफतिका नहीं हो रहा है। वह हार्ट ऑफ द सिटी में है लेकिन वहां कोई पुरसाने हाल नहीं है।

आखिर इसका किस्सा क्या है। लोग जा भी रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होता। कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। आखिर यह क्या है? हमारे सामने जो भी बात हो वह आनी चाहिए, क्योंकि हम मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं और लोग हमसे पूछते हैं। हम रेलवे के ओहदेदारों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ चीजें हैं वे अनकरीज हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि अनकरीज के लिए आप सन् तय कर दें कि 1996 में होगा, 1997 में होगा या 2000 के बाद होगा। आखिर कब होगा? हमको मालूम तो हो जाए, ताकि हम पब्लिक को यह कह सकें कि ये तमाम चीजें हैं।

रेलवे में जो खाना दिया जाता है यह इंतिहाई खराब किस्म का खाना लोगों के लिए ट्रेन में दिया जाता है। मैं आपसे ज्यादा तो नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे मिनिस्टर ज्यादातर प्लैन की बजाय अगर ट्रेन में सफर करें तो जो मुसाफिरों की तकलीफ है उनके बारे में वाकई आपको मालूम होगा। ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन इतनी उछलती है कि रात भर सो नहीं सकते। आखिर यह क्या है? रूट खराब है तो गाड़ी उछलती है, लेकिन इतनी क्यों उछलती है। वे कहते हैं कि पटरियां बहुत पुरानी हो गई हैं। इससे ऊपर-नीचे होता है, इसलिए उछलती हैं। ये छोटी-छोटी चीजें हैं जिनसे मुसाफिरों को बहुत तकलीफ होती है।

**श्री रामविलास पासवान** : मैं माननीय सदस्यों को बतला दूं कि जबसे मैं मंत्री बना हूं तबसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि अधिकांश मैं ट्रेन में ही चलूं। यदि बहुत जरूरी होता है तो मैं प्लेन में चलता हूं, नहीं तो मैं ट्रेन में ही चलता हूं। मैं बॉम्बे भी ट्रेन से ही गया था, घर भी ट्रेन से ही गया था। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दो-तीन चीजें हैं जो हमको भी बहुत खटकती हैं। एक तो मैंटिनेंस का सवाल है, जो माननीय सदस्य बार-बार उठाते हैं और मैं भी देखता हूं। दूसरा, कैटरिंग का है। हमारे यहां दोनों सिस्टम हैं, कैटरिंग प्राइवेट भी हैं, रेलवे की भी हैं। 75 परसेंट तो प्राइवेट ही हैं, 25 परसेंट रेलवे की हैं। लेकिन दोनों की ही स्थिति अच्छी नहीं है। प्राइवेट की भी नहीं है और रेलवे की संतोषजनक स्थिति होनी चाहिए, वह भी नहीं है। मैं स्वयं भी इसके लिए चिंतित हूं इसके लिए हमने अपने यहां ऑफिस में सैल बना दिया है, जोनल ऑफिस में भी कर दिया है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि हमको इसके लिए जो भी करना पड़े, जैसी भी कमेटी बनानी पड़े, सदस्यों की कमेटी बनानी पड़े सुपर कमेटी बनानी पड़े, हम बनाएंगे। जो हाल है वह हम कबूल करते हैं। और कहा है कि वे देखें कि शिकायत को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। जो भी आपके सुझाव होंगे ये हमें मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए आप इस बारे में सुझाव दे सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

**श्री सुल्तान सलाउदीन ओवेसी** : बहुत-बहुत शुक्रिया साहब। यह बड़ी अच्छी रिवाज आप कायम कर रहे हैं कि रेल मंत्री ट्रेन में सफर करें। गर्मी के दिनों में आप सफर करें तो आप वहां ठंडे पानी के लिए जो डिब्बे होते हैं उनमें पीने का पानी नहीं होता है ...(**व्यवधान**) रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं तो वहां भी ठंडे पानी का किसी किस्म का इंतजाम नहीं रहता। खसूसन बड़े स्टेशनों पर भी इंतजाम नहीं रहता। मैं खुद हैदराबाद के ताल्लुक से कहूंगा कि हैदराबाद की बड़ी आबादी का हिस्सा हैदराबाद में रहता है, लेकिन रिजर्वेशन वगैरह जितनी भी सहूलियतें हैं वे सिकंदराबाद एरिया में हैं। मैं समझता हूं कि सिकंदराबाद में 20 फीसदी आबादी रहती है, जबकि 80 फीसदी आबादी हैदराबाद में रहती है। ट्रेनें सिकंदराबाद आती हैं। बार-बार नुमाइंदगी करने के बाद हैदराबाद-नामपल्ली स्टेशन तक ट्रेन आने लगी है।

**अपराह्न 9.00 बजे**

लेकिन वहां भी इतनी देर होती है कि दो घंटे लेट हो जाती है। नतीजा यह होता है कि वहां से लोग उतरकर चले जाते हैं। साहब, सवाल यह है कि आखिर ट्रेन के वक्त की पाबन्दी हो। मुझे एक वाकया याद आता है- एक दफा नामपल्ली स्टेशन पर ट्रेन वक्त के ऊपर पहुंची, तो एक साहबन ने कहा कि आज ट्रेन वक्त पर आ गई, तो दूसरे साहब ने कहा कि जनाब यह वक्त पर नहीं आई है बल्कि 24 घंटे लेट आई है। यानी यह ट्रेन कल आनी थी। मगर ट्रेनों में वक्त की पाबन्दी हो जाए, तो अच्छा रहेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आपका समय समाप्त हो गया। कृपया अपनी स्पीच समाप्त करें। मैंने आपके समय में से बीच में जो रेल मंत्री बोले थे, वह समय निकाल कर बताया है।

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : इसी तरह मैडीकल केअर का भी इंतजाम नहीं है। लोग इतनी दूर जाते हैं। किसी किस्म की अगर कोई तकलीफ हो जाती है, तो उनको बहुत मुश्किल पेश आती हैं और दूसरा स्टेशन आने तक उनके लिए कोई इंतजाम नहीं होता।

डिप्टी स्पीकर साहब, हैदराबाद से वारंगल तक एक ट्रेन चलाने की गुजारिश मैं कई बार कर चुका हूं। आज भी कर रहा हूं। क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। बहुत ज्यादा रश हो जाता है। अगर आप एक ट्रेन और चला देंगे, तो अच्छा रहेगा।

अब मैं आपको दुबारा घंटी बजाने की जहमत नहीं उठाने दूंगा। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे बड़े अदब से, बड़े अहतराम से कहूंगा कि आप जरा इधर भी देखा करें क्योंकि अब आप सिर्फ उधर के नहीं हैं बल्कि पूरे हाउस के हैं। इसलिए आप चारों तरफ सिर घुमा लिया करें ताकि हम भी आपकी नजर में आ सकें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं भी कहता हूं कि आपकी बात का यकीनन ध्यान रखूंगा।

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब।

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज रेल बजट पर और रेल बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारतवर्ष एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जहां 95 करोड़ जनसंख्या है जिसमें से 80 करोड़ लोग रेल से सफर करते हैं। आज रेल मंत्री के पद पर राम विलास पासवान साहब बैठे हैं। सदन में पक्ष विपक्ष में बहस होती रहती है। यहां पर तो बहुत मजबूत विपक्ष बैठा है। आलोचना करना उनका कर्तव्य है। वे आलोचना किया करते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो बातें आम हित में हों, जनहित में हों, ऐसी बातों को उन्हें अन्तर-आत्मा से स्वीकार करना चाहिए।

विपक्ष में बैठे लोग जैसे अपने राजनीतिक जीवन को सदा धर्म और सेंटीमेंट के आधार पर आज तक चलाते रहे हैं। इन्होंने गांव के गरीबों और उनका रेल से लगाव यदि देखा होगा, तो उनको मालूम होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को गांवों और कस्बों के मतों से सिर्फ मतलब है, वे इस बात की महत्ता को नहीं समझ पाएंगे। जो विपक्ष में मजबूत लोग बैठे हैं उन्होंने आज तक सिर्फ यह जानने का काम किया है, जिस तरह से हमारे एक साथी कह रहे थे- बोतल वही है, शराब अलग-अलग है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कुछ और कहा था। मैं दूसरी जगह बैठकर सुन रहा था कि शराब वही है और बोतल अलग है।

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : हो सकता है। उलटा हो गया है, मैंने सुधार लिया है लेकिन मंदिर वही है और आप लोग भगवान बदल लिया करते हैं ...**(व्यवधान)** मैं रेल पर ही बोलने जा रहा हूं लेकिन उन बातों को बहुत हृदय से रखना चाहता हूं। आज इस देश में 90 करोड़ लोग हैं जिनमें से 80 करोड़ लोग रेल में सफर करते हैं। आज जिस मंत्री पद पर श्री राम विलास पासवान बैठे हैं, उनसे मैं एक बात का आग्रह करना चाहता हूं और आग्रह करने के साथ-साथ उनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। काफी लोग बोलते हैं कि बिहार का बजट है। वे जब से रेल मंत्री बने हैं ...**(व्यवधान)**

मान्यवर, मैं आपकी बातों पर जाना चाहता हूं। मैं कुरीतियां बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से इनका जो सपना रहा है, जिस तरह से ये दलित परिवार से चलते हुए आज लंबी दूरी तय करके जिस जगह पर आये हैं। इन्हें कम से कम दो बार तथा और भी पदों पर बैठने का मौका मिला। आज वे सबसे बड़े मंत्रालय के मंत्री है। आज देश के 90 करोड़ लोगों की आशायें इनके व्यक्तित्व से बंधी हैं। ये संयुक्त मोर्चे के मंत्री हैं जिसके मुखिया श्री देवेगौड़ा जी हैं। आज किसानों की आशायें श्री देवेगौड़ा साहब से बंधी हैं। आज उस संयुक्त मोर्चा की सरकार में एक मंत्री ऐसा भी आया है जिसने इस देश की 95 फीसदी गरीब जनता का ध्यान रखा, समाज के कमजोर लोगों का ध्यान रखा, समाज के मध्यम वर्ग के लोग, जो कि ट्रेन में सफर करते हैं, उनका ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया। ऐसा लगता है कि इनका जो सपना रहा है, वे जो बोला करते हैं कि हम उस घर में दीया जलाना चाहते हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इनकी जो भावनायें शुरू से रही हैं, वे भावनायें इस संयुक्त मोर्चे की सरकार में सफल होंगी। इन्होंने जो बजट पेश किया है, उसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। इन्होंने डा. अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर आज समाज के कमजोरों के सम्मान को बढ़ाया है।

मैं आशा करता हूं कि जब तक यह रहें तब तक समाज के कमजोर वर्गों का, समाज के पीड़ित मानवों का सम्मान बढ़ता रहे। उनके ख्याल को ध्यान में रखते हुए, देश के जनहित को ध्यान में रखते हुए देश के प्रति भी इनका बहुत आदर रहा है। जो पारदर्शिता इन्होंने रेल बजट में दिखाई है, उससे ऐसा लगता है कि संयुक्त मोर्चे की सरकार और पूरे देश की 90 फीसदी जनता का सबसे ज्यादा ध्यान रेलवे बजट पर गया है।

. उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार की ओर जाना चाहता हूं। मेरे बहुत से साथियों ने बिहार के बारे में कहा है बिहार राज्य देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर, गरीबी के आधार पर भी यह बहुत महत्वपूर्ण है।

ललित नारायाण मिश्र जैसे व्यक्ति, केदार पांडेय जैसे बिहार के कई व्यक्ति मंत्री बने। जार्ज फर्नान्डीज जी जो बिहार से चुनाव लड़ा करते थे, वे भी मंत्री बने। इस तरह से श्री पासवान जी बिहार के पांचवें या छठे मंत्री हैं। देश में भी कई मंत्री बने। जगजीवन राम जी भी बने। यह बात सही है कि जिस राज्य के मंत्री होते हैं, उनका ध्यान अपने राज्य की ओर ज्यादा होता है। पासवान जी की देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य के हित में, जो सबसे गरीब राज्य है, जनसंख्या के आधार पर भी दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, आजादी के 47 वर्ष बाद थोड़ी सी निगाहें गई हैं। यदि पासवान जी के इस बजट से बिहार राज्य के लोगों की आशाएं बढ़ी हैं तो मैं मानता हूं कि यह कोई नई बात नहीं है। कुछ मंत्री जो और राज्य के बने थे, वे तो पूरा बजट ही अपने राज्य में ले गए थे। लेकिन इन्होंने तो देश को बैलंस करके थोड़ी सी ज्यादा निगाहें हमारे राज्य की ओर दी हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि बिहार की ओर इनकी बहुत कम निगाहें गई हैं। मैं चाहूंगा कि वहां के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

आपने कई छोटी लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में परिवर्तित करने की घोषणा की है। इसके लिए आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव होगा कि बिहार को बड़ी रेल लाइन के साथ-साथ नई छोटी रेल लाइन की भी आवश्यकता है क्योंकि सबसे गरीब राज्य होने के नाते लोगों के पास गाड़ियां नहीं हैं, अपने संसाधन नहीं हैं, बस पर चढ़ने के लिए भाड़ा नहीं है। इसलिए एकमात्र सहारा रेलवे ही है जिससे गरीब व्यक्ति सफर कर सकता है। आप ए.सी. फर्स्ट क्लास, सैकंड क्लास का ध्यान रखें लेकिन देश हित और समाज हित में मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुए इस पर ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक मैंने छोटी रेल लाइन की बात कही, उत्तरी बिहार नेपाल और बिहार के बार्डर पर स्थित हैं, हम बिहार के अंतिम छोर पर हैं। हमने इससे पहले भी कलमाड़ी साहब से, प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहा था, आपसे भी बार-बार मुलाकात होती है, मेरी दिली-ख्वाहिश है कि सहरसा से मानसी, मानसी से फारबिसगंज, सहरसा से कटिहार बड़ी रेल लाइन के परिवर्तन की घोषणा की जाए। मैंने ही सर्वेक्षण कार्य का उद्घाटन किया था आपने लाखों लोगों की भावनाओं को मोह लिया है। निश्चित रूप से आपने आजादी के बाद ललित नारायण मिश्र के घर में, मेरे घर से ललित बाबू का घर मात्र 35 किलोमीटर के अंदर है, लेकिन ललित बाबू जिन कामों को अधूरा छोड़कर गए, नहीं कर पाए, उनके बाद आज तक उस ओर किसी की नजर नहीं गई लेकिन आप एक व्यक्ति बने जिनकी नजरें एक ऐसे इलाके की तरफ गई।

जहां के 50 प्रतिशत, 60 प्रतिशत गांव के लोग रेल को नहीं देख पाये। आपने जिन चीजों की शुरुआत करने का निर्देश दिया है, मैं आग्रह करूंगा कि मानसी से सहरसा, सहरसा से पूर्णिया होते हुए कटिहार और कटिहार से जोगबनी, जो भारत-नेपाल स्थित बोर्डर है, जो पर्यटक स्थल है, इंटरनेशनल स्टेशन रक्सौल की तरह इंटरनेशनल जगह हैं, विराटनगर का बोर्डर है। विराटनगर काठमांडू का सबसे बड़े जिलों में से है। इसलिए जोगबनी सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। मेरा आग्रह होगा कि जोगबनी की ओर आपका ध्यान जाय, जिससे नेपाल और भारत व्यापार के मामले में मजबूत हो सके।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जो पुरसेला कटिहार के बीच में एक स्टेशन है, मैंने कई बार लिखकर दिया है कि पुरसेला से बिहारीगंज वाया रूपोली, भवानीपुर बरहरा होते हुए जोड़ने में यदि आप सफल होते हैं तो लोग जो 18 घंटे की यात्रा तय करके कटिहार आते हैं या सहरसा जाते हैं, वह एक घंटे या डेढ घंटे में अपने कार्य को निष्पादित कर सकते हैं। यह बनबनखी से बिहारीगंज रेल्वे लाइन है, यदि आप बिहारीगंज से सहरसा को रेल्वे लाइन से जोड़ देते हैं या बिहारीगंज से मानसी रेल्वे लाइन को जोड़ देते हैं तो यह भी कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि इससे हमारा समय कम से कम 22 घंटे, 24 घंटे बचेगा।

हमने यह भी आग्रह किया था कि बनबनखी से यदि हम वाया जलालगढ़ कस्बा होते हुए जोगीहाट होते हुए किशनगंज को जोड़ते हैं तो जो कटिहार से घूमकर हम जाते हैं, जिसकी दूरी तय करने में चार घंटे लगते हैं, हमें कटिहार जाना पड़ता है, बनबनखी होकर हमारी दूरी बहुत कम होगी। जिस तरह मैंने आपसे मिलकर कहा था कि यदि आप नई रेल्वे लाइन को 2-3 जगहों पर मधुबनी से दरभंगा से सहरसा आने के लिए हमको 22 घंटे लग जाते हैं, यदि आप मधुबनी से निर्मल्ली होते हुए सहरसा को जोड़ देते हैं, यदि आप मधेपुरा से सिंघेसर, जो राज्य का दूसरा पर्यटन स्थल है, सिंघेसर होते हुए जोगबनी को वाया त्रिवेणीगंज जोड़ते हैं तो यह दूरी 22-23 घंटे लोगों को जाने की कम हो जाएगी, वहां गरीब लोग बस से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बीच में नदी है, इसको यदि आप छोटी लाइन से भी जोड़ने का काम करते हैं तो मैं मानता हूं कि यह आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

आप जानते हैं कि आप लोगों ने रैपटल रोड की बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जो उत्तर प्रदेश राज्य से दरभंगा होते हुए जोगबानी को जोड़ती थी, वह भी आज तक नहीं बन पाई। उसे छोड़कर लोगों को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमें दरभंगा से समस्तीपुर वाया खगड़िया और बेगूसराय होकर आना पड़ता है, जबकि हम एक घंटे में पहुंचते हैं, जिसको हम 24 घंटे में तय करते हैं, यह इतनी महत्वपूर्ण रेल्वे है। मैं समझता हूं कि आप यदि इसमें सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उत्तरी बिहार के लिए एक वरदान साबित होंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले को आप निश्चित रूप से मजबूती से देखें। कई बार मैंने आपसे आग्रह किया कि कटिहार से, जो बिहार का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा जंक्शन है, जहां से हम बंगाल, हावड़ा के लिए जाते हैं, जहां से गोहाटी के लिए जाते हैं, सिलीगुड़ी, जलपाईगुडी, शिलांग के लिए जाते हैं, जहां से हम नेपाल जाते हैं, जहां से हम सहरसा की ओर जाते हैं, जहां से हम मनिहारी की ओर जाते हैं, कई बार मैंने कहा कि यह एक ऐसा

जंक्शन है, जहां पर आपको सीधी रेल्वे सुपरफास्ट से आपको जोड़ने की आवश्यकता है।

महानंदा है, लेकिन वह भी 48 घंटे में या 72 घंटे मे कब पहुंचेगी, इसका कोई हिसाब नहीं है। यह तेज गति वाली गाड़ी नहीं है। उसमें ए.सी. क्लास की कोई व्यवस्था नहीं है। आप हमें उसमें भले ही ए. सी. प्रथम क्लास मत दें, भले ही ए.सी. दूसरी क्लास न दें, आप ए. सी. तीसरी क्लास दे दें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या ए.सी. थर्ड क्लास भी होता है?

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : ए. सी. थ्री टियर होता है। अगर वही दे दें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपने एक भी सीधी रेलगाड़ी नहीं दी। सब वाया ही दी हैं। हावड़ा जाने के लिए एक भी सुपर फास्ट रेलगाड़ी नहीं है। मात्र दिन में एक गाड़ी है जो हावड़ा जाती है, उसके भी इतने स्टापेज हैं कि कोई हिसाब ही नहीं है। उस इलाके में 12-13 जिले हैं। हावड़ा-कलकत्ता जाने के लिए, सियालदा-मालदा जाने के लिए सबसे बड़ा जंक्शन है। व्यापारियों के लिए, गरीबों की दृष्टि से, जनहित की दृष्टि से यदि एक सुपर फास्ट ट्रेन दे देते हैं तो उससे सरकार को मुनाफा भी होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि एक नई सुपर फास्ट हावड़ा के लिए चलाएं।

मैंने कई बार कहा है कि उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार जाने के लिए कोई आवागमन की व्यवस्था नहीं है। बस से रात भर चलकर दूसरे दिन रांची पहुंचते हैं। उधर आठ जिले हैं। सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, अररिया के लिए बरौनी से बस जाती है और 22-23 घंटे में रांची पहुंचते हैं। वहां पर ट्रेन नहीं है या तो बरौनी या फिर पटना आना पड़ता है। हमें बोकारो, धनबाद आने के लिए तीन घंटे लग जाते हैं। यदि नई ट्रेन नहीं दे सकते हैं तो बरौनी से जो ट्रेन चलती है उसमें कुछ बोगीज बढ़ा दें जोकि कटिहार आ जाएं, फिर कटिहार से बोगीज लगाकर धनबाद आ जाएं। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने के लिए आजादी के बाद सरकार ने पता नहीं क्यों नहीं काम किया, जबकि यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पता नहीं, उसके प्रति इनका लगाव क्यों नहीं हो सका। मैं मंत्री जी से व्यक्तिगत आग्रह करना चाहता हूं यदि आप उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने की व्यवस्था करना चाहते हैं तो बरौनी होते हुए, चूल होते हुए ही रूट दे सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपके ग्रुप में और भी नाम हैं। मेरी तरफ से कोई रूकावट नहीं है, लेकिन ग्रुप के और लोग नहीं बोल पायेंगे।

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : एस.पी. के सिर्फ दो नाम हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : औरों का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, बोलिए।

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : यदि आप मामलों को देखते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी।

मैं एक और आग्रह करना चाहता हूं। मंत्री जी ने बड़ी कृपा की, पूर्व मंत्री कलमाडी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ आदेश दिया था, लेकिन आपने लागू करने के लिए आदेश दिया है। हरिहरनाथ को कटिहार से मिलाने की बात की है। कितने ही जिलों को छूते हुए सोनपुर-छपरा के लिए ट्रेन जाती है, उसमें एक भी ए. सी. प्रथम श्रेणी का डिब्बा नहीं है। इन 11 जिलों के सारे विधायक हरिहरनाथ से ही पटना जाने के इच्छुक होते हैं। क्योंकि कटिहार से लोगों को आने में काफी समय लगता है और दिक्कत होती है। यदि हरिहरनाथ एक्सप्रेस में ए.सी. दूसरी श्रेणी के डिब्बे लगा दें तो बहुत अच्छी बात होगी। हम सबने मिलकर पासवान जी से आग्रह किया था कि कटिहार से पटना तक एक इ.एम.यू चलाई जाए। वहां दिन में कोई ट्रेन नहीं है, लोगों को काफी असुविधा होती है। मैंने कई बार आपसे आग्रह किया था कि कोई अच्छी ट्रेन दिन में दीजिए जो सुबह सात-आठ बजे चले।

जो कटियार से खुले और जो सात-आठ बजे पटना से खुले। एक ऐसी ट्रेन कि दोनों तरफ आवागमन हो जिसका नाम कोसी ट्रेन रखा जाए। उस इलाके की कई जगहों के नाम से उसे रखा जाए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं यदि एक डी.एम.यू. ट्रेन की व्यवस्था आप कर देंगे तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं आपका ध्यान उन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं जब आपने एक बार मीटिंग बुलाई थी और मैंने कहा था कि पंजाब या और जगहों पर हमारे इलाके से काफी मजदूर जाते हैं। इतने मजदूर कि हमारे इलाके में मजदूर ही नहीं हैं। सारे के सारे मजदूर करीब-करीब चले गए हैं, इसलिए कि हमारे इलाके के अन्दर न कोई फैक्टरी है और हमारा इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है। हमारे लोग एक टाइम कमाते हैं तो दो टाइम भूखे रहते हैं। सारे के सारे मजदूर दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं।

यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि गरीब लोग ट्रेन में चला करते हैं, लम्बी दूरी तय करते हैं। मैं उन सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि अब बड़े लोग दस प्रतिशत लोग प्लेन से या राजधानी से चला करते हैं। महानन्दा एक ऐसी ट्रेन है जिसमें सिर्फ गरीब या मध्यम वर्ग के लोग ही सबसे लम्बी दूरी तय करते हैं और उनको पता होना चाहिए कि इस ट्रेन में डिब्बे की व्यवस्था नहीं है। उसमें मात्र एक या दो डिब्बे होते हैं। डिब्बों की छत पर या एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी खड़ा होता है, इतनी भीड़ होती है, पेशाबघर और लैट्रीन में भी लोग बैठकर जाते हैं और यह निश्चित है कि उन्हें लैट्रीन भी लगेगी और वे बाथरूम भी जाएंगे। कुछ लोग तो लैट्रीन और बाथरूम में भी बैठ जाते हैं। तो जाहिर है कि लोग लैट्रीन और बाथरूम में भी बैठ जाते हैं तो जाहिर है कि लोग लैट्रीन और बाथरूम के बाहर गन्दगी करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जहां से भी जो ट्रेन बिहार में खुलती हो जिस पर मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग जाते हों, कम से कम ऐसे डिब्बों की उपयोगिता को देखते हुए आप ट्रेन में ज्यादा डिब्बे जोड़ने का काम करे ताकि जो एक लिमिटेशन है, जिस रूप में उन्हें जाना चाहिए, उसमें वह संभव हो सके। और तो और यदि कोई

मिलिट्री का समुदाय उस ट्रेन में आ जाए तो वे सारे मजदूरों को मारकर ट्रेन से बाहर कर देते हैं। इसलिए मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि कम से कम ऐसी ट्रेनों में आप डिब्बों की संख्या बढ़ाने का निर्णय जरूर लें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : 27 मिनट हो गए हैं।

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : मैं कनक्लूड करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप दो मिनट में कनक्लूड कीजिए।

**श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : मैं उन बातों पर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं जब आपने कहा था कि आप कई ओवर ब्रिज बनाएंगे। फारबीसगंज से रुक्मिणी जाने वाली सड़कों पर चार घंटे तक रेल गुम रहती है। एक ट्रेन आई तो दूसरी गुम रहती है। लंबी लंबी कतारें खड़ी हो जाती हैं। इस पार से उस पार जाने के लिए एक भी पुल की व्यवस्था नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कई बार कहा और मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि आपके बिना यह काम नहीं हो सकता। मैंने राज्य सरकार से भी कहा कि यदि आप इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे तो यह इस इलाके के लिए जनहित की सबसे बड़ी बात होगी। मैं कनक्लूड करता हूं। मैंने एक दो चीजों पर कई बार कहा था लेकिन आज तक इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। महानंदा ऐक्सप्रेस में कैण्टीन की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि यह ट्रेन बहुत लंबी दूरी तय करती है। मैंने इस बारे में कई बार पत्र लिखा है।

मैं उस बोर्ड का मैम्बर था और मैंने बार-बार इस बात को कहा है लेकिन पता नहीं सदस्यों की बात भूल जाते हैं। मंत्री तो नहीं भूलते हैं, लेकिन वहां जो लम्बी-चौड़ी टीम बैठी होती है, वह भूल जाती है। आप जैसे मंत्री न हो तो, माननीय मंत्री जी, हम लोग दो रुपए के भाव बिक जाए। इस मंत्रालय के बड़े-बड़े अधिकारियों के बीच में हम सदस्यों को यह प्रतिष्ठा मिलती है। लेकिन खुशी की बात है कि आप पक्ष और विपक्ष सब को सुनने का काम करते हुए, सब को सम्मान देते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप बिहार में बिजली की लाइन की व्यवस्था के लिए चिन्तित हैं। आप प्रथम चरण में मुगलसराय से पटना को लीजिए और दूसरे चरण में पटना से बरौनी और बरौनी से कटिहार तक का निर्णय आप ले लीजिए। यह मेरा आपसे व्यक्तिगत आग्रह है।

एक अंतिम आग्रह मैं और करना चाहता हूं। जो गाड़ी वाया बरौनी, गुवाहाटी और कटिहार की ओर जाती है, वह आधा घन्टा लेट हो जाती है। यह इस लिए क्योंकि इस गाड़ी का इंजन इस बगल से उस बगल लाना पड़ता है। मंत्री जी यह बहुत आवश्यक चीज है। समय के अनुसार भी यदि आप मात्र थोड़ा ध्यान दे देंगे, तो मैं समझता हूं कि जो इंजन इस बगल से उस बगल लाना पड़ता है, उसकी सीधी व्यवस्था पटना से बरौनी और गुवाहाटी जाने की हो सकती है। यह अतिमहत्वपूर्ण सवाल है। मैं आग्रह करूंगा कि गुवाहाटी जाने वाले रास्ते में, कटिहार जाने वाले रास्ते में इंजन न बदलना पड़े, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था आप जरूर करें। कटिहार से मनीहारी महत्वपूर्ण रेल लाइन गई है। मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। राज्य सरकार और भारत सरकार जहां-जहां पर भी पुल बनाती है, यदि उसके साथ-साथ रेल मंत्रालय भी पुल बनाये, तो दोनों का खर्चा कम हो सकता है। यह निर्णय यदि आप लेते हैं, तो अच्छा होगा। जिस प्रकार से आप भागलपुर में बना रहे हैं और भागलपुर से इस पार आने के लिए कोई रेल लाइन की व्यवस्था नहीं है तथा भागलपुर से साहिबगंज, साहिबगंज से इस पार आने के लिए कोई रेल लाइन नहीं, है, उसी प्रकार भागलपुर से नौगछिया आने के लिए कोई रेल लाइन नहीं है। इन स्थानों को सड़क से जोड़ने के लिए पुल बना रहे हैं, यदि आपका यह विचार हो जाता है, मैं तो कहूंगा कि यह विचार पूरे देश के लिए हो जाए, राज्य में तो कम से कम हो ही, तो मैं समझता हूं कि इस से राज्य सरकार को भी खर्च कम लगेगा और भारत सरकार के रेल मंत्रालय का भी कम खर्च लगेगा। यदि साथ ही साथ पुल बनता है तो यह बहुत बड़ा निर्णय आप द्वारा लिया जाएगा।

अंत में उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कई ऐसी चीजें हैं जो छूट गई हैं। दरभंगा से लोकह, दरभंगा से निरमली बड़ी लाईन की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं दरभंगा से लोकह बड़ी लाईन ओर दरभंगा से निरमली, जो आपके बगल में ही है, कटिहार बरौनी के बीच में नारायणुर पतरा पर जो भारतीय हाल्ट है, जो अभी बंद है, और यह हाल्ट भारतीय रेलवे के लिए इतना आवश्यक है जिसका कोई हिसाब नहीं है, यदि आप उस हाल्ट को खोल देते हैं तो यह जनहित में सबसे बड़ी बात होगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको किया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहता हूं कि रेल लाइनों पर इंसान कट जाते हैं। वनमंकी जंक्शन पर और कई ऐसे जंक्शन हैं जैसे नारायणपुर पर ओवरब्रिज दिया जाए। इसको आप कम से कम जनहित की दृष्टि से लें और मैं आपको बधाई देता हूं और चाहता हूं कि आप इसी तरह से समाज, देश, दलित, पीड़ित मानवों की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहें और सदन के सदस्यों का इससे सम्मान भी बढ़े। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**[अनुवाद]**

**श्री तिरुची शिवा** (पुडुक्कोट्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा में भाग लेने में थोड़ा हिचकिचा रहा था परंतु सभा में अच्छा वातावरण होने के कारण मुझे बहुत आवश्यक सेवा रेलवे पर बोलने के लिए हिम्मत आई है। मैं इस अवसर पर रेल मंत्री को उपभोक्ता के रूप में धन्यवाद देना चाहता हूं और इस सभा का सदस्य होने के नाते तारीफ करना चाहता हूं और संयुक्त मोर्चा का घटक होने के नाते उनको बधाई देना चाहता हूं।

जब सभा में रेल बजट प्रस्तुत हुआ था तो उसने अगले दिन समाचार पत्रों में इन शीर्षकों के अन्तर्गत समाचार छपा "पासवान ने मालभाड़े में 10 प्रतिशत की वृद्धि की' और "ऊपरी श्रेणी के किरायों में वृद्धि" आदि। समाचार पत्रों ने जिन मुख्य बातों पर जोर नहीं दिया वे हैं- द्वितीय श्रेणी के सामान्य तथा द्वितीय श्रेणी के मेल और

एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के किरायों में कोई वृद्धि नहीं, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के लिए मासिक और त्रैमासिक सीजन टिकटों के किरायों में कोई वृद्धि नहीं और स्लीपर क्लास मेल और एक्सप्रेस तथा सामान्य रेलगाड़ियों के वर्तमान किरायों में 200 किलोमीटर तक कोई वृद्धि नहीं।

हमें इसकी तारीफ करनी होगी। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं और रेल मंत्री महोदय की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने आम आदमी पर कर नहीं लगाएं हैं। डीजल के आकलित मूल्यों में वृद्धि के बावजूद बौद्धिक आशंकाएं उलट गई हैं क्योंकि आम आदमी पर, जो अधिकतर रेलगाड़ियों में यात्रा करता है, कोई भार नहीं बढ़ा है। यह मेरा अधिकार और विशेषाधिकार है कि मैं रेल मंत्री जी की तारीफ करूं। मैं समझता हूं कि ऐसे अवसर पर इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता।

मंत्री महोदय की प्रशंसा करते हुए मैं कुछ मांग रखना चाहूंगा। मुझे यहां यह बताते हुए दुख होता है कि जहां तक रेलवे का संबंध है हमारा राज्य अतीत में हमेशा उपेक्षित रहा है। हमें आशा है कि हमारे माननीय रेलमंत्री श्री राम विलास पासवान के समय इसे दोहराया नहीं जाएगा। उनमें हम सामाजिक न्याय के अग्रणी रूप देखते हैं। उनके मन में देश में किसी के प्रति और लोगों के प्रति पूर्वाग्रह की कोई भावना नहीं है। इसीलिए हमें उनसे बहुत आशाएं हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि उनके ध्यान में कुछ बातें नहीं आई होंगी। मैं इस अवसर का उपयोग हमारे निर्वाचन क्षेत्र और राज्य से संबंधित कुछ बातों को उनके ध्यान में लाने में करूंगा।

मंत्री महोदय ने नौ डीजल पुश-पुल रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है परन्तु उनमें से एक भी हमारे राज्य को नहीं दी गई है। उन्होंने सात विद्युत चालित पुशः पुल रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है, दो बड़ी लाईन की और पांच छोटी लाईन की परन्तु हमारे राज्य को कोई भी रेलगाड़ी नहीं दी गई है। उन्होंने घोषणा की है कि मद्रास-डिंडीगुल रेल लाईन को बड़ी लाईन में बदलने का कार्य मार्च 1998 तक पूरा हो जाएगा। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह एक लंबी प्रकिया है और केवल धनराशि के आवंटन में कमी के कारण केवल 30 प्रतिशत काम पूरा हो सका है। हम चाहते हैं कि यह 1997 तक पूरा हो जाए। मद्रास और बेलाचेरी के बीच जिस एम. आर.टी.पी. सिस्टम का उल्लेख उन्होंने किया है वह हमारे नेता डा. कलाईगनर करूणानिधि के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार की देन के कारण एक सफल स्कीम है। मंत्री महोदय इसे पूरा करने के लिए आगे आए हैं।

हमारी अनेक मांगें हैं जो हमने मंत्री महोदय को बताई हैं। उसके साथ ही मैं कुछ महत्वपूर्ण मामले भी उनके विचारार्थ और कार्यवाही हेतु उनके ध्यान में लाना चाहूंगा। उन्होंने नगरकोइल से मुंबई के बीच चलने वाली रेलगाड़ी की बारंबरता में वृद्धि करके इसे सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर तीन बार कर दिया है। हम इसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं उनसे इस रेलगाड़ी के कसर से एक शयनयान जोड़ने का अनुरोध करूंगा क्योंकि तिरूचि, तंजावुर और पुडुकोट्टाई के लोगों को मुम्बई जाने के लिए मद्रास आना पड़ता है। यदि मंत्री महोदय तिरूचि से चलने वाली रेलगाड़ी में कसर में एक सवारी डिब्बा जोड़ते हैं और यदि इसे नागरकोइल मुम्बई सी एस टी एक्सप्रैस में जोड़ा जाता है तो इससे इन तीन जिलों के लोगों को बहुत फायदा होगा। मंत्री महोदय इस पर विचार करें। जब वह लोगों की राय जानने के लिए मद्रास आए थे तो हमने उन्हें अपने विचार बताए और उन्होंने कुछ पर ध्यान दिया। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा मेरे निर्वाचन क्षेत्र पुडुकोट्टई से मद्रास तक तेज गति से चलने वाली रामिकाली यात्री रेलगाड़ी की अत्यंत आवश्यकता है। चूंकि रात के समय लगभग 100 बसें चलती हैं और लोग एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तुलना में बसों के किराए कम होने के कारण बसों से यात्रा करना पसंद करते हैं। यदि मद्रास के लिए कोई लाइन पुडुकोट्टई से एक द्रुतगामी यात्री चला दी जाए तो इससे न केवल जनता को बल्कि रेलवे को भी लाभ होगा।

पेरावनानी, अरंडंगी, पुडुकोट्टई, अमिमापट्टनिम और अन्य स्थानों से यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए 6176 ए कबन एक्सप्रैस में एक शयन यान और जोड़ा जाना चाहिए।

माननीय सदस्य श्री पी. उपेन्द्र ने अपना भाषण देते समय रेल मंत्री और रेल कर्मचारियों जो रेलवे के विकास के लिए एकमात्र रूप से उत्तरदायी हैं को बधाई दी। मैं इस अवसर का उपयोग रेलकर्मचारियों की कुछ मांगों को रखने के लिए करना चाहता हूं जो मंत्री महोदय द्वारा पूरी जा सकती हैं। इनका समाधान केवल उनके शासन और संयुक्त मोर्चा सरकार, जो निर्धनों, श्रमजीवी वर्ग, साधनहीन लोगों के लिए है, के अंतर्गत हो सकता है।

मैं यहां रेलवे की ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' कर्मचारियों के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या का उल्लेख करना चाहता हूं। उनके सेवाकाल के दौरान उन्हें कैलेण्डर वर्ष में "पी" श्रेणी के पासों के तीन सेट दिए जाते हैं परन्तु अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के बाद ग्रुप 'सी' कर्मचारियों को इन पासों के दो सेट दिए जाते हैं जबकि ग्रुप "डी" कर्मचारियों को इनका केवल एक ही सेट दिया जाता है। इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए और इन दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों की ओर से यह मेरा अनुरोध है।

जिनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है, मैं यह कहना चाहूंगा कि रेल कर्मचारियों, के बच्चों और आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पर रखने की नीति सभी विभागों में अनेक वर्षों से प्रचलन में है, मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि 1977-79 के दौरान जनता सरकार के शासनकाल में एक उचित अवधि में भारी संख्या में पिछला बकाया रिक्तियों को भरकर पूरा कर लिया गया।

महोदया, दक्षिण रेलवे में इसकी काफी सीमा तक उपेक्षा की गई जिसके कारण भारी संख्या में पिछला बकाया रह गया। मुझे आशंका है कि ऐसा इस गलत धारणा से हुआ कि रिक्तियों को भरने पर रोक इस पर भी लागू होती है। रेल मंत्री जी को तीन से छः महीने के दौरान

इन पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक अनुदेश देने चाहिए ताकि कर्मचारी उनके आश्रित, उनके बच्चे ग्रुप सी और ग्रुप डी के संवर्गों के पदों में नियुक्त हो सकें। अन्यथा इसका प्रयोजन विफल हो जाएगा।

मैं इन सब बातों को इसलिए रख रहा हूं ताकि हमारे रेल मंत्री महोदय इन कठिनाइयों को समझ सकें। एक माननीय सदस्य ने अभी कहा था कि मंत्रीं महोदय एक निर्धन परिवार के हैं। वह निर्धन व्यक्तियों की कठिनाइयों को जानते हैं, वह लोगों की आवश्यकताओं को जानते हैं।

तमिलनाडु में तिरूचि स्थिति गोल्डन टॉक कार्यशाला को एशिया में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। परन्तु पिछले एक वर्ष के दौरान इस कार्यशाला में सर्वाधिक ओवरहालिंग के लिए लाए गए डीजल इंजनों की संख्या 120 से घटकर 108 रह गई है। डीजल इंजनों की संख्या में भारी कमी होने के कारण इस नामी कार्यशाला का आम कार्यभार काफी कम हो गया जिसके कारण वर्कशाप के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता, प्रोत्साहन राशि और भुगतान में काफी कमी आई और पदोन्नति और अतिरिक्त श्रमिकों की भर्ती पर रोक लगानी पड़ी। इसलिए गोल्डन टॉक वर्कशाप को अतिरिक्त इंजन दिए जाएं ताकि कर्मचारियों और रेलवे को अच्छी आय हो सके। महोदय, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि एक नया सदस्य होने के नाते मेरा आपको अभिवादन है और आप इसे मेरा पहला भाषण समझिए और मुझे कुछ और समय दीजिए, मैं इस सभा से बात करने के मूड में हूं मुझे आशा थी कि यह स्थान अपनी बात कहने का मंच होगा। मुझे आशा थी कि मुझे वरिष्ठ नेताओं के भाषणों को सुनने का मौका मिलेगा, मेरे जैसे नए सदस्यों को सुनने का मौका मिलेगा। परन्तु शायद किसी विशेष परिस्थितियों के कारण हम यहां खाली सभा देख रहे हैं। इसके बावजूद यहां कुछ सदस्य, उपाध्यक्ष महोदय और माननीय रेल मंत्री हैं। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा है कि इस सभा के उपयुक्त वातावरण के कारण मुझे अभी बोलने का बल मिला है। इसलिए मैं इस अवसर पर कुछ बातें रखना चाहता हूं क्योंकि मुझे मंत्री महोदय से बहुत आशा है।

महोदय, रेलवे मंत्रालय अकेले में एक बड़ा नियोजक है जिसमें 16 लाख से अधिक पुरुष और महिलाएं काम कर रहे हैं। यही एक ऐसा स्थान है जहां दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का ईमानदारी से पालन किया जाता है। रिक्त पदों को भरने पर रोक और भर्ती पर रोक लगे होने से सामाजिक न्याय की योजना केवल कागज पर प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त मुझे आशंका है कि रेल मंत्री महोदय ने जिस सामाजिक न्याय के लिए बहुत कुछ सहा और जिसे बहुत हद तक पाया उसे निजीकरण से धक्का लग सकता है। हमने आपमें डा. अम्बेडकर की विशेषताओं को पाया है और राजनीतिज्ञ की विशेषताओं को कम पाया है। इसीलिए मैं यह सब बातें यहां रख रहा हूं। सामान्यतः आम आदमी के मन में इस सम्मानीय सभा के प्रति विश्वास है। वह देख रहा है कि यह सभा उसके दुखों को दूर कर सकती है। इस रात के समय हम उसकी आवश्यकताओं, उसकी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार की योजनाओं और प्रस्तावों तथा इनको कार्यान्वित करने में उसकी उत्कट रूचि के कारण आम आदमी जो अंधकार भरे भविष्य की ओर देख रहा था, अब उजाले की ओर देखने लगा है।

महोदय, मैं टैगोर की गीतांजिल की कुछ पक्तियां उद्यृत करना चाहूंगा क्योंकि यही आम आदमी की मानसिकता हे।

"वह गीत जो मैंने गाना था वह आज तक बिन गाए

मैंने अपने दिन वाद्‌य यंत्र के तारों को कसने और उनको ढीला करने में बिता दिया

अभी उसका समय नहीं आया है

शब्दों का अभी चयन नहीं हो सका है

टीस रह गई है।"

यह उसका गीत है। यह उसकी मानसिक स्थिति है। यह उसका मंच है।

महोदय, अब समय बदल गया है। हम प्रगति के रास्ते पर हैं। हम विकासात्मक कार्य की प्रगति के रास्ते पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय की सूचना के लिए मैं बता दूं कि मैं और अधिक सपने देखता हूं क्योंकि सपने सच होते हैं। देश की आजादी का सपना गांधी जी के मन में था। पेरियार के मन में जातिर्विहीन समाज का सपना था विश्व में भारत लोकतंत्रात्मक नक्शे में सबसे आगे रहे यह नेहरूजी का सपना था। अब सपना है एक बेहतर राष्ट्र का, एक खुशहाल भविष्य का और एक आत्मनिर्भर राष्ट्र का। मेरा विश्वास है कि संयुक्त मोर्चा सरकार, रेल मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में एक खुशहाल भविष्य आएगा और वह दिन हमारे लिए दूर नहीं है जब हम सिर ऊंचा करके चलेंगे।

**श्री अनंत कुमार** (बंगलौर दक्षिण) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है क्योंकि लोकसभा में यह मेरा पहला भाषण है। मुझे फख्र है कि मैं एक रेल कर्मचारी का पुत्र हूं। मेरे पिता और माता ने प्रसिद्ध रेल्वेमैन संघर्ष यानि रेल हड़ताल में भाग लिया था। मैं आपके ध्यान में, माननीय रेल मंत्री के ध्यान में और समूची सभा के ध्यान में इस बजट के प्रति अपनी धारणा को लाना चाहता हूं। मैं महसूस करता हूं कि इस बजट में प्रस्तावों की काफी घोषणा की गई है परन्तु पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है इससे लोगों में निराशा फैल गई है।

बजट में अनेक परियोजनाओं की घोषणा की गई है परन्तु नीतिगत निर्णय कम लिए गए हैं। विशेषकर इस बजट में नीतिगत मामले लिए जाने थे जैसे नेटवर्क का विस्तार, माल यातायात की नीतियां, यात्रा सेवाओं का ढांचा, आंतरिक प्रबंध में सुधार, वित्तीय व्यस्था, रेल सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना।

मैं माननीय रेल मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कर्नाटक ने संयुक्त मोर्चा को प्रधानमंत्री दिया है। परन्तु हमारे प्रिय रेल

मंत्री ने कर्नाटक को पर्याप्त रूप से कुछ नहीं दिया है। रेल बजट में क्षेत्रीय असंतुलन है।

वास्तव में पिछले बजट में, पिछली सरकार की प्राथमिकताओं कर्नाटक के लिए आमान परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और यूनीगेज परियोजना के अंतर्गत आमान परिवर्तन का सारा कार्य वर्ष 1997 तक पूरा हो जाना था। परन्तु यदि मंत्री महोदय इस बजट में आवंटन को देखें तो पाऐंगे कि कर्नाटक में आमान परिर्वतन का कार्य पूरा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मंगलौर-हसन-अरासीकेरे मार्ग को पूरा करने के लिए कुल 185 करोड़ रुपये की आवश्यकता है परन्तु 1995-96 में केवल 17.1 करोड़ दिए गए और 1996-97 के लिए केवल 30 करोड़ रुपये का प्रावधान है। कार्य पूरा करने के लिए शेष राशि 138.15 करोड़ रुपये है। इस दर पर तो इसे चालू होने में कम से कम पांच वर्ष लग जाएंगे।

मैं रेल मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वहां एम आर पी एल यानि मंगलौर रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड और यदि अशोधित तेल और परिष्कृत तेल उत्पादों की वहां के लिए ढुलाई करनी है तो शीघ्र ही इस लाईन को चालू किया जाए। मैं रेल मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि एच पी सी एल ने हसन और मंगलौर के बीच आमान परिवर्तन के लिए धन देने की पेशकश की थी। इसलिए मैं रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह एच पी सी एल से वार्ता करें।

दूसरा, नई रेल लाइनों की घोषणा की गई है। परन्तु इन नई लाइनों को जैसे कोट्टूर हरिहार बरास्ता हरिपनहल्ली को जिसे 65.94 करोड़ रुपये की आवश्यता है, केवल 1 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दूसरी नई रेल लाईन यथा 100 किलोमीटर की दूरी वाली कादूर-चिकमगलूर-सकलेश्वर लाइन, जिसकी लागत 157 करोड़ रुपये है, के लिए केवल 1 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसलिए इन लाइनों को निकट भविष्य में चालू नहीं किया जाएगा। यह संस्थापना के लिए खर्चा है।

होस्पेट से गुंटकल तक दोहरी लाईन बिछाने के लिए 105.77 करोड़ रुपये की आवश्यकता है परन्तु केवल 1 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। बेंगलूर केनेंगरी लाईन को दोहरा बिछाने के मामले में भी जो कि केवल 12.45 कि.मी है यही किया गया है और उसके लिए भी इस वर्ष के बजट में केवल 1 करोड़ रुपया रखा गया है।

कोंकण रेलवे के लिए उस परियोजना को पूरा करने के लिए 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। बजट में यह आश्वासन दिया गया है कि अक्तूबर, 1996 तक उस लाइन पर माल गाड़ियां चलने लगेंगी और दिसम्बर 1996 तक उस पर यात्री रेलगाड़ियां भी चलने लगेंगी। परन्तु मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि बैंदूर और भक्तकल के बीच सुरंग घटिया काम होने के कारण ढह गई थी और उस परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये में कोई प्रावधान नहीं है। मैं नहीं जानता कि 400 करोड़ रुपये कैसे आएंगे।

यदि हम सुरंग के भी ढहने पर हुई हानि को देखें तो एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या समूची परियोजना 1996 से पूर्ण पूरी हो जाएगी। इसमें एक वर्ष का भी समय लग सकता है।

यह बताया गया है कि अंकोला और हुबली के बीच नई रेल लाईन को बिछान के लिए सर्वेक्षण योजना आयोग को भेज दिया गया है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह कर्नाटक का 100 वर्ष का सपना है।

श्री एम. विश्वैसरैया ने अकोला-हुबली-गुंटकल-मद्रास लाइन का सपना देखा था क्योंकि विश्व में तीन महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह हैं- करवार, सिडनी और केलिफोर्निया। करवार का जो एक प्राकृतिक बदंरगाह है, इस वहुत महत्वपूर्ण रेल संपर्क के न होने के कारण विकास नहीं हो पाया है। एक बहुत बड़ा नौसैनिक परियोजना सी बर्ड भी है। इसलिए यदि आप करवार अंकोला-हुबली को गुंटाकल और मद्रास से जोड़ते हैं तो समूचे मैंगनीज और लौह अयस्क को जहाजों द्वारा होस्पेट से मद्रास, हास्पेट से करवार ले जाया जा सकेगा। यह दो समुद्र तटों यथा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर मुख्य मार्ग होगा।

बंगलौर में अतिरिक्त क्षेत्रीय मुख्यालय के संबंध में मैं माननीय रेल मंत्री से जानना चाहूंगा कि बंगलौर क्षेत्रीय मुख्यालय की क्षेत्र सीमा क्या होगी? इसका क्या नाम रखा जाएगा? वास्तव में सम्पूर्ण कर्नाटक से यह प्रस्ताव था कि उसे "दक्षिण पश्चिम क्षेत्र" नाम दिया जाए और इसकी क्षेत्र सीमा को अंतिम रूप दिया जाए। ऐसा नहीं किया गया है। बजट में अतिरिक्त क्षेत्रीय मुख्यालय के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। हम अतिरिक्त क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं चाहते हैं। हम केवल यही चाहते हैं कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थिति स्पष्ट की जाए।

बंगलौर की आबादी 51 लाख है और इसे महानगर का दर्जा प्राप्त हो रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि अनुपूरक बजट में बंगलौर के लिए एक 'सरकूलर' रेल अथवा 'मैट्रो' रेल के लिए सर्वेक्षण के सम्बन्ध में प्रस्ताव लाए क्योंकि यह बहुत आवश्यक हो गया है। कलकत्ता के लिए मैट्रो रेल हैं, मद्रास के लिए मैट्रो रेल हैं और मुम्बई के लिए मैट्रो रेल है, बंगलौर को भी परिवहन की यह सुविधा दी जाए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि रेल मंत्रालय इस संबंध में व्यवहार्य सर्वेक्षण कराए कि बंगलौर सरकुलर रोड अथवा मेट्रो रेल के संबंध में क्या किया जा सकता है।

इस बजट में बंगलौर के लिए टर्मिनल सुविधाओं और दूसरा प्रवेश का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 1 करोड़ रुपया दिया गया है। यह पर्याप्त नहीं होगा और इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

जैसा कि माननीय सदस्य पी. उपेन्द्र ने सुझाव दिया है बंगलौर-विशाखापत्तनम रेलगाड़ी के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बंगलौर-विशाखापत्तनम के लिए एक नई रेल लाईन बिछाई जाए। बंगलौर और बम्बई बरास्ता हुबली एक नई रेल लाईन की आवश्यकता है क्योंकि तब मीराज तक बंगलौर देवनेगरे- हुबली और फिर पुणे और मुम्बई मुख्य मार्ग बन जाएगा। यह मुख्य मार्ग बन

जाएगा और सारा कर्नाटक इसके अंतर्गत आ जाएगा। बम्बई मार्ग कर्नाटक से बाहर है जो ज्यादा आंध्र प्रदेश से होकर जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि बंगलौर और बम्बई के बीच बरास्ता हुबली एक रेलगाड़ी चलाई जाए।

दूसरी बात यह है कि बंगलौर से राजस्थान के लिए इस समय कोई गाड़ी नहीं है। बंगलौर में कई राजस्थानी लोग रहते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि बंगलौर और अजमेर अथवा बंगलौर और जयपुर के बीच एक नई गाड़ी की घोषणा की जाए।

सभी उत्तरी राज्यों से देश की राजधानी दिल्ली के लिए 4 या 5 गाड़ियां हैं परन्तु प्रत्येक दक्षिणी राज्य से केवल एक ही गाड़ी है। कर्नाटक के लिए कर्नाटक एक्सप्रेस और सप्ताह में दो बार राजधानी एक्सप्रेस है। मैं निवेदन करता हूं कि इस राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन बार चलाया जाए और बंगलौर और दिल्ली के बीच एक और गाड़ी चलाई जाए ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस रेलगाड़ी से भी यात्रा कर सकें। मैं रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह कर्नाटक जाएं। जहां तक रेलवे का संबंध है, कर्नाटक अभी विकसित नहीं है। आप सारा कुछ प्रधान मंत्री जी पर न छोड़ें क्योंकि उन पर देश की समस्त समस्याओं का भार है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कर्नाटक जाएं ताकि आप इन सभी सुझावों को ध्यान में रखें और अपने अनुपूरक बजट में कुछ संशोधन करें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा गुरूवार 25 जुलाई, 1996 को पूर्वान्ह 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 10.00 बजे**

**तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 25 जुलाई, 1996/ 3 श्रावण, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

---